खण्ड-349, अंक-2
सोमवार, 13 माघ, शक संवत् 1902
(24 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	191-195
प्रश्नोत्तर	197-284
भूतपूर्व सदस्य, श्री छंदा सिंह चौहान के निधन पर शोकद्गार	285-288
लखनऊ विश्वविद्यालय में अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद का 50वां शहीद दिवस मनाने की अनुमति न दिए जाने से छात्र असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	289
ग्राम मौना गढ़वा, थाना बरहज, जिला देवरिया निवासी श्री गोविन्द कोइरी की दम प्रहार से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	289
गोरखपुर, जनपद गाजीपुर से बेरिया ग्राम जनपद बलिया तक बांध बनाए जाने से किसानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	290
भूमि आवंटन के कब्जे के विवाद में श्री महादेव सिंह निवासी ग्राम सराय, थाना शिवरतन गंज जिला रायबरेली द्वारा श्री भूसई की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	290-291
ग्राम पुवारी कलां, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी के निवासी राजभर जाति के मकानों को सवर्णों द्वारा जलाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	291
श्री मोहम्मद अबरार अहमद द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग	291-292
विधान सभा सचिवालय की स्वायत्तता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	292
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित किया गया)	293-294
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	294
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 47—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93--राजस्व विभाग	

विषय	पृष्ठ संख्या
(जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 114--राजस्व विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	295–340
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	340
आगरा मेडिकल कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप गत 5 वर्षों में 12 डाक्टर/छात्रों द्वारा आत्महत्या एवं बलात्कार आदि की घटनाओं आदि के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	340---346
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित)	347–370
नत्थियां	371—380

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 352

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा	कुंवर सिंह गेंगी, श्री	चमोली
अजहर इमाम, श्री	गिर्जापुर	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कुवंर भण्डारी, श्री	देवरिया
अजीत सिंह खेठी श्री	मेरठ	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री	इलाहाबाद
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अमिल सिंह)	फतेहपुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	केसरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अलगेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	केसोराम, श्री	बदायूं
अशफाक अहमद अंसारी, श्री	बरेली	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी,	इलाहाबाद	खरपत, श्री	वाराणसी
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	खां गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री, (उर्फ सुल्तान भैय्या)	खीरी	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	खुर्शीद अहमद अंसारी, श्री	मुरादाबाद
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
ऊदल, श्री	वाराणसी	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
ए0 सी0 ग्राइस श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
		ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गया सिंह, श्री	उन्नाव
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
कम्ला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
कल्लू राग, श्री	गिर्जापुर	गुलाम नबी, श्री	आगरा
काशी नाथ मिश्र, श्री	बलिया	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
किरणपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
		गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
		गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा

गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जस्वन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जी राज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह रहलौत, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़

देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुलतानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल कुमार, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी

बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मशरूर जाफरी, श्री उर्फ शबराज	गोण्डा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोण्डा
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोण्डा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ, श्री	मिर्ज़ापुर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रती राम, श्री	बिजनौर
रमाकांत मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देबी, श्रीमती	सुलतानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे कुर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी

राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर	विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
रायजी राम, श्री	फैजाबाद	विशन लाल, श्री	बिजनौर
राम धनी, श्री	गाजीपुर	विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
राम नरायण, श्री	गाजीपुर	विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर	वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	शंकर सिंह, श्री	जालौन
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर	शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद, श्री	जालौन	शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर	शिरोमणि, श्री	बांदा
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर	शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
राम लाल, श्री	सीतापुर	शिव नरेश, श्री	बांदा
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई	शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर	शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
राम समुझावन, श्री	जौनपुर	शिव बालक, श्री	रायबरेली
राम सागर, श्री	बाराबंकी	शिवगंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर	शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर	शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर	श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर	श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच	श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा	संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री	बाराबंकी	सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर	सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
लालसा, श्री	आजमगढ़	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
लोकपति, श्री	गिर्जापुर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
विजय कुमार, श्री	लखनऊ	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद	सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद	सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
विजय सिंह, श्री	गिर्जापुर	सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
विजय सिंह राना, श्री	आगरा	सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल	सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत	सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद

सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा हरीशंकर, श्री	हरदोई
हरदेव, श्री	बलिया हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 24 फरवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

सण्डीला—गांसगंज--मोंहदीघाट मार्ग का निर्माण

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि हरदोई जनपद के अन्तर्गत सण्डीला-मोंहदीघाट मार्ग बने हुए कितना समय हुआ और उस पर सई नदी का पुल बनाए जाने से 42 कि0मी0 लम्बी सड़क की उपयोगिता को क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बनवा दिया जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

सण्डीला-गौरागंज-मोंहदीघाट मार्ग लम्बाई 42 कि0 मी0 निर्माणाधीन है । सण्डीला—गांसगंज 26.4 कि0 मी0 लम्बी सड़क का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है । पुल के निर्माण की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सण्डीला--मोंहदीघाट मार्ग को बने हुए लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो गए परन्तु अभी तक वहां पर खड़ंजा की सड़क ऊबड़-खाबड़ हालत में पड़ी हुई है । दूसरी सई नदी पर पुल बनाए जाने की दिशा में कोई प्रगति न होने के कारण पूरा क्षेत्र अविकसित पड़ा हुआ है । पुल पर खर्च और उसके स्वीकृति की व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है, किन्तु मंत्री जी अपने जवाब में उसे भी नकार रहे हैं । कहते हैं कि पुल के निर्माण की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें जानकारी है कि गत दो वर्षों में 15 लाख रुपए इस पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत है, किन्तु मंहगाई के कारणों से नई धनराशि की स्वीकृति की मांग की गयी है शासन से ?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, ऐसा है कि 1977 में 15 लाख रुपए का इसके लिए इस्टीमेट बना था लेकिन पिछले शासन में इसको रोक दिया गया और बनने नहीं दिया । इस समय यह मामला हमारे विचाराधीन है : इसकी लागत 28.5 लाख के करीब आंकी गयी है, वह स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है । स्वीकृति मिलने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पुल की उपयोगिता को देखते हुए और उसके साथ ही एक बहुत बड़े क्षेत्र के विकास का प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि इस वर्ष पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । जैसे ही स्वीकृति हो जाएगी, धन उपलब्ध हो जाएगा, हम निर्माण कार्य शुरू करा देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि धन की उपलब्धता कब तक हो जाएगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

शीघ्र हो जाएगी ।

लखनऊ-विश्वविद्यालय में उत्तराखंड तथा पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश हेतु आरक्षण

*2—श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तराखंड तथा पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश में जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तराखंड तथा पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश हेतु कोई आरक्षण नहीं था । अतः उसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या इसके पूर्व आरक्षण नहीं था या आज नहीं है ? और दूसरे मेरी जानकारी में जो है कि पहले यह प्राविधान था और खासकर के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, और चमोली का जो क्षेत्र था उनके लिए विशेष रूप से आरक्षण था और आज माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते हैं कि यह प्राविधान नहीं था । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह जो आरक्षण का प्राविधान था, उसे कब समाप्त किया गया और यह आरक्षण न देने के अब क्या कारण हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

आरक्षण का प्राविधान नहीं था ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

नहीं, प्राविधान था ।

श्री सच्चिदानन्द—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा जैसा पहले मैंने निवेदन किया, आरक्षण कभी नहीं था । कुछ भ्रम है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इतना तो मान्यवर, करा ही दीजिए । आरक्षण तो होना ही चाहिए ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

मुंसिफ परीक्षा में आरक्षण कोटा तथा नियुक्ति

*3—श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्सिफ की परीक्षा 1970 के आधार पर जो 37 पदों पर नियुक्ति 1975--76 में की गई थी उसमें कितने लोग अनुसूचित जाति के थे ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों में से ही कोटा पूरा करने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मुन्सिफ परीक्षा 1970 के आधार पर कुल मिलाकर 46+33+37=116 पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं जिनमें अनुसूचित जीति के लोग कुल मिलाकर 10+8+1=19 थे । उसके आरक्षण कोटा मे इस प्रकार दो की कमी रही थी जो अगली मुंसिफ परीक्षा 1972 में अग्रेनीत कर पूरी कर ली गयी थी । अतः शेष प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को निःशुल्क करने पर विचार

*4--श्री पंचानन (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा निःशुल्क करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

8वीं कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के बजाय शासन की वर्तमान नीति प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की है । जहां तक प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को निःशुल्क करने का प्रश्न है, इस समय कक्षा 8 तक लड़कों की शिक्षा एवं कक्षा-10 तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है । इससे अधिक स्तर तक के शिक्षा निःशुल्क करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि सीमित संसाधनों के कारण निःशुल्क शिक्षा करने के फलस्वरूप होने वाली आर्थिक हानि को शासन वहन करने की स्थिति में नहीं है ।

थानाध्यक्ष शिवरतन गंज, जिला रायबरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र

*5--श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर से अक्तूबर, 1980 में जनता द्वारा थानाध्यक्ष, शिवरतनगंज, जिला रायबरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र मिला है कि श्री जगरूप नाम के हरिजन को उसके घर ग्राम सुजानपुर, थाना शुकुलबाजार, जिला सुल्तानपुर से बुला कर लाये और थाना शिवरतन गंज में लाकर बाद में उसको गोली मार दी गई और यह दिखाया गया है कि श्री जगरूप हरिजन को इनकाउंटर दिखा दिया ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष, शिवरतन-गंज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

जी नहीं, किन्तु जहां तक थानाध्यक्ष शिवरतनगंज, जनपद रायबरेली द्वारा श्री जगरूप हरिजन को सुल्तानपुर से बुलाकर इन्काउन्टर में मारे जाने की बात है, जांच

से ज्ञात हुआ है कि श्री जगरूप पासी तथा अन्य द्वारा श्री पन्ना लाल, सोनार तथा गया प्रसाद तेली द्वारा ग्राम रामगंज, जनपद रायबरेली के यहां दिनांक 6/7 अक्तूबर, 1980 की रात डकैती डाली गयी । गांव वालों के शोर पर पास के गांव में गश्त कर रहे थानाध्यक्ष शिवरतनगंज एवं उनके दल ने डकैतों का पीछा करके उन्हें घेरा । इस मुठभेड़ में श्री जयरूप पासी की मृत्यु हुई । इस घटना की मजिस्टीरियल जांच हो रही है । डकैती के सम्बन्ध में थाना शिवरतन गंज में दर्ज मुकदमा अ0 सं0 204 धारा 395/397/307/323 भा0द0वि0/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसमें एक अभियुक्त का चालान किया गया है । अन्य के विरुद्ध विवेचना जारी है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि डकैती डाली जा रही थी और गांव वालों के शोर मचाने पर पास के गांव में गश्त कर रहे थानाध्यक्ष एवं उनके दल ने डकैती का पीछा करके उन्हें घेरा और इस मुठभेड़ में जगरूप नामक व्यक्ति मार दिया गया तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस गांव में डकैती डाली जा रही थी और जिस गांव में गश्त हो रही थी, उनमें फासला कितना है और दूसरी बात यह कि 6/7 अक्टूबर को जो डकैती हुई उसकी एफ0आई0आर0 दूसरे दिन किस समय लाज की गई थाने के अन्दर ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

शिवरतन गंज में श्री आर0बी0एस0 चौहान अपनी पुलिस गश्ती दल के साथ ग्राम पचौना के निकट गश्त कर रहे थे और उसी के पास यह बजड़ा था, अब निश्चित दूरी तो मैं बता नहीं सकता लेकिन इतना जरूर है कि पास के गांव से ही उन्हें आवाजें सुनाई पड़ी तो थानाध्यक्ष वहां गए और उनके साथ मोर्चाबन्दी तथा घेराबंदी की ।

श्री अध्यक्ष—

रिपोर्ट कब लिखाई गई, वह हिस्सा बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

रिपोर्ट 7 तारीख को सबेरे 6 बजकर 10 मिनट पर लिखाई गई ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जब एस0 पी0 मौके पर पहुंचे तो उनको यह दिखलाया गया कि एक गठरी और एक 38 बोर का रिवाल्वर जगरूप के पास मौजूद था और उन्होंने कहा कि यह बहुत हिम्मती था, क्या यह तथ्य सामने आये है ? और यदि नहीं आए हैं, तो क्या इसे जांच का पार्ट बनाएंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जो अभियुक्त था वह रिवाल्वर के खिलौने की तरह रखता था । अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो उसका बड़ा लम्बा इतिहास है । अगर आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं ।

श्री उदल—

आपके शासन में अभियुक्त रिवाल्वर को खिलौनों की तरह रखने लगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

कुछ माननीय सदस्य तो खिलौनों से भी डरते हैं, लेकिन वह असली पिस्तौल थी । मान्यवर, यह उसका इतिहास सुल्तानपुर का सन 1975 से 80 तक का है कहें तो सब अपराधों को पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं पढ़िए मत ।

गृह विभाग में कार्यरत अनुभाग अधिकारी

*6—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के गृह (पुलिस) विभाग में कितने एसे अनुभाग अधिकारी हैं जो लगभग सात से 10 वर्षों तक एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं ? उनके नाम क्या-क्या हैं ? अभी तक उनको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार एसे अधिकारियों को अविलम्ब दूसरे विभागों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

गृह विभाग में इस समय एसा कोई अनुभाग अधिकारी नहीं है जो एक ही अनुभाग में 7 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हो ।

पुलिस चौकी सेवरही, जिला देवरिया में पुलिस तथा जनता के बीच मुठभेड़ तथा जांच

*7—श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया पुलिस चौकी सेवरही के सिपाहियों ने दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को एक आदमी को जान से मार डाला तथा 5 सितम्बर, 1980 को जनता तथा पुलिस के बीच पथराव हुआ ? यदि हां, तो झगड़े का कारण क्या है तथा दोषी लोगों के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-9-80 को पुलिस चौकी सेवरही के दो कान्सटेबिल सम्मन व वारन्ट तामील करने के लिए मुहल्ला पुरानी बाजार, कस्बा सेवरही गये । वहां पर जुआं खेलते हुए 5-6 व्यक्ति सचेत हो गये और एक तालाब में कूद कर भागे । कर्मचारीगण उपरोक्त कागजात के तामील में व्यस्त हुए वापस चौकी आये । लगभग 3 बजे सायंकाल करीब 35-40 व्यक्ति लाठी व डंडों से लैस होकर तथा एक शव लेकर पुलिस चौकी सेवरही आये और कहने लगे कि राजेन्द्र प्रसाद पुलिस वालों की वजह से पानी में डूब मरा है । भीड़ ने उत्तेजना में हिंसक रूप धारण कर लिया जिसके फलस्वरूप कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं । इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 209 अन्तर्गत धारा 147/149/336/452/332/307 भा0 द0 वि0 11 नामजद व 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना तरयासुजान में कायम किया गया । मृतक के भाई शिवजी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर उक्त थाने में पुलिस के विरुद्ध क्रास केस 209 ए अन्तर्गत धारा 304 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

सम्पूर्ण घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जांच के निष्कर्षों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

थाना चौक पुलिस द्वारा इमामबाड़ा, लखनऊ से बम की बरामदगी

*8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ में लगभग 20 हजार विस्फोटक बमों का कोई भारी जखीरा दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को पकड़ा गया ? यदि हां, तो कितने बम बरामद हुए ?क्या बम बनाने के गिरोह का पता चला है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? बम एकत्र करने के उद्देश्य के बारे में क्या जानकारी मिली है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-10-80 को थाना चौक पुलिस द्वारा बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ से लगभग 20 हजार एक्सप्लोसिव्स (विस्फोटक) बरामद किए गए इस संबंध में पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । इन पांच के अतिरिक्त इन एक्सप्लोसिव्स के बनाने व रखने में किसी अन्य का होना प्रमाणित नहीं हुआ ।

विवेचना के उपरान्त दिनांक 31-12-80 को इन पांचों अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया इन एक्सप्लोसिव्स (विस्फोटक) को एकत्र करने का उद्देश्य इन्हें अधिक आवाज का बनाकर अधिक मूल्य पर बेच कर धन पैदा करना प्रतीत होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो हथगोले बरामद हुये इन की एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई थी । वह क्या है । क्या यह सही है कि इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये शासन ने कोई उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश जारी किये थे ? वह आदेश कब आदेश जारी किये गये थे ? क्या उस जांच कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसे संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह एफ0 आई0 आर0 की नकल है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, आप की आज्ञा हो तो पूरी की पूरी नकल पढ़ दूं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुख्य अंश पढ़ दें कि क्या आरोप लगाये गये थे, कहां माल बरामद हुआ, कितना हुआ ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पूरी पढ़ दूं । यह 25-10-80 को समय 6 बजे को यह घटना हुई और सूचना 25-10-80 को 17-50 पर दर्ज हुई । घटना का स्थल--बड़ा इमाम बाड़ा, थाना चौक, लखनऊ, वादी-दीनानाथ दुबे, निरीक्षक प्रभारी, थाना चौक बनाम गुलाम वारिश पुत्र निसार, नि0 बड़ा इमामबाड़ा, चौक, मोहर्रम अली पुत्र छज्जू, नि0 बड़ा इमामबाड़ा,

चौक, मोहम्मद वसी पुत्र मोहर्रम अली, नि0 बड़ा इमामबाड़ा, चौक वारिस हुसेन पुत्र गुलाम वारिस, नि0 बड़ा इमामबाड़ा, चौक, श्रीगती शाहजहां पत्नी नसीर खां, बड़ा इमामबाड़ा, चौक, विवेचक-उप निरीक्षक श्री सिरिल प्रसाद, थाना चौक । 25-10-80 को थाने पर बी0 एन0 सिंह, सहायक इंसपेक्टर व हेड कांसटेबुल 987 फहीमउद्दीन, कानि0 540 पीतत राग, का0 2130 बल्देव सिंह, का0 31 रामकान्त तिवारी, चौकी एशबाग थाना बाजार खाला गये मुल्जिम कजरूब राजू सक्सेना पुत्र कैलाश नाथ सक्सेना निवासी कपूर बिल्डिंग, मवैया मार्ग, थाना आलमबाग, लखनऊ संबंधित मुकदमा अ0 सं0 663 धारा 5ए/6ए/9बी एक्स0 एक्ट थाना बाजारखाला, लखनऊ सूचना मिलने पर बउम्मीद बरामदगी में निरीक्षक दीनानाथ दूबे व सहायक इन्सपेक्टर श्री एस0 बी0 सिंह, कान्सटेबुल 1990 . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कहां मिला, कितना सामान मिला, वह बता दीजिए, आखिरी पढ़ कर बता दीजिए ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इसमें सामान जो बरामद हुआ है वह मैं बता दूं । इसमें 6 वुडन बाक्सेज कन्टेनिंग एप्रोक्सीमेटली अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में बता रहा हूं । इसको हिन्दी में यह हुआ कि जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट आये उन्होंने जो सामान बरामद हुआ उसकी जांच करके जो-जो आइटम बने इसमें लिखें हैं पढ़कर बता देता हूं . . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यही शंका गोल-मोल की मुझे थी । मैंने दो सवाल स्पष्ट पूछे थे । आप बैठ जायें तो मैं फिर बता दूं । एक तो यह सवाल था कि एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी तो उसमें कितना सामान था और क्या बरामद हुआ ? जो एक्सपर्ट आए उनकी रिपोर्ट क्या है ? मेरे प्रश्न के दो हिस्से थे एक तो एफ0 आई0 आर0 के अनुसार क्या-क्या और कहां-कहां सामान मिला और दूसरा जो हाई पावर्ड कमेटी थी उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, सामान बरामद हुआ था वारिस के घर से । 20 हजार से अधिक क्रेकर बरामद हुए थे । विवरण इस प्रकार है--6 पेटियां भरी हुई क्रेकर और बड़े-बड़े उसमें विस्फोटक, एक पेटी करीब 500 के विस्फोटक बरामद हुए थे, 3 पेटी छोटे विस्फोटक से भरी हुई, एक पेटी आधी भरी हुई विस्फोटक से, जिसमें 600 करीब के क्रेकर थे, 7 बोरी भरी हुई छोटे विस्फोटक से, 4000 के करीब, इस तरह का सामान बरामद हुआ, लम्बी सूची है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अब कमेटी पर आ जाइये । अब आप उस हाई पावर कमेटी के बारे में बता दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

वह कमेटी जांच के लिए बनायी गयी थी किन्तु किस वक्त वह बनाई गयी थी, यह मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । लेकिन जो एक्सपर्ट थे उनको जांच के लिए बुलाया गया था और वे आगरा से आए थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में बताया गया है कि हथगोलों की संख्या 30 हजार है और प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि 20 हजार है । फैक्ट्स को छिपाकर उत्तर दिया जा रहा है । श्रीमन्, इसमें आप हमारा संरक्षण करें । आप इस बात का स्पष्टीकरण करें कि 30 हजार की संख्या है अथवा 20 हजार है । दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मंत्री जी इससे सम्बन्धित फाइल लेकर यहां आए थे तो उनको यह बताना चाहिए था कि वह हाई पावर कमेटी कब बनी थी । पहले आप यह बता दें कि वह हाई पावर कमेटी बनी थी या नहीं । इसकी जानकारी होनी जरूरी है । या तो आप यह बता दें कि कोई हाई पावर कमेटी नहीं बनी थी ?

श्री अध्यक्ष—

पहले इसी का उत्तर आ जाने दीजिए कि हाई पावर कमेटी बनी थी या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जानकारी इस वक्त उपलब्ध नहीं है कि कोई हाई-पावर कमेटी बनी थी या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप स्वयं फैसला कर लें । इतना गम्भीर मामला है और मेरी जानकारी है कि वह कमेटी बनी थी और जब उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया तो उसको बन्द करा दिया गया क्योंकि वह शासन के खिलाफ जा रही थी और अपराधी तत्वों के बारे में उसमें जिक्र किया जा रहा था । यह मेरी सूचना है । इसलिए मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप इस सवाल को स्थगित कर दें । इनके पास यह भी जानकारी नहीं है कि वे 30 हजार हथगोले कहां गए । 20 हजार उत्तर में बता रहे हैं । इसलिए मान्यवर, आज इस प्रश्न को स्थगित कर दें और फिर किसी दूसरे दिन वित्त मंत्री जी से कहें कि वे पूरी जानकारी के साथ और फैक्ट्स के साथ सदन में आयें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

एफ0 आई0 आर0 में जो लिखा हुआ है वह मैंने पढ़ा और उसमें कोई एसी बात नहीं है कि जो कौंट्रेरी हो । इसको देखा जा सकता है । मैं जो एफ0 आई0 आर0 की सूचना पढ़ रहा था उसे आपने मुझे अधूरे में रोक दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह सवाल किया है कि आपने एफ0 आई0 आर0 से पढ़कर यह कहा है कि 30 हजार हथगोले हैं और मूल उत्तर में आपने इनकी संख्या 20 हजार बतायी है । यह अन्तर कैसे हो गया ? दूसरा मेरा स्पष्ट एलीगेशन है कि वह हाई पावर कमेटी बनी थी और पोलीटिकल प्रेशर से उसको रोक दिया गया ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि इसमें भी 20 हजार शब्द ही आया है । 30 हजार शब्द नहीं कहा है । मैंने 20 हजार ही पढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष–

एफ0 आई0 आर0 में 30 हजार है या 20 हजार है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

30 हजार नहीं है, 20 हजार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी सारे आदरणीय सदन ने सुना है कि 30 हजार उन्होंने एफ0 आई0 आर0 में पढ़ा है और सवाल में 20 हजार है । मान्यवर, आप पत्रावली मंगा लें और देख लें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

एफ0 आई0 आर0 में जो लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ सकता हूं । रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार उसमें 20 हजार का ही उल्लेख किया गया है । मैं जो विवरण बरामदगी का पढ़ रहा था उसके

1–6 पेटी भरी हुई क्रेकर बम बड़े-बड़े, एक पेटी में करीब 500 बम है ।

2–3 पेटी छोटे बम की भरी तथा एक पेटी आधी, एक पेटी भरी में 600 बम है ।

3–7 बोरे भरे हुए छोटे क्रेकरों से जिनमें हर बोरे में 4 हजार करीब है ।

4–दो कट्टे बोरे में छोटे क्रेकर जिनमें करीब तीन हजार है ।
5–2 टीन पत्थर की बजरी जो बम में डालने के काम में आती है ।
6–4 के0 जी0 बारूद जो कोफीझेला के बक्से में रखी हुई है ।
7–एक छोटा टिन जिसमें गंधक था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सब पढ़ कर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है । आप पत्रावली मंगा लें उसमें 30 हजार है या 20 हजार है । अभी आपने 30 हजार पढ़ा था ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप पत्रावली देखना चाहें तो देख सकते हैं । अगर भ्रमवश माननीय सदस्य को सुनाई पड़ा हो या रिलप आफ टंग हुआ हो तो उनको 20 हजार शब्द ही समझना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

क्या है 20 हजार है या 30 हजार है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

20 हजार है, मान्यवर ।

श्री रियासत हुसैन—

जो अखबार में छपा था उसमें 25 हजार बम बरामद होने की खबर छपी थी । यह उस समय खबर छपी थी जब प्रदेश के अंदर अशांति थी जिसका बुरा प्रभाव जनता पर पड़ा था । तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मिलिट्री के एक्सपर्ट ने इनका मुआयना किया तो उन्होंने यह कहा कि यह दिवाली में छोड़े जाने वाले पटाखे थे बम नहीं थे । तो जिन पुलिस अधिकारियों ने पटाखों को बम का रूप देकर सारे प्रदेश में इस तरह की खबर छाप कर वातावरण में गंदगी पैदा करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, इस गम्भीर प्रश्न पर शासन का ध्यान पहले भी आकृष्ट हुआ है और पता लगाया कि किसने यह रिपोर्ट समाचार पत्रों में छापी । जिन अधिकारियों से जानकारी की गयी मालुम हुआ कि किसी अधिकारी ने समाचार-पत्रों में रिपोर्ट देने की बात नहीं की । जब सामान पकड़ा गया तो सब समाचार-पत्रों के लोग वहां मौजूद थे । अपने-अपने दृष्टिकोण से उन्होंने देखा और वस्तुस्थिति को उन्होंने छापा, किसी अधिकारी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया ।

श्री रियासत हुसैन—

एक्सपर्ट कमेटी ने क्या बतलाया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट आगरा से आए उनकी कमेटी ने छानबीन करके रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में यह बात कही गयी है यह अंग्रेजी में है । उसकी शब्दावली में आप कहें तो बता दूं ।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में भाव बता दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

भाव यह है कि इनका प्रयोग किसी भी चीज में किया जा सकता है पटाखों में भी प्रयोग हो सकता है, किसी आदमी को डराने में भी हो सकता है और कुछ पत्थर के तत्व मिल जायं तो खतरा भी हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह—

जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए वह किसी हथगोले या किसी बम की शक्ल में बरामद हुए या केवल एक्सप्लोसिव मैटिरियल था । इसके साथ ही साथ जैसा गुप्ता जी ने कहा जिसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया कि कितने बम बरामद हुए और किस प्रकार के थे । जो पेटियां पकड़ी गयीं उनमें कोई मार्क था किसी विदेश का मार्क था उसका कोई विवरण आपके पास है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पेटियों में किसी तरह की मारकिंग नहीं थी, लेकिन उसमें जो माल वह अलग-अलग साइज का था कुछ 5 से 6 सेंटीमीटर के गोले में थे कुछ का साइज 3 और 4 सेंटीमीटर था और बाकी लूज मैटीरियल था ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो मैटीरियल बरामद हुआ और जिनके यहां से बरामद हुआ उनके पास एक्सप्लोसिव का लाइसेंस था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, लाईसेंस होता तो चालान क्यों होता ? वह नहीं था इसीलिए चालान हुआ है ।

श्री सूबेदार सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यह स्पष्ट है कि इनका प्रयोग बम बनाने के लिए हो सकता है और शायद यही मंशा रही होगी कि बम के लिए प्रयोग करना चाहते होंगे । तो मंत्री जी इस कन्फ्यूजन पर कैसे पंहुच गए कि वह पटाखों में प्रयोग करने के लिए था । और अगर शासन आश्वस्त था कि यह पटाखे बनाने के काम में आयेगा तो अपना स्पष्टीकरण उसने बाद में समाचार-पत्रों में नहीं प्रकाशित कराया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह जो वर्तमान नियम है, इसमें एक्सप्लोसिव के एक्ट है, उसके अन्तर्गत ही किसी को दण्डित करने या अपराध में रखने की बात होती है । यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक्सप्लोसिव का कोई भी प्रयोग हो सकता है । उसकी जो परिभाषा है, उसके अन्तर्गत ही यह किया जाता है । शासन के जहां तक स्पष्टीकरण का प्रश्न है, शासन ने अपनी स्पष्टीकरण जब भी जरूरत पड़ी माननीय सदन के समक्ष भी किया और कर रहा है और आप कहेंगे तो हम अखबारों में भी करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी मंत्री जी ने बताया कि जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, उसमें पाये गये हथगोले या क्रेकर्स खतरनाक थे और उनसे आदमी घायल भी हो सकता है और यह भी कहा कि पुलिस को इस जखीरेबाजी के बारे में इससे पता चला कि एक आदमी इसलिए जा रहा था वह उसके विस्फोट से घायल हो गया और आपका जो एक्ट है उसमें है कि यह आतिशबाजी कैसे बनाएंगे, कैसे मिलाएंगे, इसका भी प्राविधान है, तो शासन के पास जब जानकारी आ गयी कि प्रस्तावित विधि से ये विभिन्न बने हुए हैं, तो शासन ने इसे एक विशेष अपराध समझकर उस पर आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की ? और सरकार के पास जो तथ्य है वह किस सूत्र से आया था ? इसके अलावा फिर मैं पहले की बात कहता हूं कि एक्सपर्ट या अन्य कोई कमेटी जो आपने गठित की, उसने क्या काम किया ? और क्या सरकार ने उसको रुकवा दिया है बाद में ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पहला प्रश्न यह है कि कोई चीज एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत करने का ही क्या प्राविधान है, तो उस सम्बन्ध में निवेदन है कि एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत जब किसी को कोई लाईसेंस दिया जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसके तहद ही वह कार्य कर सकता है, लेकिन ये जो लोग पकड़े गये, उनमें से किसी ने हम एक्ट में कोई लाईसेन्स नहीं दिया गया था न प्राप्त किये थे, इससे अपराधी

हुए । अब जब एक्सप्लोसिव को बड़ा बना दिया तो उसका भयंकर रूप हो सकता है, छोटा बना दिया तो आतिशबाजी का रूप हो सकता है । तो जो वर्तमान नियम या कानून है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है । अब तीसरी बात यह है कि क्या कोई हाई पावर या उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी और शासन ने किस कारण उसको बन्द कर दिया, तो मेरी जानकारी में और अबतक की जानकारी में न ऐसी कोई कमेटी बनी थी और न उसको रोका गया है । और न शासन की मंशा किसी तथ्य को उजागर होने से रोकनी की रही है और न है ।

गोरखपुर जिले में खंडेसरी बाबा की समाधि

*9—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर शहर, मांदर टाउन हाल मैदान मे खंडेसरी बाबा नाम से विख्यात एक साधू को दिनांक 20-10-80 को नगराधिकारी की देख-रेख में समाधि दी गयी और दिनांक 30-10-80 को जीवित निकलने की घोषणा की गयी परन्तु उक्त तारीख में मरे रूप में पाए गये, इनके नाम पर कई लाख रुपये अर्जित किये गये हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उक्त साधू की समाधि में मृत्यु, आयोजकों द्वारा लाखों रुपये अर्जित करने, प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण, पंजीकृत अभियोगों तथा अन्य आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है । मामले की प्रशासनिक जांच भी मण्डलायुक्त गोरखपुर कर रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

यह मामला इतना गम्भीर है, फिर भी प्रश्न का उत्तर तोड़-मरोड़ कर आया है, इससे ऐसा लगता है कि इस सरकार को अधिकारी ही अपने डंडे से चला रहे हैं । मान्यवर, गोरखपुर शहर में दिनांक 20-10-80 को खंडेसरी बाबा का जो कांड हुआ, वह हिन्दुस्तान के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में मोटे अक्षरों में छपा है । उस समय वहां के जो कमिश्नर आदि थे, उन्होंने जलसा करके, रेडियो पर प्रचार करके गोरखपुर के टाउन हाल में उक्त बाबा को समाधि दिलवाई और यह प्रचार किया गया कि 10 दिन के अंदर फिर बाबा जीवित निकलेंगे । वे जीवित नहीं निकले । वहां पर उस समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित थी । उसमें अधिकारियों की बीबियां और बच्चे भी थे । जब वे 10वें दिन मरे हुए निकाले गये और उनके हांड़ से मांस भी अलग थे । तितर-बितर करके उनको निकाला गया तो अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया जिसके फलस्वरूप बहुत सी स्त्रियों व बच्चों के हांथ-पैर टूट गये । तो इस परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के लोग भी मीटिंग में थे और जो पत्र मिला उसमें मूल-मूल क्या-क्या बातें थीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह सच बात है कि मामला गम्भीर है और इस गम्भीरता को संयोजक युवक कांग्रेस के कुछ लोगों ने उठाया और इसकी गम्भीरता को देखते हुए ही इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा करायी जा रही है ।

उससे जो भी तथ्य होंगे सब सामने उभरकर आयेंगे । संक्षेप में क्या कहा गया है मैं उसको आपको बता दूं नहीं तो आप फिर खड़े होंगे । वह इस प्रकार से है :

"श्री बृज मोहन सोनकर, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी (इ) पुत्र गुप्तार राम, मुहल्ला पुरदिनपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर ।

सेवा में इन्सपेक्टर इन्चार्ज, कोतवाली, गोरखपुर, महोदय, निवेदन है कि कल दिनांक 30-10-80 को सायंकाल मैं भी टाउन हाल स्थित तथा कथित योगीराज खंडेसरी बाबा की समाधि के पास आया था कि उन्हें समाधि से जीवित निकलते देख दर्शन कर सकूं । मैंने यह सुन रखा था कि वे इसके पूर्व भी काफी दिनों तक कई बार इस प्रकार की समाधि में रह चुके हैं । उनके दर्शन करने के लिए वहां पर काफी लोगों की जिनमें स्त्री, बच्चे एवं पुरुष बुजुर्ग थे की भीड़ लगी हुई थी । खंडेसरी बाबा को आठ बजकर 45 मिनट पर रात्रि में समाधि से बाहर आना था । इस समय के समाप्त होने पर लाउड स्पीकर पर संयोजकों द्वारा यह घोषणा की गयी कि खंडेसरी बाबा की आत्मा अभी वापस नहीं आयी है और वे कल समाधि से बाहर निकलेंगे । इसके बाद ही भीड़ में जोरदार चर्चा होने लगी कि यह सब जनता को धोखा देने के लिए कुछ कर्मचारियों द्वारा खंडेसरी बाबा की समाधि का आयोजन किया गया ताकि इनके नाम पर जमकर काफी पैसा चढ़ावे में मिल सके । खंडेसरी बाबा की समाधि लगाने हेतु गठित की गयी आयोजना समिति के सदस्यों से जनता को धोखा देकर चढावे के नाम पर लाखों रुपया इकट्ठा किया है" ।

इसलिए इसकी जांच हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने इसको इतना हल्का कर दिया कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था । यह मामला खंडेसरी बाबा का नहीं बल्कि गोरखपुर के प्रशासन का है । बड़े व्यापक पैमाने पर जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनायी जाय उसी प्रकार से गोरखपुर जिले के गांव-गांव में सरकारी साधनों से प्रचार कराया गया । जब वे समाधि में सोने गये तो वहां पर कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे, क्या-क्या शर्तें थीं, कितने बजे उनको निकाला गया और कितने बजे उनको निकालने की बात कही गयी थी ? क्या यह सही है कि 2 बजे रात को उनकी सड़ी लाश को निकाल कर फेंक दिया गया और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

जब खंडेसरी बाबा समाधि में गए तो मैं भी वहां पर गया था । उस समय समाधी स्थल पर एक हुजूम लगा हुआ था, हजारों व्यक्ति उस मैदान में 24 घन्टे बाबा के दर्शनार्थ आते रहे । वे स्वेच्छा से समाधि में गये थे, किसी ने उनको जबरन नहीं डाला था । जो आदेश थे उसी के अनुसार उनकी समाधि बंद हुई थी । जो उन्होंने आदेश दिया था कि फलां दिन हम निकलेंगे । उस दिन समाधि खोली गयी । इसमें न किसी अधिकारी का दोष है, न किसी का है, मौत आ गयी, वह मर गये ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बड़ी अच्छी सफाई कर दी कि इनकी जानकारी में खंडेसरी बाबा गये और अन्दर ही मर गये । जब खंडेसरी बाबा मर गये समाधि में, तो निकालने के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी यह थी कि उनका पोस्टमार्टम कराते । मैं यह माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब खंडसेरी बाबा की समाधि के अन्दर मृत्यु हो गयी, तो किन-किन अधिकारियों की देख-रेख में उनकी लाश निकाली गयी और जब निकाली गयी, तो उनका पोस्टमार्टम कहां हुआ और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, वैसे ये बाबा लोग सब जगह चर्चा के विषय रहते हैं और ये खंडेसरी बाबा भी चर्चा के विषय रहे हैं । एक प्रश्न इसमें उठता है जो माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन से अधिकारी की देख-रेख में वह निकाले गये । मान्यवर, जब कभी किसी के क्षेत्र में कोई कार्य होता है, तो जो अधिकारी वहां पर तैनात होता है, वही वहां पर जाता है, तो वहां के नगर अधिकारी वहां पर मौजूद थे । जब बाबा को निकालने की बात हुई होगी तो वहां पर शांति-व्यवस्था की भी बात हुई होगी और शांति-व्यवस्था के लिए वहां के नगर अधिकारी मौजूद रहे होंगे । पोस्टमार्टम की बात यह है कि बाबा लोग जो समाधि में होते हैं, उनके शिष्य जो होते हैं, वे ही उनको देखते हैं । शासन इसको नहीं देखता है और वहां के अधिकारी लोग विशेष पंचायतनामा में लाश दे देते हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इतना बड़ा काण्ड हुआ, वहां प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भी देखने गये । इसमें धन-दौलत की भी बात आई हुई है । मान्यवर, लाखों-लाखों रुपया वहां पर आया । वहां लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे, शहर की एक कमेटी भी बनी थी, धनी मानी लोगों की, लाखों रुपया वहां पर आया । तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बात बतायेंगे कि क्या वहां 10 लाख रुपया उनके दर्शन और चढ़ावे में नहीं आया था ? मुझे विश्वसनीय साधनों से पता चला है, जब त्रिपाठी जी, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर गये थे, उसमें से 5 हजार रुपया श्री त्रिपाठी जी को भी दे दिया गया । क्या इसको भी जांच करायेंगे कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी भी गये थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, इस माननीय सदन की भावना को शासन ने बहुत गम्भीरता से लिया है, तभी इसकी अपराध अनुसंधान शाखा से विशेष जांच हो रही है और साथ ही इसमें प्रशासनिक कोई अधिकारी का क्या दायित्व है, क्या अपने दायित्व का निर्वहन उसने किया है, इसके लिए भी जांच हो रही है और कमिश्नर को जांच सौंप दी गयी है । जहां तक रुपये की बात है, अगर माननीय सदस्य के पास इसका लेखा-जोखा हो, तो वह दे दें, उसकी भी जांच हो जायगी । अभी माननीय मंत्री त्रिपाठी जी के जाने की बात माननीय सदस्य ने कही, तो मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि मैं तो वहां गया नहीं, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर इशारा किया है, तो उनके पास कोई जानकारी हो तो वह बता दें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आप भी विधि विशेषज्ञ हैं । नियम यह है कि जो अस्वाभाविक मृत्यु होगी, चाहे वह बाबा की हो, चाहे दायी की होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह बाबा थे, इसलिए उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ । क्या उनके लिए कोई नई विधि का गठन किया है ? जो इलजाम है, वह यह है कि वहां के डी0 आई0 जी0, वहां के कलेक्टर, एस0 पी0 सारे साधनों का मोहैया करके धर्म के जरिए लोग वहां पर आमंत्रित हुए । धर्म के ऊपर जो हम लोगों का विश्वास है, उस पर आघात पंहुचा । वहां परगना मजिस्ट्रेट, डी0 आई0 जी0, जिलाधिकारी सभी लोग उसमें इनवाल्व हैं और आप कमिश्नर से उसकी जांच करा रहे हैं । क्या-क्या सरकारी साधन मोहैया करके यह आडम्बर खड़ा किया गया और

स्वाभाविक मृत्यु न होने के बावजूद उनकी लाश किनको दे दी गई और कौन व्यक्ति उनको ले गये और क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया ? माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं निवेदन कर रहा था कि इसकी गम्भीरता को देखकर अपराध अनुसधान शाखा सब पहलुओं पर जांच करेगी । जहां तक अधिकारियों के सम्मिलित होने का प्रश्न है शासन की जानकारी में यह बात नहीं है कि कोई अधिकारी इसका आयोजन करा रहा था । जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां की व्यवस्था अधिकारी करते हैं ।

श्री मोहन सिंह—

अधिकारीगण ही उसमें थे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बात कह दी । क्या इस प्रदेश में किसी को जान देने की इजाजत दी जा सकती है । माननीय मंत्री जी के सामने जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारी स्वत: मौजूद थे और उस आदमी को जिसको खंडेसरी बाबा कहते हैं एक मामला यह भी है कि वह खंडेसरी बाबा नहीं था बल्कि उसके स्थान पर एक भिखमंगा था । कहा यह गया कि 8-45 पर समाधि से उसका शरीर निकाला जायगा किन्तु निकाला रात में 2 बजे । जिस वक्त निकाला गया उसका शरीर पोस्टमार्टम करने के लायक ही नहीं था वह क्षत-विक्षत था । ऐसा लगता था जैसे एक सप्ताह पहले मर चुका हो । तो क्या इस मामले की जांच सदन की एक कमेटी बना कर माननीय मन्त्री जी करायेंगे ? गोरखपुर के शास्त्री जी मन्त्री हैं और विधायक हैं इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब आक्सीजन के बिना आदमी जिन्दा नहीं कर सकता है यह मालूम है । तो नगराधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री ने तथ्य को जानते हुए खंडेसरी बाबा को मरने के लिए मौका क्यों दिया ? इसके लिए कोई जवाब है ? अगर नहीं, तो जिन लोगों ने नहीं रोका 309 में उन पर कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों का उत्तर दे दीजिए ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसमें एक कमेटी हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी क्या होगी ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी को जान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है । लेकिन धर्म, कर्तव्य और कोई अपनी योग साधना दिखाना चाहे, तो उसके लिए छूट देते हैं ,चाहे सरकस हो या धर्म और योग साधना हो ।

जहां तक खंडेसरी बाबा की मृत्यु के प्रकरण की बात है, मान्यवर, इसीलिए इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा करायी जा रही है कि उसमें अपराध निहित है कि नहीं । अगर अपराध निहित होगा, तो सामने आ जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसमें नियम 49 में चर्चा करा दें ।

श्री उदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो कमेटी बनी थी वहां, स्वागत समिति, उसमें कौन-कौन से लोग हैं ? उनके नाम क्या हैं, पहली बात ? और दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस तरह का कार्यक्रम कोई करता है, तो धर्म और साधना के नाम पर इजाजत दी जा सकती है—तो क्या संविधान में यह बात निहित है कि इस तरह को इजाजत दी जा सकती है कि नहीं ? मान्यवर, इसी तरह की इजाजत में मथुरा और आगरा में सतीकांड हुए और अधिकारियों ने प्रोत्साहन दिया । यहां खंडेसरी बाबा का काण्ड हुआ । तो इस तरह का अधिकार देने की वजह से दो काण्ड हुए । तो क्या जो जबरदस्ती अधिकार लेना चाहते हैं संविधान के वरखिलाफ, तो क्या उस पर रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, स्पष्टरूप से मैं यह बार-बार कह रहा हूं इसकी गम्भीरता को जिसमें कि खंडेसरी बाबा की मृत्यु हो गयी है, इसके हर प्रकरण की जांच हो रही है ।

श्री मित्रसेन—

कमेटी की बात और स्वागत समिति के सदस्यों वाली बात भी बतलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, यह मामला जिस इलाके में घटित हुआ है, शास्त्री जी सदन में मौजूद हैं । इनके इलाके का मामला है । इनके इलाके की यह इतनी महत्वपूर्ण घटना है । तो इनसे भी दो लाइन सुन लें ।

श्री उदल—

मान्यवर, कमेटी वाली बात नहीं बतायी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कमेटी का नाम बता दें । स्वागत कमेटी में कौन-कौन था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कमेटी के मेम्बरों के नाम की पूरी सूचना नहीं है । जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उनके नाम की सूचना है ।

ग्राम रामनगरा के महन्त बाबा बनवारी दास के विरुद्ध डकैती का आरोप

*10—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम रामनगरा के महन्त कई डकैतियों में गिरफ्तार करके जेल भेजे गये थे ? **क्या यह भी सत्य है कि उनके ऊपर गोण्डा एवं फैजाबाद की भी कई डकैतियों का आरोप है ? उनके पास जो दो नाली बन्दूक थी उसके लाइसेन्स को निरस्त करने के** लिए कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस विभाग द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती को दिया गया था ? **यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?**

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी नहीं । ग्राम रामनगरा के महन्त बाबा बनवारी दास न तो जनपद बस्ती के किसी डकैती के मामले में गिरफ्तार किये गये हैं और न ही जनपद फैजाबाद व गोण्डा के किसी डकैती के मामले में प्रकाश में आए हैं । उनके पास कोई दो नाली बन्दूक नहीं है । अतः उसके लाइसेंस को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जो वहां के बाबा हैं उनके जो चेले थे वह कई डकैतियों में पकड़े गये और वह महन्त रामनगरा के नाम से मशहूर है । उनके पास एक दो नाली बन्दूक है जिसके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए मुंसिफ मैजिस्ट्रेट ने कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि वह कौन-कौन डकैतियों में मुल्जिम थे और बन्दूक के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही कब की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

कमाल साहब, आपका प्रश्न था कि बस्ती जनपद के थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम रामनगरा के महन्त कई डकैतियों में गिरफ्तार करके जेल भेजे गये थे ? क्या यह भी सत्य है कि उनके ऊपर गोण्डा एवं फैजाबाद की भी कई डकैतियों का आरोप है ? उनके पास जो दो नाली बन्दूक थी उसके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस विभाग द्वारा जिलाधिकारी बस्ती को दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ? इसका उत्तर जो आया है वह है कि फैजाबाद व गोण्डा के किसी डकैती के मामले में न तो वे प्रकाश में आए और न ही गिरफ्तार किये गये । उनके पास कोई दो नाली बन्दूक नहीं है । अतः उसके लाइसेंस को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, वह उनकी बन्दूक जमा है और गुमराह कर रहे हैं क्योंकि दरोगा फंस रहे हैं और जब पुलिस ने . . .

श्री अध्यक्ष—

सही बात तो आप जानेंगे हम तो जानते नहीं हैं । आपने लिखा है कि राम-नगरा के महन्त हैं, तो वह कौन हैं, यह आप जानेंगे ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

तो मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर कि जो बाबा जी के चेले थे वह डकैती में बन्द है और 4 बार जेल हुई । उनकी बन्दूक को जब रिलीज करने के आदेश मुसिंफ मैजिस्ट्रेट ने दिया तो वह घबराए ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी तक वे बाबा पर थे और अब बाबा के चेले पर पहुच गये हैं उनका भी जवाब दे दूंगा ।

(व्यवधान)

"पुलिस नियंत्रक" समितियों के गठन पर विचार

*11—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग को चुस्त और कारगर बनाने के लिए गांव के चौकीदारों, सिपाही, सब-इन्सपेक्टरों एवं इन्सपेक्टरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें कुछ अधिक अधिकार देने की सोच रहे हैं ? यदि हां, तो क्या साथ ही उप-पुलिस अधीक्षकों और अधीक्षकों के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए गैर सरकारी "पुलिस नियंत्रक" समितियों का गठन करके मासिक बैठकों का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

चौकीदारों, सिपाहियों, सब-इन्सपेक्टरों एवं इन्सपेक्टरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें अतिरिक्त अधिकार देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहो है ।

पुलिस अधिकारो/कर्मचारी को कानून के दायरे में ही अपना कार्य करना होता है । उप-पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को असीमित अधिकार नहीं प्राप्त हैं । गैर सरकारी "पुलिस नियंत्रक" समितियां गठित किये जाने का विषय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वैसे तो कोई चीज विचाराधीन है या नहीं है, यह स्वयं सम्प्रभुतासम्पन्न है, जब अराजकता फैल रही है और कानून व्यवस्था पुलिस के काबू में नहीं है, तो गांव के चौकीदार की कम से कम 100 रुपये महीना वेतन निश्चित कर दें, उसकी पूर्ण कालिक सेवा हो जायें और वह गांव से लेकर थाने तक तारतम्य जोड़ दें, इससे कानून व्यवस्था में काफी सुधार होगा । तो क्या वेतन 100 रुपया करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

चौकीदार से सहानुभूति माननीय सदस्य को भी है और हमको भी है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

सिपाही, सब-इंसपेक्टर, इंसपेक्टर जितने अराजपत्रित हैं, सबसे है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सम्पूर्ण मामला वेतन आयोग के तहत, उनकी जो भी परिधि में आता है, विचार में है । जो भी सिफारिश होगी, चौंकीदार की तनख्वाह अभी कुछ दिन पूर्व बढ़ायी गयी है, वित्तीय संसाधन जो होंगे उसको देखते हुए समुचित कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने पूछा है, जिलों में पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक को अनियंत्रित अधिकारों के बारे में पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि कोई पुलिस नियंत्रक समिति विचाराधीन नहीं है । क्या इस सत्य से इंकार माननीय मंत्री जी कर सकते हैं कि आज पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक कितने अनियंत्रित हैं । अभी सुल्तानपुर में ताजी घटना हुयी है, एक इंजीनियर को बंद कर दिया है पर्सनल नाराजगी की वजह से । तो माननीय मंत्री जी सदन के विधायकों को विश्वास में लेकर जिले-जिले में एक पुलिस नियंत्रक समिति बना दें तो मासिक समीक्षा होती रहेगी और इससे शासन को भी सुविधा होगी । क्या माननीय मन्त्री जी जिले में गैर सरकारी पुलिस नियंत्रक समिति बनायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य और माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह पुलिस एक डिसिप्लिंड फोर्स है । उसको अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये कुछ ऐसी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी रखनी पड़ती है तो अगर उसको कमेटी के सामने रखा जायेगा तो शायद इससे उनके कार्य पर प्रभाव पड़ेगा । यह मांगें उचित नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मासिक बैठकों में वह अपने कारनामों की समीक्षा इस समिति के सामने रखें जिससे उसमें विचार हो सके । कुछ मुट्ठी भर लोग जो मंत्री हैं वह तो मुक्त हैं लेकिन जो सामान्य सदस्य हैं उनके ऊपर जिले-जिले में क्या बीतती है उसके लिये आवश्यकता है कि एक पुलिस नियंत्रक समिति बनायी जाय । इस बारे में मैंने निवेदन किया है कि विधायकों और सम्मानित नागरिकों को शामिल करके एक पुलिस नियंत्रक समिति बनाने की कृपा करेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है । इससे जो अराजकता फैल रही है वह कम होगी । मेरा अपना अनुभव है कि पुलिस अराजकता फैलाती है इससे उस पर अंकुश होगा ।

थाना ककवन जिला कानपुर के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप तथा गुप्तचर विभाग द्वारा जांच

*12--श्री मोती लाल दद्दलवी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि थाना ककवन, जनपद कानपुर में 1 अक्टूबर, 1977 की धारा 302 के अंतर्गत जो रिपोर्ट श्री राज नाथ सिंह (भू0 पू0 थानाध्यक्ष ककवन) आदि के विरुद्ध गुप्तचर विभाग की जांच के पश्चात् दर्ज हुई थी क्या उसकी अपूर्ण तफतीश पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो, दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है । दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है । इसके उपरान्त इन पुलिस कर्मचारियों एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा ।

तिलहर शाहजहांपुर के वकील, श्री मुनेन्द्र पाल सिंह को हवालात में अकारण बन्दी

*13—श्री परमाई लाल तथा श्री रामकरन--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक 28-10-80 को शाहजहांपुर के थाना तिलहर के इन्चार्ज एक वकील को अकारण पकड़ लाए और हवालात में बन्द कर दिया जबकि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके विरुद्ध नहीं थी और जब अन्य वकीलों ने थाने का घेराव किया तब सी0 ओ0 ने हवालात से निकाला ?यदि हां तो तो इन्चार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जब कि लिखित शिकायतें वकील ने उसी दिन जिला-अधिकारी व पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

यह सत्य है कि दिनांक 28-10-1980 को तिलहर के वकील, श्री मुनेन्द्र पाल सिंह को तत्कालीन इन्सपेक्टर इन्चार्ज थाना तिलहर, श्री एस0 के0 आस्तिक, श्री नसीर खां पुत्र गफदर खां को शिकायत की जांच के सम्बन्ध में थाने पर लाकर हवालात में बन्द कर दिया था । इस खबर को सुनकर नगर के कुछ वकीलों ने थाने पर आकर उनको छुड़ाने के लिए शोरगुल शुरू किया । इसी बीच क्षेत्राधिकारी तिलहर वहां पहुंच गए और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हवालात से छुड़वा दिया । इस सम्बन्ध में उक्त वकील से प्राप्त शिकायत पर प्रारम्भिक जांच कराकर इंसपेक्टर तिलहर के विरुद्ध दिनांक 27-11-80 को मुकदमा अंतर्गत धारा 342/506 आई0 पी0 सी0 कायम कर दिया गया तथा इन्सपेक्टर को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जातिगत व साम्प्रदायिक आधार पर पुलिस फोर्स गठन का विचार

*14--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सरकार पूर्णतः जातिगत व साम्प्रदायिक आधार पर किसी पुलिस बल (फोर्स) का गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

*15—श्री हरी शंकर--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*16--श्री दल सिंगार यादव—

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चितबड़ांगांव के नये भवन के निर्माण पर विचार

*17—श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1977 से कार्यरत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जितबड़गांव, जिला बलिया के पुराने जूनियर हाई स्कूल के पुराने भवन में चल रहा है जो ध्वस्तप्राय है तथा उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं के पठन-पाठन हेतु क्या विद्यालय भवन का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक तथा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितबड़ा गांव के नए भवन के निर्माण हेतु 19.11 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । शासन की स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वरीयता के आधार पर किया जायगा ।

जौनपुर जनपद के जमुनिया ग्राम की हरिजन बस्ती में पुल निर्माण की मांग

*18--श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र के खुटहन एवं सराय-गोहीउद्दीन मार्ग पर एक बड़े पुल निर्माण न किए जाने से सम्पूर्ण फसल वर्षा के पानी के जमा होने से नष्ट हो गयी तथा जमुनिया ग्राम की हरिजन बस्ती में पानी भर गया और काफी संख्या में मकान गिर गए ? यदि हां, तो शीघ्र बड़े पुल का निर्माण कराया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*19-श्री बाबू राम--

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर जनपद में राजकीय बालिका इंटर कालेज का जीर्ण-शीर्ण भवन

*20-श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद की राजकीय बालिका इन्टर कालेज एक जीर्ण-शीर्ण एवं साधनविहीन भवन में चलता है? क्या यह भी सत्य है कि इस बालिका विद्यालय में पेयजल, बाथरूम एवं वाहन की भी समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था को समाप्त करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

विद्यालय एक पुराने भवन में संचालित है, परन्तु वहां पेयजल, बाथरूम तथा वाहन की व्यवस्था है । गत कुछ वर्षों से नल में प्रेशर कम होने के कारण पानी की कमी अवश्य रहती है ।

वर्तमान भवन की विशेष मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना प्रस्तावित है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग में गत वित्तीय वर्ष में क्रय किए गए फर्नीचर, विद्युत तथा अन्य सज्जा का सामान

*1--श्री मुख्तार अनीस (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताएगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 1977-78 तथा 79 एवं 80 में फर्नीचर, विद्युत तथा अन्य सज्जा का सामान कुल कितने मूल्य का खरीदा गया ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि यह सामान कहां से खरीदा गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

वित्तीय वर्ष 1977-78, 78-79 एवं 79-80 में कुल 7,95,425·18 रुपये के मूल्य का फर्नीचर विद्युत तथा अन्य सज्जा को क्रय किया गया ।

जिन एजेन्सियों से यह सामग्री क्रय की गयी उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 371 पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये का साज-सज्जा का सामान खरीदा जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके संबंध में कुछ नियम निर्धारित हैं ? क्या इनको खरीदने के संबंध में कोई निविदा-विज्ञापित की जाती है ? यदि हां, तो उसके मापदण्ड क्या है ?

नोट :—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 10 डी श्री मोहन सिंह ने पूछा ।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, यह क्रय करने के लिए न्यूनतम निविदा की दरों और रेट कांट्रेक्ट के आधार पर यह खरीददारी की जाती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह माल खरीदने में कितनी निविदाएं आमंत्रित की गयीं और उसमें न्यूनतम और अधिकतम रेट क्या थे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मान्यवर, इसके लिए तो डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री विद्यासागर गौटियाल—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जो सामान खरीदा जाता है उसका क्वालिटी कन्ट्रोल कौन करता है ? आजकल जो दरियां दी गयी हैं वह लगता है कि चादरें हैं गर्मी में ओढ़ने के लिए ।

श्री जगदीश प्रसाद—

जो समिति बनी हुई है उसके एप्रूवल के बाद खरीदारी की जाती है ।

श्री रियासत हुसैन—

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जो माल खरीदा जाता है उसका कोई भी कार्यक्रम निश्चित नहीं है कि जरूरत है या नहीं है । क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि इसमें बहुत धन का अपव्यय होता है, क्या कोई ऐसी समिति बनाएंगे जिसमें इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य मेम्बर हो और अधिकारी भी हो ताकि बैठकर विचार कर लिया जाय कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नही है ? उसके एप्रूवल के बाद ही कोई खरीदारी की जाय ।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, जो चीजें खरीदी जाती हैं वह बाकायदा रेट कांट्रेक्ट और पब्लिक टेन्डर के बाद की जाती है । उसका विधिवत् अध्ययन किया जाता है उसके पश्चात् ही यह खरीदारी होती है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जो खरीदारी होती है, उसकी आवश्यकता है या नहीं है इसको कौन तय करता है ? इसके लिए कोई ऐसी समिति बनाएंगे जिसमें इस माननीय सदन के लोग भी हों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

आवश्यकता होगी तो किया जाएगा ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उस दरी की कीमत क्या है और कहां से खरीदी गयी है, किसी अधिकारी ने खरीदी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

यह सूचना माननीय सदस्य को दे दी जाएगी ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

यह दरी नहीं है, चादर है, मैं उसे दिखला सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न सन् 80 के अन्दर का है और यह आपके प्रश्न में नहीं आता ।

श्री मोती लाल दहेलवी—

जो सामान विधायकों को मिलता है उसकी जरूरत विधायकों को है या नहीं जैसे डनलप पिलो और एक-एक पलंग दे दिया गया है इसको देखने के लिए क्या सरकार कोई समिति बनाने को तैयार है जिसमें विधान मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हों जो यह देखे कि विधायकों को क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं है और जो सामान खरीदा जा रहा है उसकी क्वालिटी लो तो नहीं है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जिन माननीय सदस्यों को जिस सामान की आवश्यकता नहीं है जैसे डनलप पिलो उसे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग को वापस कर सकते हैं, उसको वह वापस ले लेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है, यह जवाब नहीं होना चाहिए कि वापस कर सकते हैं । सवाल यह है कि आवश्यकता किस चीज की है और किस चीज की नहीं है, इसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय दहेलवी जी ने दो खंड में प्रश्न किया और दो खंड में ही मैं उत्तर दे रहा हूं । प्रथम खंड में यह है कि जो चीजें आवश्यक नहीं है माननीय सदस्यों के लिए उनको वे वापस कर सकते हैं, उतना खर्चा बच जायगा । डनलप पिलो वापस कर सकते हैं । दूसरे खंड में समिति की बात कही गयी जो यह देखें कि किन चीजों की आवश्यकता है तो सामान्यतः माननीय सदस्य आवश्यकताओं के बारे में मिलते रहते हैं, अपना सुझाव देते रहते हैं जिनके अनुसार हम निर्णय लेते हैं । लिहाजा समिति की आवश्यकता नहीं है ऐसा मैं समझता हूं ।

श्री सूबेदार सिंह—

विधायकों के कमरों में जो सामान दिया गया है वह बहुत रद्दी किस्म का है । इससे साफ जाहिर है कि सामान जो खरीदा गया है उसकी कीमतें तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब है । क्या सप्लाई पर आडिट कराने की कृपा करेंगे पिछले तीन सालों की जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कितना कमीशन दिया गया और कहां से खरीदा गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, पिछले तीन सालों के सामानों की क्वालिटी की जांच हो जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट आरोप था और मैंने लिखकर भी भेजा था कि पिछले वर्षों में सामान खरीदा गया है इसमें 40 फी सदी कमीशन लिया गया है लाखों रुपया हड़प लिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सामान खरीदा गया है उसमें कितना कमीशन लिया गया ? मान्यवर, जो टेण्डर में दिया गया है कि साखू की लकड़ी और लगायी गयी है आम की लकड़ी ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ रहे और जवाब भी दे रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, परचेज में भारी घपला हुआ है, इस घपले की जांच कराने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी कमेटी बनाने से क्यों भाग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न तो कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं पूछ रहा हूं कि जांच के लिए कमेटी बनाने में इन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछकर उत्तर भी स्वयं ही देते हैं । उत्तर पूरा तो हो गया कि कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं और दूसरे का उत्तर है कि खरीदे गए सामानों की क्वालिटी की जांच करा लेंगे । दोनों उत्तर हो गए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जांच कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

बता तो दिया कि जांच करवा लेंगे । आप प्रश्न पूंछते हैं और फौरन ही उत्तर चाहते हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के मकान के किराए की दर

*2—श्री त्रिलोक तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या विधान सभा भंग होने के बाद और वर्तमान विधान सभा के गठन की अवधि में सदस्य विधायकों द्वारा विधायक निवास न छोड़े जाने पर 9 रुपया प्रतिदिन की दर से किराया सरकार द्वारा वसूल किया जाता है ? और सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराने पर विधायक सदस्यों को केवल 5 रुपया मात्र प्रतिदिन मकान भत्ता के रूप में दिया जाता है ? यदि हां, तो 9 रुपए की दर से किराया लेने का क्या औचित्य है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

गत विधान सभा 17 फरवरी, 1980 से भंग हुई । नियमानुसार भूतपूर्व सदस्य विधायक निवासों के कक्षों में 15 दिन तक नि:शुल्क अध्यासन बनाए रख सकते थे । यह अवधि दिनांक 3 मार्च, 1980 को समाप्त हो गयी । उसके पश्चात् जिन भूतपूर्व सदस्यों ने कक्ष खाली नही किए उनसे विधायक निवास के "क" व "ख" श्रेणी के कक्षों का क्रमश: रु0 9 व रु0 7 प्रतिदिन की दर से प्रतिकर लिए जाने का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली में नियम है । इसी के अनुसार प्रश्नगत अवधि का भूतपूर्व विधायकों से प्रतिकर लिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार जब तक किसी विधायक के आवास की व्यवस्था न की जाय तो ऐसे सदस्य विधायक को रु0 150 प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होता है ।

रु0 9 प्रतिदिन का प्रतिकर निर्धारित है न कि किराया । यह भी प्रचलित बाजार से बहुत कम है, अत: प्रतिकर की धनराशि लेने का पूरा औचित्य है।

श्री मित्रसेन :

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि नियमानुसार विधायक होने की हैसियत से किसी भी सदस्य को 150 रु0 के हिसाब से दिया जाता है और सुविधा प्रदान की जाती है । जब विधायक नहीं रहता तो रु0 9 प्रतिदिन के हिसाब से किराया चार्ज किया जाता है । मै जानना चाहता हू कि विधान सभा भंग होने पर सदस्य नहीं रह जाता और आवास उनके कब्जे में रहता है तो 9 रु0 प्रतिदिन की दर से चार्ज किया जाता है क्योंकि उनको विधायक की सुविधाएं नहीं रह जाती । लेकिन मंत्री लोग अपने कब्जे में मकान रखते है जब तक कि दूसरा मंत्री नहीं आता और उनको यह सुविधा रहती हैविधायकों को भी यह सुविधा रहे, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

अगर भूतपूर्व विधायकों को यह सुविधा दे दी जायगी तो जो वर्तमान माननीय सदस्य आएंगे उसकी व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा । इसलिए असमर्थता है ।

श्री मित्रसेन :

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक नये विधायक चुनकर नहीं आते तब तक के लिए तो उनको वह सुविधा दें जैसे कि आप मंत्रियों को देते है । मैं आपको याद दिला दूं कि सन् 77 में जब सरकार भंग हुई थी तो विधायक और मंत्री सबका किराया माफ कर दिया गया था और आप छूट देने को तैयार नहीं हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद—

जो नियम बने हुए है इनके अनुसार वसूली होती है। उसके अलावा कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से हस्ताक्षेप चाहूंगा । जब 1977 की विधान सभा भंग हुई थी जिसमें तमाम विधायक कांग्रेस के थे सभी का प्रतिकर भत्ता माफ कर

दिया गया था । जिन नियमों की बात मंत्री जी ने की है क्या उन पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे और जो 9 रु0 प्रतिकर भत्ता है उसको कम करके 5 रु0 करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

नियमों में जब तक संशोधन न हो तब तक यह नहीं किया जा सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अगर मुख्य मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें तो यह हो जाएगा ।

श्री जगदीश प्रसाद—

जो नियम बने हुए हैं उनमें मुख्य मंत्री जी क्या करेंगे । इसमें परिवर्तन करना होगा । संशोधन की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो वर्तमान नियम हैं राज्य सम्पत्ति विभाग के उनके तहत यह काम संभव नहीं है । सरकार जब उसकी आवश्यकता समझती है, उसकी अविलम्बनीयता समझती है तो उसमें संशोधन कर दिए जायं । एक मौके का संदर्भ भी माननीय सदस्य ने दिया है । हम अधिनियमों में भी संशोधन करते हैं तो अगर सरकार इस बात के औचित्य को समझती है कि प्रतिकर माफ कर दिया जाए तो क्या मेरा सुझाव मानकर सरकार सम्प्रति नियमों में संशोधन करके यह छूट देने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह सुझाव नोट कर लिया जाय, इस पर विचार कर लिया जाएगा ।

अतारांकित प्रश्न

श्री छबिलाल चौधरी, ग्राम अमरा कोइल के घर पड़ी डकैती

1—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि दिनांक 25 नवम्बर, 1979 में जनपद बस्ती के थाना खेसरहा के अन्तर्गत श्री छबिलाल चौधरी, ग्राम अमरा कोइल के घर पर डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस डकैती में अब तक क्या कार्यवाही की तथा पड़ी डकैती में गए हुए माल की बरामदगी एवं अन्य अपराधियों का पता लगाने में सफल हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । तीन नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । माल बरामद नहीं हुआ और जांच से अन्य कोई अपराधी प्रकाश में नहीं आया ।

नोट—अलसूचित प्रश्न संख्या 2 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

नवाबगंज तहसील में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कथित योजना

2—श्री चेतराम गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि सरकार द्वारा जिला बरेली की नवाबगंज तहसील के मुख्यालय पर एक राज0 कन्या इंटर कालेज खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कालेज कब तक खुल जाएगा और अब तक न खोले जा सकने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, शाहगंज, आगरा में चालित बसें

3—श्री बदन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, शाहगंज, आगरा में बच्चों तथा ट्रेनिंग छात्राओं को लाने ले जाने के लिए सन् 1975 तक दो बसें चलती थीं ? यदि हां, तो उन बसों को अब इस कार्य हेतु क्यों नहीं चलाया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

दो बसें केवल वर्ष 1971 तक चलती थीं । वर्ष 1971 में एक बस संख्या यू0पी0यू0 2439 खराब हो गई । दूसरी बस संख्या यू0पी0ए0 7150, 15 दिसम्बर, 1977 तक चलती रही । वर्ष 1977 में प्रधानाचार्या ने दोनों बसों को आगरा से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की संस्तुति की । तदनुसार बस संख्या यू0पी0ए0 7150 राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कासगंज (एटा) को नवम्बर, 1977 में स्थानान्तरित कर दी गई । दूसरी बस संख्या यू0पी0ए0 2439 के खराब होने के कारण आगरा में उसकी मरम्मत करायी जा रही है । मरम्मत पूरी होते ही उसे राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बुलन्दशहर को स्थानान्तरित कर दिया जायगा ।

देवरनिया और नकटिया नाले पर पुल का निर्माण

4—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पुल निर्माण निगम द्वारा जिला बरेली में सेंथल-जादौपुर मार्ग पर देवरनिया और नकटिया नदी पर अलग-अलग दो पुलों का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल जनता के आवागमन हेतु कब तक बन जाएंगे और इन पर लागत क्या आएगी ? क्या यह सही है कि आजकल कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

देवरनिया नाले पर पुल पहुंच मार्ग सहित फरवरी, 1981 के अन्त तक तथा नकटिया नाले पर पुल पहुंच मार्ग सहित माह अप्रैल, 1981 तक यातायात हेतु उपलब्ध

हो जाने की सम्भावना है । देवरनिया नाले पर पुल की लागत पहुंच मार्ग सहित 7.40 लाख रुपया तथा नकटिया नाले पर पुल की लागत पहुच मार्ग सहित 8.65 लाख रुपया होने की सम्भावना है । सेतुओं का निर्माण कार्य कभी भी रोका नहीं गया है ।

मुरादाबाद नगर में ईदगाह पर मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम

5—श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह पर मारे जाने वाले लोगों का पोस्टमार्टम हुआ और उनमें से कितने लोग गोली और कितने लोग छर्रा तथा ईंटों की वजह से मारे गए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद नगर में ईदगाह पर मारे जाने वाले लोगों का पोस्ट मार्टम नियमानुसार कराया गया और उनमें से 3 व्यक्ति गोली से तथा 1 व्यक्ति ईंट की चोट से मारा गया । छर्रों से कोई व्यक्ति नहीं मरा ।

मुरादाबाद में हमलावर तथा पुलिस में मुठभेड़ से मृत्यु

6—श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह, मुरादाबाद की चौकी गलशहीद पर जब हमला हुआ उसमें कितने हमलावर लोग मारे गये और कितने पुलिस के लोग मारे गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह, मुरादाबाद की चौकी गलशहीद पर जब हमला हुआ उसमें हमलावर लोगों में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । उक्त हमले में कानि0 एरशादी लाल की मृत्यु हुई ।

7—श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की एरियर की धनराशि

8—श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत कार्यरत अनेकों अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को 1972 से पूर्व के एरियर की धनराशि नहीं दी गई है ? यदि हां, तो यह धनराशि कब तक भुगतान कर दी जाएगी और इस देरी के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फर्रुखाबाद के किसी भी बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक/अध्यापिका का 1972 के पूर्व के बकाया भुगतान का दावा (क्लेम) लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नही उठता ।

जौनपुर के एस0 डी0 आई0, श्री पारसनाथ त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9—श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के विकास खंड, म्छली शहर के अध्यक्ष व मंत्री द्वारा वर्ष 1979 में कोई शिकायती पत्र एस0 डी0 आई0 (श्री पारस नाथ त्रिपाठी) के विरुद्ध शासन को दिया गया था ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं और क्या उनकी जांच कराई गई ? और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

दिनांक रहित शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की तालिका संलग्न है ।

शिकायतों की जांच कराई गयी । जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 372 पर ।)

इंटर कालेज सुहवल, जिला गाजीपुर के खिलाफ प्रार्थना-पत्र तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के लेखाधिकारी तथा वित्त अधिकारी द्वारा गबन की जांच

10—श्री उग्दल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज सुहबल, जिला गाजीपुर के खिलाफ कई प्रार्थना-पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

मामले की जांच करवायी गयी थी ।

11—श्री उग्दल—

क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि उक्त इण्टर कालेज में जिला नियोजन अधिकारी, गाजीपुर ने तारीख 19 मई, 1971 को जांच की थी जिसमें 50 हजार रुपए का गबन पकड़ा था और वित्त अधिकारी ने 25 हजार का गबन पकड़ा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जांच जिला परिषद् के मुख्याधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-डेवलपमेन्ट)/ परिषद् के वित्तीय परामर्शदाता ने की थी । उपबन्ध सूचनानुसार किसी अधिकारी द्वारा कोई गबन नहीं पकड़ा गया । स्थिति और स्पष्ट करायी जा रही है ।

12—श्री उग्दल—

क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि उक्त कालेज की जांच 12/13 दिसम्बर, 79 व 6/7 जनवरी, 80, 23 जनवरी, 80 को जिला विद्यालय निरीक्षक के लेखाधिकारी एवं जिला परिषद्, गाजीपुर, वित्त अधिकारी ने की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार जांच रिपोर्ट में दृष्टिगत शिकायतों में कुछ अनियमितताओं के अतिरिक्त कोई विशेष बल नहीं था जिसके लिए आयुक्त के आदेशानुसार प्रधानाचार्य को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में विद्यालय के प्रबंध एवं लेखा-जोखा में होने वाली अनियमितताओं पर विशेष ध्यान रखने एवं सुधार लाने हेतु निर्देशित कर दिया गया । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाधिकारी, मुख्य लेखाकार व जिला परिषद् के वित्तीय परामर्शदाता की जांच आख्याओं की प्रति मेरे कार्यालय में देखी जा सकती हैं ।

वाराणसी जनपद के ग्राम सरहरी, निवासी श्री राधेश्याम गौड़ को रोहनियां थाने की पुलिस द्वारा मारने का प्रयास किए जाने सम्बन्धी शिकायत

13–श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधेश्याम गौड़, गांव सरहनी, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी को ता0 15-7-80 को उसी गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह से मारकर 15-7-80 को रोहनिया थाने में ले गए और रोहनिया की पुलिस इन-काउन्टर करने के लिए कार में बैठाकर ले गयी जो सफल न हो सके तो लाकर थाने में पुनः बैठा दिया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त राधेश्याम ने इस घटना के बारे में एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, वाराणसी को ता0 17-7-80 एवं एस0 एस0 पी0 वाराणसी को 22-7-80 को मय डाक्टरी रिपोर्ट के दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित आशय के आरोपों के बारे में श्री राधेश्याम गौड़, निवासी ग्राम सरहरी, थाना रोहनिया, वाराणसी का केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-7-80 को जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है ।

बाराबंकी सूत मिल में श्रमिकों के भर्ती के नियम

14–श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में हथकरघा उद्योग में भरती के क्या नियम हैं ? क्या यह सत्य है कि श्रमिकों को स्थायी करने के बजाय उन्हें दैनिक मजदूरी पर ही ज्यादा रखा जाता है ? यदि हां, तो श्रमिक संहिता का पालन कब से प्रारम्भ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन)--

रिक्त स्थानों को स्थानीय सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है तथा वहां से भेजे गए अभ्यर्थियों में से ही योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती मिल चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है । सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा उनसे अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् रिक्त स्थानों को प्रमुख दैनिक पत्रों में विज्ञापित किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

बाराबंकी बालिका राजकीय इण्टर कालेज का भवन निर्माण

15—श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी बालिका राजकीय इण्टर कालेज का भवन निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? क्या यह सही है कि विद्यालय का वर्तमान भवन एकदम जर्जर है ? वर्षा काल में बैठने की जगह नहीं रहती है ? क्या शिक्षा मंत्री स्वयं स्थिति का जायजा लेकर वास्तविकता से अवगत कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कूमारी बख्शी—

कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बाराबंकी का वर्तमान भवन जिला परिषद् बाराबंकी की सम्पत्ति होने के कारण उसके निर्माण अथवा मरम्मत कराने में विधिक कठिनाई बाधक थी । अब जिला परिषद् के उक्त भवन व भूमि की शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरण सम्बन्धी रजिस्ट्री दिनांक 4-1-81 को हो गई है । अतः वर्तमान भवन की विशेष मरम्मत हेतु आगणन बनवाए जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है । कालान्तर में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण भी कराया जा सकता है ।

जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में दर्ज फर्जी मुकदमा

16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में मु0अ0स0 174 धारा 147/332, 353, 457, 427 के अंतर्गत दिनांक 31-7-80 में तहसील के एक नायब तहसीलदार द्वारा लगभग तीन चार सौ छात्रों व तीन नामजद व्यक्तियों के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया है ? क्या इस विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को आपको दिनांक 12 अक्टूबर, 80 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार नायब तहसीलदार श्री द्वारिका नाथ चौबे की लिखित रिपोर्ट पर थाना महराजगंज पर मु0अ0 सं0 174/80, अंतर्गत धारा 147/332/353/427 भा0द0वि0 4 नामजद तथा तीन चार सौ लड़कों के विरुद्ध कायम किया गया । विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-9-80 के संबंध में एस0डी0एम0, महराजगंज द्वारा जांच जारी है ।

जिला बरेली के भवन विहीन विद्यालयों में भवन निर्माण

17—श्री चेतराम गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि जिला बरेली में 15 नवंबर 1980 तक कितने प्राथमिक स्कूल भवनहीन थे तथा कितने प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माणाधीन है? क्या सरकार भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद बरेली में दिनांक 15 नवम्बर 1980 तक बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 330 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन थे तथा 46 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं । भवनहीन-विद्यालयों के निर्माण का कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उनके निर्माण की स्वीकृति दी जाती है । सीमित संसाधनों और निर्माण सामग्री, विशेषत: सीमेंट की कमी के कारण कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

ग्राम बीजामऊ करैया बलदेव सिंह, मुर्तजानगर से ग्राम जेउत जागीर तक सड़क का निर्माण

18–श्री चेतराम गंगवार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली की तहसील, नवाबगंज में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवाबगंज के ग्राम बीजामऊ करैया बलदेव सिंह, मुर्तजानगर होकर ग्राम जेउत जागीर तक लगभग 15 किलोमीटर सड़क का बनाया जाना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो सड़कें कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी ? तथा इस सड़क के निर्माण में कितनी लागत आवेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद–

प्रश्नगत मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर के मुहम्मदिया इस्लामिया उर्दू मकतब को प्राप्त अनुदान

19–श्री प्रवीन कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनूप शहर नगर जिला बुलन्दशहर के मुहम्मदिया इस्लामिया उर्दू मकतब को जो ग्रांट 600 रुपया प्रति वर्ष मिलती थी वह पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं मिली है ? तथा वह कब तक मिलेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना सिंघौली, जिला शाहजहांपुर के श्री एस0 पी0 सिंह के विरुद्ध आरोप

20-श्री नाजिर अली--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने दिनांक 28-8-80 को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र थाना सिंघौली, जिला शाहजहांपुर के सब इन्सपेक्टर (श्री एस0 पी0 सिंह) के विषय में गृह सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

जी हां । मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने पर विदित हुआ है कि थाना सिंघौली, जिला शाहजहांपुर के सब इंसपेक्टर श्री ए० पी0 सिंह के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

रामकोट–कनवाखेड़ा मार्ग का निर्माण

21–श्री राजेन्द्र कुमार गप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में रामकोट कनवा-खेड़ा मार्ग का निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ ? निर्माण कब तक पूरा होना चाहिए था ? अब निर्माण की क्या स्टेज है ? कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 9 किलोमीटर है जिसमें से 1·80 किलोमीटर का निर्माण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1977 से प्रारम्भ किया गया था । इसे मार्च, 1978 तक पूर्ण होना था और यह जून, 1978 में पूर्ण हो गया । शेष 7·20 किलोमीटर मार्ग का निर्माण त्वरित योजना के अन्तर्गत मार्च, 1977 में प्रारम्भ किया गया था और स्वीकृत लागत के अन्तर्गत केवल 3 किलोमीटर तक कार्य मार्च, 1979 में पूर्ण हो गया था । इसके उपरान्त इस कार्य की मार्च, 1979 में पुनरीक्षित स्वीकृति दी गयी और कार्य जून, 1979 से प्रारम्भ किया गया । इसके जून, 1981 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । किलोमीटर 3, 4, 5 व 6 के मध्य सतह तक का कार्य समाप्त हो गया था । शीघ्र ही पूरा कराए जाने का प्रयास किया जायेगा ।

सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ के कार्यालय में नियुक्तियां

22–श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों की तीन-तीन पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निम्नवत हैं--

(1) श्री मगन लाल जैन, सहायक सचिव ।

(2) श्री दिनेश चन्द्र पन्त, परीक्षा अधीक्षक ।

(3) श्री विश्वनाथ लाल, ज्येष्ठ सहायक (गोपनीय)

जनपद बांदा में हथकरघा उद्योग के उत्पादन में गिरावट

23--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी सूत मिल में श्रमिकों की गत कई वर्ष से उत्पादन में गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नियाज हसन--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के परिवर्तन पर विचार

24–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

ऐसा कोई बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है परन्तु पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुनर्गठन की कतिपय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 373 पर)

25–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[3-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 73 द्वारा उत्तरित]

राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

26–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन 79-80 में प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

जी हां ।

शासन के निर्णयानुसार सभी राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जो रुपये 60/, से रुपए 100 तक प्रति माह पेंशन पा रहे थे, की पेंशन की धनराशि दिनांक 14-11-80 से सामान्य रूप से रुपये 100 प्रतिमाह कर दी गयी है ।

बांदा जनपद में उद्योग लगाने हेतु दिए गए प्लाट

27–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या बांदा जनपद में जिन व्यक्तियों के उद्योग लगाने हेतु प्लाट दिए गए थे उनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपने उद्योग नहीं लगाए हैं ? यदि हां, तो उन प्लाटों में उद्योगों को लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नियाज हसन खां–

(क) जी हां ।

(ख) जिन व्यक्तियों ने प्लाटों पर उद्योग नही लगाए हैं उन उद्यमियों से उद्योग शीघ्र लगवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रदेश में राजनैतिक हत्याओं की संख्या में वृद्धि

28–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रदेश में गत 3 वर्षों के दौरान राजनैतिक हत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो गत (जनता) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

गत तीन वर्षों (वर्ष 1977, 1978 एवं 1979) में केवल एक राजनैतिक हत्या दिनांक 26 नवम्बर, 1978 को जनपद बदायूं में भूतपूर्व विधायक, जनता पार्टी श्री शिवराज सिंह की हुई थी । अतः राजनैतिक हत्याओं की संख्या में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[3-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 73 द्वारा उत्तरित]

बांदा जनपद में औद्योगिक विकास सम्मेलन तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट

30–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में बांदा जनपद के हित के विकास हेतु विकास सम्मेलन हुआ था ? जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी गणों ने भाग लिया था ? यदि हां, तो विकास सम्मेलन में प्रस्ताव क्या थे और प्रस्तावों के आधार पर बांदा जनपद में क्या कार्य सम्पन्न हुआ ? क्या सरकार उसकी प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री नियाज हसन—

जी नहीं । वर्ष 1978 में बांदा जनपद में कोई औद्योगिक विकास सम्मेलन नहीं हुआ था ।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के श्री सरजू देव की दर्ज रिपोर्ट

31–श्री दल सिंगार यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 जनवरी, 1977 को थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ के श्री सरजू देव उर्फ गकरी मरदहा बाजार में 307 धारा की रिपोर्ट दर्ज है ? यदि हां, तो आज तक उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

4 जनवरी, 1977 को थाना महराजगंज में प्रश्नगत रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिस पर धारा 147/148/149/307/342 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 7 अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ । चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । शेष के विरुद्ध विवेचना जारी है ।

श्री मेवा लाल वर्मा, जिला वाराणसी का थाना भदोही की पुलिस के खिलाफ शिकायती-पत्र

32–श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1980 में मेवालाल वर्मा गांव बरवां बाजार, थाना भदोही, जिला वाराणसी ने एक प्रार्थना पत्र थाना भदोही की पुलिस

के खिलाफ मुख्य मंत्री को दिया था कि भदोही पुलिस उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना चाहती है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि 20 जनवरी 1980 को एक गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर पुलिस ने मेवालाल को गिरफ्तार 452 में करके जेल भेज दिया था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

श्री मेवालाल वर्मा गांव बरवां बाजार, थाना भदोही, जिला वाराणसी का प्रश्न में उल्लिखित आशय के बारे में एक प्रार्थना पत्र फरवरी, 1980 में शासन को प्राप्त हुआ था जिसे जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को भेजा गया ।

श्री मेवालाल वर्मा की कथित गिरफ्तारी की घटना के तथ्य यह है कि दिनांक 20 जनवरी, 1980 को थाना भदोही में प्राप्त सूचना के आधार पर उनके विरुद्ध धारा 452/323/504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया । जांच के मामले में त्रुटि के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी । इस संबंध में उक्त श्री मेवालाल को न तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और न ही जेल भेजा गया ।

33--श्री उदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गांव नहरपुर, थाना रामपुर, जिला जौनपुर में डकैती तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

34–श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव नरहरपुर, थाना रामपुर, जिला जौनपुर में डाकुओं ने चार घरों को अगस्त, 1980 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में लूटा और ग्रामीणों ने डाकुओं का मुकाबला किया जिसमें दो डाकुओं को मोढ़ स्टेशन के पास भदोही थाना वाराणसी की पुलिस ने पकड़ा और दो को रामपुर थाने की पुलिस ने पकड़ा ? क्या यह सत्य है कि रामपुर की थाने की पुलिस ने डाकुओं को छोड़ दिया जिस पर जनता ने थाने का घेराव किया जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें बुरी तरह घायल 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया ? यदि हां, तो अतिरिक्त जिलाधिकारी व उप पुलिस अधीक्षक जो उस दिन मौके पर गए थे उन्होंने पुलिस व थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की, घटना की जांच किसके द्वारा करायी जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार 11/12-8-80 की रात्रि में ग्राम नरहरपुर थाना रामपुर, जिला जौनपुर में केवल एक घर में डकैती होने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया । ग्रामीणों द्वारा डकैतों से मुकाबला करने की बात निराधार है । तथ्य यह है कि 12-8-80 को मोढ़ बाजार के पास डकैती की योजना बनाते समय दो डकैतों को थाना भदोही जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अतः थाना रामपुर की पुलिस द्वारा डकैतों को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

इन्हीं मामलों को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाए जाने के फलस्वरूप दिनांक 16-8-80 को थाने के समक्ष कुछ प्रदर्शनकारियों की एकत्र भीड़

के अत्यधिक उग्र हो जाने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तारी के दौरान इन व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर गए थे परन्तु उस समय पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा । प्रदर्शन की घटना की जांच क्षेत्राधिकारी श्री के0 एन0 सिंह ने की जिसके आधार पर थानाध्यक्ष को वहां से हटाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

मेसर्स ई0 सेफ्टन एण्ड कम्पनी, मिर्जापुर के श्रमिकों की मांगे

35–श्री ऊदल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स ई0 सेफ्टन एण्ड कम्पनी मिर्जापुर में 550 श्रमिकों को कुछ समय पूर्व सेवा से अलग कर दिया गया है और जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं उन्हें 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं ? यदि हां, तो मजदूरों की मांगें क्या हैं और सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

मेसर्स ई0 सेफ्टन एण्ड कम्पनी, मिर्जापुर के प्रबन्धकों ने बैरेक ब्लैकेटिंग विभाग दिनांक 9-10-79 से बन्द कर दिया और उसमें नियोजित सभी 451 श्रमिकों की सेवायें उसी तिथि से समाप्त कर दी ।

इस प्रतिष्ठान के दूसरे विभाग में कार्यरत सभी श्रमिकों को नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है और किसी भी श्रमिक का कोई पिछला वेतन भुगतान शेष नहीं है ।

9-10-79 की बन्दी से प्रभावित श्रमिकों ने बोनस तथा ग्रेच्युटी भुगतान की मांगों को लेकर आंदोलन किया । सहायक श्रमायुक्त, मिर्जापुर ने बोनस हेतु 1,70,958·60 पैसे तथा ग्रेच्युटी हेतु 2,24,800·49 पैसे के धन की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए तथा 6-11-79 को प्रबन्धकों को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया कि उनके विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ एफ एफ और 25(एन) की अवहेलना के लिए क्यों न कानूनी कार्यवाही की जाय ? इस नोटिस के विरुद्ध प्रबन्धकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से 8-2-80 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

दिनांक 20-3-80 को श्रमिकों ने प्रबन्धकों से समझौता कर लिया और दिनांक 9-10-70 की बन्दी का विवाद समाप्त हो गया ।

बिजली की कटौती के कारण प्रतिष्ठान के उत्पादनात विभाग में सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों की 31-5-80 से 2-6-80 तक बैठक की गई । इसका श्रमिकों ने विरोध किया तथा धरना दिया और ऐसा कहा जाता है कि श्रमिकों ने उत्तेजित होकर प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी को मारा पीटा व आक्रमित किया । इस पर प्रबन्धकों ने 7 श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी और 7 श्रमिकों को निलम्बित कर दिया । श्रमिकों ने बैठकों की अवधि के पूरे वेतन तथा आविवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिए जाने की मांग की । दिनांक 4-6-80 को 200 श्रमिकों में से 44 श्रमिकों ने हड़ताल भी कर दी। सहायक श्रमायुक्त, मिर्जापुर तथा नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने पक्षों से वार्ता द्वारा सम-

झौंता कराने के कई प्रयास किए । अन्ततः उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद के समक्ष दिनांक 15-7-80 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया । श्रम स्थिति सामान्य है ।

इलाहाबाद के गंगा जमुना होटल पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की सहायता से कब्जा किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र

36–श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा जमुना होटल मकान नं0 35 सी0 वाई0 चिन्तामणि रोड जार्ज टाउन इलाहाबाद के मालिक चिरौंजी लाल के उक्त होटल पर तारीख 8-7-80 को कब्जा कर लिया है । इस संबंध में एस0 एस0 पी0 ने स्टो एस पी0 बी0 एन0 राय को बुलाकर इस होटल तथा मकान वालों को गिरफ्तार करने के लिए कहा ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि होटल का कब्जा अब तक नहीं दिलाया गया ? क्या इस संबंध में चिरौंजी लाल ने, माननीय मुख्य मंत्री को 1-9-80, आई0 जी को 1-9-80 एस0 एस0 पी0 इलाहाबाद को 1-9-80 तथा माननीय मुख्य मंत्री को 13-7-80, जिलाधीश को 24-5-80 व 9-6-80, सी0 ओ0 सिटी इलाहाबाद को 24-5-80 को प्रार्थना पत्र दिया है ? इसमें क्या कार्यवाही की गयी और थानेदार तथा उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चिरंजी लाल सोनकर ने अपने होटल पर क्षेत्रीय पुलिस की सहायता से अमुक अराजक तत्वों द्वारा कब्जा कर लेने तथा सामान लूट लिए जाने आदि की सूचना तार द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी जिसके आधार पर थाना दारागंज, इलाहाबाद में धारा 392/448 भा0द0वि0 के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया । श्री वी0 एन0 राय, पुलिस अधीक्षक नगर, इलाहाबाद ने बताया है कि तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी करने के कोई आदेश नहीं दिए थे । होटल के कब्जे के सम्बन्ध में एक वाद नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में श्री चिरंजी लाल के दिनांक 12-7-80, 13-7-80 व 16-7-80 के प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुए है । सम्पूर्ण मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

शिक्षा विभाग द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां

37--श्री उदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों का चयन प्रदेश के 33 जिलों के लिए किया गया था और 6 माह तक कार्य कराने के बाद उनसें से 8 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को उनके पुराने पदों पर वापस कर दिया गया जिनमें 3 पुरुष एवं 5 महिलायें है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या उन्हें कोई नोटिस भी दी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि उनसे तीन वर्ष का बांड भी भराया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत 32 जनपदों के लिए सृजित जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के 32 निःसंवर्गीय एवं अस्थायी पदों पर चयन के उपरान्त नियुक्तियां की गयी थीं । इनमें से 7 अधिकारियों (2 पुरुष तथा 5 महिलाएं) जिन्होंने लगभग 10 से 12 माह तक उक्त पद पर कार्य किया, को उनके पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित किया गया । इनमें से एक महिला अधिकारी ने अपना प्रत्यावर्तन स्वयं चाहा था । शेष अधिकारियों का प्रत्यावर्तन उक्त पद के लिए उनकी सामान्य अनुपयुक्तता के आधार पर किया गया जो कि विधिमान्य है । इन अधिकारियों को कोई नोटिस नहीं दी गई थी । यह सत्य नहीं है कि इन अधिकारियों से 3 वर्ष का कोई विधिक बांड भराया गया था ।

38—श्री ऊदल—

[2रे सोमवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रकाशक के विरुद्ध अनियमिताएं व भ्रष्टाचार संबंधी ज्ञापन

39—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश (कानपुर) के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा एद के दुरुपयोग एवं गबन तथा बोर्ड के धन के दुरुपयोग एवं गबन तथा गलत नियुक्तियों के संबंध में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी यूनियन 7/105 नगर कानपुर ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल तथा सचिव, उद्योग उत्तर प्रदेश को 14 मार्च, 80 को दिया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन में कौन से आरोप हैं उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री नियाज हसन खां—

श्री राज्यपाल के यहां प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है । शासन में बाद को यह ज्ञापन प्राप्त हुआ । इसमें प्रमुख आरोप आजमगढ़ में अधिक योजनाओं पर व्यय, धन के अपव्यय एवं बजट का पूर्ण उपयोग न होने के बारे में है, जिनकी जांच कराई जा रही है ।

40—श्री ऊदल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

खादी ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश, कानपुर में घोटाला एवं गबन

41—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश, कानपुर में सन् 60 से लेकर अब तक 10 करोड़ का घोटाला, गबन एवं अनियमिततायें है ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं ।

थाना तहरौली, जनपद झांसी में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद के टहरौली थानान्तर्गत ग्राम बंधेरा के श्री संन्तोष सिंह द्वारा 7 फरवरी, 1980 को धारा 396 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी गई ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सब-इन्सपेक्टर श्री फैय्याजउल्ला सिद्दीकी ने उक्त मामले की तफतीश की और उसमें 17 अभियुक्तों के खिलाफ पर्चे काटे ? यदि हां, तो वह 17 व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । श्री फैय्याजउल्ला सिद्दीकी ने उक्त अपराध की विवेचना 11-2-80 से 10-9-80 तक की । इस अपराध में तीन अभियुक्त नामजद व 6-7 अज्ञात थे । श्री सिद्दीकी की विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 22 और अभियुक्त प्रकाश मा आये । कुल 25 संदिग्ध अभियुक्तों के विषय में वांछित सूचना संलग्न है । इस अभियोग की विवेचना अब अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 375 पर)

कुरेश जूनियर हाई स्कूल जालंधरी, आजमगढ़ के शिक्षकों का बकाया वेतन

43—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुरेश जूनियर हाई स्कूल जालंधरी, आजमगढ़ के किन-किन शिक्षकों का एक वर्ष से अधिक का वेतन बकाया है ? इन शिक्षकों के वेतन न दिए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी, नहीं

किसी शिक्षक का एक वर्ष से अधिक का वेतन बकाया नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेज, बलिया के शिक्षकों के स्थानान्तरण संबंधी जिला अधिकारी का पत्र

44—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, बलिया की राजकीय इण्टर कालेज, बलिया के शिक्षकों के संबंध में कोई पत्र दिनांक 4 मई, 1979 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । 4 अध्यापकों का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है ।

टाउन इण्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण और प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनियमितताएं

45—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन इण्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण और प्रधानाचार्य की अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 जुलाई, 1979 से 20 जुलाई, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किससे करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

46-47—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

48-49—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

श्री कंचनलाल सत्यार्थी, भू0 पू0 जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार संबंधी-शिकायती-पत्र

50—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री कंचनलाल सत्यार्थी भू0 पू0 जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादबाद द्वारा उनके मुरादाबाद जनपद में की गयी अनियमितताए एवं भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र इस वर्ष प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । उक्त अधिकारी के विरुद्ध कतिपय शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ।

उक्त शिकायती-पत्रों पर जांच के आदेश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को दे दिये गये हैं ।

श्री हरीराम ओंकार मल खेतान इण्टर कालेज, लक्ष्मीगंज, देवरिया के विज्ञान शिक्षकों को अवशेष धनराशि का भुगतान

51—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि राजाज्ञा नं0-1/5640/पन्द्रह-1569/63, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय के डी0 ओ0 पत्र संख्या ए0 डी0 ई0 474/1963-64, दिनांक 6 नवम्बर, 1963 के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण के बावजूद भी हरी राम ओंकार मल खेतान इण्टर कालेज, लक्ष्मीगंज (देवरिया) के विज्ञान शिक्षक असित कुमार विश्वास, मुरारी यादव, एवं भैरो प्रसाद यादव के वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष धनराशि का भुगतान आज 2 1/2 वर्ष बीतने के बाद भी क्यों नहीं, दिया गया है ? जब कि इन शिक्षकों द्वारा अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रेषित तत्सम्बन्धी बिल की जांच वांछित अभिलेखों के अभाव में पूर्ण न होने के कारण बिल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। जांच पूर्ण होने पर शीघ्र भुगतान किया जायेगा ।

देवरिया जिले के पोलिटिकलपेंशनरों की तहसील वार संख्या

52—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में तहसील-वार ऐसे पोलिटिकल पेंशनरों की संख्या कम है जिनकी पेंशन केन्द्र ने स्वीकृत किया था, किन्तु बाद में पेंशन निलम्बित कर प्रदेशीय सरकार से आख्या मांगी जा रही है ? यदि हां, तो यह आख्या केन्द्र को कब तक भेज दी जायगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

देवरिया जिले के ऐसे पोलिटिकल पेंशनरों की तहसील वार संख्या निम्न है :—

तहसील	उन पेंशनरों की संख्या जिनकी केन्द्रीय पेंशन निलम्बित की गयी है :
1—सलेमपुर	9
2—पडरौना	21
3—देवरिया	3
4—हाटा	3
योग	36

उपरोक्त पेंशनरों में से 7 पेंशनरों के संबंध में राज्य सरकार की अंतिम आख्या केन्द्र सरकार को भेज दी गयी है । शेष 29 पेंशनरों के मामलों में से 3 मामलों में संबंधित पेंशनरों से सीधे अथवा भारत सरकार के माध्यम से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । अतः केवल 26 मामलों में ही सेनानियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में वास्तव में भोगी गयी सजायावी तथा/अथवा 31 जुलाई, 1980 तक समस्त स्रोतों से होने वाली उनकी वार्षिक आय के बारे में रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगी गयी है और उसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार की आख्या केन्द्र सरकार को भेज दी जायगी ।

गोरखपुर जिले में श्री लाल जी सिंह के यहां पड़ी डकैती

53—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर जिले के गगहा थाने में जमीनें भीटी में लालजी सिंह के यहां डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एक डकैत मौके पर मार डाला गया ? कितने हजार की डकैती हुई और लालजी की बन्दूक भी डकैत ले गये हैं ? इसमें कितने डकैत पकड़े गये और शेष के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? तथा ग्रामीण को इस साहसिक कार्य के लिये कोई पुरस्कार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बनकट मठिया के श्री चोकट हरिजन की मृत्यु

54—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला अन्तर्गत ग्राम बनकटा मठिया, तहसील सलेमपुर निवासी ी चोकट हरिजन एक सप्ताह तक उपवास करके भूख से तड़प-तड़प कर 21 अगस्त, 1980 को उनकी मृत्यु हो गयी । उनके पीछे 2 लावारिश बच्चे लल्लन उम्र 13 वर्ष बसन्ती उम्र 12 वर्ष पड़े हैं ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और उन बच्चों को बचाये जाने हेतु कौन-सी उपाय की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । श्री चोकट हरिजन की मृत्यु लगभग आठ वर्ष पहले हुई थी । यह गलत है कि वह भूखे से मरा था । तथ्य यह है कि उल्लिखित तिथि को स्वर्गीय चोकट हरिजन के 85 वर्षीय पिता की स्वाभाविक मृत्यु हो गयी । चोकट के लड़के की आयु 19 वर्ष व लड़की की आयु 12 वर्ष है । सहायता का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूल तथा उनकी मरम्मत

55—श्री हुकम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके कमरों पर छत तक नहीं है, या उनकी इमारतें जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? सरकार उनकी मरम्मत के लिये क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक मरम्मत का काम होने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मुजफ्फरनगर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 58 स्कूलों में कमरों पर छत नहीं है तथा 292 स्कूल भवन जीर्णशीर्ण अवस्था थें है । वर्ष 1978-79 में शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत हेतु अनुदान दिया जाना आरम्भ किया गया है । 1978-79 में पूरे प्रदेश के लिये 15 लाख और 79-80 में 20 लाख की और धनराशि स्वीकृत की गयी । वर्ष 80-81 में मैदानी जनपदों के लिये 20 लाख का अनुदान दिया गया है । इस धनराशि से जनपद मुजफ्फरनगर के परिषदीय स्कूलों की मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। स्कूलों की मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए अब तक स्वीकृत धनराशि पर्याप्त न होने के कारण वर्ष 81-82 में इस कार्य हेतु पूरे प्रदेश के लिये एक करोड़ का अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है । सीमित साधनों के कारण सभी विद्यालयों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, उसकी अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के अध्यापकों की पेंशन

56—श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत तीन वर्षों में कितने अध्यापकों ने अवकाश ग्रहण किया और उनमें से कितनों की अब तक पेंशन की सुविधा प्राप्त हुई ? शेष अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर में पिछले तीन वर्षों में (30-6-78 से 30-6-80 तक) कुल 200 अध्यापकों ने अवकाश ग्रहण किया है जिनमें से 131 अध्यापकों को पेंशन प्राप्त हुई । 69 अध्यापकों के पेंशन प्रकरण अप्राप्त हैं, उनको प्राप्त कर इसी वर्ष निस्तारित कराने का प्रयास जारी है ।

57—श्री सत्यपाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

सार्वजनिक निर्माण अस्थायी खण्ड द्वारा करुअना परसिया मार्ग का आधुनिकीकरण

58—श्री मोहन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में सार्वजनिक निर्माण अस्थायी खण्ड द्वारा करुअना-परसिया मार्ग दूरी 13 किलोमीटर पर गत वर्ष 1978-79 से कार्य चल रहा है ? इस सड़क निर्माण पर शासन ने कितनी धनराशि स्वीकृति की इसमें से कितना धन खर्च हो चुका है और कितनी किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है और शेष कितने दिन में परा हो जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

केवल 10 कि0मी0 की लम्बाई में प्रश्नगत मार्ग के आधुनिकीकरण हेतु 10 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे । 1.70 लाख रु0 के व्यय से 8 कि0मी0 लम्बाई पर गिट्टी का कार्य तथा 2 कि0मी0 लम्बाई पर सोलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है । शेष कार्य निकट भविष्य में पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

राजकीय बालिका विद्यालयों में नियुक्त अध्यापिकाओं का नियमितीकरण

59—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में विगत सत्र 1979-80 में की गयी महिला अध्यापिकाओं की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने में पूरे प्रदेश में एक रूपता बरती गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय बालिका विद्यालयों में विगत सत्र 1979-80 में, लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर नियुक्त अध्यापिकाओं का नियमितीकरण लोक सेवा आयोग द्वारा उनके द्वारा धारित पदों के लिए नियमित रूप से चुन लिए जाने पर ही संभव होता है । ऐसे मामलों में किसी भी प्रकरण में एकरूपता न बरतने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती । जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि के नहीं हैं उन पर तदर्थ रूप से नियुक्त पदधारकों का नियमितीकरण भी विभागीय नियमित चयन के माध्यम से ही सम्भव होता है । इनमें भी एकरूपता न बरतने का प्रश्न नहीं उठता । तदर्थ नियुक्तियां एक काल चलाऊ व्यवस्था होती है । इन नियुक्तियों को नियुक्ति के शर्त के अनुसार समाप्त कर दिया जाता है अथवा आवश्यकतानुसार संस्थाओं में इन्हें आगे चलाते रहना पड़ता है ।

घाघरा नदी पर पुल निर्माण योजना

60—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी गोण्डा और बहराइच के दरमियान घाघरा नदी पर बनाये जाने वाले पुल की योजना शासन द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा और उस पर कुल लागत कितनी आयेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

61—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में जौनपुर के जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु कुल कितना धन आवंटित किया गया था और उस आवंटित धन में से कितने विद्यालयों की मरम्मत कराई गयी ? क्या सरकार इस धन का समय से सदुपयोग कराकर जीर्णशीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के सभी भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 1979-80 में रुपयों 36,500 आवंटित किये गये जिससे 37 प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत का कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है । उक्त धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 1981 तक सुनिश्चित कराया जायेगा ।

मंत्रियों द्वारा सरकारी दौरों की विधायकों को सूचना

62—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रीगण जब किसी क्षेत्र के सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उस क्षेत्र के विधायक को भी उसकी सूचना दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम थमाइजर में कील बोर्ड का उद्योग

63—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गनिया दोली, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में कील बोर्ड बनाने का उद्योग है उस उद्योग में कितना उत्पादन इस समय हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन—

गनियादोली तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में ऐसी कोई इकाई नहीं है । गनियादोली के पास थमाइजर नामक ग्राम में नट व बोल्ट बनाने की एक इकाई स्थापित है । प्राप्त सूचना के अनुसार बिजली का भुगतान न करने के कारण इकाई का कनेक्शन काट दिए जाने के कारण इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।

मोहन तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में स्थापित उद्योग

64—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहान, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में 31-10-80 तक कितने उद्योग स्थापित हुए हैं ? उनमें कौन-कौन उद्योग चल रहे हैं ? शासन ने इन उद्योगों के निर्माण के लिये कितना धन दिया है ? कितने युवक युवकों को उनमें रोजगार दिया गया है ?

श्री नियाज हसन—

मोहान तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 31-10-80 तक कोई उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेज, अल्मोड़ा में अध्यापकों के रिक्त स्थान की पूर्ति

65—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं एवं शासन द्वारा अभी तक रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की गयी है ? क्या शासन ने हिल कैडर के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित व योग्य युवक व युवतियों को उन स्थानों पर नियुक्त करने का सरकार ने विचार किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फिटर अनुदेशक, श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव का वेतन भुगतान तथा दक्षतारोक

66—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0 . देवरिया के फिटर अनुदेशक श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव का दिनांक 1-2-73 से 30-4-73 तक का ड्यूटी वेतन नहीं दिया गया है ? और 1-4-68 के बजाय 1-4-71 से दक्षता रोक पार करने दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव को दिनांक 8-2-73 से दिनांक 30-4-73 तक (न कि 1-2-73 से 30-4-73 तक) की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि इस अवधि में इन्हें कार्यरत, नहीं माना गया । श्री श्रीवास्तव के कार्य का मूल्यांकन करने के उपरान्त इन्हें 1-4-68 से दक्षतारोक पार कराने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । अतः इन्हें दिनांक 1-4-68 के बजाय 1-4-71 से दक्षतारोक पार करने की अनुमति दी गयी ।

प्रौढ़ शिक्षा की प्रस्तावित योजना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच

67—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में कितनी पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रौढ़ शिक्षा की सेवाओं के लिए भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र अगस्त, 1979 में प्राप्त हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पास प्रौढ़ शिक्षा क्रेन्द्र चलाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रौढ़ शिक्षा की प्रस्तादित योजना के आवेदन पत्र अब भी विचाराधीन हैं ? क्या यह भी सत्य है कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध राजकीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यों में तथा स्कूलों की गरम्मत में धन के दुरुपयोग व अनियमितताओं की जांच के आदेश के कारण प्रौढ़ शिक्षा की आख्यायें रुकी पड़ी हैं ? यदि यह सच है, तो क्या सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रौढ़ शिक्षा सेवा कार्य लेने के लिए उनके जिला स्तर पर रुके हुए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जाने के आवेदन पत्रों पर शीघ्र विचार करके भारत सरकार को वित्तीय सहायतार्थ आख्या प्रेषित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता के योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में किसी पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था का आवेदन-पत्र अगस्त 1979 में प्राप्त नहीं हुआ था । केवल एक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था "वीमेन आफ इंडिया सोसाइटी शाहजहांपुर" का तद्विषयक आवेदन पत्र मई, 1979 में प्राप्त हुआ था । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने इस आवेदन पत्र पर जांच हेतु उपरोक्त संस्था से अभिलेखों की मांग लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार की परन्तु उसके पदाधिकारियों ने न कोई अभिलेख दिखाये और न प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के बारे में कोई जानकारी दी । इसी कारण यह आवेदन पत्र विचाराधीन रहा जो कि अब शिक्षा निदेशालय के प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग में जिलाधिकारी शाहजहांपुर की आख्या सहित प्राप्त हो गया है । यह सत्य नहीं है कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध तथाकथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के कारण उपर्युक्त संस्था के संबंध में आख्या रुकी रही । प्रश्नगत आवेदन-पत्र भारत सरकार को भेजना सम्भव नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी ने उसे असंस्तुत किया है । सम्प्रति भारत सरकार केन्द्रीय सहायता के नये प्रस्तावों पर विचार भी नहीं कर रही है ।

ब्लाक आर्गनाईजर्स के रिक्त पदों की भर्ती तथा स्थायीकरण

68—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र के 4थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 70-71 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या होमगार्ड मंत्री कृपया बतायेंगे कि भर्ती तथा स्थायीकरण के कार्य की क्या प्रगति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

ब्लाक आर्गनाईजर्स के रिक्त पदों को भरने तथा उनके अस्थायी पदों को स्थाई करने के संबंध में प्रश्न संख्या 70-71 के उत्तर में बताई गयी स्थिति अभी विद्यमान है । इस संबंध में शासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति नियम

69—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति/तदर्थ नियुक्ति का क्या नियम है और अब तक कितने अनुदेशक, गोरखपुर जनपद के प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस विषय से लाभान्वित हुए हैं और कितने इससे वंचित रहे हैं ? वंचित होने का स्पष्टीकरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राविधिक शिक्षा विभाग में शासन की सामान्य नीति के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक रिक्त पदों पर राज्य स्तर पर अर्हता उपयुक्तता एवं ज्येष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति की जाती है । अतएव, गोरखपुर के किसी अनुदेशक का अलग से प्रोन्नति/नियुक्ति करने अथवा वंचित रहने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उद्योग कार्यालय, जौनपुर में अनियमितताएं

70—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद का जिला उद्योग कार्यालय एक वर्ष के अन्दर तीन भवनों में बदला गया ? क्या यह भी सत्य है कि चपरासी व क्लर्क के पदों पर अनियमित ढंग से इस विभाग में जौनपुर जनपद में जुलाई, 1980 से अब तक नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? क्या इन अनियमितताओं को शीघ्र दूर करने की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार 15-7-80 को तीन और 20-8-80 को दो लिपिकों की तदर्थ नियुक्तियां एक सीमित अवधि के लिये की गई ।

उपरोक्त सभी नियुक्तियां 1-10-80 को समाप्त कर दी गयी है ।

लखनऊ के सरकारी आवास पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी

71—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के कितने लोग लखनऊ के सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे लोग भी इन आवासों में रह रहे हैं जो या तो सेवा निवृत्त हैं या स्थानान्तरित हो गये हैं ? क्या ऐसे लोग भी इनमें रहते हैं जिनका नगर में अपना निजी मकान है ? इन निवासियों को खाली कराने की क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम कर्मेठिया जनपद बस्ती के श्री राम लखन चौधरी की हत्या की जांच संबंधी आवेदन-पत्र

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम अर्मेठिया के एक रिटायर्ड पी0 ए0 सी0 हवलदार श्री द्वारिका प्रसाद ने अपने छोटे भाई श्री राम लखन चौधरी की हत्या के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र 20 अगस्त, 1980 को गृह सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और कार्यवाही क्या हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत आवेदन पत्र श्री राम भरोसे पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद का था । आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । हत्या के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गयी जिससे स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी विवेचना त्रुटिहीन पायी गयी । अन्य आरोपों की भी जांच करायी गयी जो अप्रमाणित रहे ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 376 पर)

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के नन्हू पासी हरिजन के घर पड़ी डकैती

73—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को यह पता है कि विगत दिनांक 16-8-80 को ग्राम बंदौली बुजुर्ग, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के नन्हू पासी हरिजन के यहां पड़ी डकैती की जांच दिनांक 25-10-80 को हरिजन सेल द्वारा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक दोषी व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, इस डकैती के संबंध में थाना हसनगंज जनपद उन्नाव में पंजीकृत अभियोग संख्या 171 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 की विवेचना के बारे में थाना हसनगंज की पुलिस के विरुद्ध श्री नन्हू पासी के आवेदन पत्र दिनांक 10-10-80 को जांच पुलिस अधीक्षक विशेष जांच द्वारा की गयी । जांच में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हो सके, किन्तु इस मामले में वादी एवं प्रतिवादी की आपसी मैमनस्यता तथा पार्टीबन्दी को देखते हुए इसकी विवेचना जिला हरिजन सेल के प्रभारी अधिकारी के सुपुर्द कर दी गयी है । विवेचना जारी है ।

74—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम माल जिला लखनऊ निवासी श्री मुन्ना लाल आर्या का अवैध कब्जा करने संबंधी प्रार्थना-पत्र

75—श्री मुख्तार अनीस—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम माल, थाना माल, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ निवासी मुन्ना लाल आर्या आदि ने अपने मकान पर जबरदस्ती तथा अवैध रूप से कब्जा करने के सन्दर्भ में दिनांक 17-6-80 से

4-11-80 तक थाना इन्चार्ज माल विशेखम्बारी माल जवाहर भवन एस0 एस0 पी0 लखनऊ तथा गृह-सचिव, को कितने प्रार्थना पत्र दिया ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मुन्ना लाल आर्या नामक व्यक्ति का इस विषय पर कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हमीरपुर में यमुना व बेतवा पुलों के पथ कर की नीलामी

77—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में यमुना नदी और बेतवा पुलों की नीलामी की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां । जनपद हमीरपुर में यमुना व बेतवा पुलों के पथ कर की नीलामी का प्रश्न विचाराधीन था जिस पर निर्णय ले लिया गया है । और पुनः नीलामी कराने के आदेश दिनांक 27-12-80 को जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद हमीरपुर में भवन विहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल

78—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कितने ऐसे बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं और जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं है और उनका विकास खण्डवार क्या विवरण है और अब नए भवन बनाने की क्या योजना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद हमीरपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में से 144 प्राइमरी स्कूल तथा 30 जूनियर हाई स्कूलों के भवन नहीं है । इन भवनहीन स्कूलों का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । वर्ष 1979-80 में जनपद हमीरपुर में 6 प्राइमरी तथा 6 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया । वर्ष 80-81 में 3 प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है । अगले वर्षों में धन की उपलब्धता के आधार पर और अन्य जिलों की आवश्यकता को दृष्टिकोण में रखते हुए ही और भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 378 पर)

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल भोजपुर, रायबरेली का बकाया वेतन

79—श्री मित्रसेन यादव—

क्या यह सही है कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव प्रधान अध्यापिका कन्या जूनियर हाई स्कूल, भोजपुर रायबरेली का मई, जून, 1974 तथा जनवरी, मार्च, अप्रैल, 1980 का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अनियमितताएं

80—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उनके कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की शिकायतें शासन एवं विभाग को 1 अप्रैल, 1977 से 31 जुलाई, 1977 के बीच प्राप्त हुई ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थी और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गई ? जांच के क्या परिणाम निकले और शासन ने दिनांक 27-10-80 तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । सर्वश्री उमा शंकर सिंह, अध्यक्ष एवं राम जनम सिंह, जिला मंत्री उ0 प्र0, माध्यमिक शिक्षक संघ का पत्र दिनांक 23 मई, 1977 तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ, शाखा इकाई, मौलाना आजाद इंटर कालेज, अजान शहीद, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1977 प्राप्त हुआ ।

शिकायती-पत्र दिनांक 23 मई, 1977 में अधिकारों के दुरुपयोग, नियमों की अवहेलना, नियुक्तियों का अनियमित अनुमोदन, वेतन का अनियमित भुगतान, प्रबन्धकीय एवं सेवा सम्बन्धी मामलों में भ्रष्टाचार, पक्षपात, जातिवाद, मामलों के निस्तारण आदि में बिलम्ब के प्रमुख आरोप तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ श्री हरि प्रसाद तिवारी पर लगाये गये । प्रश्नगत जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई गई ।

शिकायती पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1977 पर जांच के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये थे । प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली कार्यालय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर, जिन्हें यह जांच सौंपी गई थी, में उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जांच कर ली गई है और प्रश्नगत शिकायती पत्र के गायब होने के लिये उत्तरदायी पाये गये मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के तत्कालीन शिविर लिपिक के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रसारित किये गये हैं ।

इसके साथ ही शिक्षा निदेशक, से कहा गया है कि वे उपर्युक्त शिकायती-पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1977 की प्रतिलिपि प्रभावशाली ढंग से प्रयास कर, अध्यक्ष

माध्यमिक शिक्षक संघ, इकाई शाखा मौलाना आजाद इंटर कालेज, आजान शहीद, आजमगढ़ से प्राप्त करें तथा उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाने पर उसमें लगाये गये आरोपों की जांच करवा कर जांच आख्या अपनी संस्तुति सहित तुरन्त शासन को भिजवाये ताकि उस पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

शिकायती-पत्र दिनांक 23 मई, 1977 में की गयी जांच में कोई दोष प्रमाणित नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जौनपुर जनपद में पुल का निर्माण

81—श्री जंगबहादुर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-8-80 को प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा जौनपुर जनपद में पिलकिछा पुल निर्माण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री को कोई प्रार्थना-पत्र मिला था ? यदि हां तो उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद सीतापुर में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित (पुरुष एवं महिला) अभ्यर्थी

82—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री हरगोविंद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय सीतापुर जिले में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित कितने व्यक्ति (दोनों पुरुष तथा महिला) बेरोजगार है ? इन्हें रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद सीतापुर में इस समय बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित (पुरुष एवं महिला) अभ्यर्थी कुल 695 है ।

सेवा निवृत्त, मृत्यु एवं पदोन्नति से हुए रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां की जाती है । इसके अतिरिक्त नये खुलने वाले स्कूलों में हुए नव-सृजित पदों को भी इन बी0 टी0 सी0 बेरोजगारों से भरा जाता है ।

होमगार्ड विभाग में जिला कमान्डेन्टों को सेलेक्शन ग्रेड

83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री (होम गार्ड) कृपया बतायेंगे कि होमगार्ड विभाग में वर्ष 1978-79 में कुछ जिला कमान्डेन्टों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ? यदि हां, तो ग्रेड देने का आधार क्या था ? क्या भारत सरकार से उसकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा की सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के यात्रा-भत्ता का भुगतान

84—श्री मुख्तार अनीस—

क्या शासन को ज्ञात है कि जनपद इटावा की सहायक बालिका विद्यालय की निरीक्षिकाओं का विगत कई वर्षों का (वर्ष 73 से 78 तक) यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कौड़ीराम-गजपुर मार्ग, जिला गोरखपुर का निर्माण

85—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कौड़ीराम-गजपुर मार्ग, जिला गोरखपुर, जिसकी लम्बाई लगभग 9 कि0मी0 है, का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 11 फरवरी, 1980 को तत्कालीन सा0 नि0 वि0 मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

कौड़ीराम-गजपुर मार्ग की लम्बाई 8 कि0मी0 है जिसमें से कौड़ीराम की तरफ से 4 कि0 मी0 लम्बाई पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है । इसे शीघ्र पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नगत पत्र दिनांक 11 फरवरी, 1980 की प्राप्ति के संबंध में अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गगहा-रकहट बांध का पक्की सड़क के रूप में निर्माण

86—श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के गगहा-रकहट बांध को पक्की सड़क के रूप में निर्माण करायेंगे और जनता को यातायात सुविधा प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संस्थागत छात्र श्री जानकी प्रसाद, म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, सीतापुर का प्रमाण-पत्र

88—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत छात्र श्री जानकी प्रसाद, म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बिसवां, जिला सीतापुर अनुक्रमांक 8165 पूरक परीक्षा, 1968 का प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा अभी तक उक्त विद्यालय या परीक्षा केन्द्र को नहीं भेजा गया जिससे छात्र का भविष्य अंधकारमय हो गया ? यदि हां, तो प्रमाण-पत्र न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य को प्रेषित किया जा चुका है ।

पटना एवं मोहन अनुचर कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला गोण्डा का शिकायती-पत्र

89—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 80, मार्च 80, जून 80 में पटना एवं मोहन अनुचर कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला गोण्डा का पत्र प्राप्त हुआ था यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उपलब्ध सूचनानुसार मार्च, 80 तथा जून, 80 में पत्र प्राप्त हुए थे । उनमें बकाया वेतन वेतन की धनराशि के कम भुगतान होने की मुख्य शिकायत थी । जांच किये जाने पर उसे निराधार पाया गया ।

सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नसीपुर, जिला बाराबंकी में प्रधानाचार्य के चयन में अनियमितताएं

90—श्री राम लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 नवम्बर, 1978 को अथवा उसके आसपास किसी दिन शिक्षा सचिव को श्री जगत नारायण मिश्र ग्राम नवनियापुर, पोस्ट सूर्यपुर, जिला बाराबंकी द्वारा सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नसीपुर, जिला बाराबंकी में प्रधानाचार्य के चयन में घोर अनियमितताएं की गयीं हैं ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है और शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्नगत विषय पर श्री जगत नारायण मिश्र का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1978 शासन को प्राप्त हुआ था । इस पत्र में मुख्य शिकायत यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर श्री शारदा प्रसाद सिंह का चयन निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अतिक्रमण करके किया गया है ।

श्री मिश्र के उक्त शिकायती-पत्र पर संबंधित अधिकारियों से शासन द्वारा आख्या मांगी गयी थी । श्री शारदा प्रसाद सिंह के शिक्षण अनुभव के संबंध में जांच

करने हेतु विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी द्वारा प्रबंधक से मूल प्रमाण-पत्र मांगे गये थे किन्तु प्रबंधक ने वांछित पत्रादि प्रस्तुत नहीं किए । अतः प्रबंधक को उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा सूचित किया गया था कि श्री शारदा प्रसाद सिंह चयनित अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत न किए जाने के कारण चयन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । श्री शारदा प्रसाद सिंह ने उप शिक्षा निदेशक के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका योजित कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं । अतः प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को ऐच्छिक सेवा निवृत्ति तथा पेंशन

91—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय कर्मचारियों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के स्थायी प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को बीस वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद ऐच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की दशा में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा है ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक मिलने की सम्भावना है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 'हाफ-ए-मिलियन जाब' प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रशिक्षित परीक्षार्थियों को रोजगार

92—श्री राम लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1973 में प्रशिक्षण द्वारा रोजगार देने की कोई योजना लागू की गई थी । यदि हां, तो इस योजना में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और कितने प्रशिक्षित शेष हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 'हाफ-ए-मिलियन जाब' प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 तथा 74-75 में दो योजनाएं चलाई गई थी । योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित परीक्षार्थियों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 4 परीक्षार्थियों को अवर अभियन्ता तथा 55 को लिपिक पदों पर रोजगार दिया गया । 725 प्रतिशत लोग रहे, जिन्होंने कहां रोजगार प्राप्त किया, यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के बाजार हरिगांव में सिपाही श्री बद्री प्रसाद तिवारी द्वारा जबरन लूट संबंधी शिकायती-पत्र

93—श्री राम लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मधुवन सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 5-9-80, जिसमें जनपद सुल्तानपुर के

थाना जगदीशपुर के बाजार हरिगांव में सिपाही बद्री प्रसाद तिवारी द्वारा जबरियां लूट के विरुद्ध शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के माध्यम से कराई गई है । जांच से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध हुआ है फलतः सिपाही श्री बद्री प्रसाद तिवारी, चौकी जामों, थाना जगदीशपुर के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 161 आई0पी0सी0/5(2) भ्र0 नि0 अधिनियम थाना जगदीशपुर में पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है ।

अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के स्थायी अध्यापकों की न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि

94—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय स्थायी जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि क्या है जिसके अन्तर्गत वे रिटायरमेंट ले सकें ? क्या शासन सेवा अवधि निश्चित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह अवधि 25 वर्ष है ।

सहायक अभियन्ता, अस्थायी खण्ड देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

95—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जुलाई, 1980 को सहायक अभियन्ता अस्थायी खण्ड देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो जांच में कौन से तथ्य सामने आए और प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

शिकायतकर्ता का दिनांक 5 जुलाई, 1980 का कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ बल्कि दिनांक 15 जुलाई, 1980 का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच कराई जा रही है ।

प्राइमरी स्कूल महराज सिंह नगर, बहराइच में प्रधान अध्यापक श्री अमर सिंह की अनुपस्थिति तथा स्थानान्तरण

96—श्री जटा शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के नानपारा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मिहीपुरवा के अन्तर्गत स्थित प्राइमरी स्कूल महराज सिंह नगर के प्रधान अध्यापक श्री अमर सिंह, विगत डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय तक बराबर स्कूल से अनुपस्थित रहे और स्कूल बन्द रहा है । इस दुष्कृत्य के दण्ड स्वरूप उनका केवल चार माह का ही वेतन विभाग द्वारा रोका हुआ है । बिना अध्यापन कार्य

एवं उपस्थिति के अन्य मासों का वेतन दिए जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त सम्बन्धित अध्यापक श्री अमर सिंह का स्थानान्तरण उक्त महराज सिंह स्कूल से उनके निवास स्थान के एक किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले स्कूल पर ब्लाक हुजूरपुर, जनपद बहराइच में विगत मास अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1980 में उक्त अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता के बावजूद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राइमरी पाठशाला महराज सिंह नगर में श्री अमर सिंह प्रधान अध्यापक के पद पर दिनांक 20-9-79 से कार्यरत हैं । इस प्रकार उक्त विद्यालय में इनका कार्यकाल अब तक 1 वर्ष 5 माह का होता है । विगत 1 वर्ष 6 माह से अध्यापक के अनुपस्थित रहने तथा विद्यालय बन्द होने की एक शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को 5-7-80 के पूर्व नहीं प्राप्त हुई । शिकायत की जांच करके अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण वेतन माह अगस्त एवं सितम्बर, 1980 का रोक दिया गया और अध्यापक से अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण मांगा गया । प्रधान अध्यापक श्री अमर सिंह ने स्वीकार किया है कि अधिक वर्षा के कारण स्कूल के चारों ओर पानी भर जाने से 5-7-80 से 21-8-80 तक स्कूल बन्द कर दिया गया था । स्कूल से अनुपस्थिति के कारण इनका वेतन माह अगस्त तथा सितम्बर, 1980 का रोक दिया गया । चूंकि माह जुलाई, 1980 का वेतन आहरित हो चुका था, इस कारण अगस्त एवं सितम्बर, 1980 का वेतन रोका गया ।

श्री अमर सिंह का स्थानान्तरण नहीं किया गया । श्री सिंह को प्राइमरी पाठशाला, सहसलामपुर (हुजूरपुर) को दिनांक 4-11-80 से 16-1-81 तक सम्बद्ध विशेष परिस्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए किया गया था । यह कार्यवाही विशेष परिस्थितियों में, अध्यापक द्वारा पत्नी के चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर की गई थी ।

नानपारा विधान सभाई क्षेत्र में अध्यापकों की लगातार अनुपस्थित से बन्द प्राइमरी स्कूल

97—श्री जटा शंकर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के चौथे मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र की प्राप्ति 16 जून, 1980 से 6 सितम्बर, 1980 तक की अवधि अर्थात् ढाई मास से भी अधिक समय तक इतने लोक महत्व की जांच एवं कार्यवाही को लम्बित रखे जाने के क्या कारण है तथा अनुपस्थित पाये गये अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय में अनुसचिव के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन

98—श्री बिहारीलाल दोहरे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 से 1-12-80 तक अनुसचिव के पदों के लिए कब-कब तथा कितने-कितने पदों के लिए तदर्थ चयन किया गया है और प्रत्येक बार कितने अनुसूचित जाति के अनुसचिवों का चयन किया गया ?

क्या यह सही है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चुनने से छोड़ भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

1 जनवरी, 1978 से 1 दिसम्बर, 1980 के बीच सचिवालय में अनुसचिव के पदों के लिए समय-समय पर किए गए तदर्थ चयनों से सम्बन्धित वांछित सूचना निम्न तालिका में प्रस्तुत है :—

चयन का माह व वर्ष	पदों की संख्या जिनके लिए चयन किया गया	अनुसूचित जाति के अधिकारी, जिनका चयन हुआ
जनवरी, 1978	1	—
अप्रैल, 1978	13	2
अगस्त, 1978	2	1
सितम्बर, 1978	1	—
जनवरी, 1979	8	1
अगस्त, 1979	9	—
मार्च, 1980	4	—
सितम्बर, 1980	10	—

यह सही है कि अगस्त, 1978 में जब दो रिक्तियों के लिए तदर्थ चयन किया गया था उस समय एक आरक्षित रिक्ति के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को इस-लिए नहीं चुना जा सका था क्योंकि सेवा अभिलेखों के आधार पर उन्हें अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।

टाउन एरिया कुशवली, जिला मैनपुरी में बी0 क्लास हिस्ट्रीशीटर

99—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया कुशवली जिला मैनपुरी में ऐसे बी0 क्लास के हिस्ट्रीशीटर कितने हैं जिनको हथियारों के लाइसेन्स मिले हुए हैं ? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार टाउन एरिया कुशवली, जिला मैनपुरी में बी0 क्लास के किसी भी हिस्ट्रीशीटर को हथियारों का लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

राजकीय विद्यालय इण्टर कालेज, ललितपुर की प्राचार्या श्रीमती सुशीला सिंघल से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

100—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री (राज्य) बताने की कृपा करेंगी कि सितम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में राजकीय विद्यालय इण्टर कालेज, ललितपुर की प्राचार्या श्रीमती सुशीला सिंघल से सम्बन्धित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं तथा सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । सितम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में रा0 क0 इ0 का0, ललितपुर की प्राचार्या श्रीमती सुशीला सिंघल से सम्बन्धित कोई भी शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः कथित शिकायती-पत्र के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

101—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के मंत्रियों की दिल्ली में उपस्थिति

102--श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल के कौन-कौन से सहयोगी 20 जून, 1980 से 25 जून, 1980 के बीच में दिल्ली में उपस्थित थे ? इनमें से किन-किन लोगों ने किन-किन तारीखों का दैनिक भत्ता लिया है तथा यह रकम प्रति मंत्री प्रति दिन कितनी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सर्वश्री—

(1) ब्रह्म दत्त मंत्री
(2) वीर बहादुर सिंह, मंत्री
(3) लोक पति त्रिपाठी, मंत्री
(4) बलराम सिंह यादव, मंत्री
(5) अब्दुल रहमान खां गश्तर (तत्कालीन मंत्री)
(6) जगदीश प्रसाद, मंत्री
(7) राम सिंह खन्ना, मंत्री
(8) यशपाल सिंह (तत्कालीन मंत्री)
(9) विद्याभूषण, मंत्री
(10) अम्मार रिजवी, मंत्री
(11) श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (तत्कालीन राज्य मंत्री)
(12) चन्द्र मोहन सिंह नेगी, राज्य मंत्री
(13) राम नारायण पाठक, राज्य मंत्री
(14) हरी सिंह बाल्मीकी, राज्य मंत्री
(15) मोहम्मद अनीस अन्सारी (राज्य मंत्री)

20 जून, 1980 से 25 जून, 1980 के बीच में दिल्ली में उपस्थित थे।

मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह की किच्छा रोड में ट्रक दुर्घटना से मृत्यु

103–श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 18-3-73 को श्री हिम्मत सिंह पुत्र लच्छम सिंह की मोटर मालिक श्री राजेन्द्र सिंह ट्रक नं0 6013 यू0एस0आर0 किच्छा रोड हल्द्वानी (नैनीताल) रोड में ट्रक दुर्घटना से मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो शासन ने मृतक परिवार को क्या सहायता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

जी हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार शासन द्वारा मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई । उक्त दुर्घटना एक निजी व्यक्ति के ट्रक से हुई थी । अतः शासन के ऊपर कोई आर्थिक सहायता देने का दायित्व नहीं आता ।

प्रदेश में जे0टी0सी0 अध्यापकों की संख्या व उनका सी0टी0 ग्रेड

104–श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रांतीकृत जे0 टी0 सी0 अध्यापकों की संख्या 1-12-80 तक कितनी है क्या उन्हें सी0टी0ग्रेट दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुमारी रामबेटी सहायक अध्यापिका, चन्द्र कुमारी ज्वाला शंकर इण्टर कालेज शमसाबाद के विरुद्ध आरोप

105–श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी रामबेटी सहायक अध्यापिका चन्द्र कुमारी ज्वाला शंकर इण्टर कालेज शमसाबाद जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-9-80 शासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था । मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा विद्यालय के प्रबंध-तंत्र से आख्या मांगने पर प्रबंध समिति ने कु0 रामबेटी पर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता आदि के आरोप लगाते हुए उनकी प्रोन्नति के संबंध में असहमति व्यक्त की । निरीक्षिका ने विद्यालय की प्रबंध समिति से कु0 रामबेटी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में साक्ष्य मांगे है ।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की परीक्षाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन तथा टी0 ए0, डी0 ए0, पारिश्रमिक व्यय

106--श्री पंचानन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1980 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की किन-किन परीक्षाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन फैजाबाद में कराया गया और उस पर अलग-अलग मदों जैसे टी0ए0, डी0ए0, पारिश्रमिक एवं रिफरेशमेन्ट पर कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या परीक्षाओं के समुचित संचालन हेतु किसी उड़ाका दल का भी गठन किया गया था ? क्या यह सही है कि इन सब सावधानियों के बाव-जूद 20-9-80 तक परीक्षाफल घोषित नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1980 की परीक्षा में अवध विश्वविद्यालय द्वारा बी0 ए0 भाग एक तथा दो की, का0 सु0 साकेत महाविद्यालय फैजाबाद तथा राजामोहन महिला महाविद्यालय फैजाबाद को छोड़कर, अन्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों का केन्द्रीय मूल्यांकन कराया गया था ।

उक्त केन्द्रीय मूल्यांकन में टी0ए0, डी0ए0 पर रु0 48,253·00 पारिश्रमिक पर रु0 1,09,527·00 एवं रिफ्रेशमेन्ट पर रु0 1,918·00 का व्यय हुआ ।

जी हां ।

जी नहीं । एम0 काम0 पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध, एम0 ए0--दर्शन शास्त्र, उर्दू अंग्रेजी, समाज शास्त्र अर्थ शास्त्र (उत्तरार्द्ध) मनोविज्ञान (उत्तरार्द्ध) भूगोल (पूर्वार्द्ध) संस्कृत (उत्तरार्द्ध) हिन्द (पूर्वार्द्ध) एवं राजनीति शास्त्र (उत्तरार्द्ध) के परीक्षाफल 20-9-80 के पूर्व ही घोषित हो गए थे । शेष परीक्षाफल भी समय से घोषित कर दिए गए थे ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल पपरदा, बांदा की सहायक अध्यापिका श्रीमती पार्वती देवी का बकाया वेतन

107–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल पपरदा बांदा की सहायक अध्यापिका (श्रीमती पार्वती देवी) का जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 का वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो भुगतान पाने वाला कौन व्यक्ति था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कन्या जूनियर हाई स्कूल पपरदा जनपद बांदा की सहायक अध्यापिका श्रीमती पार्वती देवी का जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक की अवधि में मास सितम्बर एवं अक्टूबर, 1977 का वेतन छोड़कर शेष अवधि का वेतन श्रीमती पार्वती देवी को अध्यापिकाओं एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से निम्न प्रकार भुगतान किया गया :

(1) जुलाई, 77 से अगस्त, 77 का वेतन का वितरण श्रीमती रामकुमारी सहायक अध्यापिका के माध्यम से किया गया है ।

(2) नवम्बर, 1977 से अप्रैल, 1978 तक की अवधि का वेतन श्रीमती पार्वती देवी ने स्वयं क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त किया ।

(3) मई, 1978 का वेतन श्रीमती रामबाई, सहायक अध्यापिका के माध्यम से श्रीमती पार्वती देवी को वितरित किया गया ।

(4) जून, 1978 से अगस्त, 1978 तक का वेतन श्रीमती पार्वती देवी को उसी विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती अन्नपूर्णादेवी के माध्यम से वितरित हुआ है ।

(5) सितम्बर, 1978 का वेतन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने ही यह वेतन प्राप्त कर मनीआर्डर द्वारा श्रीमती पार्वती देवी को भुगतान किया ।

माह सितम्बर एवं अक्तूबर, में श्रीमती पार्वती देवी विद्यालय से अनुपस्थिति रही जिसके कारण इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

बी0 के0 हा0 सेकेण्डरी स्कूल, कानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही

108—श्री गोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि बी0के0हा0 सेकेण्डरी स्कूल कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव) ने माह जून सन् 1978 में जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर को गवाहों सहित कोई इस विषय की दरख्वास्त दी थी कि उक्त स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें चकमा देकर उनका 4 माह का वेतन लेकर हड़प लिया है ?

यदि हां, तो उनकी इस दरख्वास्त पर प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

109—श्री गोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी0के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सर्व श्री छोटेलाल दिवाकर तथा मुन्शीलाल) ने 22 जून, 1978 से 2 दिसम्बर, 1980 तक पृथक-पृथक व सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को जो दरख्वास्तें प्रेषित की है उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के छः कर्मचारियों की सेवा वर्ष 1979 में समाप्त कर दी गई थी । जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा उक्त सेवा समाप्ति अवैधानिक एवं अनियमित घोषित की गयी । निरीक्षक के इस आदेश के विरुद्ध संस्थाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गई एवं उक्त 6 कर्मचारियों के स्थान पर 5 नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई । उच्च न्यायालय द्वारा नवीन नियुक्त 5 कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं । प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय का निर्णय हो जाने पर उसके परिप्रेक्ष्य में ही सर्वश्री छोटे लाल दिवाकर तथा मुंशी लाल के वेतन भुगतान सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

110--111—श्री राम स्वरूप वर्मा--

[दूसरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उरई जनपद में हत्या की घटनाएं

112—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि उरई जनपद में जून, 1980 से नवम्बर 1980 तक कितनी हत्या की घटनाएं हुई हैं तथा कितने अभियुक्त बन्दी बनाये गये और अभी तक कितने अभियुक्त फरार है ? फरार अभियुक्तों के नाम क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

प्रदेश में उरई नाम का जनपद कोई नहीं है । अतः वांछित सूचना देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों में अनियमितताएं

113–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 1975 के प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगदीश प्रसाद–

अपनी जांच आख्या में अधीक्षण अभियंता ने टिहरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों में अनियमितताएं तथा आवश्यकता से अधिक कार्य प्रभारी कर्मचारी रखे जाने के कारण 60 लाख रुपए की हानि होने के आरोपों की जांच की थी । जांच आख्या में कुछ आरोप सत्यापित पाए गए थे, जिसके फलस्वरूप दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया गया है और तीन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ।

मथुरा जनपद में इण्टरमीडिट कालेज की प्रबन्ध समिति का चुनाव

114–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ऐसे कितने इण्टरमीडिट कालेज हैं जिनकी प्रबन्ध समिति के चुनाव गत 15 वर्षों से नहीं हुए हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों तथा शिक्षा मंत्री ऐसी प्रबंध समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कोई नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के सेवा निवृत्त अध्यापकों की पेंशन का भुगतान

115–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् जिला सीतापुर के अधीन चलने वाले प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने के बाद वर्ष 70 में तथा उसके बाद अवकाश प्राप्त करने वाले ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्हें अभी तक पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों यह धन कब तक मिलना प्रारम्भ हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जुलाई 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषद् की सेवा से सेवा निवृत्त प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के विषय में जो अभिलेख जिला परिषद् द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुए उनके अनुसार वर्ष 1970 में 38 और वर्ष 1971 में 11 अध्यापक सेवा निवृत्त हुए और उनमें

से सभी अध्यापकों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । बेसिक शिक्षा परिषद् के गठनोंपरान्त सेवानिवृत्त तथा सेवाकाल में मृतक अध्यापकों की कुल संख्या 163 है जिनमें से 120 अध्यापकों को पेंशन मिल रही है । शेष 43 अध्यापकों के प्रकरण में पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । इन पेंशन प्रकरणों में विलम्ब का कारण यह है कि कुछ मामलों में संबंधित व्यक्तियों ने आवश्यक पत्रजात नहीं भेजे है और दो मामलों में अध्यापक जेल में है । कुछ मामलों में अपूर्ण पत्रजात भेजे गए है जिन मामलों में पूर्ण पत्रजात और अभिलेख प्राप्त हो गए है उनके पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी

116–श्री मोतीलाल दहेलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर के पत्रांक/परीक्षा 408-409 दिनांकित 2-4-80 के आदेशानुसार बी0 के0 हायर सेकेंडरी स्कूल (कुर्सी खेड़ा) कानपुर के किन-किन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नेहरू हायर सेकेण्डरी स्कूल ककवन कानपुर में परीक्षा के समय भेजकर वहां उनकी ड्यूटी लगायी गई है और उन्होंने किस तारीख तक वहां काम किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विद्यालय निरीक्षक कानपुर के पत्रांक परीक्षा/408-409 दिनांक 2-4-80 द्वारा 6 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की डियूटी बोर्ड परीक्षा में लगाई गयी थी जिनमें से निम्नलिखित पांच कर्मचारी नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककवन में उपस्थित हुए थे ।

1--श्री राजेश्वर वर्मा

2-- '' शिव शंकर

3-- '' चन्द्र कुमार सिंह

4-- '' छोटे लाल दिवाकर

5—, , मुन्शी लाल

उक्त कर्मचारियों ने परिषद् की मुख्य परीक्षा में दिनांक 3-4-80 से 26-4-80 तक कार्य किया । तत्पश्चात पुनः परीक्षा में दिनांक 10-5-80 से 15-5-80 तक तथा जू0 हा0 स्कूल परीक्षा में 24-4-80 से 7-5-80 तक कार्य किया ।

राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का चयन

117–श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु प्रदेश के किन-किन प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का चयन किया गया है तथा कब तक उनके नामों की घोषणा की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

राष्ट्रीय पुरस्कार–1980 के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का चयन किया गया है :

प्राथमिक स्तर

1–श्री गिरजा शंकर भट्ट
2–श्री रतन राम
3–श्री कृष्ण नारायण श्रीवास्तव
4–श्री बाबूलाल जैन
5–श्री राम स्वरूप रावत
6–श्री बुद्धिसागर पाठक
7–श्रीमती वसन्ती शर्मा
8–श्री मुनीश चन्द्र विश्नोई

माध्यमिक स्तर

1–श्रीमती चन्द्रभान मेहरा
2–श्री दूधनाथ सिंह
3–श्री सुल्तान सिंह चौहान
4–श्री कुलानन्द भट्ट

संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापक

1–श्री रामादर्श पाण्डेय
2–श्री सुरेन्द्र दत्त अवस्थी

अरबी/फारसी मदारसों के अध्यापक

1–श्री मौलवी सिद्दीक हसन

उपर्युक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के नामों की घोषणा भारत-सरकार द्वारा 11-2-1981 को की गयी ।

मैनेजिंग डाइरेक्टर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा रेजीडेन्ट इन्जीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर प्रोन्नति

118–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि मैनेजिंग डाइरेक्टर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने पिछड़े वर्ग के लिए रेजीडेन्ट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर वर्ष 1979 में कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रोन्नति दी है ? क्या यह सही है कि जिन रेजीडेन्ट इंजीनियरों को प्रोन्नति दी गई थी उनकी प्रोन्नति राष्ट्रपति शासन काल में समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद–

एक व्यक्ति को प्रोन्नति दी गयी थी जिसे 11-3-80 को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था क्योंकि उसकी प्रोन्नति पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ स्थानापन्न अभियन्ताओं सहित अनेक स्थानापन्न अभियन्ताओं, रेजीडेन्ट इंजीनियर (सिविल) की वरिष्ठता के प्रतिकूल थी ।

जिला मैनपुरी के पुलिस विभाग में कार्यरत गजटेड आफिसर

119--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पुलिस विभाग ऐसे गजटेड आफिसर कौन-कौन से हैं जिनको मैनपुरी जिले में रहते तीन साल से अधिक हो चुके हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद मैनपुरी में ऐसा कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी नहीं है जो तीन वर्ष से अधिक समय से वहां तैनात हो ।

120--श्री राम स्वरूप वर्मा—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

121—122—श्री प्रदीप कुमार यादव

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

123--124--श्री मसरूर जाफरी--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11-12 के अन्तर्गत उत्तरित]

राजकीय हाई स्कूल पाटा जिला चमोली के सेवामुक्त अध्यापक श्री कुमुन्द सिंह रावत की मृत्यु तथा उनके आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

125--श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल फाटा, जिला चमोली से 30-6-77 को सेवा मुक्त हुए अध्यापक स्वर्गीय श्री कुमुन्द सिंह रावत के परिवार वालों को उनकी ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तथा किस तिथि को उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकार की गयी है ? जो अत्यधिक देरी इनके भुगतान में हुई है, उसके लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बी0 के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, कानपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

126—श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी0के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, (कुर्सी खेड़ा) कानपुर में माह नवम्बर 1979 से फरवरी सन 1980 तक कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे और मार्च सन् 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गयी है ? नियमतः उक्त स्कूल में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखने का प्राविधान है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

127—श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[4 थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के थाना मोहाना में जीप की व्यवस्था

128—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के थाना मोहाना में अभी तक सरकारी जीप नहीं है जबकि राज्य नेपाल के सरहदी थाना होने के कारण वहां पर जीप की बहुत आवश्यकता है ? क्या सरकार तत्काल उस उक्त थाने पर जीप देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बस्ती के थाना मोहाना को जीप उपलब्ध है ।

श्री बृजलेश्वरी प्रसाद, सेवामुक्त प्रधान अध्यापक, प्रा0 पा0, बसडिलया, जिला बस्ती को भविष्य निधि का भुगतान

129—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बृजलेश्वरी प्रसाद, सेवा मुक्त प्रधान अध्यापक, प्रा0 पा0 बसडिलिया, पो0 तेतरी बाजार, जिला बस्ती को भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां

भुगतान कर दिया गया है ।

बस्ती जनपद, थाना मोहाना के सब-इंसपेक्टर के लिए क्वार्टर का निर्माण

130—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जनपद के थाना मोहाना में सब-इंसपेक्टर के रहने के लिए क्वार्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाने पर सब-इंसपेक्टर के रहने के लिए क्वार्टर बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । सीमित अर्थोपाय के कारण फिलहाल प्रश्नगत क्वार्टर के निर्माण की व्यवस्था संभव न हो पाएगी ।

बापू इंटर कालेज, सलेमपुर जनपद देवरिया में प्रधानाचार्य की नियुक्ति

131—श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बापू इण्टर कालेज, सलेमपुर, जनपद देवरिया के तथाकथित वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति कब हुई और किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत प्रधानाचार्य की नियुक्ति 9-12-75 को हुई थी । विद्यालय के प्रधानाचार्य के निवृत्तिपूर्व अवकाश पर चले जाने के परिणामस्वरूप रिक्त पद पर नियमों के अन्तर्गत तदर्थ रूप में कथित नियुक्ति की गयी ।

जनपद देवरिया में नए थाने खोलने की योजना

132—श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में कितनेथाने खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? ये थाने कब तक खुल जायेंगे ? क्या महुआडीह में भी थाना खोलने की योजना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद देवरिया में 9 नए थानों को चरणबद्ध रूप से खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है। इनमें से चार थानों (1) बघौचघाट (2) इकौना (3) गलुआनी तथा (4) सेवराही की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1980-81 में दी जा चुकी है । शेष पांच नवीन थाने (1) मइल, (2) अहरौली बाजार, (3) मदनपुरा, (4) कुबेर स्थान (5) भाटपार रानी की स्वीकृति अगले वित्तीय वर्ष 1981-82 में दिए जाने की आशा है । इन सभी थानों की स्वीकृति के पश्चात थानों के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित होने पर ये थाने विधिवत कार्य करने लगेंगे ।

इस समय महुआडीह में थाना खोलने की कोई योजना नही है।

देवरिया जनपद में बेसिक व प्राइमरी पाठशालाएं तथा उनके भवनों का निर्माण

133—श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने बे0 प्रा0 पाठशालाएं चल रही हैं ? इनमें से कितनों के पास भवन नहीं है ? जहां भवन नहीं है उसे बनवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

देवरिया जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 1801 बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं चल रही हैं जिनमें से 434 बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के पास भवन नहीं है । भवनहीन विद्यालयों के निर्माण का कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उनके निर्माण की स्वीकृति दी जाती है ।

साम्प्रदायिक दंगों में मृत व्यक्ति तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता

134—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि 13 अगस्त, 1980 से 8-12-80 तक साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस द्वारा अथवा दंगाइयों द्वारा जिलेवार मारे गए कितने व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जिले का नाम	मारे गए व्यक्तियों की संख्या जिनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई
बरेली	4
अलीगढ़	15
सहारनपुर	2
मेरठ	1
मुरादाबाद	163
इलाहाबाद	6

(इसके अतिरिक्त 88 लापता व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा उनकी मृत्यु के संबंध में दिए गए हलफनामा तथा बंधक-पत्र के आधार पर उनको मृत मानकर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई)

मुरादाबाद जिले में दंगा पीड़ितों को सहायता

135—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बतलायेगी कि 13 अगस्त, 1980 से 8-12-80 तक मुरादाबाद जिले में साम्प्रदायिक दंगे के कारण परेशान व्यक्तियों अथवा परिवार को (मरे व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता छोड़कर) राहत पहुचाने में कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उक्त अवधि में मुरादाबाद में दंगा पीड़ितों (मरे व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता छोड़कर) को राहत पहुंचाने में लगभग 11,38,466 रु0 व्यय किये गये हैं ।

जनपद बांदा में उपलब्ध बाक्साइट पर आधारित उद्योग की स्थापना

136—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में उपलब्ध बाक्साइट पर आधारित उद्योग स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

जनपद बांदा में उपलब्ध बाक्साइट पर आधारित एक "सिंथेटिक एमरी संयंत्र" की स्थापना पर उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम विचार कर रहा है ।

श्री रफी अहमद, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के पास आर्म्स का लाइसेन्स

137—श्री राम करन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा न्योतनी, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव का रफी अहमद पुत्र अब्दुल हमीद हिस्ट्रीशीटर है ? क्या यह भी सही है कि उसके पास आर्म्स का लाइसेन्स भी है और उपरोक्त व्यक्ति ने अपने सही पते से लाइसेन्स नहीं प्राप्त किया है ? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि ऐसे व्यक्तियों को क्यों लाइसेन्स दिया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री रफी अहमद की हिस्ट्रीशीट थाना हसनगंज, जिला उन्नाव में 1960 में खोली गयी थी तथा उनके चरित्र में सुधार होने के कारण 1971 में बन्द कर दी गयी । 1979 में इन्हें एक नली कारतूसी बन्दूक का लाइसेन्स अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा स्वीकृत किया गया । लाइसेन्सी के प्रार्थना पत्र में जो पता दिया गया था वह पुलिस द्वारा जांच करने के उपरान्त सही पाया गया ।

जौनपुर जनपद के जंघई रेलवे स्टेशन के पास श्री राजमणि तिवारी द्वारा चाय के दुकानदार श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय पर कातिलाना हमला

138—श्री परमाई लाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के जंघई रेलवे स्टेशन के समीप प्राइवेट बस अड्डे पर दिनांक 4-10-80 को दिन दहाड़े

श्री राजमणि तिवारी उर्फ तूफानी ने देशी तमंचे से तथा तमन्चा न फायर होने पर लाठी से कातिलाना वार श्री शारदा प्रसाद पाण्डे चाय के दुकानदार के ऊपर किया ? क्या यह सही है कि थाना इंचार्ज मीरगंज, जौनपुर ने मामले को दबा दिया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत मामले के संबंध में थाना मीरगंज, जिला जौनपुर में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गयी है । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

थाना माल, जिला लखनऊ में दर्ज डकैती की रिपोर्ट

131—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 14/15-7-80 को ग्राम पीरनगर थाना माल जिला लखनऊ में श्री बैजनाथ के यहां डकैती हुई थी जिसमें उनका कत्ल भी हुआ था और जिसका मुकदमा धारा 302 के अन्तर्गत थाना माल में कायम हो चुका था ? यदि हां, तो अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में थाना माल जिला लखनऊ पर अभियोग अन्तर्गत धारा 460/394/302 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है । अब तक की विवेचना से कोई भी अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया जिसके कारण कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है । विवेचनाधिकारी को आदेश दिये गये हैं कि शीघ्र अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास करें ।

श्री रामाश्रय शुक्ल, सहायक अध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, गोरेडीह (गोरखपुर) की बकाया ग्रेच्युटी की धनराशि

140—श्री राम धनी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला गोरेडीह, विकास क्षेत्र सहजनवां, जिला गोरखपुर के सहायक अध्यापक श्री रामाश्रय शुक्ल सन् 1964 में स्वर्गवासी हुए, किन्तु उनसे संबंधित ग्रेच्युटी आदि धनराशि अभी तक उनके परिवार वालों को भुगतान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सभापति प्राविधिक शिक्षा परिषद् का कैम्प आफिस

141—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सभापति प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का कोई कैम्प आफिस भी है ? यदि हां, तो वह कहां पर स्थित है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । कैम्प आफिस अध्यक्ष के निवास स्थान 15, कैनाल कालोनी में है ।

गोरखपुर जनपद में इण्टरमीडिएट एक्ट की धारा के अन्तर्गत प्राप्त शासन को प्रत्यावेदन

142—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के कौन-कौन से मामले में इण्टरमीडिएट एक्ट की धारा 16 (इ) (10) के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1978 से 20 सितम्बर, 1980 के बीच शासन को प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है ? उन पर कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, निम्नांकित मामलों में प्रश्नगत धारा तथा अवधि में शासन को प्रत्यावेदन प्राप्त हुए :—

(1) लेडी प्रसन्न कौर इण्टर कालेज बसडीला गोरखपुर ।

(2) गंगा स्मारक कन्या उ0 मा0 वि0 चौरा चौरी गोरखपुर/उक्त प्रथम प्रकरण के तथ्यों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय घोषित किया जायेगा तथा द्वितीय प्रकरण पर 24-4-79 को निर्णय हो चुका है ।

जिला वाराणसी के कतिपय ग्रामों में उर्दू हिन्दी माध्यम से प्राइमरी पाठशालायें खोलने पर विचार

श्री ऊदल—

143—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री 1980 के चौथे मंगलवार 23-9-80 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिंडरा असिला खंदक थाना, 2—मंगारी, गंगापुर नेवादा पाही, 3—सिधोरा सराय शंखलाड ब्लाक पिंडरा एवं 1—नवादा ताड़ी, 2—दादूपुर तिलवार, 3—कुंडी चिलबिला कुसुमुरा, 4—दड़गांव बगिया गौगकला मदनपुर, 5—बरनी, रामपुर दड़ियापुर, ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी के मुसलिम लड़के तथा लड़कियों का सर्वेक्षण करायेगी जहां सैकड़ों की संख्या में उर्दू हिन्दी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रायें उपलब्ध है ? यदि हां, तो मंगारी, पिंडरा सिधौरा ब्लाक पिंडरा तथा स्थान नवादा, दादूपुर, कुंडी, बरनी, बड़ागांव, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में अलग से एक-एक प्राइमरी पाठशाला माध्यम उर्दू हिन्दी से खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । सर्वेक्षण कराया जा चुका है । प्रश्नगत स्थानों में हिन्दी माध्यम के विद्यालय पहले से चल रहे हैं । उर्दू पढ़ाने हेतु उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गयी है । पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध होने पर उर्दू माध्यम से शिक्षण कराने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

144—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगी कि अगर मंगारी पिंडरा, सिंधोरा ब्लाक पिंडरा तथा नवादा, दादूपुर, कुंडी, बड़ागांव, बसनी में जमीन व इमारत की व्यवस्था होने पर उर्दू-हिन्दी माध्यम से प्राइमरी पाठशाला खोलने पर विचार करेगी ? क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त स्थानों में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं इसकी भी जांच करा ली गयी है ? उनमें काफी छात्र वैसे ही हैं तो इन उर्दू हिन्दी पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के लिए अध्यापक बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता और उर्दू पढ़ने वाले छात्र तथा छात्रायें उक्त स्कूलों में नहीं जाते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत स्थानों के प्राइमरी विद्यालयों की जांच करा ली गयी है । उक्त स्थानों पर परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है, उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था भी कर दी गयी है, मानक के अनुसार विद्यार्थी उपलब्ध होने पर उर्दू माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

जिला वाराणसी के कतिपय ग्रामों में बालिकाओं हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार

145—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री ग्रथम सत्र 1980 के चौथे मंगलवार 23-9-80 के लिए निर्धारित ग्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि पूरे पिंडरा ब्लाक में लड़कियों के लिये एक भी हाई स्कूल नहीं है और एक प्राइवेट स्कूल कन्या हाई स्कूल बसनी में है जो किमी0 पिंडरा से तथा पूरे ब्लाक के क्षेत्रों में कहीं से 20 कहीं से2 किमी0 है ? क्या सरकार सन 75-76 की सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसको शिक्षा विभाग ने परगना कोल असला एवं पन्द्रह जिला वाराणसी द्वारा कराया था उसमें पिंडरा, बड़ागांव मंगारी, सिंधोरा अनई में बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता बतायी गयी है ? यदि हां तो सन 75-76 से उपरोक्त स्थानों में कहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।
जी हां ।
जी नहीं ।

146—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में जमीन उपलब्ध है और मकान की व्यवस्था हो जायगी ? क्या इस स्थान में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये सरकार ने जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी से इसी अगस्त तथा 15 सितम्बर 1980 तक सर्वेक्षण कर आख्या मांगी है ? यदि हां, तो आख्या क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र में कालीन उद्योग एवं रंग व सूत आदि की समुचित पूर्ति

147—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री प्रथग सत्र 1980 के 4थे गंगलवार 23-9-80 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागांव का सर्वेक्षण करायेंगे जिसमें ताड़ी बरही नेवादा में रंगाई एवं सूत कताई उद्योग कालीन के लिये आवश्यक है ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में ताड़ी बरही नेवादा, दादूपुर पिंडरा, बड़ागांव कठिरांव कुवार, कंडी तथा जौनपुर में सटे हुए क्षेत्र गंवानीगंज, नेवढ़िया, गोपालापुर आदि बड़े-बड़े कालीन बनने के सेन्टर हैं ? यदि हां, तो उक्त उद्योग न खोलने का कारण क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

भारत सरकार के सौजन्य से वर्ष 1974 में भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र का कालीन उद्योग से संबंधित एक सर्वेक्षण किया गया था । बड़ागांव क्षेत्र भदोही से लगा हुआ है जहां ऊनी धागे की उपलब्धता एवं रंगाई के सामान काफी मात्रा में हैं और वहां से इनकी पूर्ति अच्छी तरह से होती रहती है । भदोही मिर्जापुर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ऊनी धागा की कताई मिल की स्थापना की गयी है जिसमें ऊनी धागे की रंगाई की सुविधा भी उपलब्ध है ।

ताड़ी, बरही, नेवादा, दादूपुर पिंडरा, बड़ागांव, कठिरांव, कुंवार कुंडी तथा जौनपुर में सटे हुए क्षेत्र मंवानी गंज नेवढ़िया, गोपालापुर आदि क्षेत्रों में कालीन की 30 इकाईयां हस्तकला योजनान्तर्गत स्थायी रूप से पंजीकृत की जा चुकी हैं । इनमें से नौ इकाईयां सूत रंगाई का कार्य भी करती हैं ।

148—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री को पता है कि उक्त क्षेत्र से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का कालीन बनाया जाता है और उसके लिये रंग एवं सूत स्थान भदोही से ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री नियाज हसन खां—

रंग व सूत आदि की समुचित व्यवस्था के लिए गढ़ियाहूं एवं निभापुर में ग्रामीण विपणन एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा बरसठी में केन्द्र खोलने के लिये भवन आदि की व्यवस्था की जा चुकी है ।

खादी बोर्ड तिलक नगर, में बर्बाद हुई मोम

149—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी बोर्ड कानपुर के तिलक नगर स्थित उप कार्यालय में जून सन् 80 में 6 लाख रु0 की मोम बर्बाद हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं ।

वरुणा नदी, वाराणसी में कालिका धाम स्थान पर पुल बनाने का विचार

150—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरुणा नदी वाराणसी में कालिका धाम स्थान में सेतु निगम उत्तर प्रदेश एक पुल का निर्माण अर्सा 10 वर्ष से कर रहा है जो सन् 78 के जल स्तर से नीचा है ? क्या इसकी जांच टेक्निकल स्तर पर करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त वरुणा नदी में सन् 1943 की बाढ से जल स्तर बहुत ऊंचा था और 78 की बाढ़ से जल स्तर से बहुत ज्यादा था ? क्या यह सही है कि उसके डेटा को क्यों बिना देखे नीचा पुल का निर्माण कराया गया ? क्या सरकार उक्त पुल में उत्तर तरफ दो ताखा पुल से जोड़ कर बनाने पर विचार कर रही है और उत्तर तरफ नदी को गहरा करायेगी और डिजाइन एवं नक्शा जो सन् 43 की बाढ़ के आधार पर न बनाने वालों को दंडित करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधूना (इटावा) निवासी मृत मल्लाह श्री गौरी शंकर की विधवा को सरकारी सहायता एवं गिरफ्तार मुल्जिम

151—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री 1980 के तीसरे मंगलवार 23-9-80 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि विधूना निवासी जिला इटावा के गौरी शंकर मल्लाह को ता0 26-6-80 को अजित प्रताप सिंह सिपाही थाना उसराहार ने राइफल से गोली मार हत्या कर दी तो क्या उक्त मल्लाह की विधवा को सरकार ने कोई सहायता दिया है कि नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित घटना में मृत मल्लाह श्री गौरी शंकर की विधवा को कोई सरकारी सहायता नहीं प्रदान की गयी है ।

152—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त दोनों मुल्जिमान अजित प्रताप सिंह सिपाही एवं एम0 एन0 खां एस0 आई0 थाना उसराहार को जेलखाने भेजा गया कि नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त कानि0 अजीत प्रताप सिंह को घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार कर दिनांक 27-6-80 को जेल भेजा गया था । अभियुक्त उप निरीक्षक श्री मुख्तार अहमद खां, ने दिनांक 29-7-80 को जिला सत्र न्यायालय इटावा में आत्म-समर्पण किया था और उसी दिन न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था । अतः उन्हें जेल भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरपाल सिंह डिग्री कालेज सिंगरा मऊ, जिला जौनपुर में पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र

153—श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरपाल सिंह डिग्री कालेज, सिंगरामऊ, जिला जौनपुर में पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता लेने के लिये सन् 74 से ही डिग्री कालेज की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया है और 23-9-80 को भी मा0 शिक्षा मंत्री को वहां के प्रबन्धक ने मिल कर प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? क्या यह सही है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिये सभी शर्तें पूरी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1974 में कतिपय स्नातकोत्तर विषयों में सम्बद्धता हेतु गोरखपुर विश्व-विद्यालय को आवेदन पत्र भेजा गया बताया गया है जो कि विश्वविद्यालय में उप-लब्ध नहीं हुआ । गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पत्र संख्या 7967/सम्बद्धता, दिनांक 2-12-78 तथा संख्या 10757-58/सम्बद्धता, दिनांक 13-9-79 द्वारा कालेज को स्थिति से अवगत करा दिया था । जो आवेदन पत्र शासन को दिनांक 23-9-80 को प्राप्त हुआ था उस पर भी शासन स्तर पर विचार किया गया, परन्तु चूंकि अभी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं है, इसलिए क्लीयरेन्स नहीं दी गयी है ।

ग्राम बरही नेवादा, जिला वाराणसी के बुनकरों को स्टेट बैंक से वितरित ऋण तथा छूट

154—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरही, नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के कालीन बुनकरों को 2,10,000 प्रति बुनकर के हिसाब से स्टेट बैंक शाखा अनेई वाराणसी से दिया गया था जिसमें 1/3 (एक तिहाई) छूट देने का प्रावधान था ? क्या यह सही है कि बैंक द्वारा छूट नहीं दी जा रही है और बुनकरों ने अतिरिक्त जिलाधीश परियोजना के यहां प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो छूट न देने का कारण क्या है और अतिरिक्त जिलाधीश वाराणसी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नियाज हसन खां—

स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा अनेई, जिला वाराणसी द्वारा ग्राम बरही नेवादा के 11 कालीन बुनकर दस्तकारों को 2100 रु0 प्रति दस्तकार की दर से ऋण वितरित किया गया । अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना), वाराणसी को इस छूट हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज, सीतापुर के सहायक अध्यापक श्री चन्द्र शेखर मिश्र के विरुद्ध जांच

155—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट इण्टर कालेज कर्वी के प्रवक्ता एवं मा0 शि0 संघ के भूतपूर्व कार्यवाहक जिला मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र ने दिनांक 25-8-80 को निदेशक शिक्षा विभाग एवं जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को एक प्रार्थना-पत्र भेजकर सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज सीतापुर जिला बांदा के सहायक अध्यापक श्री चन्द्र शेखर मिश्र के विरुद्ध बी0

एड0 की डिग्री गलत ढंग से प्राप्त करने और अवैधानिक तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है ।

चन्द्रजीत पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जौनपुर में अधिक अध्यापकों की नियुक्ति तथा हटाने की व्यवस्था पर विचार

156—श्री जंगबहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र करंजा कला के ग्राम जगमल के चन्द्रजीत पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की संख्या मात्र 15--20 है जहां सात अध्यापकों को नियुक्त की गयी है जबकि नियमानुकूल एक ही अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो शीघ्र ही वहां से अध्यापकों को हटाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । विद्यालय में अंकित छात्र संख्या 77 है । प्रधानाध्यापक सहित उसमें 6 अध्यापक हैं । विद्यालय अस्थायी मान्यता प्राप्त तथा असहायिक है । मानक से अधिक अध्यापक को प्रबन्धतन्त्र हटा सकती है ।

प्राथमिक शिक्षक संघ का स्मृति-पत्र व उनकी मांगें

157—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी की शाखा के तत्वावधान में 12-8-80 को जिले भर के अध्यापकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां अपनी मांगों एवं कठिनाइयों के संबंध में प्रदर्शन किया था और एक स्मृति पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी। शिक्षा विभाग वाराणसी में शासनादेशों की उपेक्षा की जा रही है और सेवा निवृत्त शिक्षकों का फण्ड, बीमा, पेंशन आदि का भुगतान ठीक से नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्मृति पत्र में जिन मांगों का उल्लेख था उनमें से अधिकतर मांगों पर कार्यवाही की जा चुकी है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा शासन के आदेशों की उपेक्षा नहीं की जा रही है और सेवा निवृत्त शिक्षकों का फण्ड, बीमा, पेंशन आदि का भुगतान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम बच्छाव, थाना रोहनियां में पुलिस द्वारा मारपीट व लूटपाट

158-159--श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 8 अक्टूबर, 80 को थाना रोहनियां, जिला वाराणसी की पुलिस ने गांव बच्छांव थाना रोहनियां में जाकर कई घरों को लूटा, मारा तथा औरतों के साथ बलात्कार भी किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनीसाबानू, नसमूल, अमरन के साथ पुलिस ने बलात्कार किया और मजीद, रफीक तथा और लोगों को मार कर हाथ पैर तोड़ दिया तथा मौला की दाढ़ी उखाड़कर मारा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-10-80 को ग्राम बच्छाव थाना रोहनियां के कुछ निवासियों ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि उक्त तिथि को थाना रोहनियां के एक उप निरीक्षक, 5 सिपाही व कतिपय जनता के आदमियों ने गांव में आकर घरों में नाजायज तरीके से घुसकर मार पीट एवं लूटपाट की, अपमानजनक गालियों का प्रयोग किया तथा 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । पुलिस की मारपीट से अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त महिलाओं को भी चोट आना बताया गया ।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 9-10-80 को 6 पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सुपुर्द कर दी गयी है । इस प्रकरण की मजिस्टीरियल जांच हेतु भी आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थानों में दर्ज डकैती के मामले

160—श्री हुकुम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1980 से लेकर नवम्बर, 1980 तक मुजफ्फरनगर जनपद के थानों में कितने डकैती के मामले दर्ज कराये गये ? इनमें से कितने मामलों की विवेचना पूर्ण होकर न्यायालयों में भेजी जा चुकी है और कितने मामले ऐसे हैं जिनकी विवेचना अभी तक केवल इस कारण से अधूरी है कि अभियुक्तगण गिरफ्तार न किये जा सके हों ? शासन ने गिरफ्तारी के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-6-80 से 30-11-80 की अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर कुल 12 अभियोग डकैती के पंजीकृत हुए । उक्त 12 अभियोगों में से 6 अभियोग झूठे पाये गये । शेष 6 अभियोगों में से दो अभियोगों में विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी । शेष चार अभियोग विवेचनाधीन हैं । इनमें से एक मामले में अब तक कुल 6 अभियुक्त प्रकाश में आये थे, जिनमें 3 गिरफ्तार नहीं हो सके हैं । दूसरे मामले में

कुल 4 अभियुक्त प्रकाश में आये थे, जिनमें से दो की गिरफ्तारी बाकी है। अन्य दो अभियोगों में अभी कोई भी अभियुक्त प्रकाश में नहीं आ सका है। अपराधीगण को गिरफ्तार करने तथा उनका पता लगाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

161—श्री रियासत हुसैन—

[29-2-80 के नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाया जा चुका है]

फरुखाबाद शहर कोतवाली का जीर्ण शीर्ण भवन तथा पुनर्निर्माण

162—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फरुखाबाद शहर कोतवाली का भवन अनेक वर्ष पूर्व गिर गया था और इसका निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि **हां, तो इस भवन का निर्माण कार्य रुकने का क्या कारण है और कब तक इसके पूर्ण होने की आशा है ?**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। वर्तमान स्थल पर भूमि **की कमी के कारण भवन का ले आउट** प्लान तैयार नहीं हो पा रहा था इसलिए थाने के सन्निकट और भूमि को प्राप्त किये जाने का प्रयास किया गया। उपयुक्त भूमि नहीं मिल पायी जिसके कारण निर्माण कार्य में प्रगति **नहीं हो पायी। अंतत: अब यह निश्चय किया गया है कि** जितनी भवन चार मंजिली इमारत के रूप में वर्तमान स्थल पर निर्मित हो सकें उतने भवनों का निर्माण करा दिया जाय। तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

श्री महादेव, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी का डाइंग डिक्लेरेशन

163—श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महादेव पुत्र नरोत्तम गांव कमर फोरवां थाना रोहनियां, जिला वाराणसी की मृत्यु चोट खाने से राजकीय अस्पताल शिव प्रसाद गुप्त, वाराणसी में हो गयी थी और उसका बयान मरने से पूर्व ता0 12-9-78 को डी0 डी0 रस्तोगी, मजिस्ट्रेट वाराणसी ने (डाइंग डिक्लेरेशन) लिया था ? यदि हां, तो उक्त डाइंग डिक्लेरेशन की कापी पुलिस को क्यों दी गयी ? वह कहां है ? क्या सरकार इसकी छानबीन करके पता लगाकर उसको पुलिस वाराणसी को दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन दिनांक 12-9-78 को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया था। डाइंग डिक्लेरेशन के उपलब्ध न होने के संबंध में जिला-धिकारी वाराणसी ने एक मजिस्ट्रेट की जांच अभिदिष्ट की है।

इण्टर नेशनल कालेज, कादम्बरी कानन, पिंडरा वाराणसी में समाज शास्त्र की मान्यता **तथा पुस्तकालय के लिए अनुदान**

164—श्री उदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर नेशनल कालेज, कादम्बरी कानन, पिंडरा वाराणसी में समाज शास्त्र की मान्यता मांगने हेतु अर्सा चार वर्ष से मा0 शिक्षा मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रार्थना-पत्र देता चला आ रहा है ? यदि हां, **तो इसको मान्यता देने में क्या कठिनाई है ?**

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

मान्यता देने में प्रमुख कठिनाई विद्यालय भवन में कमरों की कमी रही है ।

165–श्री उदल--

क्या शिक्षा मंत्री इण्टर नेशनल कालेज, पिंडरा, वाराणसी को पुस्तकालय के लिए धन देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि पुस्तकालय के लिए भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सन 1980 में प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने संस्तुति के साथ भेजा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वाराणसी जिले के विभिन्न थानों पर डकैत विरोधी अभियान तथा थानेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही

166–श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में थाना, फूलपुर, बड़ागांव, चौबेपुर, रोहनियां में डकैत विरोधी अभियान चलाने पर विचार कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने अगस्त से लेकर अब तक आई0जी0, डी0आई0जी0, मा0 मुख्य मंत्रीजी को कई प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था अब तक की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी के कतिपय थानों में डकैत विरोधी अभियान चलाए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का एक प्रार्थना-पत्र डी0आई0जी0 को प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में डकैतों के उन्मूलन हेतु थाना फूलपुर पर दो गार्ड, बड़ागांव में एक गार्ड तथा चौबेपुर में एक डकैती गार्ड लगाई जा रही है तथा थाना मिर्जामुराद व रोहनिया में दो चौकियां, जिनमें समय-समय पर अतिरिक्त गार्ड लगाई जाती है, स्थापित की गई है ।

167–श्री उदल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनवरी से लेकर 15 नवम्बर, 1980 तक जिले में पचासों डकैतियां, हत्याओं के साथ की गयी हैं और सैकड़ों घर लूटे गये हैं तथा सैकड़ों लोगों को गोलियों से घायल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनवरी से 15 नवंबर, 1980 तक प्रत्येक थानों का विवरण उक्त अपराध के संबंध में सदन की मेज पर रखेगी और उन थानेदारों को जिनके यहां जुर्म ज्यादा हुए हैं उन्हें दंडित करने पर विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनवरी 80 से 15-11-80 की अवधि में जिला वाराणसी में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटनाओं के बारे में विवरण संलग्न है । जो थानेदार कार्य में शिथिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 379 पर)

शिक्षा विभाग में पिछड़ी जाति के एस0डी0आई0 की प्रोन्नति

168–श्री उग्रदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में पिछड़े जाति से संबंधित कितने एस0 डी0 आई0 हैं जिनका प्रमोशन डी0 आई0 के पद पर हो जाना चाहिए था ? लेकिन अभी तक नहीं हुआ ? इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कोई नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण प्रांतीय खंड, वाराणसी व टेम्परेरी डिवीजन पी0डब्ल्यू0डी0 ज्ञानपुर में सड़कों के निर्माण पर दी गयी धनराशि

169–श्री उग्रदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मे सार्वजनिक निर्माण प्रांतीय खंड, वाराणसी व टेम्परेरी डिवीजन पी0डब्ल्यू0डी0 ज्ञानपुर वाराणसी में एक वर्ष से किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया और इन्हें सन 78-79 एवं 79-80 में कितना कितना रुपया मरम्मत हेतु तथा कितना नए निर्माण हेतु दिया गया था ?

श्री जगदीश प्रसाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

टेम्पोरेरी डिवीजन ज्ञानपुर, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा टी0 एन0 पी0 के आदेश

170–श्री उग्रदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेम्पोरेरी डिवीजन ज्ञान पुर, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता ने कितने रु0 का आदेश 79 में तथा 15 नवम्बर 1980 तक टी0एन0पी0 के लिए दिए हैं ? टी0एन0पी0 में कितने फावड़ा, गैता, घड़ा, तिरपाल, तारकोल, व्यावलर, ठेला आदि मंगाए गए हैं ? उनके अलग-अलग दाम क्या क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

171--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र–

[पुनरावृत्तिके आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ जिले में घोसी बिल्थरा रोड को पक्का कराने का विचार

172–श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि आजमगढ़ जिले में घोसी बिल्थरा रोड को मार्च, 1981 तक पक्का कराने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्या-क्या कठिनाई है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

डामर उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रश्नगत मार्ग को मार्च, 1981 तक पक्का कराना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर जिले की जैतपुर-बोहटा मार्ग का निर्माण

173--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि गोरखपुर जिले की जैतपुर-बोहटा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11-8-80 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जिला परिषद् के अन्तर्गत है, एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

रानीखेत में प्रांतीयकरण के फलस्वरूप सेवा से पृथक किए गए हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी

174—श्री जसवन्त सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में प्रांतीयकृत हाई स्कूल एवं इंटर कालेजों में कितने ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी प्रांतीयकरण के फलस्वरूप सेवा से पृथक किए गए जो प्रांतीयकरण के पूर्व उसी संस्था में कार्यरत थे ? क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इण्टरमीडिएट पास छात्रों को इंजानियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सुविधा

175—श्री रूद्र प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग के डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की कोई सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई सुविधा नहीं दी जाती है । प्रदेश की डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में किया जाता है । प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अर्हता फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है ।

जहां तक डिप्लोमा संस्थाओं में प्रवेश का प्रश्न है प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंतर्गत चल रहे विभिन्न इंजीनियरिंग/टेक्नालोजिकल पाठ्यक्रमों

में प्रवेश हेतु विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों की भांति ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को वर्ष 1980-81 तक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश में 25 प्रतिशत प्राप्तांकों का बोनस लाभ दिया जाता था । अब वर्ष 1981-82 से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और बोनस अंक का लाभ देना बन्द कर दिया जाएगा ।

176–श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल के अस्थायी तथा स्थायी एवं हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट विद्यालयों को मान्यता देने हेतु विभाग अथवा शासन द्वारा लाइट फिटिंग की छाजन मान्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं, क्योंकि उसमें स्थायित्व नहीं होता ।

177—श्री हुकुम सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मुजफ्फरनगर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित संस्थाओं को दी गयी धनराशि

178–श्री हुकम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि वर्ष 1979-80 में मुजफ्फरनगर जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित संस्थाओं के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गयी और वह धनराशि किन-किन स्कूलों के भवनों पर व्यय की गयी दर्शायी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1979-80 में मुजफ्फरनगर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा 30,000 रुपये की धनराशि दी गई जिनका उपयोग 31-3-81 तक किया जाना है । इस धनराशि से जिन-जिन स्कूलों के भवनों का मरम्मत पर व्यय प्रस्तावित है उसकी सूची निम्नप्रकार है –

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	जनसठ नम्बर 1	प्रा0 पा0 लालडा	रुपया 1000
2	जनसठ नम्बर 2	,, ,, धीरा हेडी	तदैव
3	कांधला नम्बर 1	,, ,, गढी राम कौर	तदैव
4	,, 2	कन्या क्रमोत्तर फुफना	तदैव
5	थाना भवन	प्रा0 पा0 मानकपुर	तदैव
6	मौरना	,, ,, मौरना	तदैव

1	2	3	4
7	अधरा नम्बर 1	प्रा0 पा0 खतौली	तदैव
8	'' नम्बर 2	'' जागाहेडा	तदैव
9	बरथावल नं0 1	'' रोहना हरजीपुर	तदैव
10	'' नम्बर 2	'' सादपुर	तदैव
11	कैराना नं0 1	'' टिटौला	तदैव
12	'' नम्बर 2	कन्या प्रा0 पा0 कसरवा खुर्द	तदैव
13	छपार	प्रा0 पा0 खुड़वा	तदैव
14	पुरकाजी	'' हुसैनपुर खादर	तदैव
15	मनसूरपुर	'' मन्सूरपुर	तदैव
16	उन	'' रामड	तदैव
17	शामली नं0 2	प्राइमरी पा0, खेड़ी करमू	तदैव
18	थाना भवन	'' चन्देना माल	तदैव
19	मुजफ्फरनगर नं0 11	'' रई	तदैव
20	'' नं0 2	'' कन्या बसेडा	तदैव
21	पुरकाजी	'' कन्या पुरकाजी	तदैव
22	खतौली नं0 1	'' तिगाई	तदैव
23	मीरापुर नं0 2	'' मीरापुर	तदैव
24	बुढाना	'' टोंडा माजरा	तदैव
25	शामली	'' सिभाला	तदैव
26	शामली	जू0 हा0 स्कूल खरीदा हाथी	तदैव
27	शाहपुर	प्रा0 पा0 जीवना	तदैव
28	कांधला	'' मतनावली	तदैव
29	न0 पा0 मुजफ्फरनगर	न0 पा0 पूर्वी पाठशाला	तदैव
30	'' खतौली	'' प्रा0 पा0 मकबरनाग	तदैव

179—श्री चेतराम गंगवार--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जांच आयोग की रिपोर्ट तथा क्रियान्वयन

180—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि शासन को बुन्देलखंड विश्वविद्यालय जांच आयोग की रिपोर्ट वर्ष 78 में प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । रिपोर्ट में तत्कालीन कुलपति व कुछ अन्य व्यक्तियों को नियुक्तियों में पक्षपात, अधिनियम तथा परिनियमों के उल्लंघन एवं वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए दोषी बताया गया है । जांच आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय को कुलपति के माध्यम से शासन द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और निर्देशानुसार कुछ मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष में की जा रही है । तत्कालीन कुलपति के विरुद्ध कार्यवाही के प्रसंग में भी शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

बस्ती जिले में जी0 सी0 शीट का परमिट

181--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कुल कितनी जी0सी0 सीट की परमिट पिछले जनवरी, 1980 से 27-8-80 तक जारी की गई और इसमें कौन-कौन लोगों को किस कार्य हेतु दी गयी ?

श्री नियाज हसन खां—

पिछले जनवरी 1980 से 27-8-80 तक स्टाफ के अभाव में बस्ती जिले में कोई जी0 सी0 शीट की परमिट नहीं जारी की गई ।

गाजीपुर डिग्री कालेज के कृषि संकाय में छात्रों के प्रवेश का आधार

182—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर डिग्री कालेज के कृषि संकाय में प्रदेश के बाहर से आए छात्रों (आन्ध्र प्रदेश इत्यादि) का सत्र 80-81 में प्रवेश मेरिट के आधार पर न करके डोनेशन के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो उन छात्रों की सूची सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? तथा डोनेशन में प्राप्त पैसे का उपयोग कहां किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार गाजीपुर डिग्री कालेज के कृषि संकाय में प्रदेश के बाहर से आए छात्रों (आंध्र प्रदेश इत्यादि) का सत्र 1980-81 में प्रवेश मेरिट के आधार पर ही किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कौड़ीराम विकास खण्ड, गोरखपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

183--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कौड़ीराम विकास खण्ड, जिला गोरखपुर में अभी तक कितने किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण, कराया गया ? क्या अधिकांश सम्पर्क मार्गों का निर्माण अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उसे पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

कौड़ीराम विकास खंड जिला गोरखपुर में सम्पर्क मार्ग की योजना के नाम से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद मल्ल, स्टोर कीपर, चीनी मिल पड़रौना की विधवा को ग्रेच्युटी तथा प्रोवीडेन्ट फण्ड की धनराशि

184—श्रीमती गौरी देवी--

क्या श्रम मंत्री कृपया बताएंगे कि दिनांक 16-5-78 को तत्कालीन सदस्य विधान सभा श्री रवीन्द्र सिंह ने तत्कालीन गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री को स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद गल्ल, स्टोर कीपर, चीनी मिल पडरौना, जनपद देवरिया की ग्रेच्युटी तथा प्रावीडेण्ड फण्ड के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां ।

ग्रेच्युटी की 7,669 रु0 20 पै0 की धनराशि स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद मल्ल की विधवा श्रीमती जगदम्बा देवी को दिनांक 7 अगस्त, 1980 को भुगतान करा दी गयी है । जहां तक उनके फण्ड के भुगतान का प्रश्न है उनके पुत्र श्री रवि प्रताप नारायण मल्ल, जो फण्ड के लिए नामिनी हैं, का आवेदन-पत्र सर्व-ी कानपुर शुगर वर्क्स लि0, पडरौना, जिला देवरिया द्वारा दिनांक 23-9-78 को रीजनल प्रावीडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर, को भेजा जा चुका है ।

सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भवानी पुरवा में भूस्वामियों से अर्जित की गयी भूमि तथा भूमि मालिकों को मुआवजा

185—श्री गिन्नसेन--

क्या यह सही है कि 1974 से 1980 के दरमियान झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर केन नदी सेतु साइड संपर्क मार्ग का निर्माण हेतु भवानीपुरवा (शहरी क्षेत्र) के भूस्वामियों की भूमि उनकी बिना रजामन्दी व बिना मुआविजा दिए सरकार द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है जिसकी बाबत सम्बन्धित भूस्वामियों ने शासन को ज्ञापन दिए जाते हैं यदि हां तो सरकार भूमि के मालिकों को मुआवजा देने की बाबत क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण ग्राम भवानी पुरवा तहसील व जिला बांदा की 0.15 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी तथा 1.99 एकड़ भूमि अस्थायी रूप से ली गयी थी । उक्त अर्जित भूमि का सम्पूर्ण प्रतिकर 671 रुपए (राउण्ड) का वितरण कर दिया गया है और अस्थायी भूमि की निर्धारित की गयी 307 रुपए (राउन्ड) प्रतिकर की धन-राशि में से 133 रुपए 70 पैसे का वितरण किया जा चुका है तथा शेष 173 रुपए 14 पैसे के वितरण की तिथि दिनांक 25 फरवरी 81 निश्चित की गयी है ।

भूतपूर्व मण्डलायुक्त वाराणसी श्री के0 किशोर के विरुद्ध जांच

186—श्री मसरूर जाफरी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के 4थे मंगलवार के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मुख्य मंत्री बताएंगे कि भू0 पू0 मंडला-युक्त वाराणसी श्री के0 किशोर के विरुद्ध जांच किस उच्च अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या शिकायत कर्ताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा जो प्रमाण सिद्ध पाए गए हैं उसके आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के 4थे मंगलवार के लिए श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 2 का उत्तर निम्न रूप में दिया गया था :

"श्री के0 किशोर भूतपूर्व आयुक्त वाराणसी मण्डल के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं । शिकायतकर्ताओं से पूर्ण विवरण मांगा गया है । तत्पश्चात विवरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । श्री के0 किशोर अब मंडलायुक्त, वाराणसी के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं ।

इस संदर्भ में उन शिकायतकर्ताओं से आरोपों की पुष्टि हेतु साक्ष्य होने को पत्र भेजे गए परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं आया । फिर भी शासन द्वारा श्री के0 किशोर का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । उनके स्पष्टीकरण तथा अध्यक्ष राजस्व परिषद् की संस्तुति पर विचार करने के उपरांत शासन द्वारा श्री के0 किशोर के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई और मामला समाप्त कर दिया गया ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर में ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था

187—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर में ट्रैक्टर बनाने के ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन ट्रेडों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस जनपद में भी शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रश्नगत संस्थान में इस समय उपलब्ध नहीं है ।

धन की उपलब्धता के साथ-साथ जनपद विशेष में भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास की संभावना तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए रोजगार की संभावना आदि को दृष्टि में रखते हुए नए व्यवसाय में प्रशिक्षण चलाने का निर्णय लिया जाता है । तदनुसार स्थिति का अध्ययन करके जौनपुर जनपद में ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय के प्रशिक्षण के बारे में निर्णय लिया जायगा ।

188--श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 30-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 द्वारा उत्तरित]

जिला मजिस्ट्रेट (विकास) फैजाबाद का स्थानान्तरण

189—श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि जनपद फैजाबाद के जिला विकास अधिकारी का वर्ष 1980 में कितनी बार स्थानान्तरण हुआ और रोका गया है ? इस अधिकारी के विरुद्ध माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1980 में जनपद फैजाबाद में कोई जिला विकास अधिकारी तैनात नहीं था । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) फैजाबाद का स्थानान्तरण हुआ था जिसे एक बार स्थगित किया गया था परन्तु बाद में स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित किए गए । संबंधित अधिकारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय विधायकों का एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रदेश में युवा कल्याण अनुभाग की स्थापना

190--श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा कल्याणार्थ सचिवालय स्तर पर कुछ वर्ष पूर्व युवा कल्याण अनुभाग की स्थापना की गयी थी? यदि हां, तो यह अनुभाग किस सचिव के अन्तर्गत रखा गया और अब किसके अन्तर्गत कार्यरत है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । 25 मार्च, 1976 को आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में युवा कल्याण अनुभाग की स्थापना की गयी थी । यह अनुभाग दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 से सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

प्रदेश में युवा कल्याण परिषद् के पुनर्गठन पर विचार

191—श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युवा कल्याणार्थ कार्यक्रमों की उपयोगिता बढ़ाते हेतु प्रदेश स्तरीय युवा कल्याण परिषद् का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उसी वर्ष उक्त परिषद् को क्यों समाप्त कर दिया गया ? क्या सरकार उक्त राजकीय स्तरीय युवा कल्याण परिषद् का पुनर्गठन पर तुरन्त विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । प्रदेश में युवा कल्याण परिषद् की 26 फरवरी, 1977 को स्थापना की गयी थी किन्तु शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई, 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया । जी हां । इस प्रश्न पर पुनः विचार हो रहा है ।

जवहरू युवक केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने हेतु संगठन समिति का गठन

192--श्री खुशहाल सिंह रागड़--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्र युवकों के कल्याणार्थ स्थापित नेहरू युवक केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन के युवा कल्याण अनुभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । भारत सरकार से दिनांक 30 जून, 1980 को प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय संगठन समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री छेदासिंह चौहान के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, 20 जनवरी को माननीय छेदा सिंह चौहान की हत्या बड़ी निर्मम परिस्थितियों में हुई । वह एक बारात के लिए स्कूटर पर जा रहे थे, कोई असामाजिक तत्व ने कार से आकर के गोली से उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर दिया। मान्यवर, ईश्वर मौत देता है तो स्वीकार होता है लेकिन इंसान के हाथ जो मौत आती है तो दिल में एक रोष होता है और वह रोष न्याय मांगता है ।

इस समय हम लोगों में, सबके हृदय में वह रोष है और यही छेदा सिंह जी की सही श्रद्धांजलि होगी जो न्याय यह रोष मांग रहा है वह न्याय दिलाया जाय । श्री छेदा सिंह जी का जीवन धरती और जन से जुड़ा-हुआ था । धरती से इस माने में जुड़ा हुआ था कि कृषि से वे जीवन यापन करते थे, उसमें उनकी गहरी दिलचस्पी थी । आम लगाने की उन्होंने एक योजना कार्यान्वित की और जन-जीवन की सेवा में वे लगे रहे । वर्ष 1952 से सरोजिनी नगर विकास खंड के लगातार ब्लाक प्रमुख हो करके जन सेवा और जन कल्याण की प्रक्रिया में लगे रहे । गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे और रामस्वरूप शिक्षा संस्थान, बंथरा से भी उनके गहरे सम्बन्ध थे ।

आज वे अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का परिवार छोड़ करके हम लोगों के बीच नहीं रहे, मैं आपके माध्यम से उनके शोक सन्तप्त परिवार को अपनी सम्वेदना पहुचाने का आग्रह करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री छेदा सिंह चौहान की आकस्मिक मृत्यु पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किए हैं, मैं और मेरा दल अपने आप को उससे सम्बद्ध करता है । महोदय, यह फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने बदायूं के माननीय सदस्य की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था । इस प्रदेश में राजनीतिक व्यक्तियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिस तरह से हत्या की जा रही है यह निश्चित तौर से एक चिन्ता का विषय है । श्रीमन्, छेदा सिंह जी राजनैतिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, देहाती जीवन से आये वे कृषि के बारे में उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी सन् 77 में वह जब इस माननीय सदन समझता हूं एक माननीय सदस्य की हत्या हुई, वह एम0 एल0 सी0 थे भूतपूर्व के सदस्य चुनकर आए थे तो उनका जीवन ग्रामीण जनता के उत्थान में लगा हुआ था । महोदय, फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शायद तीसरी घटना है जैसा मैं समझता हूं एक माननीय सदस्य की हत्या हुई वह एम0 एल0 सी0 थे, भूतपूर्व कांग्रेस सदस्य थे । बदायूं के एम0 एल0 ए0 की मृत्यु हुई और शायद यह तीसरी हत्या है । छेदा सिंह चौहान की दिन में हत्या हुई, मेन रोड है, यह भी नहीं कि कोई जंगल हो । श्रीमन् एक बात और है उनके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया गया पहले उनके स्कूटर का टक्कर मारा गया और फिरगोलियों से मारा गया । उनकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई । मैं शासन का ध्यान फिर और खासकर मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा वैसे यह समय तो नहीं है, यह समय तो संवेदना व्यक्त करने का है, लेकिन उसी से सम्बन्धित है वैसे, तो श्रीमन् कभी भी मृत्यु आ सकती है लेकिन यह अकस्मात् मृत्यु नहीं थी । यह मृत्यु शासन की अक्षमता के कारण आई । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं पुनः ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केवल सदन के बाहर या सदन के अन्दर विभिन्न घोषणाएं करने से या वक्तव्य देने से कुछ नहीं होगा । कुछ ऐसे कारगर उपाय कीजिए कि यहां बैठने वाले सभी सदस्यों का जीवन और बाहर के व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित हो । श्रीमन्

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

मुझे बड़ी संवेदना है और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं मिश्रा जी से कि आप इस सरकार के अंग हैं, आपमें गरिमा होनी चाहिए । आपकी जगह कोई और सदस्य होते तो दूसरी बात थी । आपको तो गंभीरता में रहना चाहिए । मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । इसमें तो कांग्रेस के भी सदस्य मरे हैं, विरोध पक्ष के भी मरे हैं । मैंने कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं किया है, लेकिन यह सही है कि यह एक बहुत बड़ा निर्मम कांड हुआ । एक जघन्य अपराध किया गया । इस मृत्यु से संबंधित तथ्यों की छानबीन होनी चाहिए । श्रीमन्, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना के भाव उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सूबेदार सिंह—

श्रीमन्, श्री छेदा सिंह चौहान के आकस्मिक निधन पर जो शोक संवेदना माननीय मुख्य मंत्री ने व्यक्त किया है और जो हमारे नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, मैं और मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है । मान्यवर, निश्चित रूप से श्री छेदा सिंह चौहान का प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में एक बहुत अच्छा स्थान था । वह कृषक परिवार के थे, हमेशा खेती की उन्नति के लिए उन्होंने सोंचा । उन्होंने प्रदेश के उत्थान के लिए भी कार्य किया । इस सभा के भी वे सदस्य रहे और उनका योगदान प्रदेश के राजनैतिक विकास और शांति व्यवस्था में रहा । मान्यवर, जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है निश्चित रूप से वह प्रदेश की जनता के लिए हम लोगों के लिए और सरकार के लिए एक चुनौती है और इस प्रकार की चुनौतियां कई बार हम लोगों के सामने आ चुकी हैं । यह एक गम्भीर प्रश्न है कि हम इसका मुकाबला करें । इस अवसर पर हम सोचते हैं कि यह सही श्रद्धांजलि होगी उस दिवंगत आत्मा के प्रति । यद्यपि मुख्य मंत्री जो भी अपराधी हों, उनको कठोरतम दंड की व्यवस्था करेंगे ही, साथ ही साथ इस संकेत को भी ग्रहण करेंगे कि यह प्रदेश की स्थिति का मात्र एक संकेत है और प्रदेश की शांति व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बन गई है, इस समय । उससे जूझने के लिए मुख्य मंत्री को और हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए । ऐसी स्थिति हो गई है । अगर हम इस बलिदानी शहीद से भी कुछ शिक्षा लेकर शांति और व्यवस्था कायम करने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सके तो मैं समझता हूं कि हमारी सही श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा के प्रति होगी । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय छेदा सिंह के सम्बन्ध में जो उद्गार हमारे आदरणीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस अर्स की तरफ से व्यक्त किए गए हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, पिछली विधान सभा में श्री छेदा सिंह इस आदरणीय सदन के सदस्य थे । मुझे भी उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मैंने अनुभव किया कि वह राजनीतिक कम समाजसेवी ज्यादा थे, खासकर किसानों के लिए जिन्दगी जी रहे थे । वह एक कर्मयोगी थे । गांव प्रमुख ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र में कृषि कार्य, इनमें उनका विशेष योगदान रहता था । अभी थोड़े दिन पहले वह मुझे मिले थे । उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो जरूर हार गया हूं लेकिन क्षेत्र की जनता को मैंने अपने को समर्पित कर रखा है और सतत उसकी सेवा में लगा रहता हूं । अतः तथ्य मेरे पास आए हैं कि इस कर्मठता ने ही उनको अकाल मृत्यु का निमंत्रण दिया । यह बात सही है और मैं यह कहना नहीं चाहता था कि ऐसे मौके पर जो प्रतिपक्ष के किसी सदस्य

की वेदना है उसका सुनने का साहस सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को होना चाहिए। हर समय राजनीतिक ऊहापोह का प्रश्न नहीं होना चाहिए । मैं मुख्य मंत्री जी के प्राथमिक शब्दों से सहमत हूं । उन्होंने कहा है कि उनके प्रति हमारी सही श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके हत्यारों का पता लगाकर सामने लाए । यह बात सही है । जिस तरह की हालत बन रही है वह केवल छेदा सिंह के लिए नहीं, बृजबल्लभ सिंह जैसे सभी व्यक्तियों के लिए राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के लिए एक चुनौती और संकट है । इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में मैं लखनऊ जनपद में जो रिक्तता श्री छेदा सिंह के न रहने से उत्पन्न हुई है वह भरे इसकी प्रार्थना भगवान् से करते हुए आप से निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरी दल की संवेदना शोक संतृप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । इस समय भगवान से यह प्रार्थना करना भी मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि वह सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों को सद्बुद्धि दे कि ऐसे मौके पर तो वे शान्त रहा करें ।

श्री भीखालाल–

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय छेदा सिंह चौहान के प्रति जो विचार माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, मुझे स्वर्गीय छेदा सिंह के साथ इस सदन में रहने का अवसर नहीं मिला लेकिन वह बहुत मेरे परिचित थे । मेरा और उनका परिचय बहुत दिनों से था । वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे । सरोजिनी नगर में ब्लाक प्रमुख रहे और उस क्षेत्र को उन्होंने काफी सेवा की । मेरा क्षेत्र और सरोजिनी नगर क्षेत्र मिला हुआ है । इसलिए मैं उस क्षेत्र से भी निकट से परिचित हूं । और सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि उस इलाके में एक गांव नहीं, दो गांव नहीं पूरे इलाके में एक जबरदस्त बड़े बन्दी हैं । कम से कम डेढ़ दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं । सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है । इस पर पूरी तरह से हम सभी लोगों को चिंतित होना चाहिए और ऐसी हत्याओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए इन शब्दों के साथ मैं स्व0 छेदा सिंह चौहान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय छेदा सिंह चौहान के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, यह बड़ी गंभीर बात है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था और चिन्ता व्यक्त की थी कि यह माननीय सदन एक प्रिविलेज प्लेस है और जो कुछ हम यहां कहते हैं उसके बारे में हमारे खिलाफ किसी अदालत में कोई बात नहीं होती, लेकिन आज हम यह देखते हैं कि फिजिकल लिक्विडेशन का मसला बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह से रोका जाय । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें कि जो विचार हम यहां पर निर्भीकता से व्यक्त करते हैं और उससे जो फिजीकल लिक्विडेशन की स्थिति तक आ जाती है, उसको कैसे रोका जाय । श्रीमन्, इन अल्फाज के साथ जो श्री छेदा सिंह जी चौहान का निधन हुआ है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके दुखी परिवार तक हमारी इन संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय छेदा सिंह जी चौहान के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, सन् 1977 में पहली बार जब मैं विधान सभा में चुनकर आया उस वक्त श्री छेदा सिंह जी चौहान इस सदन के सदस्य रहे । उस जमाने में मुझे उनके नजदीक रहने और उनको देखने का मौका मिला । वे बहुत ही उदार प्रकृति के और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । उन्होंने प्रधान के रूप में ब्लाक प्रमुख के रूप में और इस माननीय सदन के सदस्य के रूप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं । उनकी जिस प्रकार नृशंस हत्या की गई है बहुत ही दु:खपूर्ण है और कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे कुछ राजनीतिक चेतना भी काम करती है । मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की घटानाओं को रोकने में भरसक प्रयत्न करें । इन शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे दल की और मेरी इन भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

स्वर्गीय श्री छेदा सिंह चौहान के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, गत विधान सभा में उनके साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला । बहुत नजदीक से उनको देखा । वे जहां पर एक सरल स्वभाव के थे वहीं उनके चेहरे से गम्भीरता भी झलकती थी । सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा । उनकी जघन्य हत्या पर जैसा कि नेता सदन ने कहा है हमें यह विश्वास हो जाता है कि जिन लोगों ने इस जघन्य हत्या में अपने हाथ खून से रंगे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा । प्रदेश में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला जारी है और इस हत्या ने उसमें एक कड़ी और जोड़ दी है । मान्यवर, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब तक पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के सदस्य एक दूसरे से कन्धा से कन्धा मिलाकर इस तरह की हत्याओं को रोकने का रास्ता तय करें । इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेतागण के व्यक्त किए हुए विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं । भूतपूर्व विधायक छेदा सिंह चौहान जी से मैं भी अधिक तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत परिचित था । वह एक अच्छे व्यवहार-कुशल सामाजिक कार्यकर्ता थे और यह अत्यन्त दुख की बात है कि इस तरह से उनका जीवनांत हुआ । लखनऊ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में उनका बहुत हाथ रहा है । उनकी क्षति लखनऊ जिले के लिए हमेशा अपूर्णीय रहेगी । मैं आप सभी नेताओं के विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाऊंगा । आप कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अमर-शहीद चन्द्र शेखर आजाद का 50वां शहीद दिवस मनाने की अनुमति न दिए जाने से छात्र असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 36 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में 6 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से निम्न 5 स्वीकार की है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाने पर रोक लगा दी गयी है । वहां के छात्र आजाद की प्रतिमा के पास उनका 50वां शहीद दिवस मनाना चाहते हैं ।

मान्यवर, आज इस आजाद हिन्दुस्तान में शहीद दिवस मनाने पर रोक से छात्रों तथा अध्यापकों में भीषण असंतोष तथा उत्तेजना है । छात्र आंदोलित है । आंदोलन इतना गहरा हो गया है कि यदि अनुमति न दी गयी तो भी छात्र समारोह करेंगे तथा सभी प्रतिबंध तोड़कर उन्होंने 27 फरवरी को शहीद दिवस मनाने का संकल्प किया है ।

इस सन्दर्भ की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर उसके त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेप की आशा करता हूं कि जिससे कि यह "काला प्रतिबंध" उठाया जा सके ।

ग्राम गौना गढ़वा, थाना बरहज, जिला देवरिया निवासी श्री गोविन्द कोइरी को बम प्रहार से मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री नन्दकिशोर सिंह--

महोदय, श्री गोविन्द कोइरी ग्राम गढ़वा, थाना बरहज, जिला देवरिया को 9 फरवरी, 1981 को 8 बजे सुबह बम से प्रहार कर जान से मार डाला गया । अभी तक मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस सम्बन्ध में पिछले विधान सभा में दिनांक 9 अक्तूबर, 80 को विधान सभा में शून्य प्रहर के अन्तर्गत इनके जानमाल की सुरक्षा की बात की गयी थी । इनको 6 अक्तूबर, 1980 को बरहज की पुलिस पकड़ कर मार कर हाथ पैर तोड़ दिया इनको जान से मारने की तैयारी पुलिस कर रही थी तब तक जिले के जन प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए तब उनकी जान बची । जान से मारने हेतु पुलिस को 90 हजार रुपया मिला उस समय उन्हें नहीं मारा जा सका । अब इनको जान से मार डाला गया । रुपए पाने का काम हो गया ।

इस कांड से पूरे क्षेत्र में आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मुलजिमान के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोरखपुर जनपद गाजीपुर से बेरिया ग्राम जनपद बलिया तक बांध बनाए जाने से किसानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम नरायन–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जनपद गाजीपुर एवं बलिया जनपद में अलाभकर बांध जो गोरनपुर परगना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर से बलिया जनपद के बेरिया ग्राम तक लगभग 80 किलोमीटर बांध बाढ़ से राहत के नाम पर कई करोड़ रुपया लगाकर तेजी से मनमाने ढंग से गाजीपुर बलिया सड़क के सटे बनाया जा रहा है । और बिना कोई सर्वेक्षण कराये कृषकों की लगी फसल बिना मुआवजा दिए काटकर खताई से मिट्टी निकाली जा रही है । महोदय यह विस्तृत बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्र सदियों से बाढ़ की चपेट में आता रहा है और प्रतिवर्ष लाखों रुपये एवं जन धन की बरबादी होती है । इस क्षेत्र में लगभग 500 ग्राम आते हैं, परन्तु इस गलत बांध के निर्माण से सड़क से दक्षिण के ग्रामों की दयनीय दशा बाढ़ एवं वर्षा के दिनों में बदतर हो जावेगी और ये सभी गांव बाढ़ में बह जाएंगे और इसका दृश्य चीन देश के हुवांगहो नदी की भयंकर बाढ़ सी हो जावेगी और लोग उक्त बांध को अपनी सुरक्षा के नाम पर काट कर फेंक देने के लिए बाध्य हो जावेंगे और देश की कई करोड़ धनराशि पानी में बह जायगी । क्षेत्रीय जनता ने सरकार एवं सम्बन्धित अधिकारीगण के यहां इस सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिया है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे काफी जन असन्तोष है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस गलत निर्माण को स्थगित करने हेतु मांग करता हूं तथा तुरन्त ठोस प्रभावी कदम उठाए जाने की सरकार से अनुरोध करता हूं ।

भूमि आवंटन के कब्जे के विवाद में श्री महादेव सिंह, निवासी ग्राम सराय, थाना शिवरतन गंज, जिला रायबरेली द्वारा श्री मुसई की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रागसागर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । जनपद रायबरेली के थाना शिवरतनगंज अन्तर्गत ग्राम सराय भावों के भूमिहीन हरिजन मजदूर 11 कृषकों को विगत वर्ष 1963-64 में भूमिहीन होने के नाते सरकार ने ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि का पट्टा किया था जिसे सभी काश्तकारों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए तत्काल जोतना बोना शुरू कर दिया था । इसी गांव के ही एक जागीर सामन्त श्री महादेव सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी । फलतः वह अपने ताल तिकड़म से मुकदमें चलाकर आवंटियों को परेशान करते हुए उस भूमि से अपना कब्जा हटा लेने की और बार-बार जान माल की नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना व तरह तरह से उत्पीड़ित करना प्रारम्भ कर दिया । भूमिहीन इस उत्पीड़न व परेशानी से लगातार पीड़ित रहे और अब तक न्याय की भीख मांगते रहें और सरकार इसको नजरअन्दाज करते हुए सामन्त की ही बातें मानकर उन्हें मान्यता दे रही है, जिससे प्रेरित होकर उक्त सामन्त ने अपने दल बल के साथ दिनांक 7/8 फरवरी, 1981 को उपरोक्त मुसई पुत्र सरजू आवंटी को किवाड़े फाड़ कर गोली चलाकर मार डाला जब उसकी विधवा सुखरानी व परिवार के लोग रिपोर्ट लिखवाना चाहे तो पुलिस वालों ने उन्हें डराया-धमकाया, सही रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही नहीं की गयी उक्त कब्जे को लेकर की गयी हत्या की सनसनीखेज घटना से दस शेष भूमिहीनों के परिवारों को उत्पीड़ित करने से सम्पूर्ण क्षेत्र के गरीब मजदूर किसान भयभीत हो गए हैं ।

मैं आपके माध्यम से उक्त घटना में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने एवं भूमिहीनों की भूमि को सामन्त द्वारा कब्जा हटाने और शेष 11 लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा मृतक परिवार की विधवा को मुआवजा दिए जाने की मांग करता हूं ।

ग्राम पुवारी कलां, थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी के निवासी राजभर जाति के मकानों को सवर्णों द्वारा जलाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दूधनाथ राजभर–

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ग्राम पुवारी कलां थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी में कुल 40 परिवार (राजभर) पिछड़ी जाति के लोग बसते हैं । रंजिश के कारण दिनांक 10-2-81 को दिन के लगभग 3 बजे ठाकुर (सवर्ण जाति) के कुछ आतंकबाजों ने पिछड़ी जाति से रंजिश का बदला चुकाने तथा उन्हें बरबाद करने एवं उजाड़ कर उन गरीबों को वहां से भगा देने की स्थित से खतरनाक हथियारों से लैश होकर उक्त गांव पर चढ़ाई कर दी । उनके सामानों को लूटा पाटा गया, 36 मकानों में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, परिणाम स्वरूप सारे मकान मय सरोसामान के जलकर राख हो गए । लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया ।

आततायियों तथा सामन्ती लोगों के इस प्रकार के जघन्य अपराध को मुकामी पुलिस छिपाना चाहती है । बड़ा गांव थाने के इन्चार्ज दरोगा की सह आतंक वादियों को मिल रही है जिसके कारण स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है । ये लोग जो सर्वथा समाज की सर्वाधिक पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके रोजी-रोटी तथा आवास का कोई ठिकाना नहीं रह गया है । लोग आज भी भयाक्रान्त हैं । शासन की ओर से जो राहत कार्य किया जा रहा है वह अपर्याप्त है । पास-पड़ोस तथा दूसरे जनपदों के समाज के कमजोर वर्गों के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं ।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त गांव के प्रभावित जनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें फिर से बसाया जाय । इनकी क्षति पूर्ति की जाय । निष्क्रिय पुलिस को दंडित किया जाय । दोषी जनों पर मुकदमा चलाया जाय, घटना की न्यायिक जांच की जाय तथा ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि इस प्रकार के जघन्य अपराधों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके ।

श्री मोहम्मद अबरार द्वारा की गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री मोहम्मद अबरार अहमद –

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का एक नोटिस दिया था, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

डायरी में नाम न छपने वाली बात थी उसे सूचना विभाग के अधिकारियों ने ठीक कर दिया है और उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया है । दूसरी जो सूचना थी वह भी सूचना विभाग के मंत्री को जानकारी करने के लिए भेज दी गयी है । उनसे उत्तर आने पर निर्णय लिया जायगा ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, उन्होंने जो खेद प्रकट किया न तो उसकी सूचना मुझे दी है और न दूसरी डायरी ही बंटवायी है । इस सूचना विभाग ने उसमें 11 मंडल ही अंकित किए हैं तो जानबूझकर ऐसा किया गया है और इसकी जिम्मेदारी निदेशक पर शायद होती है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आने दीजिए । मंत्री जी स्वयं बताएंगे ।

विधान सभा सचिवालय की स्वायत्तता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है । विधान सभा के सचिवालय की स्वायत्तता पर शासन के अनुचित हस्तक्षेप के बारे में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है । 1967 में विधान सभा सामान्य प्रशासन और शासकीय विधि के नियंत्रण से अलग हुआ था । सन् 1974 में यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा नियमावली भी बनी थी और उसकी स्वीकृति भी राज्यपाल महोदय ने दे दी थी कि अध्यक्ष के नाम से सारी कार्यवाही होगी और अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा । अभी एक माननीय सदस्य डायरी में नाम का जिक्र कर रहे थे । यही नहीं पहले की डायरियों में हमारी विधान सभा के विभागाध्यक्ष, जैसे सचिव हैं उनका नाम छापा जाता था । हमारा यह सदन अरबों रुपये को हर वर्ष स्वीकृति देता है । अभी जाड़े बीत गए हैं लेकिन इस सदन का जो सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी है, उसको सूती वर्दी में ही देखता रहा । विधान सभा की यह स्थिति है । कुछ कर्मचारियों के बारे में आपका निर्णय हुआ था ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइए । वह पत्रावली मुख्य मंत्री के पास है ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर बोलते रहने पर)

इसके बाद की कार्यवाही नहीं लिखी जाएगी ।

आप कृपया बैठ जाइए, आपका पूरा प्रश्न मेरे पास आ गया है लिखा हुआ । अब इसके बाद फिर आप वही कहना चाहते हैं । अगर हम इजाजत दें तब भी आप वही उठाएंगे । इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो प्रश्न उठाए हैं वह विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित है । इन प्रश्नों के लिए यहां पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है । यह कोई पहली घटना नहीं है । इसके सम्बन्ध में आपने पहले भी देखा होगा । विधान मण्डल, विधान सभा सचिवालय तथा उसके कर्मचारियों के बारे में या प्रशासनिक मामले में न तो सदन में चर्चा हो सकती है और न ही जानकारी मांगी जा सकती है । इस प्रकार के निर्णय कई बार इस सदन में लिए जा चुके हैं । इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन (अप्रैल 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक) के पृष्ठ 109 और 110 पर निर्णय संख्या 60, 61 और 62 तथा पृष्ठ 282 पर निर्णय संख्या 146 अवलोकनीय है । प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होना चाहिए और यह तत्समय सदन के समक्ष किसी काम के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है । जिस औचित्य के प्रश्न को आप ने उठाने की अनुमति मांगी है वह इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आता । अतएव उपर्युक्त निर्णयों तथा नियम 300 के उपबन्धों को देखते हुए उक्त औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981*

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने बड़े गौर से देखा है । इसमें 4 पृष्ठ पर है, जैसे 16छ, की उपधारा (2) में नया खण्ड का बढ़ाया जाना । 16--ग को आप देखें इसका मूल उद्धरण मेरे पास नहीं है, केवल बढ़ाया जाना है । इस तरह से कैसे इसको समझें । वह हमको दिला दीजिए तभी इसको उपस्थित करने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जिन धाराओं में संशोधन किए जा रहे हैं उनसे संबंधित मूल अधिनियम की संगत धाराओं के उद्धरण दिए हैं जो नई धाराएं जोड़ी हैं, उसका तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस पर एक बार मैंने पहले भी आपत्ति की थी, माननीय बनारसी दास पीठासीन अधिकारी थे, लेकिन उन धाराओं का इसमें कोई उद्धरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मूल अधिनियम की धारा 16--ङ में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी । यह 5 के पश्चात् नई धारा 6 बढ़ा दी जायगी । जिसमें संशोधन होना है उसमें मूल अधिनियम भी दिया हुआ है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारे पास जो कापी है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आप देखें, इसमें उद्धरण भी दिया हुआ है ।

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के एक वक्तव्य के ऊपर, जो 218 करण हैं, आपके द्वारा दिए हुए निर्देश हैं, उनके अन्तर्गत दिया है ।

मान्यवर, उन्होंने इस आदरणीय सदन में वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि जो गेहूं का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसमें 130 रुपया कास्ट आफ़ प्रोडक्शन और 10 रुपया. . . . .

---

*दिनांक 27 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मंत्रीजी के पास गया है । अभी उत्तर नहीं आया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव श्री कुबेर भण्डारी, श्री नन्द किशोर सिंह श्री धरम पाल और श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद का है जो सरदार नगर का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बन्धू सिंह के नाम पर बन्धू नगर के सम्बन्ध में है ।

दूसरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव है श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह का जो प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बलिया में व्यापक भुखमरी से उत्पन्न विषम स्थिति के बारे में है ।

तीसरा श्री मोती लाल दहेलवी का है जो थाना परमपुर जनपद गोण्डा की पुलिस द्वारा दिनांक 12-2-81 को इसी थाने के गौरीगंज ग्राम में श्री राम सरन के मकान में दरवाजा तोड़ कर घुस कर लूटपाट तथा श्री राम सरन की पुत्री के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में है ।

चौथा श्री प्रदीप कुमार यादव का है जो ग्राम पुवारी कलां, थाना बड़ांगांव, जिला वाराणसी में दिनांक 10-2-81 को दिन दहाड़े सशस्त्र सवर्णों द्वारा एक पिछड़ी जाति के लोगों पर हमला तथा 60 मकानों को जला दिए जाने के बारे में है ।

सभी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं ।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मेरे वाले को स्वीकार कर लें ।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, लूटपाट तथा बलात्कार हुआ है, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, सुन लें । बहुत आवश्यक है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से नहीं । आप लोग कृपया बैठ जांय ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

[××]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जाएगा ।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, अतः मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गए)

नोटः--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 7–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 47–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93–राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 114–राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–ऋण और अग्रिम

(12 बजकर 58 मिनट)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,62,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,54,49,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,90,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93 राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

[श्री बैजनाथ कुरील]–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114–राजस्व विभाग --ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 1,32,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 115–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,69,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इस वृद्धि का मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि, मंहगाई दरों में वृद्धि तथा मूल्यों की बढ़ोत्तरी है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्व विभाग द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारा जो राजस्व विभाग है इसका काम गांवों तक फैला हुआ है और हमारे विभाग का लगाव, जुड़ाव तथा संबंध गरीब तबके से है । हमारे समाज में आप जानते हैं कि आर्थिक असमानता बहुत है । कुछ लोग साधन सम्पन्न हैं, साधन युक्त हैं कुछ लोग गरीब हैं साधनहीन हैं । उनके पास अपना जीवनयापन करने का प्रबन्ध नहीं है । प्रदेश में लगभग एक करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें ज्यादातर भूमिहीन हैं, हरिजन है और पिछड़े लोग हैं । तो उनको जो हैब नाट्स है साधनहीन है, जो हमारी सरकार है उन तक कुछ सहायता पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है । जो साधनहीन हैं निर्धन हैं उन तक कुछ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । जमीन देने में सबसे अधिक पट्टा 75-76 में दिए गए और लगभग 6 लाख 22 हजार हेक्टेयर जमीन के पट्टे दिए गए और सीलिंग से निकली जमीन 1 लाख हेक्टेयर आवंटित किया गया । इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है । उनके लिए भी प्रबन्ध किया गया है ।

आवास के लिए जमीन के टुकड़े दिए और कुछ सहायता भी दी गई है । सीलिंग से निकली जो जमीनें बांटी गई हैं उनके लिए भी प्राविधान किया गया है कि एक हजार रुपए प्रति हेक्टेयर भूमि सुधार के लिए उनको दिया जाए । जो जमीन दी गई उस पर कब्जा दिलाने के लिए भी 17 जून, 1980 से एक अभियान चलाया गया और उसकी भी जांच का प्रबन्ध किया गया है कि जो कब्जा दिलाते हैं और रिपोर्ट दे दी कि कब्जा दे दिया तो वास्तव में उनका कब्जा है या नहीं । इस जांच में जिलाधिकारी और कमिश्नर जाएंगे और गए भी हैं । मुख्यालय से भी इसकी जांच का प्राविधान किया गया है कि अगर कब्जा सही नहीं पाया जाएगा तो उन कर्मचारियों के खिलाफ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, सख्त कार्यवाही की जाए । कब्जा दिलाने के प्रक्रिया को सरल और सख्त भी बनाने के लिए कुछ संशोधन हुए हैं । इसमें अगर मौके पर कब्जा दिला दिया गया और वहां के शोरेपस्त लोग फिर कब्जा कर लेते हैं तो उनके खिलाफ 6 माह से 3 साल तक की सजा और जुर्माना की भी व्यवस्था की गयी है ।

उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, यह एक चिन्ता का विषय है । इस ओर भी शासन का ध्यान गया है । इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है । पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के खेतिहर मजदूरों, भूमिहीनों निर्बल लोगों के पास जो जमीन है उसको नियमित, कुछ शर्तों के साथ किया जाएगा । जैसे जुलाई 25 से उनका उस पर कब्जा होना चाहिए, उनके पास 3 1/8 एकड़ से ज्यादा भूमि न हो ।

प्रशासन के विकेन्द्रीकरण, इसमें सितम्बर 1980 से मुरादाबाद का नया मंडल बनाया गया, 18 नवम्बर, 1980 से इलाहाबाद में नई तहसील बारा बनायी गयी । 44 तहसील मुख्यालयों पर परगनाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कार्यालय, न्यायालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण होना है । कुछ स्थानों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । गाजियाबाद जिले में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण दिसंबर, 1980 में स्वीकृत किया गया है । 15 पुरानी तहसीले भवनों का पुन-निर्माण तथा नवीकरण होना है । 7 तहसील मुख्यालय में गढ़मुक्तेश्वर, ताल बेहट, धौरहरा आदि में कार्यालय भवनों का निर्माण कराने का निश्चय किया गया है ।

वर्ष 1980-81 में 3·80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में 8·80 करोड़ की लागत से चकबंदी कराई गई और 1981-82 में 3·85 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में 9 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से चकबंदी कराने का प्रयास होगा ।

हमारा प्रदेश सन 1980 में पहले सूखे से और फिर बाढ़ से बहुत घिर गया था बहुत परेशानी में पड़ गया था । उसके लिए भी पूरा प्रयास हुआ । (इस समय एक बजकर ग्यारह मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि सारा शासन उसमें लग गया था और किसी तरह से लोगों को उसमें राहत देकर उबारा गया । राज्य को सूखे के लिए 43·52 करोड़ और बाढ़ के दौरान 35·53 करोड़ रुपया, दोनों को मिलाकर 79·05 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई । दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए आय-व्ययक में 10·80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी और इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों की सहायता कार्य हेतु अनुपूरक मांग, राज्य अधिकारिक निधि से अग्रिम लेकर 49·67 करोड़ रुपए की व्यवस्था 1980-81 में की गयी थी । आपदा, तकाबी हेतु भी 7·35 करोड़ रुपए का प्राविधान वर्ष 1980-81 में किया गया । गृह निर्माण अनुदान के नियमों को शिथिल किया गया ताकि उन लोगों को जो भूमिहीन तथा सीमांत किसान नहीं है उनका भी मकान क्षतिग्रस्त होने पर उनको लाभ पहुंच सके । उन्हें भी सहायता मिल सके । भवन निर्माण सहायता शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को भी दी गयी है । 30 नवम्बर, 1980 तक के लिए कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई थी । सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देयों का अवशेष 6 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाएगा जबकि अन्य जगहों पर 3 किश्तों में वसूल किया जाएगा । भू-राजस्व की छूट खरीफ के लिए भी दी जायगी जिस प्रकार से रबी की फसलों के लिए दी जाती है । माननीय सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और पूरा महत्व दिया जाएगा, शासन उन सुझावों का लाभ उठाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

[श्री भीखा लाल—]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अंतरगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 84--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93--राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 114--राजस्व विभाग, ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति को आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी राजस्व मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में इस विभाग पर थोड़ा सा प्रकाश डाला । मान्यवर, यह विभाग इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस प्रदेश का मुख्य उद्यम कृषि है और हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि से सम्बन्ध रखने वाला यह विभाग है इसलिए इस विभाग की नीतियों का असर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है । प्रदेश की आय में कृषि क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा रहता है । अगर हमारी कृषि की आय में कमी आएगी तो स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कमजोर होगी और प्रदेश के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा । पिछले वर्ष सूखा के कारण कृषि आय में 764 करोड़ की कमी आयी । उससे हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को गहरा धक्का लगा । मान्यवर, हमारा प्रदेश भूमि सुधारों के मामले में देश में अगुवा रहा है । सबसे पहले हमारे प्रदेश में जमींदारी विनाश कानून पास हुआ । लेकिन इसके बाद हमारे प्रदेश में भूमि सुधारों में जो शिथिलता आयी है उसके फलस्वरूप हम पिछड़ते जा रहे हैं और हमारे मुकाबले में दूसरे प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं । हमने जमींदारी विनाश के समय जो कल्पना की थी कि जमीन का मालिक उसको जोतने वाला होगा वह सपना पूरा नहीं हुआ और जमींदारी विनाश के बाद हमारे यहां जमीन की लूट हुई । हजारों एकड़ के फार्म उस लूट के परिणाम हैं । जमीनों का कन्सं-ट्रेशन यानी जमीनों का जमाव कुछ हाथों में पहुच गया । इसी कारण भूमि का

जो बंटवारा है उसमें बहुत असमानता है । जो लूट हुई उसमें यही नहीं कि हमारे प्रदेश के लोग ही भागीदार रहे हों बल्कि बाहर के लोगों का भी उसमें हिस्सा रहा । आप देखें कि तराई में इतने बड़े-बड़े फार्म कायम हैं वे लोग हमारे प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं । रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री आफिसर्स और जमींदार और ताल्लुकेदार घरानों से सम्बन्ध रखने वाले लोग उन पर कायम हैं ।

इस असमानता को दूर करने के लिए प्रदेश में बहुत से प्रयास किए गए और एक्सपेरीमेन्ट किए गए । बराबर यह प्रयास किया गया कि जमीनों को भूमिहीनों में बांटा जाय और इस असमानता को कम किया जाय लेकिन स्थिति आज यह है कि 1971-72 में एक नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 172 लाख परिवार कृषि पर आधारित थे । इस 172 लाख परिवारों में से 86 लाख परिवार एसे थे जिनके पास या तो भूमि नहीं थी या एक एकड़ से कम थी । यह कुल परिवारों का 50 प्रतिशत है । इन 50 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का केवल 4 प्रतिशत भाग था । इसके विपरीत 10 एकड़ से ऊपर के जोतदारों का प्रतिशत 4.3 था लेकिन उनके पास 30 प्रतिशत भूमि थी । इस असमानता को दूर करने का प्रयास तो किया गया लेकिन यह भेदभाव उसी तरह विद्यमान है । अगर हम पीछे जाकर देखें तो जमींदारी एबोलीशन के समय 1953 में एक एकड़ से कम भूमि वाले परिवार केवल 45 लाख थे, वह बढ़कर 1972 में 86 लाख हो गए । तो हमारे भूमि सुधार किस दिशा में जा रहे हैं उसकी वह कसौटी है । हम भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं तो उसकी उल्टी तस्वीर सामने आती है । जैसाकि मंत्रीजी ने खुद कहा कि हमारे यहां खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है बावजूद इसके कि हम उनको जमीन देकर खेतिहर बनाना चाहते हैं । भारत सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 1964 से 1974 के बीच जनसंख्या में वृद्धि 18 प्रतिशत हुई लेकिन ग्रामीण श्रमिक परिवारों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह एसी चीज है जो हमको दिखाती है कि हमारे भूमि सुधार ठीक प्रकार से नहीं हुए । इस असमानता को दूर कराने के लिए हमने 1960 में जोत हदबन्दी कानून बनाया । 40 एकड़ की सीमा रखी गई जोतों की । हमने पिछले साल भी कहा था कि उस समय माननीय हुकम सिंह जी राजस्व मंत्री थे । उन्होंने जब इस कानून को पास कराया था तो उन्होंने घोषणा की थी कि इस कानून के अमल में आने के बादे हमारे प्रदेश में 14.5 लाख एकड़ जमीनें अतिरिक्त निकलेंगी । ग्राम समाज आदि की भूमि को मिलाकर 29 लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों में बांटी जाएगी । लेकिन 1960 का कानून लागू होने के बाद केवल 2 लाख एकड़ जमीनें ही निकली ।

अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि कानून एसा जानबूझकर बनाया गया था कि बड़े-बड़े फार्म्स वाले हैं उनको नुकसान न पहुंचे क्योंकि वे उस तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं । उसमें लूपहोल्स रखे गए थे । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा जिस समय वह बिल यहां पास कराया जा रहा था और वह मूल रूप में आया था तो उसमें 15 अगस्त, 1960 सीमा रेखा रखी गयी थी कि इसके बाद के हस्तान्तरण मान्य नहीं किए जाएंगे । फिर सरकार की ओर से संशोधन आया कि 15 अगस्त के स्थान पर उसे 20 अगस्त कर दिया जाय । 5 दिन में कौन सी गुत्थी सुलझने वाली थी । शासन पार्टी में कुछ एसे प्रभावशाली आदमी थे जिनके हस्तान्तरण 5 दिन

[श्री भीखा लाल–]

में हुए थे उनको मान्यता देनी थी जिससे 5 दिन और बढ़ाए गए । 1972 में दूसरा संशोधन हुआ जो बड़ा क्रान्तिकारी संशोधन कहा जाता है । इसके द्वारा 40 एकड़ की सीमा को 18 एकड़ कर दिया गया । 18 एकड़ को लागू करने के बाद जो अतिरिक्त जमीन घोषित की गयी वह है 2,79,905 एकड़ है उसमें से अभी तक राज्य सरकार को 2,54,205 एकड़ मिली है और उसमें वितरित की गयी है 2,23,256 एकड़ तो 60 से लेकर अब तक पौने 5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सीलिंग घोषित की गई जबकि सीमा घटाकर 18 एकड़ कर दी गयी थी । सीलिंग कानून का उनका बड़े-बड़े फार्म्स वालों ने धज्जियां उड़ा दी और धज्जियां उड़ाई बड़े-बड़े फार्म्स वालों ने माल विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मिलकर जिसकी कहानी आप भी जानते हैं । स्वर्गीय मंगल देव विशारद आज हमारे बीच में नहीं है । उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी । एक ऐतिहासिक दस्तावेज उन्होंने दिया था । एक एक फार्म का विश्लेषण उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया था और बताया था कि किस तरह से कानून को तोड़ा मरोड़ा गया लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । वही फार्म है, उनका वही आकार है और इतनी ऐतिहासिक रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया गया । किस तरह से जमीनों को बचाया गया है उसका एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूं । लखीमपुर खीरी में पलिया के इलाके में ग्राम पटियान में एक फार्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया कलेक्टिव फार्म्स एंड फारेस्ट प्राइवेट लि0 4500 एकड़ का यह फार्म है । इसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में पंजाब तक के लोग है । बड़े-बड़े फ्यूडल घराने के लोग हैं, गिलीटरी तथा सिविल आफिसर्स है पंजाब सरकार के सेवा निवृत्त मुख्य सचिव ज्ञान सिंह कहलो है । ऐसे लोगों का यह फार्म है । जितने डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स इस कम्पनी में है उसके पास अलग से 5 हजार एकड़ व्यक्तिगत तौर से जमीनें है । साढ़े चार हजार एकड़ से यह कम्पनी बनी । जमीन को बचाने के लिए माल विभाग के अधिकारियों से मिलकर मालखाने से खसरा और खतौनी निकालकर फर्जी इन्दराज कराए गए । दोनों किस्म की नकलें मौजूद है– पहले कैसी थी खतौनी और बाद में कैसी हो गयी । फर्जी हस्तांतरण किए गए । मरे हुए आदमियों के नाम हस्तान्तरण किए गए । बीबी के नाम हस्तान्तरण किए गए और हलफनामे में दिखाया गया लड़की है क्योंकि बीबी परिवार की सीमा में आ जाती । ऐसे आदमियों के नाम हस्तान्तरण किए गए जिनका कोई वजूद नहीं है । यह सब लिखा पढ़ी में मौजूद है क्योंकि फर्जी हलफनामे दिए गए है इसके सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत भी आई है । दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह जो कम्पलेन्ट दी गई कि इसकी जांच कराएं ।

उत्तर प्रदेश सरकार के पास सैकड़ों इस तरह की कम्पलेंन्ट की गयी । मुख्य मंत्री जी के पास उन्होंने अपनी एक चिट्ठी भेजी है और उसकी एक प्रति मेरे पास भी मौजूद है । यह कम्पलेन 8 नवम्बर, 1980 को मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है । माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी के उस लेटर में सब तथ्य दिए हुए है और जिस आदमी ने कम्पलेन की है, उसको सारे वाकयात मालूम है । और कागजी सबूत भी मौजूद है लेकिन अगर साहस हो माननीय राजस्व मंत्री जी में, अगर साहस हो उनकी सरकार में तो जांच करा लें । मैं मांग करूंगा । माननीय मंत्री जी से इसकी तत्काल जांच कराई जाय और उसमें शामिल लोगों को, उसमें साठ-गांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों को, उसमें मिले हुए कर्मचारियों को मुनासिब सजा दी जाय ।। सीलिंग से बचने के लिए अनेकों कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गयीं । यह सोसाइटीज अपने परिवार के लोगों को मिलाकर बनाई गयीं । उन्होंने हजारों एकड़ भूमि का घपला किया है । हजारों एकड़ की अपनी जमीन बचाई है ।

मेरी मांग है माननीय मंत्री जी से और इस सदन से कि जितनी सीलिंग से बचने के लिए पारिवारिक सहकारिता की समितियां बनी है, उनकी वैधता को देखा जाय । यदि वे समितियां वैधानिक है तो उनको मान्यता दी जाय अन्यथा सीलिंग के कानून के दायरे में लाने की व्यवस्था की जाय ।

सीलिंग के मुकदमों के लिए, सीलिंग के मुकदमों को निपटाने के लिए अलग से अदालतों का प्रबन्ध किया जाय। सीलिंग के मुकदमों को निपटाने में मौजूदा अदालतें बहुत समय लगाती हैं। यदि अलग से केवल सीलिंग के मामले निपटाने के लिए अदालतें होंगी, तो मुकदमों का निपटारा जल्दी और समय से होगा और किसानों का पैसा भी कम खर्च होगा।

अभी आगे को सीलिंग जारी रखने के लिए शासन ने आदेश दिए हैं। मान्यवर, अगर अलग से अदालतें होंगी तो वे केवल इसका काम करेंगी और जल्दी से मुकदमों का निपटारा हो जाएगा, मान्यवर मैंने पिछले साल भी इस बात को कहा था और आज फिर कहता हूं कि हमारे खेतिहर प्रदेश में कृषि की व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि हमारे प्रदेश की कृषि की व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। कृषि एवं भूमि सुधार कानून को लागू कराने के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर भूमि सुधार डाइरेक्ट्रेट कायम किया जाय, हर जिले में भूमि सुधार डाइरेक्ट्रेट के अलग से अधिकारी रखे जायं इस समय जिलाधिकारी, एस0 डी0 एम0 तथा तहसीलदार इस काम को करते हैं। एस0 डी0 एम0, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर के पीछे सैकड़ों काम लगे रहते हैं। तहसीलदार को तमाम काम लगे रहते हैं। आज हम शिकायत करते हैं कि मौके पर लेखपाल पड़ताल करने नहीं गया या पड़ताल करने नहीं पहुंचा। उनके पास अन्य तमाम काम रहते हैं, अतः वे इन कामों को नहीं देख सकते। अगर इन्हें ठीक तरह से लागू कराना है तो इसके लिए भूमि सुधार डाइरेक्ट्रेट कायम कीजिए।

कुछ लोगों का विचार है और इसका प्रचार भी किया जाता है कि यदि बड़े फार्म होंगे तो खेती ठीक तरह से होगी, उसमें आधुनिक मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, अच्छे बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का उचित प्रबन्ध होगा और पैदावार अधिक होगी। परन्तु यह बात भी गलत सिद्ध हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा नेशनल सेम्पुल सर्वे हुआ था, उसके 26वें चक्र में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जितनी छोटी जोत होती है, उसमें ज्यादा पैदावार होती है। उन्होंने मिसाल दिया है कि ढाई एकड़ के कम जोत वालों के पास कुल भूमि 9.2 प्रतिशत थी उन्होंने पैदावार का ज्यादा हिस्सा दिया। प्रदेश की कुल पैदावार में उन्होंने 9.6 प्रतिशत पैदावार दी। इसके अतिरिक्त जो 10 से अधिक एकड़ भूमि वाले थे, उनके पास 55 प्रतिशत भूमि थी लेकिन पैदावार में उनका योगदान हिस्सा था केवल 52 प्रतिशत तो छोटी जोत वाले अधिक पैदावार करते हैं और बड़ी जोत वाले पैदावार कम करते हैं। छोटी जोत पर साल में 140 पुरुष दिवसों का काम होता है और बड़ी जोत वालों पर 90 पुरुष दिवसों का कार्य होता है। बड़े-बड़े फार्म जिन्होंने कानून को बाई पास करके जमीने पचाई है, उन पर सख्ती से सीलिंग कानून लागू किया जाय।

अगर समाज में और विशेष तौर से देहातों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो श्रमिकों को जमीनें देनी होंगी जो एक सामाजिक सम्मान का सम्बल है अन्यथा हमारे ग्रामीण जीवन में आपसी कटुता, आपसी वैमनस्य, आपसी रोष पनपेगा और वह कभी भी हिंसक रूप धारण कर सकता है।

मान्यवर, इस चीज को देखते हुए कि भूमिहीन तथा श्रमिक मजदूर अपने को समाज में समानता के आधार पर महसूस कर सके, अपने को गौरवान्वित कर सके यह

[श्री भीखा लाल–]

आवश्यक है कि सीलिंग कानून को सख्ती से लागू करके जमीनें बांटने का कार्य पूरा किया जाय । सीलिंग की जमीनों के आवंटियों को शासन ने 1000 रू0 का अनुदान दिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य चीज है लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ग्राम समाज की जमीनें हैं, जो भूमिहीनों को दी गई हैं, वह ऊसर और बंजर जमीनें दी गई हैं, उन लोगों को भी एसी सहायता दी जाय कि वह उस ऊसर भूमि को सुधार कर उसे कृषि योग्य बना सकें । सरकार द्वारा ऊसर भूमि सुधार योजना चलाई जा रही है । कृषि विभाग अपना पैसा और साधन लगाकर उन जमीनों को कृषि योग्य करता है । यदि वैसी सुविधाएं, साधन और फर्टिलाइजर तथा केमिकल किसानों को दिए जांय तो वह उनकी सहायता से ऊसर भूमि को उपजाऊ बना सकता है । मैं मा0 माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें । हमारे जमींदारी एबालिशन के बाद मैदानी क्षेत्रों में 32 लाख एकड़ जमीन जंगल विभाग को दी गई थी । यह ठीक है कि अधिक से अधिक जंगल लगाए जांय लेकिन खाली जमीन आवंटित कर देने से ही तो जंगल नहीं लग जाएंगे । मैदानी इलाकों में जितनी जमीनें उनको दी गई हैं जरा इसका सर्वे कराया जाय तो पता चले कि 30 साल में कितने एकड़ में जंगल लगाया गया है । मैं अपने जिले की बात जानता हूं । कई बार वहां जंगल लगाए गए, तार से घेरा गया लेकिन अगर आज जाकर देखें तो वहां पर न तार है, न जंगल है और न पेड़ है । वहां कुछ नहीं है, जमीनें उसी तरह से पड़ी हुई हैं । इनमें बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिन पर जंगल लगाया जा सकता है और बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो जंगल लगाने योग्य नहीं है । सरकार को चाहिए कि ऐसी जमीनें ग्रामसमाज को दे दी जायं और उनका आवंटन भूमिहीनों में किया जाय ताकि जहां पर बबूल की जगह गेहूं और धान पैदा किया जा सकता है, वह किया जाय । जंगल विभाग के नाम पर जमीन रखे रहना मेरी समझ से बिल्कुल अपने प्रदेश के हित में नहीं है । इस सबका सर्वे कराना चाहिए और सर्वे होकर जंगल विभाग की जमीन ग्राम समाजों को वापस होना चाहिए । मान्यवर, अब मैं तीन साल की दैवी आपदाओं की बकाया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सन् 1978 में बाढ़ आई । 1979 में सूखा पड़ा । 1980 में अतिवृष्टि और बाढ़ आई । शासन ने 4 फसलों का भू-राजस्व मुल्तबी कर दिया था क्योंकि किसानों में क्षमता नहीं थी । सिंचाई का टैक्स भी मुल्तबी कर दिया गया था । जिससे 180 करोड़ का बकाया हो गया है किसानों के ऊपर । इस साल की मुल्तवी 30 नवम्बर तक थी और पहली दिसम्बर से वसूलयाबी शुरू हो गई । मान्यवर, मा0 उपाध्यक्ष जी आप भी इस पर ध्यान दें, आपका जिला तो गन्ने का इलाका है पश्चिमी जिले गन्ने के इलाके हैं जहां गन्ने के इलाके हैं वहां तो हम मान सकते हैं कि पैसा आ गया हो । लेकिन यह कौन सा औचित्य है कि 30 नवम्बर के बाद पूरे प्रदेश में रिकवरी के आदेश दे दिए गए ।

दूसरी फसल जब तक काश्तकार को न मिल जाय तब तक पहली दिसम्बर में वसूलयाबी का कौन सा औचित्य है । लेकिन, मान्यवर, आपको औचित्य प्रदान कर दिया हमारे कृषि विभाग ने । और कृषि मंत्री जी ने कृषि विभाग के आंकड़े पढ़ दिए कि इस साल हमारी खरीफ की बम्पर क्राप हुई है । आप भी कृषक हैं, मैं भी कृषक हूं । हम सब जानते हैं कि बम्पर क्राप हुई है या पुवर क्राप हुई है । कृषि मंत्री जी का कहना है कि पिछले साल कृषि उत्पादन तो हमारे यहां 43.79 लाख टन हुआ था और इस साल हुआ 86 लाख टन । 100 प्रतिशत की वृद्धि । धान का उत्पादन हुआ था 25 लाख टन पिछले साल और इस साल 60 लाख टन । 140 प्रतिशत वृद्धि कृषि विभाग ने माननीय मंत्री जी को औचित्य प्रदान कर दिया । यह आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं । इनमें कोई वास्तविकता नहीं है । कृषि विभाग ने कैसे इन्हें निकाला । उसका कहना है कि इतने टन हमने उन्नतशील बीज बांटे यदि

[श्री भीखा लाल—]

इतना उन्नतिशील बीज बोया जाएगा तो प्रति हेक्टेयर इतनी पैदावार होगी । इतना उर्वरक बांटा गया जिससे पैदावार और बढ़ेगी । एकरेज मौजूद है उनके पास पिछले साल का । कितना धान बोया गया और कितनी अन्य फसलें बोई गई । कैलकुलेट साल का कितना धान बोया गया और कितनी अन्य फसलें बोई गई । कैलकुलेट कर लिया कागजों पर और एलान कर दिया कि बम्पर क्राप हुई । मैं मानता हूं, कृषि विभाग ने उन्नतिशील धान बंटवाया, उन्नतिशील बीज बंटवाया और उर्वरक बंटवाया और किसान ने वह धान बोया भी और ट्रांसप्लान्टेशन भी किया । लेकिन माननीय मंत्री जी को भी अनुभव होगा कि जिन जमीनों पर यह धान बोया गया था और फर्टीलाइजर डाला गया वह जमीन कमर तक पानी में गयी । लिहाजा सब फसल डूबकर सड़ गयी । उसके बाद किसान ने जिस जमीन में गेहूं बोया जाता था उसमें धान बो दिया । सब धान खराब हो गया, उसमें तरह-तरह के रोग लग गए । लिहाजा पैदावार चार आगे, छः आने भी नहीं हुई । कृषि विभाग कहता है बम्पर क्राप और उसी आधार पर आपने आदेश दे दिए कि वसूली की जाय । मान्यवर, इसका कोई औचित्य नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा । वह अपने उत्तर में इसका क्लेरिफिकेशन दें । रेवेन्यू मैनुअल पुराना हो गया है, आउटडेटेड, है, अंग्रेजी जमानें में बना था । उनकी कभी नीयत नहीं थी काश्तकारों को छूट देने की । लिहाजा उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि काश्तकार को छूट न मिले । इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको बदला जाय । मेरा स्पष्ट आरोप है कि हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मैनुअल के मुताबिक भी काम नहीं किया और अगर किया होता तो 78 की दैवी आपदा के लिए, 79 की दैवी आपदा के लिए शासन को इस 80 के अगस्त में आदेश नहीं जारी करने पड़ते कि नियमानुकूल छूट दी जाय । क्या जिला प्रशासन का यह कर्तव्य नहीं है कि नियमों के अनुसार कोई दैवी आपदा आती है तो शासन को प्राथमिक रिपोर्ट भेजें । शासन द्वारा रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद छूट की खतौनी बने और काश्तकार को छूट की परची मिले और उसके बाद लगान की वसूली हो । इस कर्तव्य का पालन नहीं हुआ । मान्यवर, अब आप के आदेश गए कहां 78 के छूट की खतौनी अब बनाई जाय । 79 की खतौनी अब बनाई जाय, 80 तो इसी साल का है वह बाद की बात है । 78 की छूट की खतौनी बन जायगी । मूल्यांकन लेखपाल करेगा कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ, कास्तकार ने क्या फसल बोई थी, और कितना नुकसान हुआ अब कोई प्रमाण मौके पर उपलब्ध नहीं है ।

तब कैसे मूल्यांकन होगा । यहां से आदेश जाते हैं और तब मूल्यांकन किया जाता है । सरकार में बड़ी उदारता के साथ घोषणा की है कि 180 करोड़ में 15 करोड़ की छूट दी जाएगी । यह 15 करोड़ लेखपालों की जेब में चला जाएगा । नियमों का पालन नहीं हो रहा है । अवैधानिक रूप से वसूलियां हो रही हैं, उनको रोका जाय । श्रीमान, मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में, जिन गावों में, जिन जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है उनकी शत् प्रतिशत फ्लेट रेट से माफी की जाय और जहां का नुकसान 50 फीसदी से कम हुआ है वहां 50 फीसदी माफ किया जाय । इरीगेशन मैनुअल में यह प्राविधान है कि यदि किसी क्षेत्र में 50 से 75 फीसदी नुकसान हुआ है तो वहां सिंचाई में आधी छूट दी जाएगी और 75 फीसदी

श्री भीखालाल—

से ऊपर नुकसान हुआ है तो पूरी छूट दी जाएगी । 78-79 का जो नुकसान हुआ वह व्यापक रूप से हुआ था इसलिए सिंचाई में भी छूट होनी चाहिए थी । मैं अपने जिले उन्नाव के बारे में बताऊं कि वहां पर 1388 फसली है खरीफ और 1387 फसली रबी में 75 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है इसलिए उनको पूरी छूट देनी चाहिए लेकिन वहां पर सिंचाई की पूरी वसूलियाबी हो रही है । सिंचाई विभाग अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर व्यापक तरीके से 75 फीसदी से ज्यादा नुकसान हो गया हो तो पूरी छूट होनी चाहिए । और जो अवैधानिक तरीके से वसूलयाबी हो रही है उसको रोंका जाय । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री पन्ने लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और माननीय सदस्य ने जो विरोध का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध कर रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर 75 प्रतिशत भूमिहीन, गरीब बसते है और वे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीलिंग की जमीनों को प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं । जो लोग भी यहां पर निवास कर रहे हैं वे बहुत गरीब हैं । उत्तर प्रदेश में जब भी भीषण बाढ़ आती है उसकी लपेट में यह इलाका आ जाता है इसलिए वहां की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में मंगलदेव विशारद ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यदि वे हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं, गरीबों भूमिहीनों का कल्याण करना चाहते हैं तो, उसको सख्ती से अमल में लावें । विशारद जी ने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया था कि जहां भी सीलिंग की जमीनें हैं वहां बड़े-बड़े काश्तकारों ने उसमें तालाब लिखवाकर, स्कूल मंदिर, बाग आदि दिखाकर सारी जमीन को बचा लिया है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को सख्ती से अमल करें । उनको यह विभाग इसलिए दिया गया कि वे एक गरीब हरिजन हैं, हरिजनों की बातों से वे प्रभावित होंगे । इसलिए मुख्य मंत्री जी ने उनको एक चुनौती का अवसर दिया है तो वे सख्ती से कदम उठावें । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भूमि का राष्ट्रीयकरण करें ।

राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथ में ले लें जिस तरह से अन्य चीजों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिन पर कि घाटा होता है उसका सरकार राष्ट्रीयकरण करती है । राजस्व विभाग के द्वारा भी भूमि जिस पर जो लागत होती है उससे घाटा ही होता है, जब घाटा होता है तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और जिनके पास वह जमीन है उनको सरकारी सेवा में न रखा जाय और कोई अन्य सुविधाएं न दी जायं । मैं आप का ध्यान सरदार नगर के सरदार सुरजीतसिंह मजीठिया जो लैण्ड लार्ड है उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं । उन्होंने वहां के एक शहीद बंधू सिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया और लैण्ड लार्ड बने हुए हैं । कहने को वह अपने को कांग्रेसी कहते हैं लेकिन वह कांग्रेसी हैं नहीं कांग्रेसी होते तो सबसे पहले अपनी जमीन को बांटते । पिछले तीन वर्षों में जनता शासन में उस जगह के वित्त मंत्री जी थे वह कहते थे कि सरदार नगर को हम बन्धू नगर बनाएंगे जब वह वित्त मंत्री हुए तो उनसे दौलत पा गए और बन्धू नगर बनाना भूल गए और सरदारनगर की भूमि को आवंटित नहीं करा पाए ।

जनता शासन में जो हमारे कांग्रेस शासन ने हरिजनों को भूमि दी थी उससे बेदखल करा दिया । मैं मानता हूं कि जिस ढंग से जमीन देनी चाहिए थी उस ढंग से सरकार नहीं दे पा रही है लेकिन जनता शासन में तो जो भी भूमि दी गयी थी उस

पर से उनको बेदखल करा दिया । इसके अलावा हमारे यहां कौवाडील ग्राम में ग्राम प्रधान हरद्वारी भट्ट ने साढ़े तीन एकड़ जमीन अपने लड़के के नाम कर दी । उनका लड़का मनीराम भट्ट फीर्टलाइजर फैक्ट्री में 8 सौ रु0 की सेवा करता है तो उसको विकलांग बनाकर साढ़े तीन एकड़ जमीन दे दी गयी । मैंने राजस्व मंत्री जी को शिकायती पत्र भी दिया था लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के जिन अधिकारियों की पदोन्नति होती है जैसे नायब तहसीलदार, परगना अधिकारी, या तहसीलदार वह लोग उसके बाद भी उसी स्थान पर बने रहते हैं दूसरी जगह नहीं भेजे जाते हैं जिससे वहां पर भ्रष्टाचार का माहौल खड़ा करते हैं । शासन के द्वारा हम अच्छी अच्छी नीतियां भेजते हैं लेकिन पालन करने वाले यही अधिकारी होते हैं । नीतियों के पालन में वह अड़ंगा डाल देते हैं । मै मंत्री जी से स्पष्ट मांग करूंगा कि तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनको उस जगह से हटा देना चाहिए और दूर भेज देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके ।

इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से जो गांव समाज की भूमि आवंटित की जाती है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इस प्रकार जो भूमि आप गरीबों को देना चाहते हैं वह गरीबों को मिल नहीं पा रही है । बहुत से ऐसे जमींदार हैं जो आवंटन की भूमि को अपने हरवाहे के नाम आवंटित करा लेते हैं जिस पर पहले भी उन्हीं का कब्जा होता है और बाद में भी उनका कब्जा चलता रहता है । मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई कठोर और क्रांतिकारी कदम उठाया जाय क्योंकि जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं होगा । हमारे मुड़ेरा-बाजार विधान सभा क्षेत्र में 113 गांव बाढ़ में डूब गए हैं वहां के गरीबों की दशा बहुत ही दयनीय है, वहां पर 75 फीसदी लोग गरीब हैं और भूमिहीन है इसी तरह से नौवा अब्बल डुमरी गांव है जो बाढ़ से कट गया है और वहां के लोग सिंचाई विभाग के बंधे पर बसे हुए हैं मैं निवेदन करूंगा कि उन गरीब हरिजनों को भूमि आवंटित करवाए और उनके लिए सरकार द्वारा आवास बनाए जांय जिसे सरकार ने माना था लेकिन आज तक उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है । डीहघाट गांव में जहां पर हरिजनों के लिए जमीन छोड़ी गयी है । लेकिन सब सवर्णों ने कब्जा कर लिया है । इस तरह से किस-किस गांव का नाम लिया जाए, इस तरह का हर जगह काम किया जा रहा है । तो मंत्री जी जो भी कार्यवाही करें, उसमें विधायकों का सहयोग अवश्य लें । क्योंकि अधिकारी जो जाते हैं वे वहां के लोगों से मिलकर रुपया लेकर चले आते हैं, काम कुछ नही करते है । अभी मैंने सुरजीत सिंह मजीठिया का नाम लिया, उस पर करोड़ों रुपए का सरकारी कर का बकाया है, लेकिन तहसीलदार आदि जाते हैं, चले आते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । इसलिए मै मंत्री जी से कहूंगा कि सरकार का उन पर जो धन बकाया है, उसको सख्ती से वसूल किया जाए और उनकी भूमि को हरिजनों में बंटवारा किया जाए । इसके साथ मैं अपने बजट का समर्थन करते हुए कटौती के बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन् मै क्या अपनी कहूं । यहां कोई मंत्री सदन में नहीं है । मंत्रियों की प्राब्लम है । आपने मेरा नाम लिया । मैं बोलने खड़ा भी हो गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक दल के नेता हैं, जब आप खड़े हुए तो मुझे बुलाना ही है ।

श्री रियासत हुसैन–

वह ठीक है, लेकिन मैं सुनाऊं तो किसे सुनाऊं ? तो क्या मैं शुरू करूं ?

श्री उपाध्यक्ष–

थोड़ी देर रुके रहें ।

श्री उदल–

श्रीमन् मैं हमेशा से देखता रहा हूं, कभी भी सदन का इतना अपमान नहीं हुआ है ।

(संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी के सदन में आने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

सम्भव है किसी प्राकृतिक आवश्यकता को दूर करने कहीं गए रहे हों ।

(1 बजकर 58 मिनट)

श्री रियासत हुसैन–

हमारे हिस्से में तो रिजवी साहब ही लिखे हैं, सो वह आ गए । मंत्री जी ने राजस्व से संबंधित अनुदान मांगा है और मंत्री जी स्वयं भी बहुत सूझ-बूझ के और होशियार तथा अनुभवी आदमी है । उस सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर जो नीतियों से सम्बन्धित है, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अंग्रेजों ने जब रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट कायम किया था तो उसका एक ही ध्येय था कि उसके जरिए से आमदनी करना और प्रशासन का खर्चा चलाना, लेकिन इस वक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट है, उसको इस समय बहुत से डेवलपमेन्ट वर्क्स में भी भागीदार बनाया जाता है और जो रिलीफ काम हैं, वे पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट पर ही निर्भर है । क्योंकि कोई भी दैवी आपदा हो, उसकी बुनियादी रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से ही आती है, फिर चाहे कोई उस पर रिलीफ दे । बार-बार सदन में यह मसला आता है, जो आपका रेवेन्यू मैनुवल है, उसकी क्या हालत है ? उसकी ओर आप ध्यान दें । इसे समय-समय पर हमने उठाया है, रिलीफ हमने लिया है और उसके सम्बन्ध में तमाम कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं । इस वक्त मैनुअल के अनुसार साल भर का कैलिकुलेट करके जब तक एक फसल पर आउटस्टैंडिग नुकसान न हो, तब तक आप दोनों को लेकर देते हैं ।

आम तौर से जो ज्यादा परेशानी आती है वह या तो वारिश न होने के कारण होती है या अधिक वारिश न होने के कारण, सैलाव या सूखे से आती है ।

तीसरे नम्बर पर ओला वगैरह आता है लेकिन जिन लोगों की मेहनत और खर्चा करके भी खरीफ की फसल खराब हो जाती है तो वह रबी की फसल में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और इन्पुट्स लगाता है जिससे उसे कुछ पैदावार मिलती है । वह यह भी करता है कि किसी खाते में गन्ना बो देता है तो जब आप कैल्कुलेट करते हैं कि इस खाते में कितना धान बोया गया, कितना गेहूं बोया गया कितने में गन्ना बोया गया तो उसका लास आठ आने से नीचे रह जाता है और वह रिलीफ पाने में नहीं आता है । अब चूंकि इनपुट्स वगैरह बड़े कास्टली हो गए चाहे वे रबी की फसल के लिए हों या खरीफ या ईख के लिए हों तो किसान के लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाती है । मेरी प्रार्थना है कि आप एक फसल, चाहे वह रबी की हो, चाहे खरीफ की और चाहे वह जायद की हो, उस एक ही फसल के कागजात बनवाएं ताकि देखा जा सके कि किस फसल पर कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से आप किसान को रिलीफ दें । आप साल भर का नुकसान न लीजिए । 3 फसल का स्टे हो, चौथी फसल का स्टे न हो । आपने कहा कि हम 100 करोड़ रुपए का रिलीफ देंगे और 80 करोड़ रुपए की वसूलयाबी होगी लेकिन आज मंत्री जी कह रहे हैं कि

14 करोड़ का रिलीफ देंगे क्योंकि सारे जिलों में जहां पर 12 आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर 6 किश्तों में आप वसूलयाबी करेंगे । जब तहसीलदार अपने रवेन्यू आफीसर के पास नक्शा बनाकर भेजेगा तो वह बताएगा कि कितनी डिमांड है और कितनी वसूलयाबी हो गयी है । वह 1/6 और 1/3 को नहीं देखता है । वह केवल यह देखता है कि कितनी धनराशि वाजिब है और कितनी वसूली हो गयी है । वह कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वसूलयाबी हो जाय और उसको गुड-एन्ट्री मिल जाए । तो वह इफेक्टिव नही हो पाता है । इसलिए वे लोग ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए ।

हमारे यहां पर चौथे दिन की बात है मुरादाबाद तहसील में तहसीलदार ने सारे अमीनों को बुलाया और पूछा कि इतनी कम वसूलयाबी क्यों हुई है, डांट भी पिलायी होगी, और कहा कि तहसील को बेबाक करो । तो उनमें से एक हरिजन भी अमीन हैं और कुछ लेखपाल भी हैं । इस सख्ती की बिना पर वे उस तहसीलदार से नाराज रहते हैं । हमारे यहां पर एक एस0डी0एम0 भी हरिजन हैं तो मौका देखकर वे लोग मुखालफत निकालने के कारण एस0डी0एम0 के पास गए और कहा कि मुझे तो चमार कहा और गाली तो बड़ी बेइज्जती की । चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के ऐसे ऐसे आदेश है और ये अमीन की रक्षा कर रहे हैं । इसमें तहसीलदार खिंचा खिंचा फिर रहा है । वह कह रहा है कि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है । चूंकि तहसील का एक सेक्शन मुझसे नाराज है तो उसने यह कह दिया । तो यह जो हमारे रूल्स हैं उनको आप देखिए कि जो मैनुअल हैं, वह ऐसा हो कि तुरन्त रिलीफ हो जाय । जिस गांव में हरिजन रहता है, उससे आमतौर पर लोग यह कहा करते थे कि "न हर में टकरैया है और न गांव में मड़ैया है ।" उसे सभी जानते हैं कि एक बीघा, दो बीघा मिलने से तब भी उसे मजदूरी करनी ही पड़ेगी । लेकिन उसे इतना तो संतोष हो जाएगा कि उसके पास एक बीघा जमीन है । अगर कोई पजेशन नहीं देता है, उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो जाय उसकी सजा भी हो जाय, यह सब तो आप कर देंगे । पिछली दफा इसी सदन में माननीय यशपाल सिंह थे, उनसे मैंने कहा था कि किसी एस0डी0एम0 के ऊपर जिम्मेदारी तो डालिए । उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कहीं पर केस आएगा, तो कानूनगो को सस्पैण्ड कर दिया जाएगा । हाउस के अन्दर इस किस्म के तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस डिक्लारेशन के बाद से कोई नायब या कानूनगों सस्पेंड किया गया या नहीं । गोरखपुर की मिशाल तो यह है कि लेखपाल और प्रधान दोनों ने मिलकर एक जमीन हड़प कर लिया और लेखपाल और कानूनगो दोनों सस्पेंड हुए और फिर दोनों ही रिइन्स्टेट हो गए और लेखपाल को तो तरक्की भी मिल गयी । यह जो हरिजन वर्ग है जिसका आज तक शोषण होता चला आया, आप उसकी रोजी-रोटी का मसला हल नहीं कर सकते । लेकिन उसको यह कहने का अधिकार हो जाय कि उसके पास एक बीघा जमीन इस गांव में है । जैसा अभी बतलाया गया था कि साहब मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, पड़ी मान्यवर क्यों है ? एक गांव बरियार है वहां पर सीलिंग की जमीन थी, वहां पर यह बात हुई कि यह जमीन तो बन विभाग को दे दी जायगी और वहां पर यह बात आई कि नहीं साहब यह जमीन तो वितरित होनी चाहिए । लेकिन दो साल परसु करने के बाद तब हरिजनों का कब्जा हुआ जब पुलिस गयी ।

[श्री रियासत हुसैन–]

अब पता नहीं कब तक उनका कब्जा उस पर रहेगा और न मालूम उनकी जमीन कब छिनवा ली जायगी । तो मान्यवर, अगर सही रूप में आप उनको जमीन देना चाहते हैं, तो मजबूती से देना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, मान्यवर । मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि इसका पालन होना चाहिए । अबता नामक गांव है, वहां पर हरिजनों को जमीन मिली थी, लगान हरिजन देते थे और वहां के एक यादव हैं उनका उस जमीन पर ट्रैक्टर चल रहा है । जो उनकी जमीन हरिजनों को आवंटित होनी चाहिए, कहीं आवंटित नहीं हो पायी ।

बावजूद इसके कि बीच-बीच में दरख्वास्त भी देते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि यादव जी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, भूतपूर्व एम0एल0ए0 रह चुके हैं और उनका भूतपूर्व प्रमुख रह चुका है । तो वे बेचारे क्या कर सकते हैं । थाने में एफ0आई0आर0 केवल लाज करा सकते हैं लेकिन बिना सबूत के सजा का भी प्राविधान आपके सी–आर0पी0सी0 में नहीं है । एफ0आई0आर0 तो दरोगा जी की कृपा से लाज हो जायेगा, लेकिन गांव में कोई सबूत है कि फलां आदमी ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है । तो एक्शन क्या होगा । तो इस बात को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है । कोई मशीनरी बनावें । और अब तो 20–प्वाइंट भी आपके हाथ में है । उसी की ताकत के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाय, कब्जा हो जाय ।

मान्यवर, एक बात के बारे में याद दिलाना चाहता हूं । इसी माननीय सदन के अंदर यह बात उठी थी बाजार और हाट के मेलों के लिए । बाजार और हाट जितने हैं, प्राइवेट लोगों के पास हैं । इन लोगों ने जमींदारी एबालीशन के जमाने में उनमें अपने बाग खड़े कर दिए, खेती दिखा दी । इस तरह से बाजार और हाट ट्रांसफर करा लिए । लाखों रुपयों की आमदनी है, मान्यवर, बाजार और हाट के मेलों से । उससे बड़ा शोषण होता है । इसी असेम्बली के अन्दर, मान्यवर, एक नान-आफिशियल रेजूलूशन आया था । माननीय उदित नरायन शर्मा राजस्व मंत्री थे । प्रस्ताव था कि जितने मेले हैं वे टेक-ओवर हो जांय । और गांव समाज में वेस्ट हो जांय । मान्यवर, यह सवाल हर साल आता है लेकिन अभी तक इन प्राइवेट मेलों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उनको टेक-ओवर नहीं हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब कानूनी परेशानी है, तो उसको दूर कराएं । जमींदारी एबालूशन हो गया । उसने कानूनी परेशानी पार कर लिया और बाजार और हाट जिससे लाखों रुपए की आमदनी की बात है, उनको लेने में कानूनी परेशानी बता रहे हैं । कानून तो हम ही यहां बना रहे हैं । मान्यवर, इस हाउस में नान-आफिशियल रेजूलेशन इसी शर्त पर विदड्रा हुआ था कि तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि ये बाजार और हाट टेक-ओवर किए जाएंगे और अब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कानूनी अड़चनें हैं । तो कानून तो हमीं बना रहे हैं । कल को अमेण्डमेन्ट ले आइए । जो कानूनी अड़चनें हैं, उनको रिमूव कराइये । इस तरह से जो कानूनी परेशानी है टेक-ओवर करने की, उसको दूर करिए । तो, श्रीमन् इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ।

श्रीमन् मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो रिवर वेड्स से जमीन निकली है, उसके बारे में है । रिवर में जो पानी का दबाव होता था, उसके कारण जमीन उनकी कम हो गयी । अब उसमें बात चल रही है । मेरे मूरादाबाद और रामपुर में यह बात है । 29 गांव ऐसे हैं जिनमें यह बात है । था । चकबंदी में लोगों ने रुपया दिया और जमीन ले लिया । वही हाल जो रि- लेकिन वहां सौदा हो रहा है, उसी तरह से जैसे कि चकबंदी के जमाने में सौदा होता सेटेलमेन्ट हो रहा है, उसमें भी सौदा हो रहा है कि तेरी जमीन निकलेगी तो कितना रुपया देगा । एक आदमी जो 10वीं साल से जिसकी जमीन कट गयी, न मालूम किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, आज उसकी जमीन निकल रही है,

तो कहां से पैसा लाएगा ? लेकिन जब तक देगा नहीं, तब तक खेत नपने वाला नहीं ।

जहां रीवर बेट्स का सिटिलमेन्ट हो रहा है वह गरीब आदमी जो 10-20 साल से मारा गया है वहां पर माननीय मंत्रीजी ऐसी कोई तरकीब करा दें ताकि उसका काम बिना पैसा खर्च किए हुए हो जाय । श्रीमन् आपके यहां हाकिम परगना से लेखपाल तक है । वैसे तो लेखपाल को आप ज्यादा अख्तियारात नहीं दे रहे हैं लेकिन वह इस ट्रेनिंग से आता है कि अगर आप उसको समुद्र की लहर गिनने के लिये कह दें तो भी वह पैसा पैदा कर लेगा । आज गांव का किसान जब लेखपाल के पास फर्द लेने के लिए जाता है तो उसकी जरूरत के आधार पर दाम तय होता है कि फर्द किस चीज के लिए है । अगर बैनामा के लिए है तो तय हो जाता है इतने रुपए का बैनामा है इसलिए इतना मेरा हुआ । जमानत के लिए है तो अलग रेट्स है, साधारण तौर पर अलग रेट्स है । एक चीज की और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा जो फूड वर्क में बहुत काम हुआ है । बहुत सी ऐसी सड़कें हो गई जो लोगों के खेतों से वालन्ट्री निकल गई और उसके बगल में सेक्टर रोड या चक रोड डिफन्ड हो गये । कायदे कानून के अन्दर कोई चक-रोड या सेक्टर रोड को जोत नहीं सकता है अगर जोत लेता है तो लेखपाल शिकायत कर देगा और फाइन हो जाएगा । मान्यवर, जिस बेचारे किसान ने अपने खेत में वालन्ट्री जमीन दे दिया अगर उसके बगल में जो चक रोड डिफन्ड हो गए हैं या सेक्टर रोड उसको जोतने की अनुमति मिल जाती है तो उससे किसान को काफी रिलीफ मिल जाएगी और वह बेचारा सोचेगा कि 20 गज दिया था तो कम से कम 10 गज मिल गयी । उस बेचारे को कन्सोलेशन हो जाएगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए थे उसे उसी वक्त कार्यवाही की गई । रेवेन्यू विभाग और ग्राम्य विकास विभाग से प्रयास जारी है जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया बड़ी खुशी है लेकिन जो किसानों का प्रोग्राम आता है आल इण्डिया रेडियो से वह किसानों का तो है अगर इस चीज को 7-20 से ब्राडकास्ट करा दें । इस बात से बहुत लोगों को खुशी होगी । मान्यवर, अब इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है । जो कम्पेन्शेसन दिया जाता है किसानों को उसका देने का जो तरीका है मै इस चीज को ज्यादा इसलिए रेफर कर रहा हू किसानों की जमीन का मामला है अपनी जमीन को वह सबसे बडी चीज मानता है और वह समझता है कि हमारी जमीन के अख्तियार हाकिम परगना ही है । मान्यवर, आप कहते हैं मार्केट रेट से देते हैं लेकिन देते नहीं है । लैंड इक्यूजीशन ऐक्ट भी आपका ही है । एवार्ड के टाइम के ऊपर मान्यवर, आज कल जमीन बड़ी कीमती है । श्रीमन् जमीन कम है फेमलीज बढ़ रही हैं इसलिए जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है ।

वह आदमी जो किसी भी स्कीम में, डेवलपमेन्ट में देते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है । समझाने बुझाने से कंसोलेशन होता है लेकिन उसको इस बात के लिए

[श्री रियासत हुसैन—]

भागदौड़ करनी पड़ती है कि मुआवजा इतना बना लेकिन मिला इतना । मैं समझता हूं कि इसका सरलीकरण होना चाहिए । मिसाल के तौर पर मैं बताऊं बुलन्दशहर के एक ग्राम बालमपुरा की कुछ जमीन हरिजनों की ली गयी, लैण्ड एक्वीजीशन हुआ, मुआवजा बांटा गया । यहां ग्राम समाज की भट्टे की जमीन पड़ी है, उसको इकसार करने के लिए कहा गया कि यह जमीन ठीक है, इकसार करने वाली जमीन मिल गई । यह भी कहा कि हम इस जमीन को ले लेंगे और अच्छी जमीन छोड़ देंगे । लेकिन समस्या क्या है ? समस्या यह है कि जो मुआवजा था वह ले लिया लोगों ने और एक पार्टी ज्ञानेश्वरी देवी ने मुआवजा भी नहीं लिया । मुआवजा भी लोग वापस करने को तैयार हैं ग्राम समाज का प्रस्ताव हो गया इस सम्बन्ध में आप देख लें नोटीफिकेशन जो जारी हुआ है राजस्व अनुभाग-2 से इसमें समस्या यह है कि ये कहते हैं कि मुआवजा दे दिया तो हमारा पजेस्शन हो गया । फिजिकल नहीं हुआ । वह सब मुआवजा देने के लिए तैयार हैं । इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी रिक्मन्डेशन दे दी लेकिन आपके रूल्स में है कि जब हमने मुआवजा दे दिया तो हमारा पजेस्शन हो गया । अब यह जमीन अगर वापस भी होगी तो उनको नहीं मिलेगी । वह ग्राम समाज की होगी और वह चाहे तो उसको पट्टे पर किसी को दे दे । अब अगर वह रुपया वापस कर दें और जमीन भी उनको न मिले, जमीन ग्राम समाज में पहुंच जाए । तो इस तरह की छोटी-छोटी जो दिक्कते हैं उनको एवाइड करने के लिए आपको सोचना चाहिए । इसके बारे में आप जांच कर लें । श्रीमन् यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो हमारे बुजुर्ग अनुभवी साथी भीखा लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री हर देव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे राजस्व बजट पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । राजस्व बजट पर कुछ कहने के लिए मैं अपने विचारों और सुझावों को रख रहा हूं जो जनहित में होंगे । साथ ही साथ जो हमारे राजस्व मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व विभाग में जो कुछ राजस्व के सम्बन्ध में बाते हैं, जो भी परेशानियां हैं, मैं अपने जनपद की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वह बाढ़ से प्रभावित इलाका बलिया और अन्य जिले हैं । जहां बाढ़ से और सूखे से क्षति हुआ करती है और लोग परेशान रहते हैं वहां पर राजस्व विभाग द्वारा जो लगान वसूली की जा रही है उसको तत्काल रोक दिया जाय यह मेरा राजस्व मंत्रीजी को सुझाव है । जनपद बलिया बाढ़ ग्रस्त इलाका है और वहां लगातार बाढ़ और सूखे से लोग परेशान रहते हैं और गरीब और मजदूर लोगों को कोई कृषि में सफलता नहीं मिली है, सिंचाई से भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका लगान माफ कर दिया जाय । दूसरी बात यह है कि जहां तक मैंने इलाके में देखा है हरिजनों को जमीन के मामले में कोई सुविधा नहीं मिल पायी है । आज भी वह एक ही घर में जानवरों की तरह जीवन बिताते हैं । उनके लिए जो जमीन आवंटित की गयी उस पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया । हो सकता है सरकारी मशीनरी अपनी रिपोर्ट आपके पास भेज देती हो कि कब्जा मिल गया लेकिन मौके पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया है । मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्रीजी उन हरिजनों को उस भूमि पर चाहे आवास के लिए मिली हो या खेती के लिए उनका कब्जा दिलाने की महती कृपा करेंगे । तीसरी बात यह है कि आदेश तो पास हो गया कि लगान की वसूली न की जाय लेकिन उन गरीबों को जानकारी नहीं और वह अपनी परेशानी में फंसे हुए हैं तो अधिकारियों को सूचित कर दें कि वह उन लोगों के प्रति सच्चाई से काम करें । अगली बात यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस विभाग में एक चकबन्दी विभाग है जिसमें चकबन्दी अधिकारी रहते हैं । मुझे जानकारी मिली है कि चकबन्दी अधिकारी को तहसीलदार से कम रैंक दी जा रही है । जहां तक मेरा अपना अनुभव है चकबन्दी अधिकारी बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं और आज लाखों करोड़ो गरीब हरिजनों को उनके माध्यम से भूमि मिल पायी है । इन अधिकारियों को कोई सरकारी सुविधा जैसे जीप आदि की भी नहीं है । मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि तहसील और चकबन्दी अधिकारी के रैंक में एकरूपता रखी जाय और इनको तहसीलदार से नीचे न किया जाय । एक बात मुझे यह कहनी है कि जो रास्ते गरीबों के लिए छोड़े गए उन पर आज भी सबल लोगों का कब्जा है और वे रास्ते गरीब लोगों को नहीं मिल पाए हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कड़े आदेश दें जो रास्ते गरीबों के हित में छोड़े गये हैं वे उनसे लाभान्वित हो सकें । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं उनको निर्धारित मजदूरी नहीं मिल पायी है । उनकी गरीबी आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है । देहात में आज भी उनको खेत दिया जाता है और साल भर की मेहनत सूखा या बेढ़ के आने से बेकार चली आती है और उनको उसका कोई फल नहीं मिलता । उनके पास अपने बच्चों की परिवरिश के लिए कोई और जरिया नहीं रह जाता । इसलिए इस पर विशेष रूप से गंभीरता से विचार कर कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि जिससे 70 प्रतिशत मजदूर गरीब किसानों का भला हो सकेगा । आपका जो राजस्व सम्बन्धी बजट है उसका मैं स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि जो चीजें उसमें जनता व किसानों के हित के लिए हैं वे उन तक पहुंचे । जयहिन्द ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो अपने को गरीबों का रहनुमा कहते हैं उनके लिए यह शेर है :

"यह इमारत हमें जो नजर आ रही है
जो अपनी बुलन्दी पर इतरा रही है ।
जरा इसके गमलों के फूलों को सूंघें,
तो खूने गरीबां की बू आ रही है ।।

गरीबों के खून से बनी हुई इस इमारत में हम और आप विराजमान हैं और कहते हैं कि उनको सुविधा दे रहे हैं लेकिन एक भी सुविधा हमारे जनपद में किसी गरीब को नहीं मिली है । आपने बाढ़ सहायता कार्य के लिये, सूखा सहायता कार्य के लिए एक कोष बनाया है जो इस बजट में भी आया हुआ है लेकिन मैं आप को अवगत कराना चाहता हूं, इसमें तीन शर्तें लिखी गई हैं (1) यह सहायता उसे मिलेगी जिसकी भूमि 1.60 एकड़ से कम रहेगी । (2) जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई होगी। (3) जिस आदमी के घर में कोई नौकरी पेशा नहीं रहेगा। मान्यवर, यह परिभाषा तो वर्तमान सरकार ने बनाई है । इसके पहले की भी एक परिभाषा है, वह परिभाषा है 'मेरून्ड विलेजेस' । यानी जो गांव चारो तरफ पानी से घिरे हुए हैं । तो मान्यवर, मैंने अपने जिलाधिकारी से इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह वे गांव हैं जिन गांवों के चारों तरफ पानी भर जाय और बाहर निकलने का कोई रास्ता

[श्री रूद्र प्रताप सिंह—]

न हो तो उनको हम सहायता देंगे । मैं सदन के माध्यम से यह बात जानना चाहता हूं कि ऐसे गांव जो तीन तरफ से घिर जाएं और चौथे तरफ नदी हो तो क्या वे इस परिभाषा में नहीं आते हैं ? इस पर मेरी लड़ाई हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और बाढ़ में घिरे लोगों को कोई सहायता नहीं मिल सकी । मैं देवरिया से विधायक हूं और मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि जो भी सहायता किसानों के नाम पर आप लोगों ने भेजी, जो खाद और बीज भेजा, वह हमारे क्षेत्र में किसी भी गरीब को नही मिला । बड़े--बड़े लोगों ने उसको ग्राम सेवक के माध्यम से ले लिया । इस संबंध में मैंने चिट्ठी भी लिखी थी । और जब डिप्टी डायरेक्टर कृषि से बातचीत हुई देवरिया के एग्रीकल्चर आफिसर के कक्ष में और उनको बताया गया कि इतना बड़ा घुटाला हो गया कि खाद आई लेकिन किसी को नहीं मिली । उन्होंने कहा कि 25 और 33 परसेंट छूट दे रहे हैं लेकिन गांव में जाने पर सबको शिकायत है कि कोई छूट नहीं मिली । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गरीबी के लिए जो योजना बनाई गयी थी उसमें सड़कें बनीं । हिन्दुस्तान के इतिहास में 35 वर्ष के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने इतना बड़ा काम कभी नहीं देखा था । एक गांव दूसरे गांव से खाद्यान्न योजना में मिलाए गये लेकिन गरीबों के नाम पर जो बदमाश और डकैत किस्म के लोग थे उन्होंने ठेकेदारी के नाम पर उनसे काम कराया और बी0 डी0 ओ0 तथा बड़े-बड़े लोगों के माध्यम से उन गरीब मजदूरों की मजदूरी हड़प गये और वह उनकी मजदूरी आज तक नहीं मिल सकी है जिले में सड़कें बहुत बन गयीं । अमीरों की मोटरें उन पर चलती हैं लेकिन आज उन गरीब मजदूरों की हालत यह है कि उनके पैर में जूते तक नहीं है क्योंकि उनको आज तक मजदूरी नहीं मिल सकी है और कागज में पूरी खाना पूरी कर दी गयी । बी0डी0ओ0 से बहुत कहा सुनी हुई तो यह निर्णय हुआ कि एस0 डी0 एम0, देवरिया उस बंधे को देखने जाएंगे और अगर काम हुआ है तो उसका पेमेन्ट होगा । मेरे अपने क्षेत्र में 20 हजार गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं । उन्होंने काम किया लेकिन उनको कोई पेमेन्ट नहीं हुआ । उन गरीबों का पेमेन्ट यह जनप्रिय सरकार कराये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अगर पेमेन्ट कर दिया जाएगा तो क्या मेरे काबिल दोस्त यह मान लेंगे कि यह जनप्रिय सरकार है ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

आपने एक स्कीम भेजी है गरीबों के नाम पर जिसके अंतर्गत गरीबों को सहायता दी जायगी । लेकिन चार एकड़ जिसके पास जोत है वह मर गया और उसके चार बेटे हैं, नाम चढ़ा नहीं है और परिणाम यह है कि बाप के नाम से खेती है, कोई सरकारी सहायता उनको नहीं मिल पा रही है और इस अपंग सरकार का कोई भी अधिकारी कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार उनकी किसी भी बात को नहीं मानता है । आज उन लोगों का जीवन असुरक्षित है । लोग सही बात कहना चाहते हैं लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है । मैं मंत्रीजी को चुनौती देना चाहता हूं कि किसी भी गांव को ले लिया जाय तीन वर्ष, चार वर्ष लोगों को मरे हुए हो गए लेकिन उनका नाम नहीं चढ़ा हुआ है ।इसको ठीक करने की व्यवस्था इस सरकार को करना चाहिए ।

एक बात अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बंधा बनाया गया । कई लाख रुपए खर्च हुए । एक नदी है, नदी के किनारे नहर है, नहर के किनारे बंधा बना हुआ है। लेकिन नदी के किनारे नहर होती है या बंधा होता है। बंधा रोक दिया गया अब 7 किलोमीटर जो सड़क थी उस पर तीन चार मीटर तक मिट्टी डाल दी गयी जिससे सड़क पर आवागमन रुक गया । उसको चौड़ा करवा दिया जाय ताकि आवागमन के लिए रास्ता खुल सके । एक बात और मैं कहूंगा कि बाबा बन्धु सिंह के खानदान का मैं नाती हूं । अंग्रेजों के जमाने में उनकी जमीन जब्त कर ली

गयी थी तथा सरदार साहब को दे दी गयी । वह बड़े क्रान्तिकारी थे । देश हित में उनको फांसी दे दी गयी थी । यह सरकार अब सरदार नगर का नाम बदल कर बन्धूनगर करे तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा बन्धू सिंह के प्रति होगी जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी ।

***श्री झग्गड़ सिंह--**

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और सरकारी मांगों का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । भूमि देने की बीत का जहां तक सम्बन्ध है हरिजनों के लिए इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जितनी भूमि प्रदेश के पास है उसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसमें ज्यादातर गोचर के नाम से, बड़े-बड़े फार्म्स के नाम से है । कहीं बागों के नाम से है । वास्तव में सरकार की भावनाओं के अनुसार जो भूमिहीन है और सरकार उनको भूमि देकर बेकारी की समस्या का समाधान करना चाहती है दरअसल में वह जमीन ऐसे लोगों के पास है जिनका कृषि से कोई वास्ता नहीं है। मैं इस विषय में स्वर्गीय मंगल देव विशारद की उस रिपोर्ट का समर्थन करना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी अध्यक्षता में तैयार की थी । चाहे बागों का सवाल हो, चाहे कोआपरेटिव्स का सवाल हो, तालाब अथवा धर्मशालाओं का सवाल है जो भूमि इनसे सम्बन्धित है और वह कृषि योग्य है उसे खेतिहर मजदूरों को, भूमिहीनों को खेती के लिए दी जानी चाहिए जहां तक बाढ़ का सवाल है मेरे क्षेत्र हस्तिनापुर में हर वर्ष बाढ़ से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं । बहुत से गांव कट जाते हैं, उनकी मिट्टी कट जाती है और इस प्रकार वह भूमिहीन हो जाते हैं । जब सरकार भूमिहीनों व खेतिहर मजदूरों को भूमि दे रही है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए । सरकार के फार्म्स जो वहां है जिनमें लाखों रुपया खर्च होता है, उस बंजर भूमि पर सरकार को बहुत घाटा होता है । इसी तरह से आवासीय भूमि की बात है । हस्तिनापुर में ऐसी भूमि पर बहुत से अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है लेकिन जो हरिजन हैं, भूमिहीन हैं उनको भूमि नहीं दी जाती है जबकि सरकार उनको जमीन देने के लिए बचनबद्ध है । बाढ़ के कारण जहां भूमि कट जाती है वहां सड़क यातायात भी कट जाता है क्योंकि पुल टूट जाते हैं । इसके लिए भी सरकार को उचित व्यवस्था करना चाहिए । सरकार भूमि की समस्या को हल करने के लिए उन लोगों को बंजर भूमि दे जो हरिजन है, भूमिहीन है । इससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा । बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाय, अवैध कब्जों को बेदखल किया जाय और जरूरतमन्द लोगों को उसके पट्टे दिए जायं तभी मेरठ जिले में भूमिहीनों तथा हरिजनों की समस्या का हल हो सकेगा ।

यहां तक वहां देखने में आया है कि एक गांव की जमीन पर जबरदस्ती दूसरे गांव के चौधरी ने कब्जा कर लिया और एस0 डी0 एम0 वहां गए । आज तक भी उस जगह से उस स्कूल को नहीं हटाया गया और न ही उस पर कब्जा दिलाया गया है । एक दूसरा उदाहरण दूं कि मेरे ही क्षेत्र में जो अब से तीन वर्ष पहले जनता सरकार के समय में जो अनधिकृत कब्जा भूमि पर हो गया था उसे अधिकारियों ने वापस नहीं किया । अगर सरकार कब्जे की बात करती है उसे सरकार इस्तेमाल भी करे । यदि उसे सरकार इस्तेमाल करना चाहती है तो वह अपने उच्चाधिकारियों को मुआवजे के आदेश दे कि वे इस सम्बन्ध में पटवारी कानूनगो तहसीलदार से पूछे कि मेरठ में यह काम क्यों नहीं किया गया है ।

श्री झग्गड़ सिंह—

कब्जे के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो हस्तिनापुर क्षेत्र की बात है वहां पर आदेश दिए गए हैं कि जो जमीन वहां पर सरकार की है वन विभाग की वहां पर वन लगाना चाहते हैं। वन लगाने के लिए जो जमीनें ली जाएगी तो क्या उन्हें मुआवजा दिया जायगा ? जिनकी जमीन गंगा के खादर में काट दी गयी है उनको जमीन दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस राजस्व बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम पटेल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है, वह सिर्फ कागज पर लिखकर पेश किया है, इसमें वास्तविकता कुछ नजर नहीं आती लेकिन इसे वास्तविकता से देखा जाय तो इसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं रखी गई है जिससे धन का उपयोग कर्मठता से किया जा सके। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस कर्मठता से वे इस धन का उपयोग करेंगे। जिससे इस प्रदेश की जनता का हित हो सके। भूमिहीनों में भूमि वितरण करने की समस्या है। यह किस आधार पर की जाएगी। सीलिंग के माध्यम से, चकबंदी के माध्यम से अर्जित करके भूमिहीनों को भूमि वितरित करने की बात करते हैं पर जो जमीन ग्राम सभाओं की बरकरार है उसे लोग जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। लाठी के बल पर, जोर जबरदस्ती करके जबरन हड़प रहे हैं, उसकी रक्षा करने के लिए भूमिहीनों को जोर-जबरदस्ती से बचाने के लिए इन्होंने कोई उपाय नहीं सोचा। मेरे क्षेत्र में अब्दालपुर में लगभग 200 एकड़ भूमि फर्जी बना करके हड़प ली गयी क्योंकि वहां की चकबन्दी के कागजात जल गए और राजस्व विभाग को फर्जी आदेश करवा दिए गए। इसी तरह से जोर जबरदस्ती जमीन हड़प रहे हैं। वहां के भूमिहीनों की आबादी बहुत है, इनके कागजातों में देखने से पता चलेगी। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में सोरांव तहसील में रतनपुर, राजापुर परशुराम इत्यादि ग्रामों में जो ग्राम सभाओं की जमीन है उसे लोग हड़प रहे हैं।

अपने बजट में माननीय राजस्व मंत्री जी ने चकबन्दी की बात कही है। तो चकबन्दी के अभिलेखों में, कागजों में कही दर्ज है, इन भूमिहीनों की वह जमीन कहीं है। मौके पर कोई जाता नहीं है, कागजात हमें दिए जा रहे हैं, बाद में एक निराशा का या विवाद का विषय खड़ा हो जाता है।

माननीय राजस्व मंत्री जी खुद ही विचार करें कि जो कोठियों में रहने वाले अफसर हैं, वह लू-धूप में कहां जाते हैं। खुद वे कभी गांव की ओर जायं और देखें कि जो मै कह रहा हूं सत्य है कि नहीं। जैसे कि जनता सरकार ने एक नारा दिया था "चलो किसान गांव की ओर" लेकिन जनता सरकार के खत्म होते ही उन्होंने लाखों, हजारों की जनता के साथ क्या किया। गांव में जाइए और देखिए कि उनको कितनी भूमि मिली है, भूमिहीनों को भूमि दी भी गयी है या ऐसे ही कागजों पर दर्ज है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे मौके पर जाकर जो यह छोटे-मोटे झगड़े हैं, उनका तुरन्त निपटारा हो सके वरना यह भूमिहीन छोटे किसान, गरीब मजदूर लड़ते रह जाएंगे न्यायालय में और इनको न्याय नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं सूखे और बाढ़ के समय में जो भी राहत के नाम पर शासन ने सहायता दी, आज लेश मात्र भी उसका उपयोग, उसका वितरण नहीं हो पाया वह तो कुछ चन्द लोगों की जेबों में गयी। कोई पैसा उनको नहीं मिला। 'का वर्षा जब कृषि सुखानी' जब हमारी विपत्ति ही कट चुकी तब अगर आपने सहायता दे दी तो उसका क्या उपयोग होगा। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त गांव थे, तहसील फूलपुर के उसमें एक-दो आदमियों को सहायता मिली। बतिया गांव में एक-दो आदमी को दिया गया, बाकी को आज मिलेगा, कल मिलेगा, यही बहाना अधिकारी कर रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी आप ऊपर उड़ते हैं, जमीन पर उतर कर किसानों और छोटे मजदूरों और भूमिहीनों की परेशानियों को सोचे

तब कुछ काम चलेगा वरना कागज पर भारी भरकम रकम मिल जाने से देश और प्रदेश की जनता का कोई हित होने वाला नहीं है । माननीय राजस्व मंत्री जी आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है वह किसी के आंख से ओझल नहीं है । आपके विभाग में लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक जो रिश्वतखोरी चल रही है यदि उसको आप रोंक न पाए तो यह गरीब किसानों की जो परेशानी आए दिन उठानी पड़ती है, इसका इस बजट से कोई फायदा न होगा, कोई हित नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ । अब समय बचा नहीं है इसलिए आप बिराजे ।

श्री दूधनाथ राजभर—

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बजट में हिस्सा लेने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह राजस्व विभाग का जो बजट पेश है और माननीय मंत्री जी ने जो विचारधाराएं रखी हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्रान्त में एक नए ढंग की मशीनरी चलने जा रही है और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी । इस सम्बन्ध में मैं अपनी सरकार का और खासकर माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । सन् 75 में भूमिहीनों के लिए एक योजना बनाई गयी थी कि जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने की मन्शा से हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक दौर चलाया था 20 सूत्री कार्यक्रम का और उस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन खेतिहरों और किसानों को भूमि का आवंटन किया गया । सबको देने का प्रयास किया गया लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए नहीं मिल सकी । अभी भी कुछ लोगों के पास लम्बी चौड़ी तादाद में भूमि है । मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जो कि सहृदय हैं और जिनके दिल में दर्द है हरिजनों के प्रति और समाज के कमजोर वर्ग के प्रति । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो कब्जा नहीं मिल सका है उनको कब्जा दिलाने का कार्य किया जाय ताकि जो कुछ कहा गया है उसको चरितार्थ करने में कामयाबी मिल सके । हम सड़क और नहरों का तमाम कार्य कर रहे हैं जिसमें जमीनें ली जाती हैं ।

यदि बड़े खेतिहर की जमीन ली गयी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता । मैं कहना चाहता हूं माननीय सदन के सामने माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि गरीब भूमि वाले जिसके पास दस बिस्वा, पंच बिस्वा, दो बिस्वा भूमि होती है उसके खेत से नहर निकाली जाती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि फिर से ऐसी भूमि की चकबन्दी हो जिस गरीब की भूमि से नहर या सड़कें सार्वजनिक काम के लिए जाती हो वहां चकबन्दी करके उसको भूमि दी जाय ।

जितने मुकदमें चल रहे हैं हर जिले में वे मुकदमें भूमिहीनों को दी गई जमीन के चल रहे हैं । मेरा सुझाव है कि ट्रेन चलती है तमाम सुविधा है लेकिन गरीब पैसा के अभाव में तीस मील चालीस मील पैदल चलकर बिना मुंह में कुछ डाले दस रुपए वकील को और दो रुपए पेशकार को देकर भी मजबूर होकर तारीख लेकर अपने घर को वापस जाता है । भूमि के मकदमें जो चल रहे हैं उनको जागीरदारी ने, जमींदारों ने, जो भूमि के मालिक हैं, उन्होंने कर रखे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तत्काल ऐसे मुकदमों को जो भूमिहीनों के खिलाफ चल रहे हैं, आवंटियों के खिलाफ चल रहे हैं, पेन्डिंग हैं, उनको वापस ले लें । मैं तारीख के बारे

श्री दूधनाथ राजभर–

मैं कह रहा था । वकील होने के नाते कचहरी का मुझे अच्छा अनुभव है । जो तारीख पड़ती है हमारा तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता । दस रुपए हमारे पाकेट में आ जाते हैं । लेकिन गरीब को बड़ी परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं । पिछले 10 नवम्बर से इस तरह के सारे मुकदमें उठा लिए गये हैं । अब कोई मुकदमा नहीं है आवंटियों के खिलाफ । उनको आसामी दर्ज कर दिया गया है । जहां अगर कोई इस तरह का मुकदमा अभी तक चल रहा हो और माननीय सदस्य को मालूम हो तो हमारे पास पत्र भेज दें ।

श्री दूधनाथ राजभर—

इस घोषणा के लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं ।

दूसरा सुझाव मेरा यह था कि जब रेवेन्यू कोर्ट में हम मुकदमें के दौरान जाते हैं तो मुकदमे की कार्यवाही की सुनवायी करने के लिए एक परगना हाकिम की इस के लिए व्यवस्था की गई है जो सारा का सारा विकास काम देखता है, वसूली का काम देखता है, ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने का काम देखता है, साम्प्रदायिक दंगा रोकने का काग देखते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि अलग से रेवेन्यू आफिसर की नियुक्ति कर दी जाय और उसके जिम्मे सिर्फ मुकदमा सुनने का कार्य रखा जाय । परगनीधिकारी एक्जीक्यूटिव काम करे, ला एण्ड आर्डर का काम देखे, प्रगति का काम देखें ।

एक सुझाव मेरा यह है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो कि प्रदेश के उत्पादन और प्रगति में हिस्सेदारी कर रहे हैं और उसी पर आधारित है हमारी अर्थ व्यवस्था उसी पर आधारित है, उनके भविष्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर मजदूरी बांधी जाय, उस पर अमल किया जाय, उसे वह मजदूरी दिलाने का प्रयास किया जाय ।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि हम भूमि हदबन्दी कानून को लेकर बड़े अरसे से लड़ रहे हैं । मेरा सुझाव है कि साढ़े बारह एकड़ भूमि की सीमा घटाकर सवा छः एकड़ कर दी जाय । उस सीमा को अमल में लाने के लिए बड़ी कड़ाई से कार्यवाही की जाय ।

अंतिम सुझाव मेरा यह है कि मान्यवर हमारे प्रदेश में विमुक्त जाति और हरिजन भाई बड़े पैमाने पर हैं । मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य भी इसे स्वीकार करेंगे कि यही लोग भूमिहीन हैं और यही लोग खेतों में अपना खून पसीना बहा कर आप की पैदावार बढ़ा रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े लोग जो भूमि दबाए पड़े हैं उनसे भूमि निकाल कर विमुक्त जातियों के लोगों और हरिजन भाइयों के हक में उस भूमि का पट्टा करने की व्यवस्था की जाय । उस पट्टे की स्वीकृति पर किसी किस्म का मुकदमा न चले और उस पर उसको मालिक घोषित कर दिया जाय । इन शब्दों के साथ मंत्रीजी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मैं भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह जो हमारा राजस्व विभाग है उसका सीधा सम्बन्ध ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से है । इसके अच्छे और बुरे कामों का ग्रामीण जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है । हमारी ओर से जो कुछ सदस्य (इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।) सुझाव दिए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 47-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 114-राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम

विभाग के कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए । ये कानून बहुत पुराने हो गए हैं । क्योंकि अब काफी सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं और उनके अनुसार वे सफलता से काम नहीं कर पा रही हैं । मैं इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप प्रदेश के किसी भी न्यायालय का सर्वेक्षण करें तो स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि वहां पर गांवों के लोग कितने मुकदमों में फंसे होते हैं चाहे वे फौजदारी के हों, दीवानी हों या माल के हों । उसका कारण यही है कि हमारी कानून व्यवस्था इस तरह की है कि जिसमें झगड़ा पैदा होता है और वह झगड़ा बढ़ता ही रहता है । इस तरह से गांव का आदमी इन झगड़ों में फंसकर अपनी न्याय की बात भूल जाता है और दिनोंदिन गरीब होता चला जाता है । उसकी स्थिति ऐसी होती चली जाती है जैसे किसी हौज में थोड़ा सा पानी बाहर से डालें और उसको निकालने के लिए बहुत से छिद्र बना दिए जायं । ये मुकदमें उसी छिद्र की तरह बन जाते हैं जो कि सारी अर्थ व्यवस्था को चाट जाते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे । तभी गांव वालों को लाभ हो सकेगा ।

माननीय, राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल होता है । वही गांवों की अर्थ व्यवस्था का आधार है । और भी कई लोग हैं जिनका गांवों की जनता से सम्बन्ध होता है, जैसे ब्लाक से, ग्राम सेवक होता है, ग्राम सभा का सेक्रेटरी मालूम हो जाएगा कि वहां पर गांवों के लोग कितने मुकदमों में फंसे होते हैं चाहे हैं । मेरा सुझाव है कि लेखपाल के सर्किल को छोटा करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि एक ही व्यक्ति के माध्यम से अधिक से अधिक विकास कार्यों का काम कराया जा सके क्योंकि भूमि का अभिलेख उसी के पास रहता है । उससे अच्छा सहयोग और कोई नहीं दे सकता है । भिन्न-भिन्न लोगों में दौड़ते रहने के कारण उसकी परेशानी बढ़ जाती है । अगर उसको भूमि विकास बैंक से ऋण लेना हो तो उसको ग्राम सेवक के पास जाना चाहिए और फर्द लेखपाल से लेना चाहिए । मैं चाहूंगा कि जो विभिन्न प्रकार की खाद और कीट-नाशक औषधियों का वितरण हो । यह सब एक व्यक्ति के जिम्मे कर दिया जाय इसके पास छोटा सर्किल होना होता है और भिन्न-भिन्न तरह से लोग गांव की व्यवस्था में किसानों के सम्पर्क में आते निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक किसान को जोत बही दी जाएगी, कागज में आज भी लिखा हुआ है लेकिन वह काम अधूरा और बेमन से हुआ है । मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि प्रत्येक किसान को जोतबही मिल जाय जिसमें उसकी भूमि का पक्का विवरण लिखा हुआ हो जिससे वह भूमि के लिए खाद, बैल आदि की सुविधा लेना चाहे तो लोन ले सके और उसको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े । भूमि के बंटवारे भी हो गए हैं और नाम अलग-अलग हो गए हैं तो उसमें सही विवरण आ जाय और किसानों को सही जोत बही मिल जाय ।

पिछले वर्षों में कुछ भूमिहीन किसानों को जमीन का वितरण किया गया उसके सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें आ रही हैं । किसी को एक एकड़ भूमि मिली है तो किसी को दो एकड़ भूमि मिली है और किसी को आधा एकड़ भूमि मिली है क्योंकि जिस गांव में जितनी भूमि थी उसी के आधार पर वह बांट दी गयी बाहर से तो भूमि आई नहीं, जहां ज्यादा जमीन थी वहां तो लोगों को ज्यादा जमीन मिल गई लेकिन जहां कम जमीन थी वहां कम जमीन मिली है उसके कारण जिनको यह जमीन आवंटित की गई वह बेचारा मुसीबत में फंस गया, एक ओर तो वह कहता है कि हमको

[श्री थम्मन सिंह गहलौत—]

कब्जा नहीं मिला और जिसके खेतों के पास वह जमीन कटी है वह कहते हैं कि हमारी भूमि गलत काटी जा रही है । इसका सबसे ज्यादा फायदा लेखपाल और कानूनगो ले रहे हैं । एक बार एक ने पैसा दिया तो उसके पक्ष में पैमाइश लगा देते हैं । और दूसरी बार दूसरे ने पैसा दिया तो उसके पक्ष में पैमाइश लगा देते हैं । इस प्रकार आवंटी और पुराने जमीन वाले में संघर्ष की स्थिति हो गयी है । इस पर मेरा एक सुझाव है कि जिस गांव में भूमि आवंटित की गयी है उस सबको एक जगह इकट्ठा किया जाय और उसकी चकबंदी कराई जाय और जिनको भूमि आवंटित की जाय उनको एक स्थान पर भूमि दिलाई जाय । कोई भी आदमी आज एक एकड़ भूमि पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कर सकता है अगर किसी को सिंचाई के साधन लगाने हैं तो वह नहीं लगा सकता है । अगर आप भूमि को एक जगह इकट्ठा करके देंगे तो फिर उसमें विकास करने की सुविधा हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि उस भूमि को विकसित कराकर उनको उपलब्ध कराएं । सरकार भूमि के विकास के लिए लोन और अनुदान दे रही है लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से किसान तक नहीं पहुंच पाता है कारण यह है कि उसमें बीच में बहुत झंझट होते हैं, बीच में हिस्सा लेने वाले बहुत से लोग हैं किसान तक आधा पैसा भी नहीं पहुंच पाता है । किसान को तहसील तक जाने का खर्चा और जितने दिन उसको जाना पड़े उतने दिन का नागा और जो पैसा मिलता है उसमें जो खर्च करना पड़ता है उन सब को जोड़ा जाय तो उस तक आधा पैसा भी नहीं पहुंचता है । आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी पैसा किसान को दिया जाय वह पूरा उसको मिल जाय चाहे बैंक से चैक दें या किसी प्रकार से दें । कुछ दलाल होते हैं जब किसान तहसील में जाता है तो उससे कहते हैं कि तुम्हें यह रुपया नहीं मिल पाएगा अगर इतना पैसा दे दो तो पैसा दिला देंगे । तो पैसा मिलने से पहले ही बंटना शुरू हो जाता है । इस प्रकार गरीब आदमी को कुछ मिलता नहीं है लेकिन वह भूमि से कुछ कमाई करने से पहले ही कर्जदार बन जाता है ।

सीलिंग के बारे में बातें कही गयी कि भूमि पर अब सीलिंग हो गयी है लेकिन उसका बड़े लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार कानून लागू होता है । हमारे जिले में एक अपर गंगा शुगर मिल है जो बिड़ला की है उसके पास हजारों एकड़ जमीन जो पहले थी वह आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है । 1959 में सीलिंग लागू हुई उसके बाद पुनः 1971 में लागू हुई लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा । एक तो वह मिल चला रहे हैं और फिर फार्म भी चला रहे हैं और अपना खुद मालिक जो है वह कलकत्ता में रहने वाले हैं । साल में दो दिन, साल में केवल दो दिन के लिये विजीट करने के लिए वह आता है और उस दो दिन में उन्हें अपना फार्म देखना है और मिल भी देखनी है । अब वह कितनी प्रत्यक्ष खेती करते होंगे, यह देखने की बात है । ऐसे लोगों को छोड़ने की आप में हिम्मत नहीं है, जानबूझकर आपने ऐसे कानून बना रखे हैं, जिससे ऐसे भूमिचोर लोग बचे रहें । सीलिंग के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार की भूमि सम्बन्धी जो भी नीति है, उसे उसको हाउस में घोषित करना चाहिए । गुपचुप करने से, फुसफुस करने से और गुप्त सर्कुलर भेजने जैसा उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे लोगों पर विपरीत असर पड़ता है और वे आशंकाग्रस्त हो जाते हैं ।

पिछले दिनों एक सर्कुलर गया था कि जिसके पास भूमि है और किसी अन्य साधन से उसकी 10 हजार रुपया सालाना आमदनी है, तो यदि उनकी भूमि छीन ली जाए तो क्या स्थिति होगा । मैं कहना चाहता हूं कि एक बैंक के चपरासी तक की 10 हजार रुपया आय होती है । तो क्या आप ग्रामवासियों को उस स्तर तक नीचे ले आना चाहते हैं । आज 14–15 लाख रुपया रोज की बिड़ला की आमदनी होगी । शहरों में कुछ होटल ऐसे हैं जिनको एक कमरे का प्रतिदिन का

किराया ढाई-ढाई सौ रुपया है और होटल में सैकड़ों कमरे होते हैं, इस तरह से उनकी लाखों करोंडो रुपए की सालाना आमदनी बिना किसी मेहनत के हो जाती है । तो इस तरह से कानाफूसी करने से लोगों पर विपरीत असर पड़ता है । तो सरकार यदि समाजवाद में विश्वास करती है तो वह स्पष्ट घोषणा करे कि इतने रुपए की आमदनी पर हम सीलिंग लगा देंगे, वह आमदनी फिर चाहे जिस तरह से हो । मकानों से हो, या दूकानों के किराए से हो या अन्य किसी तरह से हो । आप लोगों ने रोजगार बना रखा है शहरों में मकान और दूकान बनवाकर वे लाखों रुपये की आमदनी पर हम सीलिंग लगा देंगे, वह आमदनी फिर चीहे जिस तरह से जिससे उसकी गुजर-बसर ही न हो । सबके साथ आप एक सा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं । नगरवासियों और ग्रामवासियों के साथ आय की सीमा को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । जो लोग बिना किसी मेहनत के कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको एक साथ रखकर आप इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लें । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अध्यक्षता महोदय, आपने इस राजस्व बजट के विषय में जो विचार-विमर्श करने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह बजट जो आज हम पास करने जा रहे हैं, उसका समर्थन करते हुए हम मौजूदा स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं । यह बजट जो सरकार के कामकाज और खर्च के लिए आज पास किया जाएगा, उसके लिए तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि यह पैसा जो दिया जा रहा है उसका लाभ आम जनता को कम और सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ज्यादा मिलेगा । यह मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जहां तक कानून का सवाल है कानून कमजोर की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है और कोई भी कानून बनाकर कमजोर को कुछ देने की बात कही जा रही है, लेकिन आजकल देखने में यह आता है कि कमजोर तो पिसता जा रहा है और जो देने की बात कही जा रही है वह उसे मिल नहीं रही है, केवल बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों को ही मिल पा रहा है। नीचे से ऊपर तक का हिस्सा बंधा हुआ है ।

मैं सरकारी पक्ष का हूं, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं भी एक लाख 56 हजार मतदाता का जनप्रतिनिधि होकर यहां आया हूं ।

मान्यवर, मैं ही नहीं हमारे जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं सभी 1, 1 1/4, या 1/2 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर चुन कर आते हैं । इसलिए उनकी बात को ही यहां कहने आते हैं उनका हमें ध्यान होना चाहिए । अगर हम विशेष रूप से जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हितों की रक्षा नहीं करते हैं तो हमें पुनः यहां पर नहीं भेजेंगे । अगर हम अधिकारियों के चक्करों में पड़े रहे तो वे हमें साफ ही कर देंगे । मैं एक बार एक अधिकारी के पास गया, उससे कुछ बात कही । उसने उसको सुना और कहा कि और कुछ कहना है । वे हमेशा और बात ही पूछते हैं । लेकिन कभी भी कमजोर वर्ग के लोगों और गरीबों का भला नहीं करने वाले हैं । अगर कुछ बात कहकर भी चले आए तो कागज कहां पर चले जाते हैं उनका कुछ पता ही नहीं चलता है । जब हम अपने

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–]

क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां के लोग जब पूंछते हैं तो उन्हें उत्तर ही क्या दें ? जहां तक हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का सवाल है, उनका काम तो हल्ला करना ही है । बराबर विरोध ही विरोध करते रहते हैं । एकदम विरोध करना ही उनका कार्य है लेकिन हम लोग जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, वे जनता को कैसे संतुष्ट कर सकें, इस पर निश्चित रूप से हमें गौर करने की जरूरत है ।

राजस्व विभाग का जहां तक संबंध है इसका सम्बन्ध कानून और जमीन से है । हमारे देश के संविधान बनने के पूर्व जो व्यवस्था थी, वह एक अजीब व्यवस्था थी जिसका जिक्र करना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शर्म की बात हो सकती है लेकिन जब हमारे देश में आजादी आयी, हमारा नया संविधान बना और उसके मुताबिक गरीब और कमजोर वर्ग का कुछ कल्याण हुआ है । सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 के तहत पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारी काम करते हैं । उनमें थोड़ी बहुत तरमीम तो कर दी गयी लेकिन उनसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का कुछ भला नहीं हो सकता है । आज हमारे राजस्व मंत्री ने कहा कि कानून ऐसे हो रहे हैं जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर आवंटित जमीन के जो मुकदमे चल रहे हैं उनको उठा लिया गया है अब नहीं चलेंगे । मेरी तो प्रार्थना यह है कि किसी भी क्षेत्र में इन गरीब लोगों के लिए कोई कायदा कानून बनाया जाता है तो उसमें किसी भी तरह के मामले खड़े न किए जायं ।

जहां तक जमीन का मामला है जितने भी आंकड़े आते हैं, चाहे जनता पार्टी की सरकार के समय के न हों, चाहे उसके पहले की सरकार के जमाने में और चाहे अब 50 प्रतिशत गलत दिए जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अगर जांच के बाद ये आंकड़े गलत साबित होते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी । ये अफसर सुनते रहते हैं और वे सोंचते हैं कि हमारा तो यही काम है कि हम बकते रहें । वे जानते हैं कि हम उनका क्या कर सकते हैं । उनकी तो उनके बड़े अधिकारी और मंत्री लोग रक्षा करते ही हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का कानून बनाया जाय, जिससे इनकी भी गुंजाइश न रहे, उनका नुकसान करने के लिए और जबरदस्त लोगों को भी नुकसान करने की गुंजाइश न रहे । इस समय चकबन्दी चल रही है और काफी दिनों से चल रही है । चकबन्दी हो जाती है, वह सभी चक बना दिए जाते हैं, मौके पर नाम दिया जाता है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर कोई रास्ता या चक रोड छोड़ दिया गया हो । सारे की सारे चकरोड जोत लिए गए हैं । जहां धारा 52 का प्रकाशन हो गया है, वहां पर भी यही हालत है । तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और हम लोगों की वार्ता पर भी गौर किया जाय क्योंकि हम लोग जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए यहां पर आए हुए हैं । तो मान्यवर, जनता की भलाई का काम करवाया जाय, अफसरों की भलाई के लिए नहीं ।

श्री राम गोविन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बहुत से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने यह मांग की है कि स्वर्गीय विशारद जी की जो कमेटी बनी थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है । मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार तो कतई लागू कर ही नहीं सकती, इसलिए कि जो बड़े-बड़े भूमि वाले लोग हैं, सारे वे लोग आज सत्ता में पड़े हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी खुद राजा हैं, राजा संजय सिंह जी हैं । केन्द्र में सी0पी0एन0 सिंह जी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तमाम राजाओं के होते हुए स्वर्गीय विशारद जी की कमेटी की रिपोर्ट को यह सरकार लागू नहीं कर सकती और कुछ ऐसी भी सामाजिक विचारधारा

के लोग हैं जिनको छोटे-छोटे राज्य मंत्री और उप मंत्री बना दिया गया है, अगर वे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते तो वह हम विपक्ष की बातों को भी सुन कर सोचते मान्यवर, कांग्रेस के लोग बड़े जोर-शोर से इस बात को कहते हैं कि इमर्जेन्सी के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को भूमि बांटने का यह काम किया गया था। श्रीमन् हम लोग तो जेल में थे और जेल से निकलने के बाद जब हम लोग एम0एल0ए0 1977 में चुने गए और अपने-अपने क्षेत्र में जब हम लोग गए, तो हम लोगों ने पाया कि किसी भी हरिजन को 5 कट्टा जमीन तालाब में, किसी को 10 कट्टा ऊसर में और किसी को बंजर में दी गयी है और किसी को आदमी के दरवाजे पर ही एलाट कर दी गयी है। मान्यवर, बहुत से गांव में भूमि समिति के लोगों और प्रधान ने मिलकर ऐसी जमीन का बंटवारा किया जो लोगों के खलिहान थे। प्रधान ने घपलेबाजी में इस तरह का काम किया है। गोरे जिले में आज वहां पर 30-35 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। वहां पर जो हरिजनों को जमीन बांटी गयी, वह जो गांव के लोग खलिहान रखते थे, वह जमीन बांट दी गयी प्रधान की साजिश से। 30-35 एकड़ जमीन वहां पर इस समय भी खाली है, मैंने कई बार आग्रह किया कि इसकी जांच करवा ली जाय।

इस बात को आश्वस्त किया कि आप सर्वे करवा लें, लेखपाल और तहसीलदार से इन्क्वायरी करा लें कि उस गांव में बोने-जोतने लायक 35 एकड़ जमीन बाकी है लेकिन गांव के खलिहान को बांटा गया है। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और मुकदमा चल रहा है। ऐसा जरूर यहां कहा गया कि जबरन कब्जा दिलाया गया है। ठीक है, उनको जमीन दिलावी जाय लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि जो खलिहान बांट दिए गए हैं, जो सार्वजनिक जमीन बांट दी गई है, ऐसी जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं है और जो दूसरों के हित की है, उसकी बेदखली न करायी जाय और जो जमीन खाली है, उसको पुनः बंटवाया जाय।

बहुत धन प्रशासन पर खर्च करने को कहा गया। अखबारों में 2/3 दिनों से निकल रहा है। मान्यवर, आप जानते होंगे, बलिया जनपद तीनों तरफ से घाघरा और गंगा से घिरा हुआ है। बहुत समय पहले से उसकी सीमा बांध दी गई है कि अमुक जगह उत्तर प्रदेश की जमीन है और अमुक जगह से बिहार की जमीन है। लेकिन बलिया के जिलाधीश ने निकाला था कि जो सर्वे के लोग गए हैं, उनको बिहार के लोगों ने कैद कर रखा है और बिहार के लोग बलिया के लोगों की फसल को काटने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति इसी साल की नहीं–हर साल यही बात होती है। पूरा शासन और प्रशासन जानता है कि बलिया जनपद में फसल की कटाई को लेकर हर साल 2, 4 और 10 कत्ल होते हैं। लगान हम उत्तर प्रदेश की सरकार को देते हैं, बोने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, लेकिन कटाई का काम बिहार के लोग करते हैं क्योंकि बिहार का प्रशासन और पुलिस उन किसानों की रक्षा कर रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन इस बात पर कोई ख्याल नहीं रखता। जबकि लगान वसूल करता है बलिया के लोगों से तो उनकी फसल कटवाने की भी जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, आज भी दैनिक जागरण में निकला है कि वहां के कांग्रेस (ई) के विधायकों के आपसी रंजिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस आपसी झगड़े के कारण यह स्थिति है। अतः आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जबकि फसल की कटाई हो रही है, बलिया जिले के

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी–

अधिकारियों को निर्देश दिया जाय । उनको पी0ए0सी0 और फौज की सहायता दी जाय और जो लगान देते हैं, उनको फसल दिलायी जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं इस राजस्व बजट का समर्थन करता हूं, और विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं ।

मान्यवर, बड़ी देर से चर्चा इस पर चल रही थी । हमारे विरोध पक्ष के लोग जो सामने बैठे हैं, उनके द्वारा अति वर्षा, सूखा और बाढ़ के बारे में जो सहायता बांटी गयी है, उसके बारे में कहा गया । यह कहा कि यह सहायता ठीक से नहीं बांटी गयी । मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि तीन वर्ष इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही और उसमें दो वर्ष सूखे में बीते । उस सूखे को बिताने में बार-बार इनके मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री घोषणा करते रहे कि हम उत्तर प्रदेश में सूखे का मुकाबिला युद्ध स्तर पर कर रहे हैं लेकिन अचम्भा होता रहा कि जब केवल अखबारों में और रेडियों पर सूखे और बाढ़ का मुकाबिला होता रहा लेकिन किसानों तक सहायता नाम की कोई चीज वितरित नहीं की गयी । न उनको एक छटांक गल्ला दिया गया न नकद उनको कुछ दिया गया । उत्तर प्रदेश को मिला क्या जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी 8 महीने पहले सूखा मिला बाढ़ मिली, मान्यवर उत्तर प्रदेश को इस सरकार को वर्षा मिली । इनकी कृपा से उसको साम्प्रदायिक दंगे, जातिय दंगे तथा अन्य प्रकार के दंगे मिले हैं । आज एक व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जहां सूखा पड़ा, ज्यादा पानी गिरा, बाढ़ आई वहां पर तमाम सामान वितरित किया गया नकदी रुपया बांटा गया उसके बाद भी आप लोग शिकायत करते हैं मैं कहता हूं कि आप अपने गिरहवान में हाथ डालकर देखें कि जब सूखा पड़ा था तो आपने क्यी किया था । मान्यवर, राजस्व विभाग बड़ा बदनाम विभाग है । लोग कहते हैं जिस काम को लेखपाल कर दे उस काम को राज्यपाल नहीं कर पाएगे । मान्यवर इनके भवनों की हालत बड़ी खराब है अधिकारियों के बैठने की जगह नहीं है जो रुपया रखा जाता है उसका स्थान भी ठीक नहीं है । इस बात पर भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बजट में उसका प्राविधान किए होंगे ।

मान्यवर, हमारे लखनऊ में 3 तहसील हैं एक मलिहाबाद तहसील है जो बड़ी तहसील है और उस बड़ी तहसील की वजह जो हमारी कान्स्टीटुयेन्सी है उसका एक बड़ा हिस्सा इसमें पड़ता है एक बहुत पुरानी मांग है यहां कि इटौंजा या बख्शी के तालाब पर एक नई तहसील खोली जाय । मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र में एक नई तहसील कायम करके हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाये । एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं तहसील के विकेन्द्रीकरण की । एक भावना चली की एस0 डी0 एम0 तहसील में बैठा करें लेकिन उसमें दिक्कत यह हो गई कि काफी लम्बी तहसील है 15–20 मील की तहसील है गांव एक किनारे पर है तो तहसील दूसरे किनारे पर पड़ती है । तहसील में 3–4 दिन हफ्ते में वहां अधिकारी होते हैं । मेरा सुझाव है तहसील का विकेन्द्रीकरण किया जाय । तहसीलों को विकेन्द्रीकरण करके हमारे जो ब्लाक हैं उसके ऊपर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाय और उस ब्लाक से संबंधित जो लेखपाल गांवों से सम्बन्धित नक्शे और पटवारी सबकी नियुक्ति ब्लाक स्तर पर की जाय । इस तरह से मैं समझता हूं एक-एक तहसील के 3-4 आफिस हो जाएंगे । इस तरह के किसानों की काफी दिक्कत समाप्त हो जाएगी । मान्यवर, कुछ दिनों पहले चकबन्दी चलाई गयी । उत्तर प्रदेश के कुछ तहसीलों में पुनः चकबन्दी की जा रही है । मैं समझता हूं कि जहां पहले चकबन्दी हो गई है वहां पर व्यापक पैमाने पर चकबन्दी की जानी चाहिए । क्योंकि पहले चकबन्दी ठीक नहीं हुई । हमारे मोहन लाल गंज

तहसील में चकबन्दी हो रही है जो ठीक की जा रही है । हमारे राजस्व मंत्री जी ठीक है वह सब ठीक करेंगे । मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको समय नहीं दिया, आपको अवसर दिया जाएगा ।

श्री राम सागर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिद्धौर, बाराबंकी, गोमती, कल्याणी, नइया आदि नदियों से घिरा हुआ है । विशेष बात यह है कि जो हमारे राजस्व मंत्री जी हैं, वह स्वयं इस निर्वाचन क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित हैं यह वहां से सदस्य लोक सभा रहे हैं । वहां के सैकड़ों गांव नदी के किनारे बसे हैं और इस वर्ष जो बाढ़ आयी उससे काफी वहां के लोग परेशान त्रस्त हैं । जो बाढ़ सहायता दी जा रही है उसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार है । इस सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं । हमारे जनपद में 25 और 30 रुपया प्रति सैकड़े के हिसाब से, बाढ़ सहायता से कटौती की जाती है जो उसमें कटौती कर लेते हैं । जिस गांव के लोग रिश्वत देने के लिए पहले तैयार हो जाते हैं उस गांव को सहायता पहले बांटी जाती है । जो लोग कटौती के लिए तैयार नहीं होते उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कहीं शिकायत की तो जो धनराशि दी जा रही है वह मय ब्याज के वसूल कर ली जाएगी । यह भ्रष्टाचार एक जगह नहीं पूरे जिले में छाया हुआ है । एक गांव की आप जांच कर लें, सारे कारनामे कर्मचारियों के सामने आ जायेंगे । अगर इसको इस सरकार का कोई आदमी झूठा साबित कर दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं ।

मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बिहार की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां सारे मकान कच्चे बने हैं और इस आबादी में 11-12 तालाब गांव में हैं जहां के लोग अब अपने मकान बनाने शुरू करेंगे जोकि तालाब सूख जाएंगे । वहां के लोगों के मकान मिट्टी के लिए तालाबों पर निर्भर हैं । हाल ही में तहसीलदार ने भारी रिश्वत लेकर उन तालाबों को 11 आदमियों के नाम आवंटित कर दिया है । तालाबों का पानी सूख रहा है, उसकी मिट्टी से मकान बनाएंगे लेकिन क्या वे लोग जिनके नाम तालाब आवंटित कर दिए गए हैं, उससे मिट्टी लेने देंगे । इन समस्याओं को तुरन्त दूर करें । हमारे यहां तहसील हैदरगढ़ है वहां 85 हजार की लागत से एक मंदिर बनाया जा रहा है जिसे तहसीलदार बनवा रहे हैं । यह तभी से बन रहा है जबसे बाढ़ सहायता बांटी जा रही है । यह धनराशि ली गई रिश्वत है । बाराबंकी जिले के जितने तहसीलदार हैं इस अनुदान से मालामाल हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों की जांच कराएं । हमारे जिले में धनौली, गोलिया ढूंडापुर, गैरिया आदि में चकबन्दी हुई और जो बंजर छूटा वह एक-एक हजार रुपए लेकर आवंटित किया जा रहा है । यही नहीं जो आवंटन सरकार ने किए वह झगड़े के कारण बन गए । अभी आज ही एक मामला हमारी जानकारी में आया है कि रायबरेली जिले में शिवरतन गंज थाना है वहां 11 लोगों को भूमि आवंटन में पट्टा दिया, उस जमीन पर सामंतों का कब्जा था । जब गरीबों ने अपना कब्जा नहीं हटाया तो एक हरिजन भूमिहीन को गोली से मार दिया । इस तरह से आप देखें कि यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मान्यवर, सरकार के आदेश गए हैं कि जो ओला

[श्री राम सागर—]

और सूखा से प्रभावित हैं उन पर वसूली में सख्ती न की जाय लेकिन हमारे टेड़वा के रामअवध प्रधान हैं । उनको बदमाशों की तरह ले जाकर तहसील में बंद कर दिया गया और उत्पीड़ित किया गया । सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । इसलिए माननीय भीखालाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने जो राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राजस्व बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, एक एक लाइन मुझे याद आती है—

जर्रा जर्रा मुस्करायेगा बफादार की दासतां
उनकी महफिल में अगर मेरी गुजर हो जाएगी ।

माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक बीमारी सी फैल गयी है भ्रष्टाचार की । इस सदन में उसी की गूंज सुनाई दे रही है । मैं कहना चाहूंगा और यह शब्द उचित ही होगा अगर बुरा न माना जाय कि भ्रष्टाचार के जनक और जननी दोनों यहीं मौजूद हैं । अगर यह अपनी सफाई ठीक से कर लें और भ्रष्टाचार के माहौल को हिन्दुस्तान से निकालने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी में इतना दम नहीं है कि भ्रष्टाचार को पैदा कर सके । भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार को जन्म कौन देता है । हम विधायकगण, मंत्रिगण भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और भ्रष्टाचार के पोषक भी यही हैं । अधिकारी तो दूसरी लाइन में आते हैं । भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है लेकिन यह कह देना ही काफी नहीं है । क्या हमारे माननीय सदस्यों ने कभी इसको कैसे दूर किया जा सकता है इस पर भी विचार किया ? एक तहसीलदार और एक कलेक्टर विधायक के तहत होता है । आप जन प्रतिनिधि हैं । आप मार्ग दर्शन देंगे और आप मजबूर करेंगे तो वह सही दिशा में काम करने की कोशिश करेगा । लेकिन अगर 4 विधायक पूरब चलने की बात करेंगे और 200 पश्चिम चलने की बात करेंगे तो वह अधिकारी भी आपकी परवाह नहीं करेगा । इसलिए पहले आप अपने दिल और दिमाग को पवित्र बनावें तभी वह कर्मचारी भी ठीक होगा ।

अभी भूमि आवंटन की बात चल रही थी । जब इस देश में राजा महाराजाओं को मिटाने के लिए कांग्रेस पैदा हुई तो उसने प्रण किया कि जमींदारी का नाश करेंगे और उसने ऐसा किया । कांग्रेस जमींदारी तोड़ने के बाद क्या उस जमीन को अपनी पाकेट में ले गयी । वह अपनी पाकेट में नहीं ले गयी बल्कि उसका बंटवारा लाखों नर-नारियों में हुआ । हां, यह सही है कि जिस रूप में उसका बंटवारा और व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं हुआ । कहीं पर उस जमीन पर कब्जा काली माई के नाम से हो गया तो कहीं पर बाबा के नाम से हो गया । कांग्रेस सरकार ने उसका निश्चित रूप से बंटवारा किया । इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम की आधारशिला मानकर उस भूमि का बंटवारा करने के लिए साहसी निर्णय लिया कि जमीन का बंटवारा करेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि व्यवस्था आप देते हैं लेकिन व्यवस्था आप कागज में देते हैं, धरातल पर व्यवस्था देने की कोशिश कीजिए । सुबह आपने आर्डर किया कि हरिजनों को जमीन का आवंटन किया जाय । सचिव महोदय ने कलेक्टर को आर्डर भेज दिया कि अमुक गांव में हरिजनों में जमीन का बंटवारा कर दिया जाय । कलेक्टर ने एस0डी0एम0 को आर्डर दिया, एस0डी0एम0 ने तहसीलदार को, तहसीलदार ने कानूनगों को और कानूनगो ने लेखपाल को कह दिया । गांव के सभापति ने मोहर लगा दी और शाम को सचिव को सूचना आ जाती है कि जमीन का बंटवारा हो गया । उन्होंने आपको सूचित कर दिया कि जमीन का बंटवारा हो गया । लेकिन सुबह [illegible] है और कहती है कि यह विवाद की जमीन है, यह खलिहान के लिए है या शादी-ब्याह के लिए रखी गई है । लिहाजा फिर से उस पर विचार होता है और

फिर से वहां प्रक्रिया दोहराई जाती है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कागज पर आंकड़ों को मत देखिए । अच्छे कर्मचारी भेजिए और देखिए कि सही माने में जो गांव सभा ने प्रस्ताव पारित किया है, वह जमीन हरिजनों में बांटने के काबिल है ? आप उनको ऐसी जमीनें देते हैं जो कृषि के योग्य ही नहीं है । यदि उन्हें जमीन देनी है तो उपयुक्त जमीन दें जिससे वे खेती कर सकें और अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें । अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय भीखालाल जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राजस्व विभाग के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहूंगा । अभी इसके पहले हमारे माननीय मिश्र जी बड़े ऊंचे शब्दों में झूठी बात को कह रहे थे कि इस प्रदेश में गरीबों को ऊपर उठाने के लिए हमारी माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भूमिहीनों को भूमि आवंटित किया । मान्यवर, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है कि आपने कौन सा कार्यक्रम किया और कौन सी योजना आपकी आने वाली है ? आपने भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के लिए कार्यक्रम चलाया यह भी ठीक है । आपने कहा कि आपने पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को भूमि आवंटित की है । लेकिन जिन लोगों को आपने भूमि दी है उस पर आज तक उनको कब्जा नहीं मिला । आपने जितने आवंटन कर दिए वह सब आपके कागज और फाइल में ही मौजूद है । उस पर हरिजनों का कब्जा मुश्किल से 20 प्रतिशत हो सका है । बाकी पूरा पट्टा विवादग्रस्त है । किसी का मुकदमा चल रहा है । कुछ लोग लाठी के बल पर उस पर कब्जा कर लिए हैं । मान्यवर, आपका राजस्व का बजट कम है या ज्यादा, इसमें मैं नहीं जाना चाहता । मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कि आपका जो भी बजट राजस्व में दिया गया है जिन लोगों के लिए यह बजट दिया जा रहा है, उन गरीबों तक सही तरीके से यह पहुंच जाय, यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिए । जैसे आपने बाढ़ से प्रभावित काश्तकारों को गेहूं, चना, मटर, पैसा दिया, यह सही है । अनुदान का पैसा जो दिया वह पैसा क्या उन लोगों के हाथ में पहुंचा ? जो उसमें हिस्सेदार (पात्र) है वह उन्हें नहीं देते । जो लोग उन्हें अनुदान में हिस्सेदार नहीं बनाते तो उसके लिए लिख दिया जाता है कि उन लोगों की फसल नष्ट नहीं हुई, उन लोगों की फसल डूबी नहीं थी । लिस्ट में उनका नाम नहीं रखा जाता और उनकी जगह जो मर गए हैं जो गांव छोड़कर चले गए हैं, जो शहरों के निवासी हैं उनके नाम लिस्ट में रख दिए जाते हैं और इस फर्जी तरीके से उन्हें अनुदान देने में दर्शाया जाता है ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की टाण्डा तहसील की बात करना चाहता हूं कि वहां पर तहसीलदार ने अपने तौर पर जिन लिस्टों को बनाया है, उनकी जांच करा लीजिए कि वे लिस्ट कितनी सही हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी यदि चाहें तो इस तहसील के गांवों में दिखला लें कि सही लोगों को जो कि आपके पत्रादि में है, को अनुदान मिला है या नहीं ।

आपने आवास के लिए हरिजनों को भूमि आवंटित की, ठीक किया । परन्तु उनके पास मकान बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास लकड़ी नहीं है, उनके पास मकान बनाने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । मकान बनाने के लिए वह दूसरे आदमी से कर्ज लेता है । कर्ज देने में

श्री अधिष्ठाता–'

ही उसका सारा जीवन व्यतीत होता चला जाता है और वह कर्जदार ही बना रहता है ।

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट । मान्यवर, हरिजनों को जो भूमि आवंटित की जाय आवास के लिए, कृषि के लिए तो उसके साधन भी जुटाए जायं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के दौरान में जिन लोगों के मकान गिर गए उन्हें 500-500 रुपए दिए जाएंगे और जिनके पक्के मकान गिर गए हैं उन्हें 800-800 रुपए दिए जायेंगे । परन्तु पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप जाकर देखें कि 25 रुपया, 20 रुपया से ज्यादा नहीं मिला है ।

मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगा कि मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमि का पुनः बन्दोबस्त कराया जाय ।

श्री गया सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके समर्थन के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । राजस्व विभाग में कुछ जगहों पर परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनको कम करने के लिए जो मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में, चाहे तहसीलदार के यहां, एस0 डी0 ओ0 की अदालत में, चाहे अतिरिक्त कमिश्नर के यहां चाहे बोर्ड में हों, जहां तक बोर्ड के खत्म करने की बात है यह कम से कम 6 या सात साल से कंट्रोवर्सी का विषय रहा है इस पर विवाद चल रहा है कि बोर्ड को समाप्त किया जाय या नहीं ? इन अदालतों की वजह से मुकदमों का निर्णय समय से नही हो पाता है । इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि बोर्ड चाहे समाप्त किया जाय या न किया जाय लेकिन जो मुकदमों के फैसला करने की प्रणाली है उसको जरूर बदला जाय । मुकदमा तहसीलदार के यहां से एस0 डी0 ओ0 के यहां जाता है, वहां से फिर कलेक्टर के यहां जाता है, फिर कमिश्नर के यहां, फिर कमिश्नर के यहां से बोर्ड में जाता है । तो जो सरकार का निर्णय था कि मुकदमा नजदीक से नजदीक के कोर्ट में जाय, लेकिन इस मामले में आज तक इस पर विचार नहीं किया गया । मेरा सुझाव है कि उन मुकदमों को एस0डी0ओ0 अतिरिक्त कमिश्नर, तथा बोर्ड में न भेजा जाय ।

मेरा यह सुझाव है कि मुकदमों को एस0 डी0 ओ0 के सामने न रखा जाय । इन लोगों को माह में 15-15 दिन तक दौड़ा व मीटिंग में जाना पड़ता है और पचासों नहीं सैकड़ों पेशियां पड़ती हैं । जिनके मुकदमें दो--दो, तीन-तीन साल तक पड़े रहते हैं । जैसा आज से 15 साल पहले था जुडीशियल आफीसर्स मुकदमों को देखते थे उसी प्रकार से फिर जुडीशियल आफिसर्स को जिलों में नियुक्त किया जाय और इस प्रकार से माल के मुकदमे उन जुडीशियल आफिसर्स को दिए जायं क्योंकि एस0 डी0 ओ0 जो मुकदमों को देखते हैं, जरूरी नहीं कि वह कानून बनाते हों । मेरा विश्वास है कि यह जुडीशियल आफिसर्स उनको न्याय देंगे और अच्छा न्याय देंगे उसके बाद जो अपील कमिश्नर के यहां होती है वह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एडीशनल कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जिनको सरकार पनिशमेन्ट देती है उनको एडीशनल कमिश्नर बनाती है और जो ये एडीशनल कमिश्नर वहां पहुंचते हैं तो वहां भी नीलामी शुरू हो जाती है और इस तरह से गरीब परेशान होता रहता है और इतना परेशान होता है कि उसकी सुनवाई इलाहाबाद बोर्ड में भी नहीं हो पाती है । मैं चाहूंगा कि प्रथम अपील कमिश्नर के बजाय सिविल जज के यहां प्रोवाइड किया जाय तथा दूसरी अपील बोर्ड के बजाय डिस्ट्रक्ट जज के यहां प्रोवाइड किया जाय । अब करीब-करीब हर जिले में सहायक कलेक्टरों की दूनी स्ट्रेन्थ है उनको

घटाकर सिविल जज और एडीशनल जजों की संख्या बढ़ाई जाय । इससे इन लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा । बोर्ड इलाहाबाद में जाकर न तो वह वकील ठीक से पाते हैं और उल्टे दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं । यह उनको अधिक मंहगा भी पड़ता है इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको इसी तरह से बनाया जाय । इस बार नक्शे जो बनाए गए चकबन्दी के वह बिल्कुल गलत बनाए गए उसकी वजह से गरीब काश्तकार को न्याय नहीं मिल पा रहा है । 5 बीघा उनकी खतौनी में लिखा हुआ है लेकिन 2 ही बीघा नक्शे में बना है । उनको कब्जा दो ही बीघा दिलाया जा रहा है और गरीब काश्तकार को उससे नुकसान हो रहा है । गरीब काश्तकार उसका जिम्मेदार नही है, उसकी जिम्मेदारी चकबन्दी पर है । एक और बात है वसीयतनामे की। इस समय फर्जी वसीयतनामे बनाए जा रहे हैं और फर्जी गवाह ले आते हैं । इससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है और असली उत्तराधिकारी पीछे रह जाता है तथा नकली को अदालतों पर दबाव डालकर, वकीलों पर दबाव डालकर वसीयत-नामे के आधार पर फर्जी लोगों का फायदा हो जाता है । इसको बन्द करने के लिए हम सुझाव देंगे कि जमींदारी एबाल्यूशन एक्ट में वसीयत के कानून में सुधार किया जाय उन्हें रजिस्ट्री की पाबन्दी में लाया जाय । इन शब्दों के साथ-साथ माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(3 बजकर 58 मिनट)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह हमारे प्रदेश के करोड़ों लोगों के कलेजे से जुड़ा हुआ है जिस पर मैं अपने माननीय साथी कांग्रेस (आई) के नव-युवक को बधाई दूंगा इस बात के लिए कि इन्होंने डंके के चोट पर इस बात को कहा कि जननी और जनक इस सदन में बैठे हुए मंत्री और विधायक हैं और मान्य-वर, इस बात को झूठा नहीं कहा जा सकता है ।

मान्यवर, रोज जब से मैं यहां आया हूं तब से गरीबों की दुहाई सुनते आ रहा हूं दोनों पक्षों की ओर से । गरीबों की, हरिजनों की, दुर्बल वर्ग की बात यहां आती है । 34 वर्ष तक नेहरू जी, इंदिरा जी हमारे लिए ऐसे हुए जैसे बन्दर हमको कोई चीज पेड़ से दिखाता है क्योंकि हम पेड़ पर तो चढ़ सकते नहीं और वह उसे खुद खा जाता है । उसी तरीके से हमारे देश के गरीब के साथ अमीर वर्ग खिलवाड़ करता है । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र का । मान्यवर, तराई में बड़े-बड़े फार्म हैं और दूसरी तरफ पहाड़ के लोग जंगल के अन्दर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं उन जगहों पर जो सीलिंग में दिखाई गयी हैं बसना चाहते हैं लेकिन उनको बसने नहीं दिया जाता है जब कि बड़े-बड़े फारनर्स ने अपने कुत्तों, कुत्तियों पता नहीं किन-किन नामों से जमीन लिखा रखी है जिसकी वजह से सीलिंग की जमीन नहीं मिल पा रही है । मैं चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सदस्यों ने मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट की बात कही उस रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जाय । यदि वास्तव में हमारे मंत्रि मण्डल के अन्दर सच्चाई है, ईमानदारी है और चाहते हैं कि वे वास्तव में गरीबों के हितकारी हैं तो उस

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट—]

रिपोर्ट को इन्हें अमल में लाना चाहिए । मेरा एक सुझाव यह है कि जो तराई का हमारा क्षेत्र है पर्वतीय अंचल का, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें जो सीलिंग की भूमि निकली है उसे भूमिहीनों को दिया जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में पुलिस को लोग नहीं जानते हैं । पटवारी, कानूनगो, यही हमारे वहां राजा माने जाते हैं और इन्हीं के हाथों में सब चीजे रहती हैं । आज इस युग में जहां डकैतियां हो रही हैं, तमाग कत्लेआम हो रहे हैं, विधायकों का अपहरण हो रहा है, वहां मेरा सुझाव है कि हमारे अंचल के पटवारी, कानूनगो और चपरासी को बन्दूक दी जाय, हथियार दिये जायं । इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि आप के यहां तो हर एक प्रकार के साधन मिल जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है लेकिन हमारे क्षेत्र में तहसील हेडक्वार्टर डेढ़ सौ किलोमीटर दूरी पर हैं लोग वहां नहीं जा पाते हैं । वे लोग पटवारी के पास ही जाते हैं । वही दाखा मरम्मत करता है । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दीजिये । यह बड़ा अहम मसला है । यह चीज करोड़ों लोगों के कलेजे से जुड़ी है । आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा तो एक आदमी ने मुझ से कहा कि मान्यवर, आप मेरे पिता बतावें कितने हैं । मैं चार बार पटवारी को पैसा दे चुका हूं लेकिन उस ने नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं । अभी तक दाखा मरम्मत नहीं हुआ । अब उसका दाखा मरम्मत हुआ है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप मैदानी हिस्से में चकबन्दी करा रहे हैं उसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में भी चकबन्दी आप करायें । उससे हम हारटिकलचर का विकास भी कर सकते हैं । हमारे यहां छोटे-छोटे खेत हैं । सदन के बराबर वहां पर किसी का खेत हो तो वह बहुत बड़ा जमींदार माना जाता है । आप ने देखा होगा छोटे-छोटे खेत वहां पर हैं । हमें खेती करने बहुत दूर भी जाना पड़ता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह, विष्ट—

हाई कोर्ट का एक झगड़ा है । मान्यवर, मुझे मालूम है कि एक माल विभाग के मुकदमे को चलते-चलते 46 वर्ष हो गये हैं । जमीन से संबंधित है । कितने लोग मर गये । रोज मुख्तारनामा पेश किया जाता है । झगड़ा पैदा होता है । मान्यवर, मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, मुझे आप ने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं । जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं । बजट ऐसा है जिससे गरीबों को राहत मिलेगी, हरिजनों को राहत मिलेगी, कमजोरों को बल मिलेगा । लेकिन इसके साथ ही साथ जहां ऐसा विकासशील बजट रखा गया है जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरी दृढ़ धारणा रही है और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पूरे प्रदेश में एक ही रेवेन्यू का कानून बनाया जाय—जैसे यू0 पी0 राजस्व टैनेन्सी एक्ट लैंड सीलिंग एक्ट जमींदारी एबालीशन एक्ट, ये सारे कानून राजस्व से संबंधित कानून हैं । इन सारे कानूनों में यदि एकरूपता हो जाय तो उसको समझने में और उसके कार्यान्वयन में आसानी हो जायेगी । यही दिक्कत न्यायालयों में भी है । माल के मुकदमों

की सुनवाई के लिये निश्चित रूप से ऐसे आफीसर्स नियुक्त किये जायं जिनके जिम्मे और दूसरे काम न दिये जायं ताकि किसान को या लिटिगैंट्स को मुकदमें लड़ने के लिये बहुत दूर से पैदल चलकर आना पड़ता है उसे न लौटना पड़े और निश्चित रूप से निश्चित अवधि के अन्दर उन मुकदमों की सुनवाई कर दी जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ऐसे मुकदमों का सवाल है, उनके पट्टे आदि का सवाल है, जैसे राजस्व मंत्री ने कहा कि उनके मुकदमों का निस्तारण हो गया है और अगर नहीं हुआ है तो उसको सीमाबद्ध करके कर देना चाहिए।

(इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जहां तक राजस्व की वसूली का प्रश्न है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं। इसके लिये नलकूप की एक तरफ पड़ताल की जाती है, नहर की पड़ताल की जाती है और तब स्थगन की कार्यवाही होती है, दूसरी तरफ जिलाधिकारी और और दूसरे अधिकारी चाहते हैं कि कोई कार्यवाही न हो और लगान वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव और सिंचाई की वसूली के संबंध में अगर कोई ऐसा विवाद खड़ा होता है और कोई प्राइमा फेसी केस बनता है कि उसमें जालसाजी हुई है तो उसको तुरन्त स्थगित किया जाना चाहिए। मान्यवर, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण और बाढ़ आदि होने से जो वसूली स्थगित कर दी जाती है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस बात से सन्तुष्ट हो जायं तो आप वसूली को स्थगित करने के बजाय उसे क्षमा कर दें। पब्लिक प्लेसेज में, इंस्टीट्यूशन्स में और स्कूलों के लिये पट्टों के निर्धारण में प्रायोरिटी नहीं दी गयी है। इसलिए जिनकी जमीन ली गयी हो उनको प्रायोरिटी इनके लिये दी जाय।

जहां तक जमीन के कब्जे का सवाल है, हमारे क्षेत्र में देवरिया आदि जगहों में जो लोग कहते हैं कि फलां भूमि पर हमारा कब्जा है तो उनको मारने पीटने के लिए ये लोग दौड़ते हैं और उनको परेशान करते हैं, उन्हें कब्जा नहीं दिलाया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को चलाया जाय ताकि जो ये चीजें होती हैं, वे समाप्त हों।

चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं कि एक मापदण्ड होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैंने पत्र के द्वारा भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया था और प्रश्न के जरिए भी मैंने कहा था कि आजमगढ़ की घोसी तहसील में और विशेष रूप से रोशनपुर सरफोरा, रसूलपुर और दाउदपुर तथा घूरपुर की यह स्थिति है कि उसके चारों तरफ चकबन्दी हो गयी है लेकिन उसकी बीच में 2, 3 किलोमीटर की जमीन पड़ी है जिसमें स्कूल है, पोस्ट आफिस है, अस्पताल है। उनके सम्बन्ध में विभाग से रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि वह क्षेत्र नदी की बाढ़ से पीड़ित है, इसलिए चकबन्दी नहीं हो सकती है। घूरपुर और दाउदपुर तो नदी से बहुत ही दूर है। घोसी चीनी मिल के लिये ली जाने वाली अक्ना गांव की जमीन चकबन्दी के कटौती से ली जानी चाहिए।

मेरे लाखों-लाखों लिखने के बाद माननीय अध्यक्ष जी एक ही जवाब बार-बार आ रहा है ऐसी जमीन जो वर्षों से बांगर हो सदियों से जिसको पानी कभी छूता न हो उसके बारे में कह दिया जाय कि यह बाढ़ प्रभावित गांव है। तो अगर इस तरह की

श्री राज कुमार राही—

एनोमेली रहेंगी तो लोगों का कैसे भला होगा । सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वह यह है कि चकबन्दी के समय दो एक जगहें छोड़ दी जाती है उसकी मंशा यह होती है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जायेगी और लोगों को बसाया जायेगा लेकिन होता यह है कि वह जमीन सही लोगों को नहीं मिल पाती है । इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जितनी उस गांव में जमीन है उसका चकबंदी के समय बंटवारा हो जाय अन्यथा जो गांव के मजबूत लोग होते हैं वह निश्चित रूप से उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । और जो बेचारे यह समझते हैं कि इंदिरा गांधी के शासन में यह जमीन हमें बांटी गयी है और हमको मिल जायेगी उन पर लाठियों से प्रहार होता है । इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो सार्वजनिक हित की जमीन की है उसको निश्चित रूप से किस को देना है यह उसी समय बांट दी जाय जब चकबन्दी हो । इससे झगड़े कम होंगे और मुकदमेबाजी कम होगी। मैं अन्त में आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे राजस्व जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री मोती लाल दहेलवी—

अध्यक्ष महोदय, सरकारी एक्ष के कुछ विधायकों ने इस सरकार पर खास-तौर से माननीय राजस्व मंत्री पर गहरे आरोप लगाये हैं । मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी हरिजन हैं इसलिए उन पर आरोप लगाये गये और कोई कारण है ? लेकिन यह सही है कि आरोप लगाये गये । मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं वह भ्रष्टाचार के हैं अतः इस बजट से इस सरकार को एक रुपया भी देना जायज नहीं होगा । मान्यवर, मैं एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे जिले की एक करोड़ 88 लाख 70 हजार रुपए गृह अनुदान बांटने के लिए दिया गया । मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ । मेरे तहसील के एस0 डी0 एम0 बिल्हौर ने तमाम रुपये का गोल माल किया और वह रुपया पात्र लोगों को नहीं मिला । अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं अपनी तहसील के लगभग हर गांव से शपथ-पत्र दिला सकता हूं कि जो अनुदान पाने के पात्र थे, जो सरकार द्वारा घोषित पात्रता के अनुसार और जिला-धिकारी कानपुर द्वारा कथित पात्रता के अनुसार उसके पात्र थे उन लोगों को भी आज तक गृह अनुदान नहीं दिया गया है । उन लोगों को यह अनुदान दे दिया गया है जिनसे कमीशन मिल गया और जिनके मकान गिरे ही नहीं थे । जिन लोगों को अनुदान दिया भी गया है वह केवल 50 रुपया ही दिया गया और जिनके मकान गिरे ही नहीं हैं उनको दो-दो सौ रुपया दे दिया गया । मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं कि एस0 डी0 एम0 बिल्लहौर ने काफी धन का गोलमाल किया है । कुछ लोगों को 50 रुपया देकर ज्यादा रकम पर दस्त-खत करा लिए गये । तो मान्यवर, यही बात सत्तापक्ष के विधायक भी कह रहे हैं ।

मैं आज फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि जिस सरकार के सरकारी पक्ष के विधायक सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हों, न केवल उनको बजट लेने का अधिकार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि उनको सत्ता पर एक मिनट भी बरकरार रहने का कोई नैतिक औचित्य अथवा आधार नहीं है। मान्यवर, यह कह देते हैं कि हमने भूमि आवंटित की, कहीं कोई जो भूमि आवंटित की गयी वह केवल कागजों पर है, आज दिन तक उनको उस भूमि पर कब्जा नहीं मिला है, तो ऐसे भूमि आवंटन से क्या फायदा ? सरकार की जान-कारी में है अभी सत्ता पक्ष के एक विधायक कह रहे थे कि प्रश्नों के जवाब आते हैं कि भूमि आवंटित कर दी गयी, लेकिन आवंटन नहीं हुआ और दुबारा जब प्रश्न होते हैं, लिखा जाता है कि भूमि आवंटित की जाए तो कह दिया जाता है

कि यह खलिहान के लिए भूमि थी, बाग के लिए या चरागाह के लिए जगह छोड़ दी गयी है । तो इस तरह की जब घटनाएं प्रकाश में आती हैं और सरकार चाहती है कि शासन शुद्ध रूप से चले तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह दुबारा लिखने के बजाए उस अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को निलम्बित कर दे । लेकिन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि इसके पीछे एक राज है । जब कभी राजनैतिक लोग अधिकारियों से अनुचित और गलत काम करायेंगे तो कभी भी अधिकारी राजनैतिक लोगों से या मंत्रियों से या सरकार से दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं । उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा । प्रश्न किये जाते हैं और उनके तमाम के तमाम जवाब गलत और झूठे आते हैं । लेकिन चूंकि अतारांकित प्रश्न होते हैं, पूरक प्रश्न हो नहीं सकते हैं । तमाम के तमाम जवाब परस्पर विरोधी होते हैं ।

हमने माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह निरस्त हो गया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में गृह अनुदान के मामले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है । जो अनियमितताएं हुई हैं, अगर माननीय मंत्री जी में जरा भी कोई न्यायप्रियता का अंश शेष है तो न्याय का तकाजा है कि वह पूरे क्षेत्र में इसकी जांच करायें कि कौन-कौन पात्र लोगों को अनुदान मिला है और कौन पात्र लोगों को नहीं मिला है तथा किन-किन अपात्र लोगों को अनुदान बांटा गया है और इसमें कमीशन लिया गया है या नहीं । सरकार ने जिनके मकान गिरे हैं उनको बांटने के लिए रुपया दिया है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री उन सबको अनुदान दिलायें जिनके मकान गिरे हैं और जिनको अभी तक अनुदान नहीं मिला है । इस संबंध में मेरे प्रश्न बहुत हैं, इतना मसाला हमारे पास इकट्ठा है कि एक विशेषाधिकार नहीं 10 विशेषाधिकार हम उनके खिलाफ लायेंगे और आप चक्कर में आयेंगे, फसेंगे जरूर । इसलिए यह उचित होगा कि मंत्री जी सारे मामले की जांच करायें और जिन लोगों को गृह अनुदान नहीं मिला है उनको दिलायें । इस मामले में एस0 डी0 एम0, बिल्हौर ने काफी गोलमाल किया है, इसलिए उनको दंडित करना चाहिए ।

अगर मंत्री जी के इस भाषण में जरा भी ईमानदारी और नैतिकता है तो ऐसे एस0 डी0 एम0 के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो जनता को उनकी नेक नीयत में सन्देह होना स्वाभाविक है और वह बना रहेगा । इसलिए मेरी माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे विशेषाधिकार के चक्कर से बचें और इस मामले की जांच करायें और जिन लोगों को अनुदान नहीं मिला है, जैसा कि आप सदन में घोषणा भी कर चुके हैं, उनको आप अनुदान दिलवाएं जिनके मकान गिरे हैं और जो अनुदान पाने के लिए सही मायने में पात्र हैं ।

श्री राम स्वरूप निग—

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया । मैंने पिछले वर्ष राजस्व मंत्री जी से कहा था कि अगर उन्हें हरिजनों का भला करना है तो उनके खिलाफ जो मुकदमें चलते हैं, उनको वापस लिया जाय आज माननीय राजस्व मंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा सदन में की है ।

[श्री राम स्वरूप निग—]

जहां तक जमीनों के मामले का प्रश्न है इनको सुलझाने के लिए माननीय मंत्री जी को कुछ विशेष निर्णय लेने होंगे और इनके लिए मेरा सुझाव है कि वे ऐसी व्यवस्था सरकार से करवायें कि रेवेन्यू विभाग के अन्दर अगर किसी जिले में कलेक्टर गैर हरिजन है तो वहां का प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट हरिजन होना चाहिए जो उनकी बातों को सुन सके । इसी प्रकार से अगर किसी तहसील में एस0 डी0 एम0 गैर हरिजन है तो वहां पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो उनकी बातों को सुन सके और उनको सरकार तक पहुंचा सके ।

मान्यवर, जिला मथुरा में तहसील सादाबाद है जहां का मैं मूल निवासी हूं। उस गांव के अन्दर आज तक भी हरिजनों को जमीन नहीं दी गयी है । वहां के पटवारी ने 2 बार मीटिंग की और उनको कहा कि तुम्हें जमीन एलाट हो गयी और उनसे 1-1 हजार रुपया भी ले लिया । जब मैं विधायक बना तो मैंने कलेक्टर को, अतिरिक्त कलेक्टर को और कमिश्नर को एक-एक पत्र लिखा कि वहां पर पटवारी बड़ा ही भ्रष्ट है उसको वहां से हटायें लेकिन आज तक भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । जब मैं पटवारी से मिला तो उसने कहा कि आप जोर लगा लें मेरा स्थानान्तरण होने वाला नहीं है । मेरा संबंध मंत्री जी से है । श्री जावेद अली के कारण वह वहीं पर है । उससे बढ़कर भ्रष्ट लेखपाल कोई नहीं है लेकिन वह आज भी वहीं पर मौजूद है । मेरी प्रार्थना है कि जहां से इस प्रकार की सूचनाएं उनको मिले तो निश्चित रूप से सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को मिटाने में मदद मिलेगी । इसी भ्रष्टाचार की वजह से यहां से पूर्व राजस्व मंत्री जी को जाना पड़ा है, इसका भी मौजूदा मंत्री जी ध्यान रखें ।

जैसा कि अभी माननीय देहलवी जी ने कहा आज उनके ऊपर शायद इसीलिए आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष से भी लगे हैं क्योंकि विभाग के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार है । और वह इसलिए कि वह एक हरिजन मंत्री है । मेरा निवेदन है उनसे कि वह कालिमा जो आज बाबू जगजीवन राम के मत्थे पोती जाती है कि वह हरिजनों के नेता होते हुए भी हरिजनों के लिए कुछ नहीं कर सके,- यह कालिमा उनके मुंह में न पोती जाय अन्यथा यह हाउस आपको बख्शेगा नहीं । आपने हरिजनो को जमीन एलाट क्यों नहीं कराया, उनको पट्टा क्यों नहीं दिलवाया, यह सारा जिम्मा आपका हरिजन मंत्री होने के नाते और भी हो जाता है । जिला प्रशासन के संगठन में, जिला प्रशासन की इस कड़ी में और विशेषरूप से सचिवालय में जो शिकायतें आती हैं, जिला स्तर से और माननीय सचिवों द्वारा या कहीं से कोई रिश्ता निकाल कर मंत्रियों द्वारा वह छोड़ दिये जाते हैं । मेरा उनसे एक सुझाव है कि जब कभी वह जिस जिले में जायं, वहां की शिकायत सुनकर एकाध दो मामलों की जांच करें और जो भी आदमी दोषी है उसके खिलाफ तुरन्त वहीं पर कार्यवाही करें, तो यह एक पहल होगी ।

मान्यवर, इस बजट में हरिजनों की जमीन, उनके आवासीय जमीन के बारे में, हर तरह से उन देहात के बारे में तो बात कही गयी है । लेकिन क्या हरिजन शहर में नहीं रहता है ? उसके बारे में न जमीन के लिए, न मकान के लिए कोई बात कही जाती है । तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो मकान शहरों में एलाट होते हैं, उसमें उनके लिए भी कोई इस तरह का प्रावि-धान बना दें जिससे कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा मकान मिल जायं । सबसे कम मकान हरिजनों के पास में है । तो मेरा निवेदन है कि जहां रेवेन्यू का

मामला है, उसके बारे में कुछ सोच-समझकर कारगर उपाय करें । मेरा निवेदन है, रेवेन्यू के वसूली के बारे में अगर किसान के पास रेवेन्यू बाकी है, तो उसके लिए दरोगा, सिपाही भी हथकड़ी लगा कर चला आता है । जहां से मैं आता हूं, वहां पर 48 लाख रुपया शराब का, रेवेन्यू का बाकी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि इनसे पहले के मंत्री जी ने 5 हजार रुपये महीने की 48 किस्तें कर दी थीं । तो माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि इस संबंध में वह कोई कारगर उपाय करें ताकि रेवेन्यु का लाभ इस सरकार को हो और जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो ।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरी कटौती के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट किया । मान्यवर, जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उनमें अधिकांश ने इस बात पर चिन्ता किया कि जमीनों का आवंटन ठीक प्रकार भूमिहीनों में नहीं किया गया और जो आवंटन किया गया उन पर उनको कब्जा नहीं दिलाया गया । मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री का अपने विभाग का दावा है कि हमने करीब-करीब सबको कब्जा दिया । एक अभियान चलाया गया, जिसमें सबको कब्जा दिलाया गया । 17,50,311 गांव सभा भूमि के आवंटियों को जिन्हें 6,21,636 हेक्टेयर भूमि का अद्यावधिक आवंटन किया गया था कब्जों की जांच की गयी है, जांच में 15,70,374 व्यक्तियों का उन्हें आवंटित भूमि पर कब्जा पाया गया तथा 14,81,93 व्यक्तियों को जांच के दौरान कब्जा दिया गया । इस प्रकार 17,18,567 व्यक्तियों को उन्हें आवंटित 6,095,87 हेक्टेयर गांव सभा भूमि पर कब्जा मिल चुका है । इसके माने केवल 32 हजार आवंटियों का जमीनों पर कब्जा था, जिनको शासन ने इस अभियान के दौरान में भी नहीं दिलवाया ।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस कब्जा दिलाने की बात को एक त्योहार की तरह से न मनाया जाय और मैंने इसको पोलिटिकल स्टंट की तरह से प्रयोग न किया जाय । मेरा तो मान्यवर, निवेदन है कि उन भूमिहीनों के साथ इस तरह से न करें । मान्यवर, यह आवंटन 1975 और 76 में भी हुआ था, 1975-76 में उस वक्त कांग्रेस सरकार ने कहा था कि सभी आवंटन वालों को कब्जा दिला दिया गया है । फिर इनकी सरकार गयी और जनता सरकार आयी । उसमें भी पोलिटिकल स्टंट का इस्तेमाल किया गया । कब्जा दिलाने का अभियान चलाया । उन्होंने भी खूब प्रचार किया कि कब्जा दिला दिया । फिर जनता सरकार चली गयी और कांग्रेस सरकार आयी । इन्होंने कहा कि जनता सरकार ने तो कब्जा दिलाया नहीं, बे-दखल करा दिया । अब हम अभियान चलाकर कब्जा दिलायेंगे । तो, मान्यवर, देखें कि साढ़े 17 लाख आवंटियों को तीन बार कब्जा दिलाया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कब्जा दिलाया । अभी अध्यादेश भी जारी हुआ । जो आवंटी एक बार उखाड़े गये, दो बार उखाड़े गये, 3 बार उखाड़े गये, क्या मुकदमा चलाया गया ? नहीं चलाया तो यह केवल रश्म अदायगी है ?

[श्री भीखा लाल—]

मैं आज कहना चाहता हूं कि आज की भी सरकार उसी तरह से वाहवाही ले रही है कि हमने कब्जा दिला दिया है । सत्ता पक्ष के लोग फिर जब मंत्री जी से कहेंगे कि हमारे यहां फलाने गांव में आवंटियों की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है ? तो फिर यही त्योहार मनाया जायेगा कि हमने आवंटियों को कब्जा दिला दिया है । तो, इसमें सीरियसली विचार करना चाहिए । आपका आदेश जाता है लेकिन अधिकारी उसको गम्भीरता से नहीं लेते । केवल रश्म-अदायगी करने से काम नहीं चलेगा । लेखपाल और भूमि प्रबन्धक कमेटी पर एक्शन लें । उनसे पूछें कि कब्जा दिलाया कि नहीं । पुलिस के जरिये बल का प्रयोग किया जाय । लेकिन होता क्या है ? लेखपाल गांव में जाता है और सब लोगों को बुलाकर अंगूठा लगवा देता है और कह देता है कि हमने कब्जा दिलवा दिया। उसी आधार पर राजस्व मंत्री यहां बांच देते हैं कि हमने कब्जा दिला दिया । इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । पट्टों के संबंध में जो नाजायज पट्टे होते हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है । लेखपाल की जिम्मेदारी है । भूमि प्रबन्धक समिति की जिम्मेदारी है । एस0 डी0 एम0, जिसकी पुष्टि पर पट्टा होता है, उसकी जिम्मेदारी है । वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं समझा जा सकता है । कम से कम कुछ मामलों में सख्ती करें ताकि वे सोचें कि अगर गलत प्रस्ताव आया तो हमारे भी कान पकड़े जाएंगे ।

मान्यवर, गोरखपुर की मिशाल है । 75 में प्रश्न हुआ था । एक प्रधान ने मिलकर टेढ़वा गांव में 125 एकड़ जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया । प्रधान और लेखपाल निलम्बित हुए । चूंकि उस मामले में एस0 डी0 एम0 भी फंस रहे थे, इसलिए तिकड़म करके प्रधान व लेखपाल को बहाल करके मामले को रफदफा कर दिया गया । तो रश्म-अदायगी ही केवल नहीं होनी चाहिए ।

एक बात और जानना चाहता था और वह राजस्व की वसूली के संबंध में है। उसके संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भू-राजस्व जो 2/3 फसली का बकाया इस समय था, उसमें 1388, 1386 फसली और 1387 फसली में किन-किन फसलों के भू-राजस्व की माफी की संस्तुतियां अब तक आयी हैं और कितनी धनराशि है । उन्हीं वर्षों में आयीं या 80 में आयीं । अगर 1386 फसली की संस्तुति उसी साल नहीं की गयी, तो नियमानुकूल काम नहीं किया गया । तो माल मंत्री जी जरूर बता दें कि कितने भू-राजस्व की संस्तुतियां आयी हैं । हमारे उन्नाव जिले में 2 फसलों के लगान माफी की संस्तुति सरकार के पास आई है उस पर स्वीकृति प्रदान की अथवा नहीं ।

एक बात, मान्यवर, उन्नाव जिले के बारे में और कहना चाहता हूं । ग्राम भौली में 1971 से चकबन्दी चल रही है और कभी तक चक काटकर पर्चियां भी नहीं मिलीं । कब्जे के बात तो जानें दें । यह शैतान के आतंक की तरह बढ़ता जा रहा है । मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम भौली परगना भगोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में वहां पर एक सी0 ओ0 6-6 महीने के लिये अलग से तैनात कर दें ताकि यह काम खत्म किया जा सके । माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजस्व संहिता विधेयक सदन में प्रस्तुत हो चुका है और वह प्रवर समिति के सुपुर्द है । राजस्व संहिता विधेयक इतना बदकिस्मत विधेयक है कि पिछली सरकार के समय में पेश हुआ था और वह सरकार चली गयी । और अब तक इस सरकार के जमाने में इसने 3 राजस्व मंत्री देखें है । इसी सरकार के दौरान यह तीसरे राजस्व मंत्री है पहले यशपाल सिंह थे दूसरे भानु प्रताप सिंह तथा यह तीसरे है । मेरी यह इच्छा है और सदन की भी शुभकामना है कि यह विधेयक इन्हीं राजस्व मंत्री जी के समय में पास हो जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 47-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनदान संख्या 114-राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (ऋण और अग्रिम) मंत्री जी से अनुरोध करूंगा मैंने जो अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनको लागू कराने के लिये विचार करें ताकि उनको सही तौर पर लागू किया जा सके ।

कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार की बात कही है मैं भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहूं ? हमारे सत्ता पक्ष के माननीय मिश्रा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के जनक और जननी यही बैठे हुए हैं । मैं लेखपाल के भ्रष्टाचार की बात क्या कहूं यह तो एक नहर की छोटी माइनर के समान है उसके ऊपर बड़ी नहर है और उसके ऊपर शारदा सागर है जिससे इन नहरों में पानी आता है । अगर शारदा सागर में गन्दा पानी आता है तो किसानों को माइनर में साफ पानी कहां मिलेगा। जब तक शारदा सागर की सफाई न हो । इसको यह सरकार दूर नहीं कर सकती है यह पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद समाप्त हो सकती है । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव दिए गये हैं उन पर अपनी सरकार से अमल कराने की कृपा करें ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं । वैसे तो कुल हमारे 19 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं और उन सुझावों का लाभ हम उठायेंगे उनका कार्यान्वयन करेंगे । माननीय भीखालाल जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं शुरू में और कुछ माननीय सदस्यों ने भी उसमें जोड़ दिया । उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मंगलदेव विशारद कमेटी की संस्तुतियों पर अमल नहीं किया गया । यह बात सही नहीं है विशारद समिति ने 172 संस्तुतियां की थी जिनमें से शासन ने 144 को लागू करने का अंतिम रूप से निर्णय किया है । बड़े फार्म के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है इस संबंध में अधिकतर लोग न्यायालय में चले गये हैं इसलिए यह निलम्बित है ।

श्री मोहन सिंह—

निलम्बित नहीं लम्बित होगा ।

श्री बैजनाथ कुरील—

बहुत-बहुत धन्यवाद । लम्बित है खीरी में और अन्य जगहों पर । वह न्यायालय में पड़े हुए हैं । मगर 172 में से 144 संस्तुतियां मान ली गई ।

एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर से कहा कि इधर जो लोग बैठे हैं कांग्रेस की साख है जिसने बड़े-बड़े ताल्लुकदारों, जमींदारों को बैठा दिया और किसानों पास अधिक जमीनें हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह उसी कांग्रेस की साख है जिसने बड़े-बड़े ताल्लुकदारों, जमींदारों को बैठा दिया और किसानों को हक मजबूत किया था । भीखा लाल जी ने दूसरा प्रश्न किया कि जो इस तरह के आबंटियों पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध कोई मुकदमा कायम किया गया या नहीं, यदि नहीं तो समझा जायेगा कि सब फर्जी अदायगी है ।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1970 मुकदमें इस संबंध में चले जिसमें 575 हेक्टेयर भूमि इंवाल्व्ड है । सीलिंग की भूमि के संबंध में 131 चले जिसमें 84 हेक्टेयर भूमि इंवाल्व्ड है। वसूली के संबंध में भी कहा कि बड़ी सख्ती हो रही है,

[श्री बैज नाथ कुरील—]

उस संबंध में भी आपके सामने कुछ वस्तु स्थिति रखना चाहता हूं । भू-राजस्व के संबंध में जो आंकड़े मिले हैं 45 करोड़ की मांग है जिसमें 26 करोड़ का स्थगित है और 2 करोड़ की वसूली हुई । सिंचाई शुल्क में 47 करोड़ की मांग है, 28 करोड़ स्थगित है और 2 करोड़ की वसूली हुई । तकाबी में 12 करोड़ की मांग है, 7 करोड़ स्थगित है और 12 लाख की वसूली हुई । तो आप देखें जो वसूली हो रही है वह आहिस्ता-आहिस्ता चल रही है । इसमें उत्पीड़न की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । हमारे यहां 2 करोड़ 73 लाख खाते हैं जिसमें 1 लाख 71 हजार खाते ऐसे हैं जो 3-1/8 एकड़ तक के हैं और उनका राजस्व नहीं पड़ता । करीब 20 करोड़ रुपये इस तरह से माफी में जाते हैं । ओले की बात भी आयी । यह आदेश जा चुके हैं कि जहां ओलावृष्टि हुई है वहां रेवेन्यू की वसूली स्थगित कर दी गयी है । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि छोटे-छोटे टुकड़े जमीन के लोगों को दे दिए जाते हैं उसका कोई फायदा उनको नहीं होता, इकानामिक नहीं है । मैं मानता हूं कि इकानामिक नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं , क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूं कि मैं उन सब परिवारों के मन को, हृदय को अच्छी तरह से जानता हूं । जिन लोगों के पास सदियों से कुछ नहीं था, अपना कहने को एक टुकड़ा जमीन नहीं थी, अगर आज सरकार ने एक टुकड़ा दी है तो उनको उससे बड़ा लगाव होगा, भावनात्मक लगाव होगा । तो यह कहना कि इकानामिक नहीं है तो कोई बहुत सही बात नहीं है । जमीन के जो इतने झगड़े हो रहे हैं कि जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास 20 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़ जमीन है, अगर उसके पास आधा एकड़ किसी को एलाट कर दी गयी है तो वह उसको छोड़ना नहीं चाहता क्यों नहीं छोड़ना चाहते उसकी भी अपनी एक भावना है । उसकी भावना है कि यह भूमिहीन बना रहे । भूमिहीन बना रहेगा तो वह उसके आश्रित रहेगा । उनकी यह भावना जुड़ी हुई है । इसलिए कब्जा दिलाने में दिक्कत पड़ रही है । कब्जा दिलाने की बात बहुत कही गयी । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह इसमें मेरा सहयोग दें, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा । दोनों पक्षों से कह रहा हूं कि इसमें मुझे अपना सहयोग दें । एक बात यह कही गयी दुबारा सीलिंग की बात चल रही है । हमारे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है । एक साहब ने एक सरकुलर का भी हवाला दिया । यह सही है कि सरकुलर है लेकिन उसके माध्यम से जानकारी करना चाहते हैं कि अपने प्रदेश में किस तरह के लोग हैं । हम कहां से कुछ जुटा सकते हैं जिससे शासन की जो नीति है कि हैव्ज नाट को कुछ दिया जा सके वह पूरी हो सके । लेकिन अभी ऐसा कोई निश्चित प्रस्ताव शासन के सामने नहीं है । लेकिन जानकारी करने में क्या हर्ज है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपके माध्यम से एक बात मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस सरकुलर का आपने हवाला दिया उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह मामला शासन के सक्रिय विचाराधीन है कि जिनके पास कृषि से भिन्न दस हजार रुपये सालाना की आमदनी है उनको भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया जाय ।

श्री बैजनाथ कुरील—

इस तरह का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है इसीलिए मैंने कहा नहीं तो मैं न कहता । एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि सरकारी

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 47-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 114-राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (ऋण और अग्रिम)

आदेश यह था कि जिनके घर गिरे तो कच्चे मकान के लिए 500 रुपया और पक्के के लिए 800 रुपया दिया जायगा । यह बात सही है लेकिन उन्होंने इस आदेश को पूरा पढ़ा नहीं ऐसा मुझे लगता है । उसमें यह है कि अधिक से अधिक 500 रुपया और अधिक से अधिक 800 रुपया । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि घर गिरने की संख्या कितनी बढ़ गयी । दो तीन बाढ़ में घर गिरे और गिरते चले गये । जहां बाढ़ आयी वहां तो गिरे ही लेकिन जहां बाढ़ नहीं थी वहां अति वृष्टि के कारण मकान गिरे । इस कारण हम मैक्जीमम तक नहीं पहुंचे । लेकिन यह भी सही है कि काफी रुपया इस वर्ष बंटा । कानपुर के एक साथी ने कहा कि वहां 1 करोड़ 80 लाख लगभग रुपया गया । इतना रुपया गया लेकिन तब भी जो मैक्जीमम 500 और 800 रुपया था उस तक हम नहीं पहुंच सके । एक साथी ने पर्वतीय क्षेत्र के लिये कि वहां चकबन्दी करायी जाय । चकबन्दी तो नहीं लेकिन वहां के लिए एक प्राविधान किया जा रहा है कि जो बेनाप जमीन है और बहुत दिनों से अनधिकृत रूप से उस पर काबिज है तो उसको नियमित किया जा रहा है कुछ शर्तों के साथ । एक शर्त यह है कि 1975 से पहले से वह काबिज हो । दूसरी शर्त यह है कि अनधिकृत कब्जा की हुई भूमि और उसके पास पहले से जो भूमि है वह मिलाकर तीन सही एक बटा आठ एकड़ से ज्यादा न हो जाय । इस तरह से उसको नियमित किया जा रहा है । माननीय सदस्य की बात इससे कवर हो जायगी । यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार बहुत है और शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की । ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कार्यवाहियां की गयी हैं । जहां पाया गया कि गड़बड़ियां की गयी हैं वहां कर्मचारियों को दंडित किया गया है । इस समय 16 तहसीलदार आरोपित हैं जिनमें से 3 सस्पेन्डेड हैं, 115 नायब तहसीलदार आरोपित हैं जिनमें से 10 सस्पेन्डेड हैं, 14 सुपरवाइजर कानूनगो आरोपित हैं जिनमें से 13 सस्पेन्डेड हैं और 125 लेखपाल आरोपित हैं जो कि सभी सस्पेन्डेड हैं । इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं है । अगर किसी माननीय सदस्य की नालेज में यह बात हो कि फलां जगह फलां आदमी ने गड़बड़ी की है तो हम उसकी जांच करवा लेंगे लेकिन उसके खिलाफ पक्का सबूत होना चाहिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनका जिक्र मैंने कर दिया है । बाकी जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं उन पर गहराई से अध्ययन किया जायेगा और जितना लाभ हम उसका उठा सकते हैं, उठायेंगे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7-राजस्व दिभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परि-

[श्री अध्यक्ष—]

व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,62,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,54,49·000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परि-

संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 47-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर), अनुदान संख्या 114-राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 115—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (ऋण और अग्रिम)

श्री अध्यक्ष—

व्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,90,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर) के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114-राजस्व विभाग, ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114-राजस्व विभाग, ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,32,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 115-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 24-2-81 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से एक सूचना श्री दलगंजन सिंह एवं श्री शंकर सिंह द्वारा जनपद जालौन में सिंचाई हेतु पानी के अभाव में पानी की होड़ में दिनांक 21 फरवरी, 1981 को ग्राम उमरी, थाना रामपुरा में 6 हत्याएं एवं जनपद में पानी के विवाद में लगभग 50 हत्याएं एवं 100 व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न विषम समस्या के संबंध में है, स्वीकृत हुई है । शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

आगरा मेडिकल कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप गत 5 वर्षों में 12 डाक्टर छात्रों द्वारा आत्महत्या एवं बलात्कार की घटनाओं आदि के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(5 बजकर 2 मिनट)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

यह कहना सही नहीं है कि मेडिकल कालेज, आगरा में कोई अन्धेरगर्दी, आपाधापी एवं भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री विजय सिंह राणा ने अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1981 में उल्लेख किया है । इस संबंध में स्थिति यह है कि पिछले सितम्बर/अक्तूबर में हुई प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों में से कुछ छात्रों तथा उनके नेताओं द्वारा कालेज में अनुशासन हीनता फैलाने का प्रयास किया गया । इन छात्रों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई

किये जाने के लिये प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं ।

विगत पांच वर्षों में उक्त कालेज के 12 डाक्टर छात्रों द्वारा विवश होकर आत्महत्या करने की बात कही गयी है । वर्ष 1975 से 1980 की अवधि में अक्तूबर, 1930 में कालेज की प्रथम प्रोफेशनल के छात्र श्री सुरेश चन्द्र सोन ने आत्म-हत्या की । इस सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि श्री सोन को कालेज से किसी प्रकार का असन्तोष नहीं था । प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि श्री सोन मादक द्रव्यों का सेवन करने के आदी थे और वह अपने अध्ययन कार्य से काफी सीमा तक विरत हो चुके थे । उदाहरणस्वरूप श्री सोन को यह तक नहीं ज्ञात था कि उनकी परीक्षा किस तिथि को है और परीक्षा की तिथि निकल जाने के बाद वह परीक्षा देने के लिये कालेज में आये थे । इससे स्पष्ट है कि सोन की आत्महत्या का संबंध कालेज के वातावरण अथवा प्रशासन से कतई नहीं है । श्री सोन के मामले को छोड़कर उपरोक्त अवधि में कालेज में किसी अन्य छात्र ने आत्महत्या नहीं की । अत: यह कहना सही नहीं कि विगत पांच वर्षों में 12 डाक्टर छात्रों ने आत्म-हत्या की है ।

डा0 ए0 एन0 मालवीय, प्रोफेसर आफ बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल कालेज, आगरा दिनांक 20 नवम्बर, 1980 को जब क्लास में लेक्चर दे रहे थे, कुछ छात्रों ने उन्हें पीटा । डा0 मालवीय ने इस घटना की पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर श्री दिनेश सिंह और अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई है । पुलिस मामले की तफतीस कर रही है । आशा है कि पुलिस इस घटना से संबं-धित अपराधी का पता लगा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी । इसमें दो मत नहीं हो सकता कि किसी अध्यापक के साथ छात्रों द्वारा इस प्रकार का अभद्र एवं अमानुषिक व्यवहार किया जाना न केवल छात्र समुदाय के लिए शर्म की बात है वरन समाज के लिये भी शर्मनाक है ।

प्रयोगात्मक परीक्षा, दिन-प्रतिदिन का कार्य, मौखिक परीक्षा और त्रैमासिक परी-क्षायें विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रही है । उक्त नियमों के अनुसार इन परीक्षाओं का होना अनिवार्य है । दिन-प्रतिदिन के कार्य और त्रैमासिक परीक्षा का लिया जाना और उसकी जांच पड़ताल का कार्य प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में है । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य के पास ऐसी कोई भी शिकायत नहीं की गई जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि छात्र विशेष को पक्षपात के आधार पर अधिक या कम अंक दिए गये हों । प्रोफेशनल परीक्षाओं में प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा प्रोफेशनल परीक्षा के अभिन्न अंग हैं। इन परीक्षाओं का संपादन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत होता है, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनु-सार ही रहता है ।

इस प्रसंग में कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना से यह भी पता चला है कि कुछ छात्रों ने कतिपय विषयों में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यां-कन के लिए विश्वविद्यालय से अपील की थी । इन सभी छात्रों की संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का विशिष्ट परीक्षकों द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया गया लेकिन पुनर्मूल्यांकन

[श्री हरि सिंह—]

में हर किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल यथावत ही रहा । यह सही है कि किन्हीं वर्षों में मेडिकल कालेज, आगरा के किसी अध्यापक के अभिरक्षित का स्थान प्रथम चार छात्रों में रहा है, लेकिन ऐसे सभी छात्रों के मेडिकल कालेज में प्रवेश से पहले का एकेडेमिक कैरियर प्रथम श्रेणी से नीचे नहीं रहा । यहां यह भी बता देना अत्युक्त न होगा कि उक्त मेडिकल कालेज के अध्यापको के ऐसे भी अभिरक्षित है जिनका परीक्षा में कोई भी स्थान नहीं आया है । अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह कहना सही नहीं है कि उक्त कालेज के अध्यापकों के अभिरक्षितों अथवा किसी अन्य आधार पर छात्रों को पक्षपात करके अंक प्रदान किये गये हैं । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इन छात्रों ने जो अंक प्राप्त किये हैं, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत वे अंक शामिल हैं, जो वाह्य परीक्षकों द्वारा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा, नियुक्त किया जाता है, दिए गये हैं ।

उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि छात्रों को अंक न केवल कालेज के अध्यापकों द्वारा दिए जाते हैं वरन उसमें वाह्य परीक्षकों का भी हाथ रहता है, जिसमें किसी प्रकार के पक्षपात होने की सम्भावना नहीं है । अतः यह कहना कि इन्हीं अंकों के कारण कुछ व्यभिचारी अध्यापक कालेज की महिला छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, सही नहीं है । डा0 ए0 एन0 मालवीय, प्रोफेसर, आफ बायोकेमिस्ट्री के विरुद्ध डा0 कु0 उषा भाटिया ने डा0 मालवीय को उनके प्रति नियत साफ न होने से संबंधित शिकायत वर्ष 1977 में की थी । इस शिकायत के विरुद्ध डा0 मालवीय ने न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है, जो अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

मेडिकल कालेज, आगरा में विगत दो-तीन वर्षों से परीक्षाएं समय से नहीं हो पायी हैं किन्तु इसके लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी हैं । सेमिस्टर परीक्षा अथवा प्रोफेशनल परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद छात्र समुदाय ने प्रधानाचार्य पर दबाव डाल कर परीक्षाओं को स्थगित करा ली जिससे ये परीक्षाएं समय से न हो पायीं । इस स्थिति से बचने के लिये मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य ने सेमिस्टर परीक्षाओं के सम्पादन के सम्पूर्ण कार्य को संबंधित विभागाध्यक्षों को सौंप दिया है । अतः अब इन परीक्षाओं के लिए तिथि का निर्धारण एवं उनके सम्पादन का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ही किया जायेगा और ऐसी आशा है कि ये परीक्षाएं समय से हो जाया करेंगी जहां तक प्रोफेशनल परीक्षाओं का सम्बन्ध है, ये परीक्षाएं फरवरी/मार्च में होने वाली हैं और प्रधानाचार्य ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से इन परीक्षाओं को समय से करा लेने के लिए अनुरोध कर रखा है ।

प्रश्नगत यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स वर्ष 1978 में विश्वविद्यालय द्वारा पास किया गया था, जो परीक्षा विषयों के सम्बन्ध में था । इस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में पुनः विचार करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अब इसे निरस्त कर दिया गया है ।

21 जनवरी, 1981 को एस0 पी0 एम0 के छठे सेमिस्टर का पर्चा आउट होने की घटना की जांच मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य ने स्वयं की है । उनकी जांच से सही तथ्य सामने नहीं आ पाये हैं ।

अतः अन्य मामलों के साथ इस सम्बन्ध में भी सत्य का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय गोपनीय जांच कराने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है ।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 75 से 80 की अवधि बता कर अपने आप को बचाने की कोशिश की है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि 15-2-81 को क्या किसी छात्र ने आत्महत्या की थी ?

श्री लोकपति—

अभी कोई सूचना नहीं है ।

श्री विजय सिंह राना—

यह रिपोर्ट पेश की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, जब कि एक डाक्टर लड़का अरुण अग्रवाल ने आत्महत्या की, उसने गोली खाई, 5—7 दिन तक अस्पताल में रहा । मरने से पहले यह चिट्ठी लिखी है जिस की फोटो स्टेट कापी मेरे पास है । इसमें उसने लिखा है । लम्बा पत्र है । इसमें अन्त में उसने लिखा है जो मुख्य बात है दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई की तरफ लगातार ....

श्री लोकपति—

मरा नहीं है, श्रीमन् वह जीवित है । जो यह रिपोर्ट इनके पास है मुझे भिजवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

रिपोर्ट की कापी है तो दीजिए । आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि एक डाक्टर है जिसने आत्म हत्या की, 5—7 दिन तक मरणासन्न अस्पताल में रहा और उसने मरने के पहले यह चिट्ठी लिखी और यह उसने बड़े मुश्किल से भिजवायी है ..

श्री लोकपति—

श्रीमन् माननीय विधायक ऐसी बात कहते हैं कि एक लड़के ने आत्महत्या की, पता नहीं आत्महत्या की कोशिश की । सदन में चर्चा हो रही है और विधायक जी बार-बार कह रहे हैं कि आत्महत्या करने की कोशिश की । इसके माने पुलिस आत्महत्या का मुकदमा चलाये । ऐसी घटना नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

घटना नहीं हुई ।

श्री विजय सिंह राना—

घटना हुई ।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें मैं क्या करूं । आप कहते हैं घटना हुई वह कह रहे हैं घटना नहीं हुई । तो आप प्रश्न पूछिए ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

आगरा मेडिकल कालेज जाने का मुझे अवसर मिला । मंत्री जी ने कहा कि ए0 एन0 मालवीय ने लिखी रिपोर्ट मानहानि की । यह रिपोर्ट मालवीय जी ने लिखी या उस लड़की ने लिखी ?

श्री लोकपति—

आप दौरे पर गये थे उसके फाइनडिंग क्या हैं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्टैन्डिंग कमेटी को मैंने भेजा है । उसके आप सदस्य रहे हैं । उसमें आप गये थे । उसकी रिपोर्ट नहीं आयी अभी । आपको वहां पर ऐसी घटना की कोई जानकारी हो तो आप दे दें हम उसकी जांच करके आप के सामने रख देंगे ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने कहा कि ए0 एन0 मालवीय ने मानहानि का मुकदमा दायर किया । मुकदमा उन्होंने दायर किया था उस लड़की ने दायर किया ? मान्यवर, यह तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह इस बयान में लिखा है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह "कौशल"—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि 21 जनवरी को कोई पर्चा आउट हुआ था । उसमें वहां के प्रधानाचार्य ने जांच की । सही तथ्य सामने नहीं आये । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट क्या है ? उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे ?

श्री लोकपति—

21 जनवरी को पर्चा आउट होने की जांच रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं आई है ।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, जो अभी डाक्टर कौशल ने सूचना मांगी है उसका पूरा विवरण वहां के पत्रों में निकल चुका है । उसकी स्थिति यह है कि ....

श्री अध्यक्ष—

अब आप स्थिति न बतायें, प्रश्न पूछें ।

श्री विजय सिंह राना—

वहां पर जो दो लड़कियां विमला राघव और तरुण छाया नाम की हैं उनको डाक्टर गेहरोत्रा ने पर्चा आउट कराया है और यह पर्चा दो दिन पहले ज्यों का त्यों

आउट कराया गया था । उसकी मेरे पास फोटो स्टेट कापी है जो कि वहां के ए0 डी0 एम0 को दिया गया है । पर्चा अस्पताल में आउट कराया गया . . . (व्यवधान) : दया मंत्री जी इस सारे मामले की जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति—

वह जांच हो रही है कि पर्चा आउट हुआ है या नहीं । मुझे डर है कि कहीं हमारे माननीय मित्र तो उससे संबंधित नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो मूल वक्तव्य है उसके अंतिम से पहले की कंडिका में यह उल्लेख किया गया है कि पर्चा आउट होने की घटना की जांच मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य ने स्वयं की है और उनकी जांच से सही तथ्य सामने नहीं आ पाये हैं और अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट नहीं मिली । मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रधानाचार्य की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है तो कौन से तथ्य सामने नहीं आये हैं । दूसरी बात यह है कि इस माहौल की जांच के बारे में लिखित उत्तर में यह कहा गया है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यह स्पष्ट करें जांच कमेटी गठित हुई है या नहीं ? उस कमेटी में कौन-कौन हैं ? उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या हैं । तीसरी बात यह है कि जिस स्टैंडिंग कमेटी की बात माननीय मंत्री जी ने कही है मंत्री जी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं और यह भी हो सकता है कि मंत्री जी उस कमेटी में न गये हों और जांच के बाद उनको कोई अंतरिम रिपोर्ट मिली हो । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य ने कोई इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट दी है ?

श्री लोकपति—

पहली चीज यह है कि प्रधानाचार्य ने जो जांच की उसमें उन्होंने सिर्फ यह अनुरोध किया कि इसकी जांच कर ली जाय । क्योंकि एक प्रधानाचार्य ने किन्हीं कारणों से त्याग-पत्र दे दिया था और नये प्रधानाचार्य उसमें नहीं जाना चाहते थे । अब उसके लिए जांच हेतु आदेश दे दिए गए हैं । वह जांच लखनऊ से ही हो रही है । जहां तक जांच रिपोर्ट का प्रश्न है, वह अभी तक नहीं आयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने कहा कि हम जांच कमेटी गठित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । वह अब किस स्थिति में है ?

श्री लोकपति—

शासनादेश इश्यू होने की स्टेज पर है ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि अनुशासनहीन छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । आगरा मेडिकल कालेज में अनुशासनहीनता की जो घटनाएं घट रही हैं उनके

[श्री ओम प्रकाश जिंदल—]

बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं । मैं जब मेडिकल कालेज में आइं (आंख) के विभागाध्यक्ष डाक्टर यशपाल हैं, उनके पास गया तो मैंने देखा कि उनके प्रति भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री से एक बात और पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में वहां पर नर्स और छात्रों के बीच एक घटना घटी । नर्स के साथ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया । उसके ऊपर मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

एक मेडिकल छात्र ने वहां की एक नर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया था । और वह भी अनुशासनहीनता की एक कड़ी थी तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन् नर्स की कुछ छात्रों ने पिटाई की थी यह सही है और उसमें प्रिंसपल का जो दायित्व है उसके अनुसार प्रिंसपल ने कार्यवाही की है ।

श्री विजय सिंह राना—

इस मामले में मैंने एक आरोप यह भी लगाया था कि जो वहां के प्रवक्ता हैं उनके संबंधियों को ज्यादा नम्बर दे दिये जाते हैं और यह भी आरोप लगाया था कि जो लड़के थ्योरी में पास हैं उनको प्रैक्टिकल के आधार पर फेल कर दिया गया है क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति—

ठीक है आपने आरोप लगाये मैंने सुन लिये लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

श्री विजय सिंह राना—

मेरे पास लिस्ट है जिसमें एक लड़के के थ्योरी में 38, प्रैक्टिकल में 10 नम्बर है, डे-टू-डे के काम में 3 नम्बर हैं और इसी के दूसरे लड़के के थ्योरी में 28 नम्बर है और वह पास कर दिया गया है । इस प्रकार के कितने ही लड़के हैं जिनके थ्योरी में ज्यादा नम्बर हैं लेकिन वह फेल हैं और जिसके थ्योरी में कम हैं और प्रैक्टिकल में ज्यादा हैं उनको पास कर दिया गया है । सब की मार्कशीट मेरे पास है ।

श्री लोकपति

मैंने पहले ही कह दिया कि आप यह लिस्ट अध्यक्ष जी को दे दें मेरे पास आ जायेगी मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

(डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर समय समाप्त हो गया, बहुत प्रश्न हो गये हैं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981†

श्री बैजनाथ कुरील (राजस्व मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह विधेयक विवादग्रस्त नहीं है और एक छोटा सा विधेयक है । इसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901, जौनसार बाबर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 और उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 पर संशोधन करना है । इस पर कोई ज्यादा विवाद नहीं है । इसमें मुख्य रूप से जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको संरक्षण देने की बात है । इसी तरह से कुछ जो चर्चा यहां पर भूमि आवंटन के सिलसिले में कब्जा दिलाने के बारे में हुई है उसको भी कैसे प्रभावी किया जाय और उसका सरलीकरण कैसे किया जाय उसके संबंध में है । कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में है तथा कुछ गांव जो बिहार से हमारे यहां आये थे उनके खातों की नाइयत जो बार-बार लिखने के बाद भी दर्ज नहीं हो पायी उसके बारे में है । तो मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार करके इसे पास करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को राय जानने के लिए 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, विधान सभा का सदस्य चुने जाने से पहले मैं इस गलतफहमी में था कि विधान सभा में ही विधान का निर्माण होता है परन्तु जिस प्रकार से यह विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, उससे साफ मालूम होता है कि सभी सदस्यों की राय का आदर ही क्या, सत्ता पक्ष के सदस्यों की राय का भी आदर नहीं किया जाता है, उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है । मान्यवर, यह बात देखें तो यह संशोधन विधेयक पहले आर्डिनेन्स के रूप में 10 नवम्बर, 80 को लागू किया गया था । उससे पहले अक्तूबर के महीने में ही विधान सभा का एक लम्बा सत्र समाप्त हुआ था और जितनी बातें इसमें हैं उन सब पर विचार भी हुआ था । और यह किया जा सकता था कि यह विधेयक उसी समय ले आया जाता, लेकिन सरकार ने यह उचित समझा कि पहले इसको अध्यादेश के रूप में लाएं और फिर विधेयक के रूप में सदन में ले आएं । और जब वह सदन में अपना विधेयक रखते हैं तो वह अपने सदस्यों को आदेश जारी करके यह आशा करते हैं कि वह उसका समर्थन जरूर करें । इसमें देखें तो 6-6 कानूनों में इसके द्वारा संशोधन किया गया है । 80 प्रतिशत जनता जो ग्रामों में रहती है, उससे इन

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री जयदीप सिंह—]

सभी कानूनों का सम्बन्ध है, लेकिन इनका सबका संशोधन लमसम इकट्ठा में किया जा रहा है । इसके लिये एक ही घन्टे का समय है, यह पास तो हो ही जायेगा, लेकिन विचारों के आदान-प्रदान के लिए समय नहीं मिला, इसलिए ही मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक माननीय सदस्यों की राय जानने के लिए परिचालित किया जाए ।

इसमें आप देखें, मैं कुछ विशेष खण्डों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें धारा 122 (ख) का संशोधन है जो जमींदारी विनाश विधेयक का एक अंग है । इसके बारे में देहात में एक बात कही जाती है कि जैसे पुलिस वालों के पास आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत धारा 25 और आबकारी एक्ट के अन्तर्गत धारा 60 है, जिसमें वह लोगों को मनमाने ढंग से परेशान करके पैसा कमाने का धंधा करते हैं, उसी प्रकार से धारा 122(ख) का दुरुपयोग राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है । आज तक इसमें ग्राम समाज के प्रधान या उसके सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार उसमें हस्तक्षेप करते थे, लेकिन अब उनको शक्ति दे दी गयी है कि वह स्वयं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं । शायद यह बात मंत्री जी के पास पहुंची हो कि तहसीलदार के पास पूरा हिस्सा नहीं आता है, इसलिए उनको दखल करने का अधिकार दे दिया गया है ।

मुझे अपने यहां तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में यह देखने का अवसर मिला है, वहां एक काश्तकार करीब 1 प्वाइन्ट 4/5 एकड़ का है, उस पर ग्राम समाज की आबादी भूमि पर कब्जा करने के अभियोग में 11,600 रुपया जुर्माना किया गया है । गांव की आबादी का वहां कोई नक्शा नहीं है । लेखपाल के मन में जिसके बारे में आता है, उसको वह तुरन्त नोटिस दे देता है । तो एक गरीब आदमी पर 11,600 रुपया जुर्माना है, पर जो असरदार आदमी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर कोई नोटिस नहीं देते हैं । आगे यह भी है कि फैसला होने के बाद धारा 2 की उपधारा 3 में प्रतिकर को वसूली मालगुजारी की तरह की जाए । जो जैसे ही इसमें निर्णय होगा, उससे यह वसूल किया जायेगा, उसको कोई समय नहीं दिया गया है और न उसको किसी अपील का अधिकार दिया गया है । वह न्यायालय में भी नहीं जा सकता है, खण्ड 16 (ग) में यह कहा गया है । गरीबों को कुचलने के लिए सरकार ने काफी शक्ति ली है ।

ग्राम समाज की भूमि का पूरा सदुपयोग हो और वह गरीबों को दी जाय और जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय । इस विधेयक से जो असरदार लोग हैं उन्होंने भूमि हड़प ली है लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलेगी और उन्हें अपील भी करने का अधिकार नहीं है । जब आप अधिकारियों को और शक्ति देंगे इसके बाद जब आप जब अपने क्षेत्र में जायेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा ।

इसमें धारा 166 रखी गयी है जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया संक्रमण शून्य होगा । ठीक है । होना भी चाहिए । इससे पहले इसमें धारा 163 है जिसमें दिया गया है कि किस प्रकार से शून्य घोषित होगा । कौन सी घोषणा करके कैसे समझा जायेगा । माननीय

मंत्री जी ने कहा कि यह आटोमेटिक तरीके से हो जायेगा । अगर एक आदमी कोई भूमि खरीद ले दाखिल खारिज भी करा ले तो कैसे इसमें लेखपाल, या तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर कौन और कैसे देखेगा । इसी प्रकार से धारा 198 में भूमि वितरण के बारे में दिया गया है कि किन-किन को भूमि दी जायेगी । इसमें दिया गया है कि एक तो भूतपूर्व सैनिकों को छठी प्राथमिकता पर रखा गया है । जो भूतपूर्व सैनिक हैं वे 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं । वे कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम और डिसीप्लिन्ड फोर्स के होते हैं । उसके बाद में वे रोजगार की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूमि विशेष प्राथमिकता , के आधार पर दी जानी चाहिए । कुछ लोग अंगहीन भी होते हैं, उनकी प्राथमिकता बढ़ाई जाय और जो शिक्षण संस्थान हैं, या कोई अस्पताल है अगर कोई जनहित की संस्था है और वह चल सकती है तो उसको भूमि उपलब्ध करायी जाय । किसी को एक एकड़ भूमि देने के बजाय किसी विद्यालय के लिए वह समाज के लाभ के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है । स्कूल अथवा अस्पताल की आड़ में भूमि का दुरुपयोग न हो, इसके लिए प्रतिबन्ध लगा दीजिए कि 1 एकड़ अथवा 2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जायगी । इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस पर राय जानने के लिए इसको 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है लेकिन ये करीब आधे दर्जन हैं और सभी प्रमुख हैं । वर्ष 1980 में एक राजस्व संहिता विधेयक हमारे सामने आया और उस पर विचार करने के लिए एक समिति भी बनी जो पूरे देश में घूमी और जिसने कुछ विचार इकट्ठे किए । मैं समझता था कि उस पर विचार करके वह इस सत्र में आ जायेगा । अगर उसमें शीघ्रता हो जाती तो इन सारी चीजों का समावेश उसमें हो जाता । माननीय राजस्व मंत्री जी और उनके सहयोगी बड़े ही अनुभवी लोग हैं । अभी जो दिल्ली में रैली हुई थी उनको प्रधान मंत्री ने कुछ विचार राजस्व संहिता के बारे में रखे थे कि किस प्रकार से भूमि का प्रबन्ध हो और मैं समझता था कि भू-राजस्व के सम्बन्ध में एक समन्वित विधेयक आयेगा जिसमें जल्दबाजी में हम सब चीजों को इसमें नहीं ला पायेंगे और फिर भविष्य में कठिनाई पैदा हो जायेगी । अभी भाई जयदीप सिंह जी ने सारी बातें कह दीं और मुझे कुछ नहीं कहना है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस विधेयक के बारे में जैसा आप जानते हैं कुल 1 घण्टा दिया गया है । [illegible] श्री कम समय में आप अपनी बात समाप्त करियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा । मान्यवर, जो इसमें अनेक प्राविधान किये गये हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका तो मैं स्वागत करता हूं । लेकिन प्रवर समिति के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं कि उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक है, ताकि उनको जनोपयोगी बनाया जा सके । मान्यवर, हम अपनी मंशा को कैसे पूरा करें, इसलिए यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, 15 दिन की कौन सी बड़ी बात है । अभी इसके पहले जो पद पर चर्चा चल रही थी, उस पर भी अनेक बातों की ओर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित किया कि शासन ने वाहवाही लूट ली कि जिनकी जमीन पर गलत कब्जे हैं, वह मुकदमें भी खत्म कर देंगे और लोगों को कब्जा दिलायेंगे और कब्जा दिलाने के लिए जुर्माना भी किया जायगा और सजा भी दी जायगी । लेकिन मान्यवर, यह मेरी शंका है कि सरकार की नियत इसके परिपालन की ठीक नहीं है, वरना आज सरकार हमें बताती कि हमने कितने मुकदमें वापस ले लिये हैं ।

मैं बताऊंगा मुकदमें अभी वापस नहीं हुए हैं और सरकार यह भी बताती कि कितने लोगों पर जुर्माना किया है और कितने लोगों को लाभान्वित किया है । यह कह देना कि एक आर्डर भेज दिया और सभी मुकदमें वापस हो गये, यह बात सही नहीं है । मान्यवर, जिस समय माननीय मंत्री जी मंत्री हुए उस समय वाहवाही लूटी कि हमने यह फैसला कर दिया है कि कितने दिनों से चले आ रहे मुकदमें, बेचारों को जितने की जमीन नहीं मिली, उससे ज्यादा पैसा मुकदमा लड़ने में खर्च हो गया, उसे वापस करा दिया है । यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ कि बाराबंकी के कुछ काश्तकारों ने आकर बताया कि 31 जनवरी को उनकी तारीख लगी हुई है । मान्यवर, उसके पीछे जो मंशा थी, वह मंशा पूरी नहीं हुई है अर्थात जो लोगों की धारणा पूरी हो जानी चाहिए थी, वह पूरी नहीं हुई ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि शासन के द्वारा एक हर जिले में इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया जाय जो इस बात को देखे, अन्यथा सभी अधिकारी इसको देखेंगे तो यह पूरा नहीं हो पायेगा । अभी माननीय बसर जी ने कहा कि उनके निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी ? इसके बारे में आपने कहा कि नियम बनाया जायगा । अब आपने निश्चय तो कर लिया कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, उनको दंडित किया जायगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया आपने स्पष्ट नहीं किया है । इसलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसमें सभी बातों पर विचार हो जायगा । एक आपने संशोधन भी किया है । मैं इस भावना का तो स्वागत करता हूं । जो इतने हरिजन या गरीब वहां के लोग हैं, चाहे उनको पुस्तैनी जमीन मिली हो या आवंटन द्वारा, कुछ सामंत स्वभाव के लोग उस जमीन को छीन लेते हैं, उस पर आपने कहा कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के वह जमीन बेच पायेंगे । अभी तक तो यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति, आदिम जाति को एक में मिला दिया है, इनकी जमीन को जबर लोग दबाव डाल कर न खरीद पावें, वहां पर जो नया मुद्दा सामने आ रहा है, उस पर मैं आ रहा हूं । मेरे जिले में एक हरिजन ने कुछ रुपया लिया भूमि विकास बैंक से, उसकी जमीन नीलाम हो गयी और नीलामी खरीदी उसी जिले के एक व्यक्ति ने, जो आज विधायक हैं, मैं

नाम नहीं लेना चाहता हूं । वह नीलामी निरस्त हो गयी । वह 14 एकड़ जमीन थोड़े पैसों में खरीद ली गयी । क्या इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि जो भी तबका पैदा हो रहा है, जो उसी तबके का शोषण कर रहा है ।

मैं यह नहीं कहता कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन पर दोष न लगाया जाय, लेकिन जो हमारी मंशा है, कि गरीब और भूमिहीनों को दबे हुए लोगों की जो जमीन जबर लोग फायदा नहीं उठा पाये, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी वर्ग के लोग फायदा उठा रहे हों ।

एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं । संक्रमणी शून्य की जो चर्चा हुई उसके बारे में क्या वह चीज सामने आयेगी ? कहीं कुआं बन चुका होगा, चल या अचल सम्पत्ति बन गयी होगी, तो उसको सरकार कैसे अपने कब्जे में लेगी । तो ऐसा तो नहीं हो जायेगा कि इस निर्धारित नियम के अभाव में विवेक शून्यता को लेकर किसी को कोई मौका दे दिया जाय ? इसलिए इसके बारे में भी पूरी चर्चा की जरूरत है ।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है कि इसमें कहते हैं कि जो गांव की समिति है, उसको अधिकार है कि वह जो उसके पास जमीन है, चाहे सीलिंग से निकली हो या किसी अन्य तरीके से निकली हो, उसका पट्टा दे सकती है । नयी व्यवस्था यह है कि तालाब, पोखर और जलाच्छादित जगह का किसी व्यक्ति को आसामी तौर पर देने का अधिकार दिया है । लेकिन यह सही नहीं है, यह सूचना सरकार के पास नहीं आ रही है कि जो समिति होती है, वह लाभ उठाने के लिये भाई-भतीजों को और अपने लोगों को दे दिया है । इसमें प्राविधान की जरूरत है कि जो परम्परागत काम करते आये हों, जैसे गोंड़िया हैं, कहार, मल्लाह हैं, उन लोगों को प्राथमिकता देने की जरूरत है । इसमें आपने कहा है कि नियम बनायेंगे । इसलिए इसको भी साफ और सुधार करने की जरूरत है । साथ जिन चीजों के बारे में चर्चा हुई और जो बातें साफ-साफ आ गयीं उसको भी विस्तार से करने की जरूरत है ।

आखिरी बात है, कि इसमें पास-बुक के बारे में चर्चा की गयी है । मैंने पुराने और नये दोनों का अध्ययन किया है । परिवर्तन इतना किया है कि चाहे संक्रमणी अधिकार उसके लिये हो, उसको जोड़ दिया गया है, और अच्छा किया है, लेकिन इस लाइन के जोड़ देने से पास-बुक की मंशा सही हो गयी है, मेरी समझ में ऐसा नहीं है । किताब में किया है, लेकिन व्यवहार में नहीं है । क्या बैंक उसको 'आनर' कर रहे हैं ? रजिस्ट्रेशन में 'आनर' किया जाता है ? नहीं । इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत थी । काश्तकार को पास बुक मिलना चाहिए । लेकिन प्रभावी कैसे हो जाय ? मैं राजस्व समिति का सदस्य हूं और मुझे हरियाणा और पंजाब जाने का मौका मिला है । उन्होंने, मान्यवर, अलग से तहसील में अधिकारी नियुक्त किये हैं, जो पास-बुक के तथ्यों को ठीक करते रहते हैं । मान लें 4 एकड़ जमीन मेरे पास है । हमने एक एकड़ जमीन बेच दिया, तो इसकी तत्काल इन्ट्री हो जायेगी । वह बैंकों के पास बंधन है । ऐसा कानून जरूरी है कि बैंक और रजिस्ट्रेशन में जहां-जहां पास-बुक का उपयोग होता है, वहां सब जगह कानून का बंधन लगा दिया जायेगा कि पास-बुक [illegible] ध्यान करेंगे । उनको भी धोखा न हो जाय, इसके लिये भी जरूरी है कि

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

उसको दुरुस्त कैसे किया जाय । तो इसमें भी डेवलपमेन्ट करने की जरूरत है ।

तो मान्यवर, ऐसी बहुत सी बाते हैं जिनके बारे में विचार करने की जरूरत है । जब तक इन मुद्दों पर विस्तार से विचार नहीं होगा, तब तक यह चाहे कितना भी अच्छा विधेयक क्यों न प्रस्तुत किया हो, वह अधिनियमित तो हो जायेगा, लेकिन वह मंशा पूरी नहीं होगी । माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि केवल नारेबाजी नहीं होना चाहिए । अगर कमजोर के हित में काम कर रहे हैं, तो केवल घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा । अगर इसको प्रभाव का संबल देना है, तो प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करें और 15 दिन का मौका देकर नये सिरे से लाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आग्रह है कि जरा समय का ध्यान रखें । आप लोगों से कह रहा हूं और उम्मीद है कि कम से कम 50 फीसदी लोग तो ध्यान रखें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् बड़े विस्तार से गुप्ता जी ने इस पर रोशनी डाली मैं इतनी ही बात कहूंगा मंत्री जी से यह ऐसा बिल है जिसका पूरे प्रदेश पर बलिया से लेकर जौनसार बाबर तक को कवर करता है । इसमें एक आफिसियल अमेन्डमेन्ट लाया गया है । अगर इस पर गहराई से विचार किया जाय तो इसमें और बहुत सी चीजें मिल जायेगी जिस पर अमेन्डमेन्ट आ सकता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि चाहे इसी सेशन के अन्दर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करके शनिवार और रविवार को बैठकर विचार कर लें और पास कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है । मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और रविवार तथा शनिवार को बैठकर इसे विचार कर लिया जाय और इसी सेशन में पास कर लिया जाय ताकि जो माननीय मंत्री जी ने हक्क और अधिकारों के सेफ गार्ड की बात कही है उन पर विचार हो । इसी सेशन में पास करने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए । मैं चाहूंगा कि इस चीज को समझते हुए 15 दिन का टाइम लेकर शनिवार और इतवार को बैठकर इसको कर लें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था में संशोधन करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही । जैसा अन्य नेताओं ने कहा उसमें सुधार होना चाहिए और प्रवर समिति को जाना चाहिए । मैं 2 मिनट में 2 बात कहूंगा । जो तालाब, पोखरे हैं वहां पर मंत्री जी ने कहा कुम्हार, धोबी और मछली मारने वाले मल्लाह हैं उनका अधिकार होगा कभी-कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मल्लाह मछली मारने जाता है और इनमें आपस में विवाद हो जाता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप पानी बांटेंगे या जमीन बाटेंगे कैसे क्या होगा । क्योंकि यह समस्या मेरे समय में मेरे सामने आई थी । कभी-कभी ग्राम समाज की जमीन विद्यालयों को दे दी जाती है और मुझे निश्चित रूप से

मालूम है कि सन् 74 में एक कमेटी बनी थी जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होता था और ए0 डी0 एम0 (डी0) और जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होता है अब पता नहीं वह कमेटी जीवित है या नहीं । उससे संबंधित मुकदमें तहसील में चल रहे हैं । आज कल विद्यालय जहां दूर-दूर खुले हुए हैं और गांव समाज की जमीन के अलावा उनको जमीन नहीं मिलने वाली अगर उनको यह जमीन दी जायेगी तो इससे जन कल्याणी काम होगा । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस विधेयक के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो चीजों पर आकृष्ट करना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष जी इसको पढ़ने से ऐसा लगा कि यह विधेयक बहुत जल्दी में लाया जा रहा है । मान्यवर, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157, 198, 21 में जो प्राविधान किया गया उसमें गहराई से विचार किया जाय तो साफ जाहिर होता है कि इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया । धारा 157 ख इस विधेयक में बढ़ाई गयी है । और जिसके तहत अनुसूचित और आदिम जाति के लोग उनके अतिरिक्त जो अनुसूचित हैं किसी को भी भूमि स्थानान्तरित नहीं कर सकते । 157-क धारा में यह साफ व्यवस्था थी कि वे कलेक्टर की आज्ञा से अन्य को भी स्थानान्तरित कर सकते हैं । इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि अन्य जाति के गरीबों को भूमि नहीं मिलेगी । तो अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति को भी स्थानान्तरित करने का अधिकार होना चाहिए । मुझे लगता है कि इससे राष्ट्रीय हानि होगी । दूसरे धारा 198 में जो प्रतिबंध लगाया जाता है कि किसी प्रकार अनुसूचित जाति की सम्पत्ति से बेदखल व्यक्ति यदि फिर कब्जा करता है ।तो उस पर कम से कम 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है । यह साफ नहीं लिखा है कि इसको कौन मैजिस्ट्रेट सजा देगा । असिस्टेन्ट कलेक्टर देगा ? और 3 साल की सजा इस ग्राउन्ड पर बहुत अधिक है । यह अधिकार निश्चित रूप से मुंसिफ मैजिस्ट्रेट को मिलना चाहिए । इसके बाद अपील का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को होना चाहिए । ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा का प्राविधान होना चाहिए । तीसरी बात तालाब और पोखर, दोनों चीजें ऐसी हैं मान्यवर, जो सारे गांव की सम्पत्ति हैं । इसको किसी को भी आवंटित नहीं करना चाहिए । इन सब बातों पर विचार करना चाहिए । अन्त में जो मोहन सिंह जी ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम नरायन—

मान्यवर, यह एक अधूरा अमेण्डमेन्ट है और इससे सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 में कण्ट्राडिक्शन आ गया है । 198(3) में प्राविधान किया गया है कि 3 महीने से 6 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा । मैं एक वकील हूं और ऐसे मामलों में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है । ऐसे मामलों में कोई भी जमानत होने तक के लिए भी तैयार नहीं है । वह कहते हैं कि सी-आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 में कोई प्राविधान नहीं है । इस तरह से यह संशोधन अधूरा है, मान्यवर । 198 में कहते हैं हरिजनों को राहत देने जा रहे हैं । कोई गरीब पट्टे के कैंसिलेशन के लिए मुकदमा दाखिल करता है तो जबरदस्त

[श्री राम नरायन—]

लोग मुकदमें लड़ते रहते हैं । तो कम से कम कोर्ट फीस एक्ट और स्टैम्प एक्ट में संशोधन होना चाहिए और निर्बल और गरीब हरिजनों को उससे बरी कर दें । जमीदारी विनाश से पहले से कोई पोखर है, उससे लोग सिंचाई का काम लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, अगर एक आदमी को दे देंगे तो इंजमेन्ट एक्ट के तहत वह कोर्ट में जायेगा । तो इससे दिक्कत होगी इसलिए अगर आप यह संशोधन लाना चाहते हैं तो इंजमेन्ट एक्ट में भी संशोधन लायें ।

कोर्ट के सामने परेशानी पैदा होगी इसलिए यह जो टेक्निकल ग्राउन्ड्स हैं उनकी वजह से इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए । जल्दबाजी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए । आप आबादी के पट्टे कर रहे हैं, आपने हरिजनों के पट्टे के बारे में कहा है कि 115 (बी) में व्यवस्था करते हैं कि जमीन आबादी के लिए दी जायगी और आपने कहा है कि एक वर्ष में अगर मकान नहीं बन जाता है तो ग्राम सभा को वह जमीन वापस हो जायगी । मेरा अनुभव है कि जबरदस्त लोग पट्टेवाली जमीन पर मुकदमा दाखिल कर देते हैं । पहले व्यवस्था की थी कि अगर पट्टे होने के तीन महीने के अन्दर कोई आदमी एग्रीव्ड होगा तो मुकदमा करेगा लेकिन उस संशोधन को नहीं लाये तो जो जबरदस्त लोग हैं वह इन जमीनों पर मकान नहीं बनने देंगे । इसलिए ऐसा संशोधन हरिजनों को राहत देने के नाम पर भुलावा है । इसमें कंट्राडिक्शंश हैं । इसलिए इसका प्रवर समिति में जाना जरूरी है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष, जी, यह संशोधन जो माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत किया है और उस पर जो संशोधन विरोधी पक्ष के प्रस्तावक महोदय ने पेश किया है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है । यह संशोधन जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह अपने आप में निर्बल वर्गों के हित में है । माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य भी इस संशोधन से पूर्णतया सहमत हैं । कार्य-मंत्रणा समिति में यह निश्चय हुआ था कि 5 बजे के उपरान्त रख दिया जाय तो अगर वह सहमत न होते तो निश्चय ही कहते कि सदन में इस पर चर्चा हो ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में जो कुछ बाते तय हों उससे कोई अर्थ सिद्ध मत कीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा तय होने में ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो पास होना चाहिए और यह निर्बल और कमजोर वर्गों के हित के लिए है ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने की जो चीज अभी माननीय सदस्य ने कही तो उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह मुद्दे ऐसे हैं जो सबको मालूम हैं और रोज-रोज का अनुभव इनके ऊपर होता है । यह जो 122 (ख) के लिये जो सन्देह प्रकट किया गया है तो इसका फैसला कलेक्टर को जायेगा और अंतिम होगा । लेकिन वह रेगुलर सूट में भी जा सकते हैं और वहां का जो फैसला होगा उसके अनुसार एस0 डी0 एम0 और कलेक्टर का फैसला उसी तरह से यथावत संशोधित कर दिया जायगा ।

दूसरा 198(क) के सम्बन्ध में है तो यह फैसला अभी तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करेंगे और हाई कोर्ट से यह सहमति मांगी गयी है कि एस0 डी0 एम0 को ट्रायल करने के लिये दिया जाय । एक बात बड़े जोरों से यह कही गयी कि अनुसूचित जाति की जो भूमि है वह दूसरे लोगों को खरीदने के लिए छूट क्यों नहीं रहती । छूट तो है । अनुसूचित जाति की भूमि को बचाने का प्रयास हो रहा है । होता यह है कि किसी ने थोड़ा सा कर्जा दे दिया और लंबा सूद लगाकर उससे कहा कि या तो यह अदा करो या जमीन मेरे हवाले करो । तो उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है । अगर उसको आवश्यकता है तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमीशन लेकर बेच सकता है । आदिम जाति के लिए यह मुद्दा उठाया गया । अनुसूचित जाति और आदिम जाति दोनों भेद है । अनुसूचित जाति के लोग मिले जुले रहते हैं और जमीन अगर कोई खरीदेगा परमीशन से तो उसी गांव का होगा, आसपास का व्यक्ति होगा । लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है वह कोई कास्ट नहीं होती, एक एरिया होता है । उसमें रहने वाले लोग आदिम जाति के कहलाते हैं । अगर उनकी जमीन कोई खरीदेगा, मान लीजिए तराई में खरीदता है, तो दिल्ली या सहारनपुर का व्यक्ति आकर खरीदेगा । इसलिए यह है कि उनकी जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता । इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है ।

मुझे इसको प्रवर समिति को भेजने का कोई औचित्य नहीं लगता । यह बात उधर से ही तेजी से आयी कि क्यों नहीं सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाया जाता हरिजन को कब्जा दिलाने के लिए सरकार निकम्मी है । अब जब प्रभावी कदम उठाने की बात हो रही है तो उसमें देर करने की बात कह रहे हैं । मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि प्रवर समिति को भेजा जाय । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 की राय जानने के लिए 1 जून, 1981 तक पारिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खंड 2 से 20 तक

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122-ख में, उपधारा (1) से (4-ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात—

"(1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी गांव सभा या किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय या जहां कोई गांव सभा या स्थानिक अधिकारिकी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने या बनाए रखने का हकदार हो और ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से अध्यासन किया जाय, वहां, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी सम्बद्ध असिस्टेंट कलेक्टर को लिखित रीति से सूचना देगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से या अन्य प्रकार से असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी है या उसका दुर्विनियोजन किया गया है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहां वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए ऐसी नोटिस में उल्लिखित प्रतिकर उससे क्यों न वसूल किया जाय या, यथास्थिति क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय ।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा असिस्टेंट कलेक्टर इस निमित्त अनुमत करे, कारण न बताए या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय ।

(4) यदि असिस्टेन्ट कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा ।

(4—क) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के

भीतर धारा 333 के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित आधारों पर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है ।

(4—ख) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(4—ग) इस धारा के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, उपधारा (4—क) और (4—ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(4—घ) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, उपधारा (4—ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

(4—ङ) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति के संबंध में असिस्टेन्ट कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में अपने द्वारा अध्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेंट कलेक्टर के किसी आदेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद दायर नहीं किया जा सकेगा यदि उपधारा (4—क) के अधीन कलेक्टर को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कलेक्टर" का तात्पर्य यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है ।"

3—धारा 157-क का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 157-क में--

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "तथा अनुसूचित आदिम जातियों" निकाल दिए जायेंगे:

(ख) उपधारा (1), में जहां कही भी शब्द "या अनुसूचित आदिम जाति" आए हों, निकाल दिए जाएंगे ।

4—नई धारा 157-ख का बढ़ाया जाना--मूल अधिनियम की धारा 157-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"157—ख--अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध—धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी को कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा संक्रमण करने का अधिकार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति का कोई संक्रमणीय अधिकारवाला भूमिधर या असामी किसी जोत में अपने स्वत्व को (उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 में यथा परिभाषित) कृषि प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता के रूप

में या राज्य सरकार से तकाबी के रूप में या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक से या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व आफ इण्डिया एक्ट, 1934 की धारा 2 के खण्ड (इ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक है, या यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में कब्जा रहित बंधक के रूप में संक्रमित कर सकता है ।''

5—धारा 163 का निकाला जाना--मूल अधिनियम की धारा 163 निकाल दी जाएगी ।

6—धारा 166 और 167 का प्रतिस्थापन--मूल अधिनियम की धारा 166 और 167 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्—

"166--इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा ।

167(1)—ऐसे प्रत्येक संक्रमण के सम्बन्ध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) संक्रमण के दिनांक से संक्रमण की विषय वस्तु को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ख) संक्रमण के दिनांक को उस भूमि में विद्यमान वृक्ष, फसल और कुआं को, उक्त दिनांक से, सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ग) संक्रमिती संक्रमण के दिनांक को ऐसी भूमि में विद्यमान अन्य चल-सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति की सामग्री को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, हटा सकता है ।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हो, वहां कलेक्टर को ऐसी भूमि या किसी अन्य सम्पत्ति पर कब्जा लेना और यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय । ऐसा कब्जा लेना या ऐसे अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।''

7—धारा 169 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2--क) में, शब्द, अंक और अक्षर ''धारा 157--क'' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''धारा 157-क और 157-ख'' रख दिए जाएंगे ।

8—धारा 197 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 197 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

''(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, किसी तालाब, पोखर या अन्य जलाच्छादित भूमि को किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठाने का अधिकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।''

94 धारा 198 का संशोधन-मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (4) (4-क) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात्—

"(4) कलेक्टर भूमि के किसी प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर ऐसे प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच करेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसी जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है तो यह प्रदेशन और पट्टा यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है ।

(5) किसी प्रदेशन या पट्टा की उपधारा (4) के अधीन निरस्त करने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर, जिसके पक्ष में प्रदेशन या पट्टा दिया गया था या उसके विधिक प्रतिनिधियों पर, कारण बताने के लिए नोटिस तामिल न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रदेशन या पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाहियों में ऐसी नोटिस आवश्यक न होगी जहां ऐसी कार्यवाहियां 18 अगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन रही हों ।

(6) उपधारा (5) में उल्लिखित कारण बताने के लिए प्रत्येक नोटिस—

(क) 10 नवम्बर, 1980 (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के पूर्व किए गए भूमि प्रदेशन की स्थिति में उक्त दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किए गए भूमि प्रदेशन की स्थिति में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

जारी की जा सकती है ।

(7) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाए, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(एक) ऐसी भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और स्वत्व समाप्त हो जायगा, और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी,

(दो) कलेक्टर निर्देश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो;

(8) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

(9) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 में विनिर्दिष्ट कोई भूमि उक्त दिनांक के पूर्व किसी समय सीरदार या असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठाई गयी हो, और उपधारा (3) में उल्लिखित अनुज्ञेय क्षेत्र के संबंध में परगने के इंचार्ज

असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से इस प्रकार उठायी गयी हो, वहां इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में या उस प्रदेशन या पट्टे में, जिसके अधीन ऐसे व्यक्ति को वह भूमि उठाई गई थी, दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि का असामी समझा जायगा और यह समझा जायगा कि वह वर्षानुवर्ष उक्त भूमि धृत कर रहा है, और उपर्युक्त सीमा तक भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए अनियमित नहीं समझा जायगा;

(ख) ऐसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा निरस्त करने के लिए कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहियां, यदि कोई हों, उपशमित हो जाएंगी ।''

10—धारा 198-क का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 198-क में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

''(1) जहां धारा 195 या धारा 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी, व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या आसामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय और प्रदेशन ग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, वहां असिस्टेंट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलाएगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।''

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981'' रख दिए जाएंगे:

(ग) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्—

''(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किए जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है किंतु जो छः मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे जुर्माने की धनराशि वसूल हो जाय तो अभियुक्त को सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि जुर्माने का ऐसा भाग जैसा न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

"(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है; और

(ख) प्रदेशन ग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अंतिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त के ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4—क) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाय, वहां उपधारा (4) के अधीन पारित अंतरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(4--ख) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।"

11—धारा 201 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 201 में, शब्द और अंक "धारा 206 या 212" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 212" रख दिए जाएंगे ।

12—धारा 204 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 204 में,--

(क) शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमि धर" रख दिए जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी व्यक्ति द्वारा धृत किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी असामी को कोई ऐसा अधिकार प्रादुर्भूत न होगा ।"

13—धारा 210 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 210 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात--

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम नहीं होंगे ।"

14--नयी धारा 211 का बढ़ाया जाना--मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:

"211(1)—अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि के अप्राधिकृत अध्यारियों को बेदखल करने का अधिकार—जहां अनुसूचित आदिम जाति के किसी खातेदार द्वारा धृत कोई भूमि ऐसे खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे खातेदार के आवेदन-पत्र पर, या स्वप्रेरणा से अध्यासी को बेदखल करने के पश्चात्, उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक समझे जायं ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखल किए जाने के पश्चात्, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो छः माह से कम नहीं होगा, और जुर्माना से भी जो तीन हजार रुपए तक हो सकता है किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने वाला कोई न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरकारी तौर पर बेदखल करने के पश्चात् ऐसी भूमि का कब्जा खातेदार को दिलाया जाय और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बेदखल किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा ।"

15—धारा 287--क का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 287-क में, शब्द "किसी बकाया मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिए जाएंगे और सदैव से रखे गए समझे जाएंगे ।

16—धारा 330 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 330 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(ग) अध्याय दस के अधीन मालगुजारी का निर्धारण या उसकी वसूली या मालगुजारी की बकाया की तरह वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली ।"

अध्याय—तीन

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

17—यू0 पी0 एक्ट संख्या 3, सन् 1901 की धारा 33 का संशोधन--यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर (चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक जोत बही (पास-बुक) नियत रीति से और नियत शुल्क का (जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा) भुगतान करने पर, तैयार करायेगा और उसे दिलवाएगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में, जिनके संबंध में वह (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर के ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत बही (पास-बुक) अभिलिखित सह अंश-धारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को जो नियत किए जांय, दी जाय ।

स्पष्टीकरण—जोत बही (पास-बुक) किसी खातेदार की, भूमिधर (चाहे वह संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), आसामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के संबंध में समस्त जोतों के लिए संहत पास-बुक होगी ।"

18—धारा 183 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 183 में, शब्द "किसी बकाया मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिए जाएंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

अध्याय—चार

जौनसार बाबर जमीदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का

संशोधन

19—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1956 की धारा 36 का संशोधन-जौनसार बाबर जमीदारी—विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 36 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परगने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 245 निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होंगी, अर्थात—

(एक) डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ के रूप में की जायेगी;

(दो) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन किए गए बन्दोबस्त पर स्वीकृत लगान की अधिकतम दर एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हो, उक्त धारा 245 की उप-धारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खण्ड (1) में आए हुए शब्द "पांच रुपए" और "दस रुपए" के स्थान पर क्रमशः शब्द "तीन रुपए" और "पांच

रुपए'' रख दिए जायेंगे, और उसके खण्ड (2) में; शब्द ''दस रुपए'' और ''बीस रुपए'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''छः रुपए'' और दस रुपए'' रख दिए जाएंगे ।''

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

20—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 की धारा 48 का संशोधन- उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में, उपधारा (1) में, शब्द ''प्राधिकारी द्वारा दी गई'' के पश्चात् शब्द ''अन्तवर्ती आज्ञा से भिन्न'' रख दिए जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 20 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 21, खण्ड 22 से 28, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

21--धारा 49 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 49 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

''किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122--ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी ।''

अध्याय छः

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

''22—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1961 की धारा 27 का संशोधन उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में—

(एक) उपधारा (6) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जाएंगे, अर्थात्—

''(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किए गए किसी बन्दोबस्त या दिए गए किसी पट्टे की स्थिति में, उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किए गए किसी बन्दोबस्त या दिए गए किसी पट्टे की स्थिति में, ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व''

(दो) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्—

''(6--क) जहां किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अध्यासन हो, वहां कलेक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, आवेदन पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलाएगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(6—ख) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किए जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे जुर्माने की धनराशि वसूल हो जाय तो अभियुक्त को सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि जुर्माने का ऐसा भाग जैसा न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ।

(6—ग) जहां उपधारा (6--ग) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है; और

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरीतौर पर बेदखल कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(6—घ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (6—ग) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(6--ङ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निर्देश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6—च) उपधारा (6--ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।''

अध्याय सात

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अंतरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 का संशोधन

23—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन—उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

''(कक) 'अनुसूचित ग्राम' का तात्पर्य अन्तरित राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम से है;''

24—धारा 3 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द ''अनुसूची'' के स्थान पर शब्द 'प्रथम अनुसूची' रख दिए जाएंगे ।

25—नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

''3--क--कतिपय अध्यासियों को भौमिक अधिकार प्रदान करना--(1) जहां कोई व्यक्ति जिसका 15 अक्तूबर, 1976 को और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को भी किसी अनुसूचित ग्राम में स्थित किसी भूमि पर अध्यासन रहा है और वह भूमि ऐसी भूमि है जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 के उपबन्ध,

(क) लागू होते हैं वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सम्बद्ध गांव सभा की ओर से भूमि धारण करने वाला असामी हो जाएगा और हो गया समझा जाएगा;

(ख) लागू नहीं होते है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसी भूमि के सम्बन्ध में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और हो गया समझा जायेगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावित होंगे ।''

26—द्वितीय अनुसूची का बढ़ाया जाना—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची को पुनः संख्यांकित करके उसकी प्रथम अनुसूची कर दी जायगी, और इस प्रकार

पुनः संख्यांकित प्रथम अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात—

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3—क देखिए)

अनुसूचित ग्रामों के नाम

1—भिखनपुरा या भिखारीपुरा

2—शाहपुर दिघवारा

3—आराजी माफी अगोरपुर

4—शिवपुर गंगबरार

5—बिजौरा गंगबरार

6—सीतलपट्टी गंगवरार

7—चतुरभुजतरी गंगवरार

8—गोविन्दपुर गंगवरार

9—डांगराबाद

10—बुलापुर

11—हरदेव छपरा

12—हरसेवक छपरा

13—चौबे छपरा

14—कवलापति छपरा उर्फ दुबे छपरा

15—नौबरार (1) मुतल्लिका बेलसीपाह

16—नौबरार 1873 मुतल्लिका बेलसीपाह

17—नौबरार (1) मुतल्लिका सरबनपुर

18—नौबरार (1) मुतल्लिका पलिया

19—सोमपुर

20—पड़री

21—पैकोली

22—असमानपुर

23—गोविन्दपुर

24—चतुरभुजपुर

25—अलखदियरा

26—पोखरा

27—टोल बड़े बाबू

28—तुलापुर (2) पोरसन

29—दुर्जनपुर

30—उधोपुर

अध्याय आठ

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

27—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 122—ख जैसी कि वह इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थी, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 198, जैसी कि वह 18 अगस्त, 1980 को थी, के अधीन किसी भूमि के ग्रदेशन या पट्टा के निरसन की सभी

कार्यवाहियां जो इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थी, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जाएंगी ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1980

28—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो से सात में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिती के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित ऐसी अधिनियमितियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901, जौनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 और उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।
(संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) धारा 9 अठ्ठारह अगस्त, 1980 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 19 पहली जुलाई, 1976 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2 से 7 और 12 से 14, 27 और 28 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष उपबन्ध 10 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 21 द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 में बढ़ाये जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "कलेक्टर", के स्थान पर शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिया जाय ।"

श्री बैजनाथ कुरील—

स्वीकार है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड 21 द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 में बढ़ाये जाने वाले प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "कलेक्टर," के स्थान पर शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 21 तथा खंड 22 से 28, खंड 1, 'प्रस्तावना व शीर्षक' इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बैजनाथ कुरील—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 6 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

24 फरवरी, 1981

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पृष्ठ 218 पर ।)

फर्मों जिनसे सिविल साज-सज्जा क्रय की गई की सूची

1—मेसर्स गोदरेज, निशातगंज, लखनऊ ।
2—मेसर्स हरियाणा एम्पोरियम, लखनऊ ।
3—मेसर्स शर्मा ब्रदर्स, कैन्ट रोड, लखनऊ ।
4—चित्रा एण्ड सन्स, लखनऊ ।
5—मेसर्स बरेली वुड वर्क्स ।
6—मेसर्स पंचायत उद्योग ।
7—मेसर्स के0 सन्स, लखनऊ ।
8—मेसर्स एस0 इन्जिनियरिंग, लखनऊ ।
9—मेसर्स आधुनिक उद्योग, बरेली ।
10—मेसर्स आरिफ ब्रदर्स, लखनऊ ।
11—मेसर्स मु0 शफीक ।
12—इम्पीरियल फरनीचर हाउस, लखनऊ ।
13—मेसर्स मनोचा फर्नीचर्स, लखनऊ ।
14—मेसर्स यू0 पी0 एक्स्पोर्ट कारपोरेशन ।
15—मेसर्स भोला नाथ रस्तोगी, अमीनाबाद, लखनऊ ।
16—मेसर्स इन्डिया कोयर प्रोडक्ट्स ।
17—मेसर्स राज फर्नीशिंग, लखनऊ ।
18—मेसर्स ब्लैक पाटरिज, हरियाणा इम्पोरियम, लखनऊ ।
19—मेसर्स तेजपाल एण्ड कम्पनी ।

फर्मों जिनसे विद्युत साज-सज्जा क्रय की गई की सूची

1—मेसर्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड, दिल्ली ।
2—मेसर्स गार्डन रेडियो तथा रिफरीजेरेशन, लखनऊ ।
3—मेसर्स हैदराबाद एलाय मेटिल वर्कस लिमिटेड ।
4—मेसर्स बजाज एलेक्ट्रिकल्स, कानपुर
6—मेसर्स नया इन्जीनियरिंग वर्कस प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता/लखनऊ ।
5—मेसर्स जी0 इ0 सी0 मैगनेट हाउस, कानपुर ।
7—मेसर्स अजन्ता, फर्नीचर्स, लखनऊ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 226 पर ।)

प्रसंगत शिकायती पत्र में लगाये गये मुख्य आरोपों की सूची ।

1—श्री तिवारी ने माह जुलाई में जून के वेतन वितरण के साथ 1000 रु0 गबन कर लिया, जिससे कुछ अध्यापकों के वेतन में कमी करके अन्त में पाने वाले तीन स्कूल, बे0 प्रा0 पा0 बामी, प्रा0 पा0 जमुहर तथा जू0 हा0 स्कूल अदारी के कुछ अध्यापकों का वेतन कम दिया । दूसरे माह में कमी को पूरा करने के लिए जबरदस्ती (कन्टीजेन्सी) शायरखर्च का तीन माह का धन लेकर उन अध्यापकों के वेतन को पूरा किया ।

2—गत वर्ष बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ हम 326 शिक्षकों ने 2 रुपये की दर से योगदान किया था, 654 रु0 एक क्षेत्र से श्री तिवारी जी ने अपने माध्यम से ले गए । उनमें से कुछ धन जमा किया, शेष को गबन कर लिया ।

3—श्री तिवारी जी ने अपनी एक गोल कुछ अध्यापकों को लेकर बना रखे हैं । तिवारी के भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अध्यापकों की, वेतन कटौती, चरित्रपंजिका खराब करने तथा ट्रान्सफर का सामना करना पड़ता है ।

4—श्री तिवारी का निरीक्षण कार्य शिक्षण व्यवस्था के सुधार में समाज एवं बच्चों के हित में न होकर अध्यापकों के आर्थिक शोषण के उद्देश्य से ही होता है ।

5—श्री तिवारी जी विरोध करने वाले अध्यापकों का निरीक्षण 9-30 बजे आकस्मिक करते हैं साथ ही एक दिन के अनुपस्थित अध्यापकों का एक दिन के वेतन के बजाय कई दिन का वेतन काट कर खजाने में दाखिल न करके अपने जेब में रख लेते हैं ।

6—श्री तिवारी जी ने कुछ अध्यापकों से मासिक घूस की रकम बांधे हैं जिससे घूस देने वाले अध्यापकों को विद्यालय की ड्यूटी से पूरी छूट रहती है तथा बिना छुट्टी के अनुपस्थित भी रहते हैं ।

7—कन्टीजेन्सी के रूप में मिलने वाले धन का प्रारम्भ से ही श्री तिवारी जी ने अपना व्यक्तिगत धन बना लिया है । प्रधानाध्यापकों से फर्जी रसीद बनवा कर पूरा का पूरा धन प्रतिमाह ले लिया करते हैं । इस प्रकार इस धन को किसी सार्वजनिक उपयोग में नहीं किया जाता है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 231 प)

योजना का विवरण

1—मुरादाबाद परिक्षेत्र का सृजन—मुरादाबाद, रामपुर एवं बिजनौर जनपदों के लिए पृथक से एक परिक्षेत्र का सृजन किया गया है ।

2—पुलिस संगठन का सुदृढ़ीकरण:---

(क) **नागरिक पुलिस**—वर्तमान थानों/चौकियों हेतु इन्सपेक्टर के 57, सब इन्सपेक्टर के 1,404, हेड कान्सटेबिल के 882 व कान्सटेबिल के 8,202 पद स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया । वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 प्रत्येक वर्ष में 19 इन्सपेक्टर, 467 सब इन्सपेक्टर, 296 हेड कान्सटेबिल व 2,770 कान्सटेबिलों के पदों का सृजन किया गया । शेष पद 1981-82 में सृजित किए जायेंगे ।

(ख) **राजकीय रेलवे पुलिस**—294 उप निरीक्षक, 285 हेड कान्सटेबिल व 2,187 कान्सटेबिलों के अतिरिक्त पदों के चरणबद्ध रूप से सृजित करने का निर्णय लिया गया । इनमें से 155 उप निरीक्षक, 166 हेड कान्सटेबिल व 1,336 कान्सटेबिलों के पद चालू वित्तीय वर्ष में सृजित कर दिए गये हैं । शेष पद अगले वर्ष सृजित किए जायेंगे ।

(ग) **नये थानों एवं चौकियों की स्थापना**—प्रदेश में 58 शहरी एवं 155 देहाती नये थानों व 50 रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग चौकियों की स्थापना का निर्णय लिया गया । इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 138 नये थानों (53 शहरी तथा 85 देहाती) एवं 34 रिपोर्टिंग इनवेस्टिगेटिंग चौकियों की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(घ) **रिवर पुलिस**—हरिद्वार एवं मुनि की रेती में नदी पुलिस (रिवर पुलिस) की स्थापना की गई है ।

(च) **अपराध शाखा का सुदृढ़ीकरण**—1979-80 में दो पुलिस अधीक्षक, आठ पुलिस उपाधीक्षक, 32 इन्सपेक्टर, 6 अभियोजन अधिकारी व सहवर्ती स्टाफ का सृजन किया गया ।

(छ) **अभिसूचना विभाग का पुनर्गठन**—चार पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उपाधीक्षक, 11निरीक्षक, 119 उप निरीक्षक, 11 हेड कान्सटेबिल व अन्य सहवर्ती स्टाफ का सृजन एवं साज-सज्जा की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

(ज) **जिला मिनिस्ट्रीयल शाखा**—15 सब इन्सपेक्टर (एम) ग्रेड-4, 202 सहायक सब इन्सपेक्टर (एम) व 45 कान्सटेबिल (एम) के पदों का सृजन किया गया ।

3—पुलिस की गतिशीलता में सुधार—नागरिक पुलिस के थानों के लिए जीप गाड़ियां उपलब्ध कराने का निर्णय है । अभी तक 220 थानों के लिए जीपें स्वीकृत कर दी गई हैं । नागरिक पुलिस के शेष 156 थानों के लिए भी यह सुविधा चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

4—**संचार व्यवस्था में सुधार**—वर्ष 1979-80 में 35 जी0 आर0 पी0 थानों पर रेडियो वायरलेस की व्यवस्था की गई । नवसृजित 203 थानों पर भी चरणवद्ध रूप में वायरलेस की व्यवस्था की जायेगी । 12 अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक व 51 सर्किल आफिसरों की गाड़ियों पर 1979-80 में रेडियो सेट की व्यवस्था कर दी गई है । प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय को टेलीप्रिन्टर द्वारा जोड़ा जा रहा है । 9 जनपदों में टेलीप्रिन्टर स्थापित हो गये हैं ।

5—**पुलिस अभिलेखों का आधुनिकीकरण**—शासन ने कम्प्यूटर की स्थापना का निर्णय लिया है । इसके लिए एक पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अन्तर्गत वांछित न्यूक्लीयश स्टाफ भी स्वीकृत किया है ।

6—**पुलिस प्रशिक्षण में सुधार**—पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए प्रदेश शासन ने एक पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किया है । इसके अतिरिक्त उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक अतिरिक्त पी0 टी0 सी0 एवं कान्सटेबिलों के प्रशिक्षण हेतु 18 अस्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

7—अधीनस्थ पुलिस जनों के कल्याण स्वीकृत योजनाओं का विवरण—

(1) पुलिस के कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, सहायक उप निरीक्षक तथा रेडियो शाखा के सहायक आपरेटर एवं हेड आपरेटर को 1-6-79 से उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया ।

(2) पुलिस मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के कर्मचारियों को कार्यकारी दल के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के समरूप वेतनमान 1-6-79 से स्वीकृत किया गया ।

(3) पुलिस थानों पर नियुक्त बीट कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल को साइकिल के क्रय हेतु 150 रु0 की सबसिडी 1979-80 में स्वीकृत की जा चुकी है । इसी प्रकार इनको 1979-80 में 4 रु0 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत साइकिल भत्ता भी स्वीकृत किया गया जो इस वर्ष 1980-81 में बढ़ाकर 10 रु0 प्रतिमाह कर दिया गया है ।

(4) उप निरीक्षकों को दी जाने वाली मोटर साइकिल सबसिडी 1,500 रु0 से बढ़ाकर 2,500 रु0 कर दिया गया है ।

(5) उप निरीक्षकों को दी जाने वाली मोटर साइकिल एलाउन्स भी इस वर्ष 1980-81 में 30 रु0 से बढ़ाकर 75 रु0 कर दिया गया है ।

(6) कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, सब इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर जिन्हें अपने राजकीय कार्य के सम्पादन हेतु वर्दीधारण करनी पड़ती है को निम्न दरों से वर्दी धुलाई भत्ता गत वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया है:-

(1)	कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल	—	10 रु0 प्रतिमाह
(2)	सहायक उप निरीक्षक	—	12 रु0 प्रतिमाह
(3)	उप निरीक्षक	—	15 रु0 प्रतिमाह

(7) पुलिस संगठन में नियुक्त ऐसे अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी जो द्वितीय शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाशों में कार्यरत रहने के कारण अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति छुट्टियों का उपयोग नहीं कर पाते, को एवज स्वरूप एक माह का अतिरिक्त वेतन की सुविधा गत वर्ष 1979-80 से स्वीकृत की गई है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 पीछे पृष्ठ 237 प ।)
अभियोग अपराध संख्या 6 धारा 396 भा0 दं0 वि0 थाना टहरौली जनपद झांसी की विवेचना में नामजद व प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण ।

अभियुक्तों के नाम	कृत कार्यवाही
1—प्रमोद सिंह	चालान हुआ
2—धत्तू लुहार	चालान हुआ
3—द्वारिका	चालान हुआ
4—मूरत चमार	चालान हुआ
5—सटिया काछी	चालान हुआ
6—हरिश्चन्द्र	चालान हुआ
7—रट्टी काछी	धारा 169 जा0 फौ0 में रिहा
3—हरपल्ले	उक्त
9—तिलू काछी	उक्त
0—राजेन्द्र सिंह	उक्त
11—बाला राम	उक्त
12—कपूर सिंह	उक्त
13—बाबा नाई	उक्त
14—झुन्डे हरिजन	उक्त
15—कोमल सिंह	उक्त
16—महेन्द्र नि0 बघेरा	विवेचना से गलत पाये गये ।
17—बैकुण्ठ	उक्त
18—महेन्द्र नि0 गढ़ा	उक्त
19—विजय नि0 बघेरा	उक्त
20—नरायन	उक्त
21—बाबू चमार	उक्त
22—प्रेम काछी	उक्त
23—नत्थू चमार	उक्त
24—सुखलाल काछी	उक्त
	उक्त

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 246 पर ।)

(प्रतिलिपि)

सेवा में,

गृह सचिव महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

विषय:— श्री राम लखन चौधरी एवं श्री राम किंकर, ग्राम कमठिहिया, थाना कोतवाली, जनपद, बस्ती, अध्यापकगण किसान इन्टर कालेज मरहा, बस्ती की निर्मम हत्या 9 अगस्त, 1980 को विद्यालय ही में 9-30 बजे दिन में ही कालेज के प्रबन्धक, श्री गोमती सिंह, प्रधानाचार्य श्री सुखनन्दन चौहान, श्री दीनानाथ सिंह लाइब्रेरियन आदि व्यक्तियों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है, कि मेरे छोटे भाई मृतक श्री राम लखन चौधरी और मैं स्वयं लाइसेंसी गन धारक थे। हमारे भाई मृतक श्री राम लखन चौधरी और मेरा लड़का श्रीराम किंकर दोनों किसान इन्टर कालेज, मरहा में अध्यापन कार्य कर रहे थे । विद्यालय के गबन आदि के लिए एक जांच समिति बनायी गयी थी जिसके सदस्य हमारे भाई भी थे । जांच में कालेज के प्रबन्धक श्री गोमती सिंह जो पुराने बी0 क्लास के हिस्ट्रीसीटर हैं, दोषी पाए गए जिसके कारण बराबर हमारे भाई को फर्जी मुकदमों में फंसाने एवं जान से मार देने का षड़यन्त्र कर रहे थे । एमरजेन्सी के समय में आर्म्स एक्ट में अपने एक रिस्तेदार, जो उस समय कर्नलगंज, इलाहाबाद में हेड कान्सटेबिल थे, से कहकर मेरे भाई को बन्द करा दिया । उसके बाद डकैती एवं कत्ल के केसों में फंसाया परन्तु निर्दोष होने के कारण मुकदमें नहीं चल सके । अपने एक खास आदमी की हत्या करवाकर मुझे तथा मेरे भाई मृतक और लड़के को भी मुलजिम बनवा दिए थे जिसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । मेरे भाई ने उक्त केस के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिया था उसमें श्री गोमती सिंह के बारे में सारे तथ्यों को भी लिखा था जिसके आधार में उक्त कत्ल का केस सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द हुआ है । स्थानीय पुलिस से मिलकर श्री गोमती सिंह ने 107/117 मुकदमा कायम कराके हमारी व हमारे भाई मृतक की बन्दूक को निलम्बित करा दिया था जिसके सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र 14-3-80 को पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0 को पुलिस द्वारा बंदूक निरस्त करने की कार्यवाही के विरोध में मेरे मृतक भाई ने दिया था कि यदि हमारी बन्दूक जमा करा ली जाएगी तो हमारी हत्या तुरन्त कर दी जाएगी । परन्तु उस पर कोई ध्यान न देकर पुलिस ने हम लोगों की बंदूकों का निलम्बन 14-4-80 को करा दिया और बंदूकें जमा करा ली । उसके बाद मेरे भाई मृतक ने कई आवेदन पत्र अपनी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, बस्ती पुलिस अधीक्षक बस्ती, क्षेत्राधिकारी, हरैया, बस्ती एवं थानाध्यक्ष, कप्तानगंज, बस्ती को दिया कि हमारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बन्दूकों के अभाव में घर पर व विद्यालय में की जाए परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । विद्यालय खुलने के पूर्व 4-7-80 को पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस आशय का आवेदन पत्र मेरे भाई मृतक ने दिया था कि श्री गोमती सिंह पुत्र श्री भगौती सिंह, ग्राम बसुआपार, थाना कप्तानगंज प्रबंधक, किसान इंटर कालेज, मरहा, बस्ती बन्दूकों के अभाव में हमारी हत्या करा देंगे, इसलिए सुरक्षा

की कड़ी व्यवस्था की जाए । 4-7-80 को ही पुलिस अधीक्षक बस्ती को यह भी आवेदन पत्र दिया कि श्री गोमती सिंह, प्रबंधक, श्री देवतादीन पुत्र राम बली व दीनानाथ सिंह पुत्र जगदेव सिंह ग्राम बसुआपार थाना कप्तानगंज की बन्दूकें जमा करा ली जाए यदि उनकी बन्दूकें जमा नहीं करायी गयी तो वे लोग किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं । परन्तु केवल गोमती सिंह की ही बन्दूक निलंबित हुई, उनके चचेरे भाई दीनानाथ सिंह व देवतादीन ग्राम् बसुआपार और श्री सुखनन्दन चौहान प्रधानाचार्य की बन्दूकों को निलम्बित नहीं किया गया । यदि पुलिस द्वारा उन तीनों की बन्दूकें जमा करा ली गयी होती और सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी होती तो हमारे भाई एवं लड़के की हत्या नहीं होती । मुलजिमान सरकश व पेशेवर बदमाश हैं । वे लोग मेरी एवं गवाहों की भी हत्या किसी भी समय कर सकते हैं । मेरे भाई मृतक के लड़के श्री वीरेन्द्र तथा मेरे लड़के इन्द्रजीत की भी हत्या करने का षड़यंत्र कर रहे हैं । जिलाधिकारी बस्ती एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती से मैंने प्रार्थना की है कि मेरी बन्दूक तुरन्त सुरक्षा की दृष्टि से दे दी जाए परन्तु अब तक न बन्दूक ही दी गयी और न सुरक्षा की ही व्यवस्था की गयी है । इससे सिद्ध होता है, कि हमारे भाई एवं लड़के की हत्या मुलजिमानों ने पुलिस की साजिश से की है, पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं जिलाधिकारी, बस्ती ने भी लापरवाही की है ।

अतः आपसे निम्न अनुरोध है :—

(1) मेरी तथा हमारे परिवार की सुरक्षा हेतु मुझे एवं मेरे भाई मृतक की पत्नी को तुरन्त जमा करायी गयी बन्दूकों को दिलाया जाए तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए ।

(2) मेरे भाई मृतक एवं मेरे लड़के मृतक के मुकदमें की तफतीश पुलिस के हाथ से लेकर अपराध अनुसंधान शाखा से करायी जाए क्योंकि मुझे भय है कि पुलिस मुलजिमान की तरफदारी कर रही है और इस केस की तफतीश में मुलजिमानों का साथ देगी ।

दिनांक अगस्त 20, 1980

प्रार्थी

(राम भरोसे)

पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद,

रिटायर्ड पी0 ए0 सी0 हवलदार,

ग्राम कमहठिया, थाना कोतवाली, जिला बस्ती (उ0 प्र0) ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0, लखनऊ को प्रेषित ।

ह0—राम भरोसे,

पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद,

रिटायर्ड पी0 ए0 सी0 हवलदार,

ग्राम् कमठहिया, थाना कोतवाली, जिला बस्ती (उ0प्र0) ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 247 पर ।)

विकास खण्ड का नाम	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल	योग
1	2	3	4
1—मौदहा	37	6	43
2—सुमेरपुर	1	6	7
3—सरील	27	3	30
4—जैतपुर	19	—	19
5—मुरकरा	3	2	5
6—कुरारा	7	3	10
7—राठ	16	3	19
8—कुबरई	9	2	11
9—उरखारी	11	2	13
10—गोहखण्ड	11	3	14
11—पनवाड़ी	3	—	3
योग	144	30	174

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 276 पर ।)

जनवरी 1980 से 15-11-80 की अवधि में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटनाओं के बारे में वाराणसी जिले का थानेवार विवरण ।

नाम थाना	डकैती 396 भा0दं0 वि0	लूटे गये घरों डकैती 395/397 की संख्या भा0दं0वि0	डकैती में मरे व्यक्तियों की संख्या	डकैती में गोलियों से घायल व्योक्तियों की संख्या
1	2	3	4	
कोतवाली	—	—	—	—
चौक	—	—	—	—
आदमपुर	—	—	—	—
रामनगर	—	2	3	—
दशाश्वमेध	—	—	—	—
भेलपुर	—	2	2	—
मडुवाडीह	—	—	—	—
चेतगंज	—	—	—	—
कैन्ट	1	—	2	2
जैतपुरा	—	—	—	—
सैय्यद राजा	2	3	5	2
सकलडीहा	—	3	3	—
बलुआ	—	3	3	—
थानापुर	—	2	2	—
चौबेपुर	—	10	10	—
चोलापुर	2	5	18	2
रोहनियां	4	6	30	6
मिर्जामुराद	4	5	15	4
मुगलसराय	—	—	—	—
अलीनगर	—	3	3	—

1	2		3	4	
चन्दौली	1	—	1	1	1
चकिया	2	10	26	2	1
नौगढ़	—	—	—	—	—
बड़ागांव	1	4	15	1	5
फूलपुर	2	5	77	2	3
भदोही	1	2	15	1	6
गोपीगंज	—	1	1	—	1
सुरियावां	—	1	10	—	—
औराई	2	2	5	3	3
ज्ञानपुर	—	—	—	—	—

पी0 एस0 यू0 पी0—60 वि0 सभा—29-9-81—835 (ला0)

सत्यमेव जयते